FOR REFERNCE ONLY.

श माला, खंड 33, अंक 21

मंगलवार, 8 अप्रैल, 2003
18 चैत्र, 1925 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

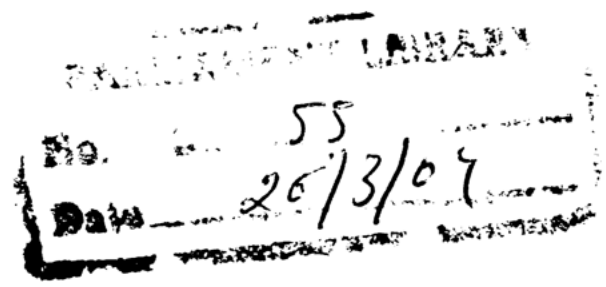


(खण्ड 33 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

## सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

---

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

# विषय-सूची

*[त्रयोदश माला, खंड 33, बारहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]*

**अंक 21, मंगलवार, 8 अप्रैल, 2003/18 चैत्र, 1925 (शक)**


| विषय | कॉलम |
|---|---|
| सदस्यों द्वारा निवेदन | |
| इराक में स्थिति . . . . . | 1-13 |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 361 . . . . . | 13-15 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 362 से 380 . . | 19-50 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 3721 से 3888 . . . | 50-321 |
| सभा पटल पर रखे गए पत्र | 322-325 |
| महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति | |
| बारहवां प्रतिवेदन | 325 |
| ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति | |
| अड़तीसवां, उनतालीसवां, चालीसवां और इकतालीसवां प्रतिवेदन | 325 |
| पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति | |
| उनतालीसवां, चालीसवां और इकतालीसवां प्रतिवेदन | 326 |
| गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति | |
| अठानवेंवा प्रतिवेदन | 326 |
| समिति के लिए निर्वाचन | |
| भारतीय पुनर्वास परिषद . | 327 |
| नियम 377 के अधीन मामले | |
| (एक) झारखंड के लोहरदगा और गुमला जिलों में रेडियो और टेलीविजन कार्यकमों को स्थानीय भाषा में प्रसारित किए जाने की आवश्यकता | |
| प्रो. दुखा भगत . | 328 |
| (दो) पश्चिम रेल के दहानू रोड स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता | |
| श्री चिंतामन वनगा . . . | 328 |


*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

| विषय | | कॉलम |
|---|---|---|
| (तीन) | उड़ीसा में नवरंगपुर में केन्द्रीय सहायता से चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता | |
| | श्री परसुराम माझी . . . . . | 329 |
| (चार) | छेाटा नागपुर क्षेत्र की कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री राम टहल चौधरी . . | 329 |
| (पांच) | गुजरात में उधना होते हुए सूरत और जलगांव के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री मान सिंह पटेल. | 330 |
| (छह) | मुम्बई में महानगर गैस पाइप लाइन में रिसाव और आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए निवारक उपाय किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री किरीट सोमैया . | 330 |
| (सात) | रायबरेली स्थित आईटीआई यूनिट को अर्थक्षम बनाए जाने की आवश्यकता | |
| | कैप्टन सतीश शर्मा . | 331 |
| (आठ) | वन नीति बनाए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री भेरूलाल मीणा . . | 331 |
| (नौ) | विद्युत करघा उद्योग पर, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, लगाए गए उत्पाद शुल्क को वापस लिए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री नरेश पुगलिया . | 332 |
| (दस) | कर्नाटक में सूखे की भीषण स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि और खाद्यान्न जारी किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री इकबाल अहमद सरडगी . | 333 |
| (ग्यारह) | आकाशवाणी भागलपुर से प्रतिदिन एक घंटे 'बज्म-ए-उर्दू' कार्यक्रम प्रसारित किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री सुबोध राय . . | 333 |
| (बारह) | आंध्र प्रदेश के रामगुंडम में भारतीय उर्वरक निगम की इकाई पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री के.ई. कृष्णमूर्ति . . . . . | 334 |
| (तेरह) | महाराष्ट्र के परभनी और नांदेड़ जिलों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री शिवाजी माने . . . . . | 334 |

| विषय | कॉलम |
|---|---|
| (चौदह) विद्युत करघा और हाई डेंसिटी पोलीएथिलीन मोनो फिलामेंट निटेड फैब्रिक के उत्पादन पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को वापस लिए जाने की आवश्यकता | |
| श्री एम. चिन्नासामी . . | 335 |
| (पंद्रह) देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री रामदास आठवले . . . | 336 |
| संकल्प—स्वीकृत | |
| इराक में स्थिति | |
| श्री एस. जयपाल रेड्डी | 338 |
| श्री सोमनाथ चटर्जी . | 341 |
| डा. विजय कुमार मल्होत्रा . | 344 |
| श्री मुलायम सिंह यादव | 347 |
| श्री राम विलास पासवान . . | 349 |
| श्री के. येरननायडू | 353 |
| श्री चन्द्रकांत खैरे | 357 |
| श्री के. मलयसामी | 359 |
| श्री आदि शंकर | 360 |
| श्री राशिद अलवी . . . . . | 361 |
| डा. रघुवंश प्रसाद सिंह. . . . . | 363 |
| श्री पूर्णो ए. संगमा . . . . . | 365 |
| श्रीमती कृष्णा बोस . . . . . | 368 |
| श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव . . . | 369 |
| श्री जी.एम. बनातवाला . | 371 |
| श्री भर्तृहरि महताब . . . | 375 |
| श्री अजय चक्रवर्ती | 377 |
| श्री अली मोहम्मद नायक . . . . | 379 |
| श्री अमर राय प्रधान . . . . | 380 |
| श्री ई. पोन्नुस्वामी . . | 381 |
| श्री जोवाकिम बखला . . . . . | 382 |
| श्री रामदास आठवले . . . . . | 383 |

| विषय | कॉलम |
|---|---|
| श्री पी.सी. थामस | 385 |
| सरदार सिमरनजीत सिंह मान | 385 |
| श्री के. फ्रांसिस जार्ज | 388 |
| श्री यशवन्त सिन्हा | 389 |
| अध्यक्ष द्वारा घोषणा | 392-393 |
| राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक—पारित | |
| विचार करने के लिए प्रस्ताव | |
| श्री ईश्वर दयाल स्वामी | 393 |
| श्री जे.एस. बराड़ | 394 |
| योगी आदित्यनाथ | 396 |
| श्री वरकला राधाकृष्णन | 399 |
| श्री पी.एच. पांडियन | 400 |
| श्री अनादि साहू | 401 |
| कुंवर अखिलेश सिंह | 404 |
| श्री मोहन रावले | 406 |
| श्री रूपचन्द पाल | 408 |
| प्रो. रासा सिंह रावत | 410 |
| श्री संतोष मोहन देव | 412 |
| श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम | 412 |
| डा. रघुवंश प्रसाद सिंह | 413 |
| श्री जी.एम. बनातवाला | 417 |
| सरदार सिमरनजीत सिंह मान | 423 |
| श्री प्रबोध पण्डा | 424 |
| श्री सुबोध मोहिते | 425 |
| श्री हरीभाऊ शंकर महाले | 427 |
| खंड 2, 3 और 1 | 433 |
| पारित करने के लिए प्रस्ताव | 433-434 |
| विद्युत विधेयक—विचाराधीन | |
| विचार करने के लिए प्रस्ताव | |
| श्री अनन्त गंगाराम गीते | 434-439 |

## लोक सभा

**मंगलवार, 8 अप्रैल, 2003/18 चैत्र, 1925 (शक)**

*लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।*

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

## सदस्यों द्वारा निवेदन

### इराक में स्थिति

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन** (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, अमरीका द्वारा इराक पर हमले की घोर निन्दा होनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर प्रश्न-काल को स्थगित कर, सदन में चर्चा कराने का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है। क्वैश्चन-आवर को सस्पेंड कर इस सिचुएशन पर डिसकशन होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया सभी बैठिए। मेरी विनती है कि आप चेयर को कोआपरेट करिए।

श्री रामजीलाल सुमन, आपने क्वैश्चन आवर का सस्पेंड करने का नोटिस दिया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, बोलिए।

**श्री रामजीलाल सुमन :** अध्यक्ष महोदय, कल भी इस सम्मानित सदन में इस विषय में चर्चा हुई थी कि अमरीका का जो तानाशाही रवैया रहा है, उसके लिए हमें उसकी घनघोर शब्दों में निन्दा का प्रस्ताव पारित करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

**श्री विनय कटियार** (फैज़ाबाद) : यह घनघोर क्या होता है। बादलों की जो काली घटा छाती है, उसे घनघोर घटा बोलते हैं। आप पहले घनघोर निन्दा का अर्थ तो हमें बताएं।...*(व्यवधान)*

**श्री रामजीलाल सुमन :** अब आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता। मैं आपको क्या अर्थ समझाऊं।

अध्यक्ष महोदय, यह अत्यधिक गम्भीर मामला है। पूरी दुनिया चाहती थी कि अमरीका इराक के साथ युद्ध न करे और न सिर्फ दुनिया, बल्कि अमरीके के भी 70 फीसदी से अधिक लोग नहीं चाहते थे कि अमरीका इराक पर हमला करे। हिन्दुस्तान में जो सर्वेक्षण हुआ, उसके मुताबिक 87 फीसदी लोग इस हक में थे कि किसी भी कीमत पर अमरीका इराक पर हमला न करे। यह अत्यधिक गम्भीर सवाल है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि इस सरकार का जो सार्थक रवैया इस बारे में होना चाहिए था वह नहीं रहा और अमरीका द्वारा इराक में युद्ध करने के विरोध में लोक सभा में अमरीका के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित होना चाहिए था और उसमें भारत की जो सार्थक भूमिका होनी चाहिए, वह नहीं रही।

महोदय, वे देश जो अमरीका द्वारा इराक पर युद्ध किए जाने के खिलाफ थे, जैसे फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन आदि, उनसे भारत ने कोई विचार-विमर्श नहीं किया, कोई समझ पैदा नहीं की, कोई कोआर्डीनेशन नहीं किया और अमरीकी हमले को रोकने का जो प्रयास होना चाहिए, वैसा कोई प्रयास नहीं हुआ। मैं आरोप लगाना चाहता हूं इस सरकार पर कि अमरीकी को इराक पर युद्ध करने से रोकने में सरकार की भूमिका शून्य के बराबर रही है, बल्कि मैं यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अर्थहीन रही है। यह अत्यधिक गम्भीर मामला है।

महोदय, जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को अमरीका ने प्रभावहीन बना दिया है। उसका कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं है। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान का मतलब सिर्फ श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी नहीं है, बल्कि पूरा देश चाहता था कि अमरीकी हमला इराक पर न हो, उसके बावजूद अमरीका ने इराक पर हमला कर दिया। यह सभा पूरे हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए इस संसद से विश्व को संदेश जाना चाहिए कि इस संकट की घड़ी में भारत इराक के साथ है। हम अमरीका की भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं, उसको अपराधी मानते हैं और उसकी निन्दा करते हैं। यह संदेश यहां से जाना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रश्न-काल को स्थगित करें और इस पर चर्चा शुरू कराएं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री सुमन, कृपया अब आप बैठिए। मैंने आपको मौका दिया। मैंने आपकी बात सुनी। कृपया बैठिए।

यह विषय गम्भीर है और इस विषय में एक मत से रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत है, इस बारे में पूरा सदन एक है और यही

समझ कर कल इस विषय में जब सदन स्थगित हुआ, तो मैंने कहा था कि गवर्नमेंट ने मेरे पास इस विषय में एक रिजोल्यूशन भेजा है और गवर्नमेंट चाहती थी कि वह सर्वसम्मति से सदन से पारित हो। इस बारे में एक ड्राफ्ट मेरे पास आ गया। मैंने वह देखा और बाद में विपक्ष के लोगों को भी दिया। विपक्ष के लोगों ने भी उसे देखा। आज उसमें कुछ सुधार करके मुझे फिर उसे दिया गया है। रिजोल्यूशन को पास करने में कोई बाधा नहीं है। सभी चाहते हैं कि इस विषय में जो कुछ करना है वह एकमत से करने की जरूरत है।

यह प्रश्न राष्ट्रीय है। जब यह तय हो चुका है कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न पर हमें एकमत से प्रस्ताव पारित करने की देश को बहुत जरूरत है, तो मैं सोचता हूं कि फिर यहां का एटमोसफियर खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसमें गवर्नमैंट और विपक्ष दोनों को भूमिका एक हो, ऐसा ड्राफ्ट यदि सभी पक्षों को मंजूर हो तो एक अच्छा संदेश पूरे देश में और देश के बाहर जा सकता है।

इसीलिए मैंने कल हर पार्टी के लोगों से कहा कि वे अपने विचार यहां रखें। आप सबने कल अपने विचार यहां रखे। उसके बाद शाम पांच बजे नेताओं की मीटिंग हुई। आज सुबह भी मीटिंग हुई है। मैं अभी भी आशा करता हूं कि एक ड्राफ्ट, जो सभी को ऐक्सैप्टेबल हो, पास हो जायेगा तो इस विषय पर आज ही चर्चा हो सकती है। अभी कई सदस्यों के नोटिसेज मेरे सामने है। मैं नहीं सोचता कि क्वैश्चन ऑवर सस्पेंड करने से कोई फायदा होगा। हम क्वैश्चन ऑवर चला सकते हैं। जब ड्राफ्ट एकमत से स्वीकार हो जायेगा तो उस ड्राफ्ट पर सदन में चर्चा हो सकती है—यही मेरा प्रयास रहा है।

*(व्यवधान)*

**श्री राम विलास पासवान** (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो नोटिस दिया है, उसमें कहा कि क्वैश्चन ऑवर सम्पेंड न किया जाए? *...(व्यवधान)*

**श्री रामजीलाल सुमन :** अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा गंभीर मामला और क्या हो सकता है?*...(व्यवधान)* यह सबसे महत्वपूर्ण मामला है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** रामजीलाल सुमन जी, कृपया आप बैठिये। मैंने आपको पूरा समय दिया है। आपने जो कहा, वह मैंने सुना है। श्री राम विलास पासवान जी, आपने इस विषय में नोटिस दिया है इसलिए अब आप बोलिये।

*(व्यवधान)*

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम जो ड्राफ्ट देंगे, वह स्वीकार करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

**प्रो. रासा सिंह रावत** (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, इनको भारत की चिंता नहीं है! इनको इराक और यू.एस.ए. की चिंता है। *...(व्यवधान)*

**श्री रामजीलाल सुमन :** ये अमेरिका के गुलाम हैं।... *(व्यवधान)*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल सुबह ही एक निंदा प्रस्ताव पास करना चाहिए था लेकिन आज तक लोक सभा में निंदा प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इस विषय पर हमें घोर निंदा का प्रस्ताव पास करना चाहिए।*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** राम विलास पासवान जी, अब आप बोलिये।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** अभी तक मतभेद बहुत कम हुए हैं।

*(व्यवधान)*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :** अध्यक्ष महोदय, कल सुबह ही यह प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए था। यह बिल्कुल साफ है कि अमेरिका ने इराक पर जबर्दस्त हमला किया है। इसकी घोर निंदा की जाये और इस विषय पर यहां डिबेट होनी चाहिए।*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** राम विलास पासवान जी, अब आप बोलिये।

*(व्यवधान)*

**प्रो. रासा सिंह रावत :** अध्यक्ष महोदय, ये हाउस का समय बर्बाद कर रहे हैं।*...(व्यवधान)*

**श्री राम विलास पासवान :** अध्यक्ष महोदय, क्वैश्वन ऑवर... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने श्री राम विलास पासवान को बोलने के लिए कहा है।

*(व्यवधान)*

**श्री रामदास आठवले :** अध्यक्ष महोदय, अमेरिका इराक को बर्बाद कर रहा है। इस विषय पर यहां चर्चा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** रामदास जी, आप बैठिये।

*(व्यवधान)*

**श्री रामदास आठवले :** अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन ऑवर को सस्पेंड करना चाहिए और जो ड्राफ्ट हम दें, उसे स्वीकार करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

**श्री राम विलास पासवान :** अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन ऑवर को सस्पेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सरकार अपना समय बर्बाद कर रही है, देश को फजीहत में डाल रही है और सदन का भी समय बर्बाद कर रही है।...*(व्यवधान)*

**प्रो. रासा सिंह रावत :** आप लोग समय बार्बद कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

**श्री राम विलास पासवान :** अध्यक्ष महोदय, अभी आपके यहां मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सरकार को छोड़कर सभी राजनैतिक दलों के लागे, ईवन बी.जे.पी. के लोग भी उस प्रस्ताव के पक्ष में हैं। सारा का सारा पक्ष और विपक्ष उस प्रस्ताव के पक्ष में है, फिर क्यों नहीं उस प्रस्ताव को आपके माध्यम से यहां पेश किया जाता है? कौन समय की बर्बादी कर रहा है? आप मजाक क्यों बनाये हुए हैं। देश की प्रतिष्ठा को इन्होंने दांव पर लगा रखा है।...*(व्यवधान)* टी.डी.पी. के लोग यहां बैठे हुए हैं। आप उनसे पूछिये कि उन्होंने उस प्रस्ताव का समर्थन किया है या नहीं? समता पार्टी के लोग यहां बैठे हुए हैं, जनता दल के लोग यहां बैठे हुए हैं, डी.एम.के. के लोग यहां बैठे हुए हैं, ए.डी.एम.के. के लोग यहां बैठे हुए हैं, बी.जे.पी. के लोग भी यहां बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)* हम सब लोगों ने उसे कंडम किया है फिर क्यों इन्हें सबसे नफरत है। इसके बाद हमने कहा कि ठीक है, आप हिन्दी में पहली बार प्रस्ताव पास कराइये और प्रस्ताव हिन्दी में दे दिया। प्रस्ताव हिन्दी में देने के बाद, अब इनके यहां कितने नेता हैं, पता ही नहीं चलता। आपने साढ़े दस बजे हमें बुलाया था कि सब माइंड मेकअप करके आइये। साढ़े दस बजे जब सारा पक्ष और विपक्ष स्पीकर के सामने एक पक्ष में हो गया तब प्रश्न आया कि सरकार इसे एप्रूव करती है या नहीं? अब कौन समय की बर्बादी कर रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम इराक के मुद्दे को टॉप प्रायरिटी पर रखना चाहते हैं।

हम देश में कोई सिगनल नहीं देना चाहते हैं कि सदन इस मामले में गंभीर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां सद्दाम हुसैन आज जाएगा, कल जाएगा, सद्दाम हुसैन तो एक बहाना है, असली इराकी तेल उनका निशाना है, वह लोगों को पता चल जाएगा। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। आप सदन की कार्यवाही को चलाना चाहते हैं तो इस प्रस्ताव को यहां पढ़िए और यदि सरकार को यह स्थिति मंजूर नहीं है, तो हाउस को एडजर्न कर दीजिए, फिर बैठक बुलाइए और उसके बाद हाउस को चलाने का काम कीजिए लेकिन सदन में क्वैश्चन ऑवर नहीं चलेगा!...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री खारबेल स्वाइं :** माननीय, अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय :** आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

*(व्यवधान)*

**श्री प्रियंरजन दासमुंशी** (रायगंज) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न-काल में व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है?

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न-काल अभी आरंभ नहीं हुआ।

*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाइं :** महोदय, वह कैसे आपत्ति उठा सकते हैं? मैं नियम 388 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** वह जो कुछ कहना चाहते हैं उन्हें कहने दीजिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री खारबेल स्वाइं, आप कौन से नियम का हवाला दे रहे हैं?

**श्री खारबेल स्वाइं :** महोदय, यह नियम 388 है और यह नियमों के निलम्बन से संबंधित है। नियम 388 में निम्नवत बताया गया है :

"कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू

होना निलम्बित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने मुझे नियम 388 देखने के लिए कहा था। मैंने वह नियम पढ़ा है उसमें लिखा है :

"कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा।"

**श्री खारबेल स्वाइं :** महोदय, नियम में कहा गया है कि : "किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाये।" यहां प्रस्ताव कहां है? प्रस्ताव का अर्थ है कि उसे कार्य सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए, परंतु यह सूची में शामिल नहीं है...*(व्यवधान)* महोदय, अब आप नियम 32 पढ़े.... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** आपके व्यवस्था के प्रश्न में कोई तथ्य नहीं है।

*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** माननीय, अध्यक्ष महोदय, हमें यह कहते हुए खेद हो रहा है कि आज भी हमें प्रश्न-काल के निलम्बन की सूचना पुन: प्रस्तुत करनी पड़ेगी। जबकि हमारे दल का स्पष्ट मत है कि सभा की कार्यवाही में व्यवधान न केवल हमारी ओर से अपितु संपूर्ण सभा की ओर से उपस्थित नहीं होना चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम एक संकल्प पारित करना चाहते थे...*(व्यवधान)* महोदय, क्या मैं बोलूं या वह अपने व्यवस्था के प्रश्न पर बहस करते रहेंगे?

**अध्यक्ष महोदय :** श्री खारबेल स्वाइं, मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न पर अपना विनिर्णय दे दिया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री खारबेल स्वाइं :** महोदय, सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए प्रश्न-काल कैसे निलम्बित हो सकता है?... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री खारबेल स्वाइं, जो कुछ भी अब बोलेंगे वह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** महोदय, आज भी हमारी मंशा प्रश्न-काल के निलम्बन की सूचना देने की नहीं थी। परंतु कल और आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संपूर्ण सभा यह चर्चा कर रही है कि कैसे भारत इराक के लोगों के साथ अपनी भावना, अपना विरोध, दु:ख, अपनी चिंता और एकजुटता का प्रदशन करेंगी।

महोदय, हम आपके नेतृत्व में कल से सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज सुबह भी हम सब मिले हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दु:ख की बात है कि 21वीं सदी का पहला साम्राज्यवादी आक्रमण सर्वाधिक भोंडे और असभ्य तरीके से सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र के समझौतों को ताक पर रखते हुए हमारे उपमहाद्वीप के बहुत निकट हमारे क्षेत्र के पास वह भी एशिया में इराक के ऊपर किया गया।

महोदय, हमारा देश एक अरब की आबादी वाला देश है जो भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी के जमाने से ही शांति और भाईचारे का उपदेश देता रहा है और यह सभा प्रत्येक बार प्रत्येक देश की सम्प्रभुता और हस्तक्षेप न करने की नीति की पक्षधर रही है। महोदय, हमारे माननीय, प्रधानमंत्री ने चर्चा के बीच में बोलते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि वे बाहरी ताकतों द्वारा शासन के बदलाव का जो कि पहले घट चुका है, विरोध करते रहे हैं। हम इराक की घटनाओं की तुलना चेकोस्लोवाकिया और हंगरी की घटनाओं से नहीं करेंगे। वर्तमान मामले पर हमारे विचारों का गलत अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए।

अत:, मैं इसलिए आपसे पुरजोर याचना और पुरजोर अपील करना चाहता हूं कि आप इस संबंध में सर्वसम्मत संकल्प पारित करें। हम इसे राजनैतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे। हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने कल भारत के लिए क्या कहा है। हम जानते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि अमरीकी सेना ने आज क्या कहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अमरीकी सेना प्रमुख ने कहा है कि वे जहां चाहते हैं जा सकते हैं। हम जानते हैं कि कल राष्ट्रपति मुशर्रफ ने क्या कहा है। यह सारी बातें भारत की इच्छा और एकता के विरुद्ध

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं। इसलिए यह सर्वाधिक उचित समय है कि संसद आपके द्वारा सम्बोधित एक सर्वसम्मत संकल्प को पारित करे और सरकार को इस संकल्प से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई बाधा भी उपस्थित नहीं की जानी चाहिए 'घोर निंदा' शब्द से सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार कोई कार्यकारणी संसद की चाहे वह 'हाउस ऑफ कॉमन्स' हो या अमरीकी कांग्रेस जबरदस्त इच्छा से बाध्य होती है। यदि संसद आपके नेतृत्व में अपने विचार प्रकट करेगी तो इससे सरकार की स्थिति उसकी कूटनीतिक चर्चाओं को कमजोर नहीं करेगी। इसलिए, मैं सरकार से अपील करता हूं कि सरकार को, जैसा कि सुबह चर्चा हुई थी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक सर्वसम्मत संकल्प लेकर आना चाहिए और एक पूरे विश्व को एक बार दिखा देना चाहिए कि भारत इराक के साथ है और हमेशा साम्राज्यवादी आक्रमण के विरुद्ध है। मैं केवल यही अपील करना चाहता हूं।

मुझे आशा है कि इस मामले में हम सभा को विभाजित नहीं होने देंगे और सरकार 'घोर निंदा' शब्द पर विचार करेगी।

*[हिन्दी]*

**श्री शंकर सिंह वाघेला** (कपड़वंज) : अध्यक्ष महोदय, मेहरबानी करके आप कल की पुनरावृत्ति न करें। प्रश्न-काल सस्पेंड करने का मतलब यह है कि जब इतना बड़ा प्रश्न हमारे सामने है हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट के, जब अपने प्रश्नों को साइड में रखकर, इराक-अमेरिका का प्रश्न लेकर, हम दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का रवैया क्या है, इस पर कल भी चर्चा हुई थी और आज भी हो रही है। अगर 12 ही बजाने हैं तो प्रश्न-काल सस्पेंड करने की जो स्पिरिट है, वह नहीं रहेगी। इस स्पिरिट का मतलब है कि हमारे सामने जो प्रश्न हैं, उससे बड़ा यह प्रश्न है इसलिए आपको प्रश्न-काल सस्पेंड करना है तो करें, अगर नहीं करना है तो मेहरबानी करके हमारे प्रश्नों को अलाऊ करें। यही सुनने का तरीका कल भी था और आज भी 12 बज जाएंगे, फिर वही बात हो जाएगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस विषय पर कोई निर्णय लें।

**श्री जी.एम. बनातवाला** (पोन्नानी) : जनाबे स्पीकर साहब, इराक में बगदाद में सूरते हाल बहुत संगीन है।

[illegible]

*[अनुवाद]*

**श्री वी. धनंजय कुमार** (मंगलौर) : महोदय, हम जानना चाहते हैं कि क्या प्रश्न काल पहले ही निलम्बित किया जा चुका है।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न-काल निलम्बित नहीं किया गया है। सभा में जो कुछ भी हो रहा है वह अध्यक्षपीठ का मार्गदर्शन है कि प्रश्न-काल निलम्बित किया जाए या नहीं।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसे सभा में उठाया जाए। वह इस पर बहस क्यों कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

**श्री वी. धनंजय कुमार :** महोदय, सभा के समक्ष प्रश्न-काल के निलम्बन की आड़ में कल से हम सब यही बातें सुन रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** आपने जानकारी के लिए एक प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर मैं आपको दे चुका हूं, अब आप बैठ जाइए। मैंने आपको जानकारी दे दी है।

*(व्यवधान)*

**श्री वी. धनंजय कुमार :** तब आपको मेरी बात भी सुननी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** जिन्होंने सूचनाएं दी हैं, केवल उनको ही बोलने दिया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**श्री जी.एम. बनातवाला :** जनाबे वाला, इराक में सूरते हाल इन्तेहाई संगीन है। यह संगीन सूरते हाल का तकाजा है कि हम तमाम मामलात पर तरजीह देते हुए पहले इराक के सूरते हाल पर गौर करें और इवान की जानिब से एक मुत्तेबक और मुत्तहबा आवाज इस जुल्म-ए-सितम के खिलाफ बुलंद करें।

सर, यह बात खुलकर सामने आ चुकी है।*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** इराक की स्थिति प्रतिदिन बदल रही है। मैं क्या कर सकता हूं?

*[हिन्दी]*

**श्री जी.एम. बनातवाला :** हम इराक पर अमेरिका की चढ़ाई और हमले की नि सिर्फ जबर्दस्त और शदीद मजम्मत करते हैं बल्कि साथ-साथ हमारा इंतहाई अहम मुतालबा यह है कि लड़ाई और हमला जिस सूरत में आज है वह फौरन बंद किया जाए और इराक से अमेरिका और उसकी इत्तहादी फौज़ें वापस लौट जाएं। वहां के मामलात यूएनओ के सुपुर्द किये जाएं। इराक पर हमला मुजरिमाना कार्यवाही और संगीन एग्रेशन था।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री रूपचन्द पाल, प्रश्न-काल के निलम्बन पर आप बोलने की अनुमति मांग रहे थे।

*[हिन्दी]*

**श्री जी.एम. बनातवाला :** आज अमेरिका इंटरनेशनल ट्रैचरी का मुर्तकब हो रहा है। आज जरूरी है कि हम उसका भरपूर नोट यहां पर लेते हुए अपनी बातों को पेश करें। जंगी मुजरिम की तरह इराक पर अमेरिका का हमला है, उसके लिए अमेरिका को जंगी मुजरिम करार देते हुए उस पर कार्यवाही इंतहाई जरूरी है। इसलिए अमेरिका पर कार्यवाही हो और सैंक्शन्स हों – यह इंतहाई जरूरी है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री रूपचन्द पाल, आपको केवल प्रश्न-काल के निलम्बन पर ही बोलना है अन्य विषय पर नहीं। आपको प्रश्न-काल निलम्बित किया जाए या नहीं सिर्फ इसी विषय पर बोलना है।

**श्री रूपचन्द पाल** (हुगली) : कल से संपूर्ण विश्व इस बात को देख रहा है कि 110 करोड़ जनसंख्या वाला यह राष्ट्र अपने संप्रभुतासम्पन्न संसद में सम्प्रभुत्तासंपन्न इराक पर अमरीका की अगुवाई में गठबंधन सेना द्वारा किए गए सैनिक आक्रमण की निंदा पर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करने का प्रयत्न कर रहा है। हम सभा को इस बात पर विभाजित नहीं करना चाहते हैं। हम इस बात पर जोर देते रहे है कि इराक पर आक्रमण और कब्जा करने के लिए सैनिक कार्यवाही के अधिपत्यात्मक रूपी कार्य के विरुद्ध सर्वसम्मत संकल्प लाया जाए। सरकार ने यह कहा था कि यदि युद्ध होता है तो यह सरकार उसकी निंदा करेगी। अब वह अपने बात से मुकर रही है। किसके पक्ष में वह अपनी बात से अब मुकर रही है?

कल से हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं– हमने पहले ही यह प्रयत्न किया है–कि आक्रमणकारियों को यह संदेश पहुंचाया जाना चाहिए कि विश्व भर में आक्रमण के विरूद्ध जनमत का सैलाव उमड़ रहा है। जो कुछ आज इराक में हो रहा है अन्य देशों के साथ भी हो सकता है। हमारे विरुद्ध भी धमकियां दी गयी हैं। श्री प्रियरंजन दासमुंशी पाकिस्तानी राष्ट्रपति द्वारा दी गयी धमकी का जिक्र कर रहे थे। यहां तक कि अमरीकी डिप्युटी सेक्रेटेरी ने विदेश मंत्री को इराकी स्थिति की कश्मीर की स्थिति से तुलना करने पर धमकी दी थी। भाजपा ने अपनी पिछली बैठक में इसकी निंदा करने का निर्णय लिया था। सभी दल इसकी निंदा कर रहे हैं। सरकार की राह में वह कौन सी चीज बाधक है जिससे वह सैनिक आक्रमण की निंदा संबंधी संकल्प पर सहमत नहीं हो रही है? हमने यह मांग की है कि आक्रमण की कार्यवाही तत्काल बंद होनी चाहिए और गठबंधन सेना को सम्प्रभुत्ता-संपन्न ईराक से तुरंत वापस चले जाना चाहिए। हमने कहा है कि पुनर्वास और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की ही होनी चाहिए। इसमें गलत कुछ भी नहीं है। जब विपक्ष, सरकार, भाजपा और घटक दल ऐसे संकल्प पर सहमत है तो इस सरकार पर कौन सा दबाव पड़ रहा है? विश्व देख रहा है कि यह सरकार इतनी कमजोर है कि जो अपने पभुत्ता सम्पन्न मित्र जो भारत का हमेशा से मित्र रहा है, जिसमें कश्मीर मुद्दे पर भी हमारा साथ दिया है और जो संकट में हमेशा हमारें साथ रहा है, पर किए गये इस भौंडे सैनिक आक्रमण के विरुद्ध अपना विरोध भी प्रकट नहीं कर रही है।

[**جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پوننانی)**: جناب والا، عراق میں صورت حال انتہائی سنگین ہیں۔ یہ سنگین صورت حال کا تقاضہ ہے کہ ہم تمام معاملات پر ترجیح دیتے ہوئے پہلے عراق کے صورت حال پر غور کریں اور ایوان کی جانب سے ایک متحد اور متفق آواز اس ظلم و ستم کے خلاف بلند کریں۔

جناب یہ بات کھل کر سامنے آچکی ہے۔

**MR. SPEAKER:** Everyday, situation is changing in Iraq. What can I do?

**جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پوننانی)**: ہم عراق پر امریکہ کی چڑھائی اور حملے کی نہ صرف زبردست اور شدید مذمت کرتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ ہمارا انتہائی اہم مطالبہ یہ ہے کہ لڑائی اور حملہ جس صورت میں آج ہے فوراً بند کیا جائے اور عراق سے امریکہ اور اسکی اتحادی فوجیں واپس لوٹ جائیں۔ وہاں کے معاملات اقوام متحدہ کے سپرد کئے جائیں۔ عراق پر حملہ مجرمانہ کاروائی اور اگریشن تھا۔

**MR. SPEAKER:** Shri Rupchand Pal. On the question of suspension of Question Hour you have been asking.

**جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پوننانی)**: آج امریکہ انٹرنیشنل ٹریچری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ آج ضروری ہے کہ ہم اس کا نوٹ بھرپور لیتے ہوئے اپنی باتوں کو پیش کریں۔ جنگی مجرم کی طرح عراق پر امریکہ کا حملہ ہے۔ اس کیلئے امریکہ کو جنگی مجرم قرار دیتے ہوئے اس پر کاروائی ضروری ہے۔ اسلئے امریکہ پر کاروائی ہو اور سینکشن ہوں۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔]

जब वे आक्रमण के विरुद्ध लड़ रहे हैं, हम इस आक्रमण की निंदा करने में असफल हुए हैं। महोदय, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस सरकार को इस बात पर सहमत करें और यह सभा सर्वसम्मति से इस सैनिक कार्यवाही की निंदा करें। महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव से महत्वपूर्ण और आवश्यक और क्या हो सकता है...*(व्यवधान)*

---

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों, मुझे स्थगन प्रस्ताव से संबंधित छह सूचनाएं मिली हैं। मैंने सभी सूचनाओं को पढ़ा है और सभी सूचनाओं में इराक मामले पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए प्रश्न-काल के निलम्बन की मांग की गयी है। आप सभी जानते हैं कि कल स्थगन प्रस्ताव पर मेरा विनिर्णय देते हुए मैंने कहा था कि यह मामला स्थगन प्रस्ताव की विषय-वस्तु नहीं बन सकता। चूंकि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी गयी है, संबंधित सदस्यों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए प्रश्न-काल निलम्बित नहीं किया जा सकता क्योंकि स्थगन प्रस्ताव पर स्वयं ही सभा में चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए, मैं प्रश्न-काल के निलम्बन के निवेदन को खारिज करता हूं और अब मैं सीधे प्रश्न-काल पर आता हूं।

प्रश्न संख्या 361—कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य।

*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य :** जी नहीं।...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** महोदय, मुख्य प्रश्न है इराक का मामला ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य।

**पूर्वाह्न 11.25 बजे**

*[हिन्दी]*

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां

***361. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम शांडिल्य :**
**श्रीमती श्यामा सिंह :**

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक कट्टर आतंकवादियों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों में शरण ले रखी है और वे इन क्षेत्रों को राजधानी में महत्वपूर्ण स्थानों पर आक्रमण करने हेतु सुरक्षित स्थान समझते हैं जैसा कि दिनांक 13 मार्च, 2003 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे अपराधियों को, विशेषकर राजधानी में गिरफ्तार करने हेतु कोई 'पकड़ने संबंधी योजना' शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक इसके अंतर्गत कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों में छिपे हुए आतंकवादियों का आधार नष्ट करने हेतु क्या रणनीतियां अपनाएं जाने का प्रस्ताव है?

*[अनुवाद]*

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) :** (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

(क) और (ख) अभी हाल ही में ऐसी पांच घटनाएं हुई हैं जिनमें पाक-समर्थित आतंकवादियों को दिल्ली के निकट उत्तर प्रदेश के पश्चिम भागों में या तो गिरफ्तार किया गया अथवा मारा गया। अत:, पाक-समर्थित आतंकवादियों के दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में छिपने के स्थान बनाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) दिल्ली पुलिस दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में आतंकवादियों के क्रियाकलापों और गतिविधियों तथा उनके शरण स्थलों के बारे में आसूचना जुटाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और उनके नापाक इरादों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय बनाने के लिए यथेष्ट सुरक्षा बंदोबस्त कर दिए गए हैं। इसमें पड़ोसी जिलों के पुलिस बलों और केन्द्रीय आसूचना एजेन्सियों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करना शामिल है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में गिरफ्तार किए गए अथवा मारे गए आतंकवादियों से इन व्यवस्थाओं की प्रभावकारिता का पता चलता है।

**कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य :** माननीय, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं। आतंकवादी गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के शहरों पर व्याप्त खतरा एक राष्ट्रीय महत्व का मामला है और इस पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

महोदय, यह बात कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा जैसे आतंकवादी संगठन जिसे पाकिस्तान की आई-एस-आई का समर्थन प्राप्त है, ने राजधानी से लगे शहरों का रुख किया है इससे यह प्रश्न खड़ा होता है कि इन पड़ोसी शहरों में राजधानी के भुकाबले निगरानी का स्तर निम्न है...*(व्यवधान)* इससे जुड़ी अन्य बातें भी हैं जैसे स्थानीय जनता की सुरक्षा के प्रति जागरुकता और इसके लिए अपनाया गया तंत्र...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** डा. धनी राम शांडिल्य, कृपया एक मिनट इंतजार कीजिए।

अब, श्री मुलायम सिंह यादव।

---

**पूर्वाह्न 11.28 बजे**

*[हिन्दी]*

## सदस्यों द्वारा निवेदन

### इराक में स्थिति—जारी

**श्री मुलायम सिंह यादव** (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि कल से आज तक आपने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोई पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं रहा। इराक पर अमरीका द्वारा जो हमला हुआ है, इस सवाल को आपने गम्भरीता से लिया है। अब हम भी चाहते हैं कि सदन का माहौल खराब न किया जाए। सरकार की मन्जूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जब तक वह प्रस्ताव पर निर्णय आता है, तब तक के लिए सदन स्थगित किया जाए, क्योंकि यह बहुत गम्भीर मामला है।

हमने यह आशंका व्यक्त की थी कि सारी दुनियया के लिए आज गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। कल अमरीका का हिन्दुस्तान के लिए धमकी भरा बयाना आया है। उसका जवाब पाकिस्तान की ओर से फिर आ गया है कि जम्मू-काश्मीर को इराक से जोड़कर अमरीका हमला करे। यह सहधे-सीधे बात आ गई है। आज दुनिया में हिन्दुस्तान की स्थिति सबसे ज्यादा गम्भीर हो गई है। जो भी हमारी विदेश नीति है, जो भी प्रस्ताव है, वह देश के हित में होता है। देश हित में अगर प्रधान मंत्री जी या उप-प्रधान मंत्री जी हम लोगों को बुलाकर अलग से बात कर लेते, तो क्या आप समझते हैं कि देश के हितों के खिलाफ प्रस्ताव हम सदन में ला सकते हैं। देश के हित में जो भी प्रस्ताव होगा, आज की वर्तमान स्थिति में, हम उसे पारित कराने में सहयोग करेंगे। लेकिन इराक पर हमले से अमरीका की दादागिरी साबित हो गई है। जैसा कि पाकिस्तान ने कहा है, उस पर अमरीका की प्रतिक्रिया अभी नहीं आयी है। पाकिस्तान ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर को इराक से साथ जोड़कर अमरीका हमला कर दे — क्या इसका तत्काल अमरीका को खण्डन नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान गलत कह रहा है। वे पाकिस्तान की भी निन्दा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि भारत सरकार दुविधाग्रस्त रही है और जो दुविधाग्रस्त रहता है, वह हमेशा देश का अपमान करता है और स्वयं भी मरता है। देश को हम मरने नहीं देंगे। इसलिए हम विपक्ष के लोग खड़े हैं। हमें खुशी है कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए स्वयं विजय कुमार मल्होत्रा जी टीवी पर कहते हैं हम विपक्ष से ज्यादा निन्दा करते हैं।

लेकिन पता नहीं ये जीभ से विचार प्रकट करते हैं? दो जीभ बड़ी खतरनाक होती है। हम दो जीभ से काम नहीं करते हैं। हम एक जीभ से देश के हितों में काम करते हैं। दो जीभ बहुत जहरीली और खतरनाक होती है।...*(व्यवधान)* दो जीभ वाला आप जानते हैं कि कौन होता है? यह हम नहीं बताना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय आपने जो सदन का माहौल अच्छा बनाया है, उसे अच्छा बनाए रखने के लिए जब तक विपक्ष की ओर से सरकार के पास गए प्रस्ताव पर सहमति/असहमति नहीं आ जाती, तक तक प्रश्न-काल रोक कर इस पर चर्चा करवा दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, आपने जैसा माहौल बनाया है, उसे बनाए रखें क्योंकि यह देश और दुनिया का अहम सवाल है। दुनिया के अधिकांश देश इराक पर अमरीकी हमले के खिलाफ हैं। अमेरिका को तत्काल वहां से हटना चाहिए, वहां से अपनी फौजें हटानी चाहिए। इराक पर हमले के लिए हमें अमेरिका की निन्दा करनी चाहिए। यदि आप बीच में सवाल लाएंगे तो उससे सदन का माहौल खराब होगा। मेरी प्रार्थना

है कि सदन का माहौल ठीक रखिए।...*(व्यवधान)* भारतवर्ष को अमेरीका के इस कदम का विरोध करना चाहिए और इराक में नागरिकों के लिए दवा, भोजन और बच्चों के लिए दूध-आदि की सहायता संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से इराक को भेजने की पहल करनी चाहिए।

**श्री रामजीलाल सुमन** (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, ये आपकी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** मैं सभी को बोलने का मौका नहीं दे सकता।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया बैठ जाइए। श्री सोमनाथ चटर्जी को अपनी बात कहने दीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री वी. धनंजय कुमार** (मंगलौर) : अध्यक्ष महोदय, अब आपने रूलिंग दे दी कि क्वैश्चन ऑवर सस्पैंड नहीं किया जा सकता और एडजर्नमैंट मोशन लिया नहीं जा सकता, ऐसे में यहां भाषणबाजी क्यों हो रही है। यह क्या तरीका है? आपकी रूलिंग हम सब को माननी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं जो कुछ कर रहा हूं, वह सदन के अच्छे के लिए कर रहा हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तहेदिल से सराहना करता हूं और मैं आपके इस पहल की सराहना करने में मैं अपने मित्रों के साथ हूं। मुझे खुशी है कि आज माननीय उपप्रधानमंत्री और डा० मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ मंत्री यहां उपस्थित हैं। आपने कहा है कि प्रश्न पूछे जाने चाहिए। मैं आपकी अनुमति से केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या इस मामले से भी महत्वपूर्ण और गंभीर मामला कोई हो सकता है जो हम इस देश के सम्मुख उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं उस देश के सम्मुख जो शांति, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द्र के लिए प्रतिबद्ध है? जब एक स्वतंत्र देश जो कि हमारे देश का निकट मित्र रहा है, पर एक सत्ता का भूखा साम्राज्यवादी आक्रमणकारी संहार कर रहा है, हम चुप बैठे हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक में इस संदर्भ का एक संकल्प पारित किया गया है। आज आपके कमरे में भी क्या हुआ? आम-तौर पर हम इस पर बात नहीं करते हैं। प्रत्येक माननीय नेता जो यहां उपस्थित था हमारे सुझाए प्रारूप पर सहमत हुआ है। इसलिए मैं उपप्रधानमंत्री, डा. मुरली मनोहर जोशी और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों से सम्मानपूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि कृपया इस बात का हमारे सम्मुख खुलासा करें कि संकल्प और सरकार के मध्य कौन सी बाधा खड़ी है। इसे पारित क्यों नहीं किया जा सकता? इसे प्रस्तुत क्यों नहीं किया जा सकता? हम यह कह रहे हैं कि इसे अध्यक्ष प्रस्तुत करें। इसलिए, प्रश्न ने हम सभी को विक्षुब्ध कर दिया है। हम प्रश्नों की औपचारिकता को नहीं कर सकते। इसलिए, हमने कहा है कि यदि संकल्प नहीं लाया जा सकता हो तो यह ऐसा मामला है कि जिस पर चर्चा तत्काल आरंभ होनी चाहिए। यदि इसे नहीं लाया जा सकता है जैसा कि श्री मुलायम सिंह यादव ने सुझाव दिया है, तो हमें वातावरण को दूषित नहीं करना चाहिए। जब तक मामले पर निर्णय नहीं लिया जाता या जब तक सरकार इस संकल्प पर सहमत नहीं होती सभा को स्थगित रखा जाए। किसी को भी इस संकल्प पर कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए, मैं श्री आडवाणी से हस्तक्षेप का अनुरोध कर रहा हूं। कृपया इस निवेदन को किसी आने वाले खतरे के रूप में मत लीजिए। खतरा क्या है? इस सभा के प्रत्येक सदस्य द्वारा किया गया यह सर्वसम्मत निवेदन है। मैं नहीं जानता क्यों सरकार इसमें बाधा बनी हुई है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे।

**उपप्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :** माननीय, अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि आज सुबह की बैठक में, जहां सभी दलों के नेता उपस्थित थे माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सरकार के मत से अवगत करा दिया होगा। यदि इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री से परामर्श और सलाह लेती हैं तो मुझे सभा को अपराह्न 12.15 बजे या 12.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित करने पर कोई आपत्ति नहीं है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपने कक्ष में मध्याह्न 12.00 बजे सभी नेताओं की बैठक बुला रहा हूं।

---

*[अनुवाद]*

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### ओज़ोन परत में परिवर्तनों पर अध्ययन

***362. श्री रामशेठ ठाकुर :**
**श्री ए. वेंकटेश नायक :**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981 से अंटार्कटिका क्षेत्र में भारतीय दल द्वारा किए गए अध्ययनों से ओज़ोन परत में किसी परिवर्तन का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व के ऊपर ओज़ोन की परत में कुछ छिद्रों से अल्ट्रावायलेट विकिरण के फैलने का खतरा पैदा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो अंटार्कटिका क्षेत्र में इस संबंध में किए गए अध्ययनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत सरकार द्वारा इन अध्ययनों पर अभी तक कितनी राशि खर्च की गई है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) :** (क) और (ख) जी, हां। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका पर देखा गया है तथापि, विश्व के किसी अन्य भाग पर इसे नहीं देखा गया जबकि आर्कटिक क्षेत्रों में 25-30 प्रतिशत तक ओज़ोन अवक्षयण की सूचना मिली है। ओज़ोन स्तर में यह कमी हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण में वृद्धि से जुड़ी है जिससे कि त्वचा के कैंसर तथा कैटारेक्ट की घटनाओं के बढ़ने की संभावना है जैसाकि 1991 की यू एन ई पी (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

(ग) अंटार्कटिका में भारतील दलों द्वारा ओज़ोन के वर्टिकल प्रोफाइल (भारतीय ओज़ोन सोंड्स से) का मापन 1986 से दक्षिण गंगोत्री से और 1990 से अंटार्कटिका में स्थायी भारतीय स्टेशन मैत्री से किया गया है। इन मापों से यह स्पष्ट होता है कि दूसरे महीनों में ओज़ोन सान्द्रता के औसत मूल्य की तुलना में मैत्री पर आज़ोन सान्द्रता में सितम्बर-अक्तूबर के माह के दौरान 17 कि.मी. की ऊंचाई पर लगभग 80 प्रतिशत की कमी होती है। समग्र ओज़ोन मापन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मैत्री में 1999 से शुरू किया गया। 1999-2002 की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सितम्बर-अक्तूबर के महीने में, कुल ओज़ोन में भी, अन्य महीनों के दौरान कुल ओज़ोन के औसम मान की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत तक गिरावट आई है।

(घ) भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए अब तक लगभग 2.5 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है जिसमें अंटार्कटिका में 1981 से समग्र एवं वर्टिकल ओज़ोन मापन शामिल हैं।

*[हिन्दी]*

### भारत-फ्रांस वैज्ञानिक सहयोग

***363. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) :** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत और फ्रांस के बीच लगभग 25 वर्षों से अन्तरसरकारी वैज्ञानिक सहयोग दोनों देशों के बीच 18 जुलाई, 1978 को नई दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग पर सम्पन्न एक समझौते की छत्रछाया में सफलतापूर्वक चल रहा है। इस अवधि के दौरान भारत और फ्रांस के बीच वैज्ञानिक आदान-प्रदान तीव्र हुआ है और वर्तमान में भारत और फ्रांस के कई वैज्ञानिक संस्थानों में कई बहु-विषयात्मक क्षेत्रों में सहयोग जारी है।

1987 में दिल्ली में भारत सरकार और फ्रांस सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित भारत फ्रांस उन्नत अनुसंधान उन्नयन केन्द्र (आई एफ सी पी ए आर), आधारभूत तथा अनुप्रयुक्त वैज्ञानिक क्षेत्रों में दोनों देशों के वैज्ञानिकों द्वारा सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख साधन है।

इसके अतिरिक्त, डी बी टी, इसरो, सी एस आई आर तथा आई सी एम आर जैसी एजेंसियों के भी संबद्ध फ्रांस वैज्ञानिक एजेंसियों के साथ सहयोग हेतु समझौते हैं।

विद्यमान वैज्ञानिक सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए 16 मार्च, 2003 को नई दिल्ली में भारत सरकार तथा फ्रांस सरकार के बीच 2003-2005 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के एक कार्यक्रम (पी ओ सी) पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय तथा फ्रांसीसी पक्ष की ओर से सहयोग कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु क्रमश: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार तथा विदेश मंत्रालय, फ्रांस सरकार समन्वय एजेंसियां हैं। यह सहयोग कार्यक्रम मौलिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरी, अनुसंधान एवं विकास, उद्योग के साथ विचार-विमर्श आदि में सहायोग के लिए है। सहयोग कार्यक्रम में वैज्ञानिकों, शोधकर्त्ताओं, विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षणार्थियों के आदान-प्रदान दौरे; संयुक्त कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन; युवा भारतीय वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का कार्यान्वयन आदि सहयोग के तरीके परिकल्पित हैं।

**भूमंडल के गर्म होने के कारण जलवायु परिवर्तन**

***364. श्री प्रहलाद सिंह पटेल :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भूमंडल के गर्म होने के कारण जलवायु परिवर्तन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जलवायु परिवर्तनों के कारण गम्भीर सूखा ओर अप्रत्याशित ओलावृष्टि होती है;

(घ) क्या भूंमडल के गर्म होने से कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) :** (क) और (ख) जी, हां। जलवायु परिवर्तन पर अन्तर सरकारी पैनल (आई पी सी सी) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मुख्यत: मानवीय कारणों से वैश्विक औसत सतही तापमान में 1860 से 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार भूमंडल के गर्म होने के कारण जलवायु परिवर्तन की संभावना के प्रति जागरुक है।

(ग) आई पी सी सी का मूल्यांकन भूमंडल के गर्म होने के कारण अकाल और भारी वर्षा की आवृत्ति में वृद्धि होने का संकेत देता है। तथापि पिछले 130 वर्षों के भारतीय अभिलेख, बड़े पैमाने के अकाल अथवा बाढ़ आने और अन्य भीषण आपदाओं के होने की आवृत्तियों में कोई दीर्घावधि रुझान नहीं दिखाते हैं।

(घ) पौध विकास मॉडलों के आधार पर वर्तमान मूल्यांकन उष्णकटिबंधी क्षेत्रों में कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावनाओं का संकेत देते हैं किन्तु भूमंडल के गर्म होने का प्रभाव क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरों पर स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है।

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए तथा कृषि हेतु अनुकूलन और उपशमन नीतियां तैयार करने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। इनमें दुष्प्राप्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रम एवं योजनाएं और ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल है जिनसे अधिक प्रभावी संसाधन उपयोग के माध्यम से दीर्घकालिक कृषि हो सके।

*[अनुवाद]*

**सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना**

***365. श्री चन्द्र भूषण सिंह :**
**श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार देने का कार्य आशा के अनुरूप नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य सरकारों से इस योजना के संबंध में प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5.03.2002 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित गरीबी उपशमन योजनाओं की विफलता संबंधी समाचार की ओर भी आकर्षित कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो किन राज्यों में अभी तक सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है;

(च) 2002-2003 के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(छ) क्या राज्य सरकारों ने योजना शुरू होने से अब तक निधियों का पूरी तरह उपयोग नहीं किया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(झ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट के आलोक में योजना के कार्यान्वयन को सुचारु बनाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) और (ख) हालांकि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितम्बर, 2001 को शुरु हुई थी, परन्तु यह कार्यक्रम 1 अप्रैल, 2002 से पूर्णरूपेण लागू हुआ। 2002-2003 के दौरान 3552.53 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में, लगभग 45 लाख टन अनाज के साथ-साथ 3684.64 करोड़ रुपए रिलीज किए गए। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी, 2003 तक लगभग 49.05 करोड़ श्रमदिन सृजित किए गए।

(ग) कुछ राज्य सरकारें मात्र नकद चाहती हैं। कुछ चाहते हैं कि निर्धारित न्यूनतम 5 कि.ग्रा. अनाज प्रति श्रमदिन को घटाया जाना चाहिए। दिशानिर्देशों के अन्तर्गत न्यूनतम 5 कि.ग्रा. प्रतिश्रमदिन और अधिकतम मजदूरी दरों के 75 प्रतिशत के बीच अनाज के वितरण की छूट पहले ही प्रदान की गयी है। चूंकि योजना को लागू हुए अभी मात्र एक वर्ष हुआ है इसलिए और अधिक छूट प्रदान करने पर विचार करना जल्दबाजी होगी।

(घ) जी, हां।

(ङ) यह योजना देश के समस्त जिलों में लागू है।

(च) से (ज) 2002-2003 के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों के राज्यवार आबंटन और इसके उपयोग को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(झ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे सामान्य सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत अनाज को उठाने और प्रयोग करने के कार्य को तीव्र करें। द्वितीयत: उप प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित सूखा संबंधी कार्य दल के निर्णय के अनुसार, विशेष घटक के अंतर्गत अनाज की नई रिलीज से पहले, विशेष घटक के साथ-साथ सामान्य सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत अप्रयुक्त शेष अनाज पर भी विचार किया जाता है, जिससे कि समग्र प्रयोग हासिल हो सके। पिछले वर्ष में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत 68.83 लाख टन अनाज की तुलना में 2002-2003 के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा विशेष घटक के अंतर्गत 108.66 लाख टन अनाज रिलीज किए गए हैं। 2001-2002 के 48.90 लाख टन अनाज की तुलना में 2002-2003 में 74.64 लाख टन अनाज उठाया गया है।

**विवरण**

*2002-2003 के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आबंटन और उपयोग*

(रुपये लाख में)

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | केन्द्र | | निधियों का उपयोग** (केंद्र+ राज्य) |
|---|---|---|---|---|
| | | आबंटन | रिलीज* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 18977.31 | 24380.17 | 25583.78 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 986.98 | 824.26 | 556.71 |
| 3. | असम | 25626.43 | 22496.96 | 25791.79 |
| 4. | बिहार | 36327.51 | 26727.42 | 16419.845 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 9286.06 | 12013.04 | 13763.71 |
| 6. | गोआ | 158.36 | 75.04 | 41.49 |
| 7. | गुजरात | 7728.31 | 6942.87 | 6010.03 |
| 8. | हरियाणा | 4290.25 | 5610.37 | 7879.007 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1806.79 | 2046 | 1437.04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10. | जम्मू व कश्मीर | 2154.84 | 2051.61 | 1522.82 |
| 11. | झारखंड | 24828.98 | 17584.68 | 6339.066 |
| 12. | कर्नाटक | 14098.08 | 17429.04 | 20299.12 |
| 13. | केरल | 6325.52 | 7665.17 | 4226.3 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 21841.08 | 26872.02 | 24287.76 |
| 15. | महाराष्ट्र | 28002.67 | 28960.58 | 20948.52 |
| 16. | मणिपुर | 1719.36 | 669.8 | |
| 17. | मेघालय | 1926.22 | 1905.92 | 558.76 |
| 18. | मिजोरम | 445.73 | 573.88 | 496.831 |
| 19. | नागालैंड | 1321.29 | 667.28 | 887.06 |
| 20. | उड़ीसा | 21353.15 | 27406.55 | 17744.77 |
| 21. | पंजाब | 3461.06 | 3848.98 | 2038.84 |
| 22. | राजस्थान | 10710.59 | 14904.76 | 18199.17 |
| 23. | सिक्किम | 493.5 | 439.18 | 368.7 |
| 24. | तमिलनाडु | 16564.43 | 21161.09 | 25194.728 |
| 25. | त्रिपुरा | 3104.49 | 3850.07 | 1897.15 |
| 26. | उत्तरांचल | 4258.87 | 4398.54 | 4003.78 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 63243.32 | 66092.08 | 55815.81 |
| 28. | प. बंगाल | 23729.76 | 20649.89 | 24628.42 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 139.88 | 42.32 | |
| 30. | दादरा व नगर हवेली | 109.27 | 61.4 | |
| 31. | दमन व दीव | 30.27 | 0 | |
| 32. | लक्षद्वीप | 48.16 | 0 | 5.79 |
| 33. | पांडिचेरी | 154.5 | 112.61 | 142.6 |
| | अखिल भारत | 355253.02 | 368463.58 | 327089.40 |

टिप्पणी : खाली कॉलम संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से सूचना के प्राप्त नही होने को दर्शाते हैं।

*31 मार्च, 2003 तक रिलीज

**फरवरी, 2003 तक उपयोग

*[हिन्दी]*

## डीडीए अधिकारियों तथा प्रोपर्टी डीलरों के बीच सांठगांठ

*366. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल :**
**श्री हरिभाई चौधरी :**

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों तथा प्रोपर्टी डीलरों के बीच सांठगांठ प्राधिकरण में अनेक अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता लगा है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का डीडीए में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए उच्च अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने डीडीए से भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु कोई विशेष और कड़ा अभियान चलाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) से (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण

(डीडीए) की स्थापना दिल्ली का संवर्धित एवं सुचारू विकास करने के लिए की गई थी तथा यह शहरी निर्माण संबंधी विविध एवं सोद्देश्यपूर्ण गतिविधियों में लगा हुआ है जिसमें भूमि अधिग्रहण, आवास परिसरों का विकास, शापिंग एवं वाणिज्यिक केन्द्र, हरित पट्टी आदि शामिल हैं। इस व्यापक विकासपरक कार्य में, जहां विभिन्न किस्म की असफलता और आरोपों के उदाहरण मिलते हैं, वहां दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ की जाती है।

सीबीआई और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 31 मार्च, 2003 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान डीडीए के 38 कर्मियों के सम्बद्ध होने के 32 मामले दर्ज किए हैं। उसी अवधि के दौरान डीडीए के सतर्कता प्रकोष्ठ ने 373 कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ की थी। इन सभी मामलों में संबंधित एजेंसी द्वारा जांच पड़ताल की जाती है तथा निर्धारित नियमों एवं विनियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, पिछले 3 वर्षों के दौरान 433 कर्मियों (पूर्व में आरंभ किए गए अनुशासनात्मक मामलों सहित) पर दण्ड भी लगाया गया है।

भ्रष्टाचार को समाप्त करना एक सतत एवं पहले से चल रही प्रक्रिया है और सरकार ने डीडीए को अपने कार्यकरण में पारदर्शिता लाकर कौशल में वृद्धि करने के लिए ई-गवर्नेस सिस्टम का उपयोग करके तथा अपने कार्यकलापों (बिजनेस) में व्यक्तिवादिता समाप्त करके प्रणालीबद्ध सुधार करने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं। तदनुसार डीडीए ने अपने कार्यकरण को सुप्रवाही, पारदर्शी और नागरिक सुलभ बनाने के लिए विभिन्न उपाय आरंभ किए हैं। इनमें कम्प्यूटरीकरण की शुरूआत, कर्मियों का प्रशिक्षण, नियमों एवं विनियमनों का सरलीकरण तथा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता अपनाना शामिल हैं। इसने केन्द्रीयकृत प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग को पहले ही कम्प्यूटरीकृत कर दिया है जिसमें पत्रों तथा कागजातों की पावती की प्रणाली है। नागरिक चार्टर के अनुसार विभिन्न मदों/कारोबारों के लिए उपलब्ध कराई गई समय-सीमा की मानीटरिंग और मुलाकाती जनता के मार्गदर्शन हेतु मुख्य स्वागत हाल में परामर्शदाताओं/सुविधा प्रदान कर्त्ताओं की तैनाती की गई है। सभी महत्वपूर्ण पत्रों जैसे कि मांग-सह-आबंटन पत्र, धन वापसी आदि को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाता है तथा पत्र सुपुर्द करने का प्रमाण लिया जाता है। विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों, प्रक्रियाओं और सुविधाओं के बारे में उपलब्ध कराई सूचना का ब्रोशरों, पुस्तिकाओं, नोटिसों, वेबसाईट आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के बारे में निर्देशों का डीडीए द्वारा अनुपालन किया जाता है और भ्रष्टाचार में कमी लाने के लिए अपने सतर्कता प्रशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु उपाय किए गए हैं।

*[अनुवाद]*

## विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए नियम

*367. **श्री कमल नाथ :**
**श्री नरेश पुगलिया :**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश तथा प्रचालन के लिए प्रारूप नियम सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक ऐसे प्रारूप नियमों को अधिसूचित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में कार्य करने को अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसका अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों पर कहां तक प्रभाव पडेगा?

**मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) :** (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं के प्रवेश तथा प्रचालन के संबंध में विनियम प्रस्तावित किये हैं। तथापि इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 ऐसे विनियम बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राधिकृत नहीं करता है। तदनुसार इन विनियमों को प्रभावी बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में कतिपय संशोधन करने आवश्यक हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के संबंध में सरकार विचार कर रही है। तथापि, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के भारत में प्रवेश तथा प्रचालन के संबंध में विनियम जारी कर दिये हैं।

## एन सी ई आर टी/इग्नू की पुस्तकों का मुद्रण

*368. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शहरी विकास मंत्रालय से एन सी ई आर टी/इग्नू (इ.गा.रा.मु.वि.) की पुस्तको के मुद्रण का कार्य भारत सरकार मुद्रणालय (पाठ्य पुस्तक यूनिट) को आबंटित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय ने कार्य की गुणवत्ता, समय-सीमा का पालन करने तथा आर्थिक व्यवहार्यता के लिए भी आश्वासन दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन कार्यों को भारत सरकार मुद्रणालय (पाठ्य पुस्तक यूनिट) को देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) :** (क) से (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने शहरी विकास मंत्रालय के अवलोकनार्थ तथा विचार/टिप्पणी के लिए उनके पास प्रतियां अग्रेषित कर दी है जिसमें दर सूची तथा शर्तें दी गई हैं। यदि वह मंत्रालय समय सूची का पालन करते हुए आर्थिक रूप से व्यवहार्य दर पर स्तरीय पुस्तकें छापेगा तो उनके प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इग्नू ने भविष्य में मुद्रण कार्य के आबंटन के लिए अपनी मेलिंग लिस्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

## निजी शैक्षिक संस्थाओं के लिए शुल्क ढांचा

***369. श्री राम मोहन गाड्डे :**
**श्री कैलाश मेघवाल :**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उन सभी निजी शैक्षिक संस्थाओं, जिनके लिए अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश निर्धारित किया जाएगा, के लिए शुल्क ढांचे का निर्धारण करने हेतु एक आयोग का गठन किया है जैसा कि 11 मार्च, 2003 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हाल में बुलाए गए राज्य शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों में इस निर्णय पर आम सहमति हुई थी;

(घ) यदि हां, तो सम्मेलन में लिए गए अन्य निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करने हेतु यदि कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है, तो क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) :** (क) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, परिषद ने अभी तक ऐसे किसी आयोग का गठन नहीं किया है जैसा कि संदर्भाधीन समाचार में उल्लेख किया गया है। तथापि, टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य तथा अन्य के मामले में 31 अक्तूबर, 2002 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा 7 मार्च, 2003 को अधिसूचित अंतरिम नीतिगत विनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि तकनीकी संस्थानों के लिए उचित शुल्क ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम के अंतर्गत अपने सांविधिक दायित्वों के अनुसरण में यह परिषद शुल्क निर्धारण हेतु दिशानिर्देश तैयार करेगी। शुल्क निर्धारण के लिए दिशानिर्देश/फामूला तैयार करने का कार्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति को सौंपा जाएगा। उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुशंसा किए जाने तक अंतरिम विनियमों में यह प्रावधान है कि एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में वर्तमान शैक्षिक वर्ष हेतु राज्य सरकार अपनी शुल्क समिति के जरिए एकसमान शुल्क संरचना तय कर सकती है जो प्रबंधन सीटों सहित सभी छात्रों पर लागू होगी। राज्यों के शिक्षा सचिवों (तकनीकी) की 10 मार्च, 2003 को आयोजित बैठक में सामान्यतया अंतरिम नीतिगत विनियमों को अनुमोदित कर दिया गया। उक्त बैठक में तकनीकी शिक्षा से जुड़े अन्य विभिन्न मामलों जैसे प्रौद्योगिकी चैनल, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में भारतीय राष्ट्रीय डिजीटल पुस्तकालय कंसोर्टियम आदि पर भी चर्चा की गई थी।

*[हिन्दी]*

**बाक्साइट उद्योग का संवर्धन**

*370. **श्री नागमणि :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाक्साइट उद्योग का संवर्धन करने हेतु कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से उक्त नीति तैयार करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) और (ख) सरकार ने बॉक्साइट गवेषण और खनन के संवर्धन हेतु कोई पृथक नीति नहीं बनाई है। तथापि, 1993 से, सरकार बॉक्साइट सहित सभी गैर-ईंधन, गैर-परमाणु खनिजों के विकास के लिए नीति को उत्तरोत्तर उदार बना रही है जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, खनिजों के गवेषण और विदोहन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित निजी क्षेत्र की सहभागिता को और अधिक बढ़ावा देना, खनन क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करना, शक्तियों का विकेन्द्रीकरण और राज्य सरकारों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करना, रियायतें प्रदान करने संबंधी प्रक्रियाओं का सरल बनाना, खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास तथा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु मदद प्रदान करना है।

(ग) से (ङ) बॉक्साइट खनन के संवर्धन हेतु नीति बनाने के संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*[अनुवाद]*

**जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी हमले**

*371. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
**श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में नई सरकार के गठन के पश्चात उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके पश्चात हुई घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त घटनाओं में कितने नागरिक/सुरक्षा कार्मिक मारे गए/घायल हुए और कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(घ) कितनी बार केन्द्रीय दलों ने घटना स्थलों का दौरा किया;

(ङ) इन दलों के क्या निष्कर्ष निकले; और

(च) राज्य में उग्रवादी गतिविधियों को रोकने हेतु राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) :** (क) से (ग) आतंकवादी ग्रुप और नियंत्रण रेखा/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार उनके आका सीमा-पार से आतंकवाद संबंधी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। जैसा कि जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने सूचित किया है, नई सरकार के प्रथम पांच महीनों (2 नवम्बर, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक) के दौरान, जम्मू और कश्मीर में वर्ष 2001-2002 की समकालीन अवधि की तुलना में आतंकवादी गतिविधियों में केवल मामूली सी कमी आई है।

ब्योरे नीचे दिए गए हैं:-

| क्रम सं. | आतंकवादी संबंधी हिंसा | नवम्बर, 2001 से मार्च, 2002 | नवम्बर, 2002 से मार्च, 2002 तक |
|---|---|---|---|
| 1. | घटनाओं की संख्या | 1506 | 1244 |
| 2. | मारे गए सिविलियनों की संख्या | 332 | 332 |
| 3. | मारे गए सुरक्षा बल कार्मिकों की संख्या | 155 | 157 |
| 4. | जख्मी हुए सिविलियनों की संख्या | 617 | 506 |
| 5. | जख्मी हुए सुरक्षा बल कार्मिकों की संख्या | 391 | 285 |
| 6. | सम्पत्ति की हानि (दुकानों, सरकारी इमारतें, अस्पताल, निजी, मकान, पुल, शैक्षिक भवन इत्यादि) | 290 | 112 |

नवम्बर, 2002 से 31 मार्च, 2003 के दौरान हुई कुछेक प्रमुख आंतकवादी घटनाओं से संबंधित हिंसा नीचे दी गई है:-

(i) 23 नवम्बर, 2002 को, यात्री निवास जवाहर टनल (लोअर मुन्डा) अनन्तनाग के नजदीक एक आई;ई.डी. विस्फोट हुआ जिसके परिणामस्वरूप, एक सिविल बस और सेना के कार्मिकों को ले जा रहा एक ट्रक गहरे नाले में गिर गया। इस मुठभेड़ में सेना के 5 जवानों, 2 बच्चों और 2 महिलाओं सहित 9 व्यक्तियों की जानें गईं जबकि सेना के 24 जवान जख्मी हुए।

(ii) 23 नवम्बर, 2002 को जम्मू में रघुनाथ मंदिर परिसर में एक फिदायीन/आतंकवादी हमले में, एक पुलिस कर्मी, सी. आर.पी.एफ. का एक जवान और 2 आतंकवादियों सहित 13 व्यक्ति मारे गए जबकि 5 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 53 व्यक्ति जख्मी हुए।

(iii) 15/16 मार्च की रात को थाना गूल, उधमपुर के अन्तर्गत पुलिस चौकी इन्द पर आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें 11 पुलिस कार्मिक/एस.पी.ओ. और दो सिविलियन मारे गए और 5 अन्य जख्मी हुए।

(iv) 23/24 मार्च, 203 के बीच की रात को नंदीमार्ग, जैनपोरा, पुलवामा में हिन्दू अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाकर एक जघन्य हत्याकांड किया गया, जिसमें आतंकवादियों ने 11 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 24 व्यक्तियों की हत्या कर दी।

(घ) और (ङ) जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का गहन प्रबोधन किया जाता है और राज्य सरकार के साथ समय-समय पर उच्चत स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती है। अन्य बातों के साथ-साथ, सुरक्षा की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय टीमें या केन्द्र सकार के अधिकारी ही नहीं अपितु उप प्रधानमंत्री भी समय-समय पर जम्मू और कश्मीर का दौरा करते हैं। केन्द्रीय टीमों ने, प्रमुख घटनाओं जैसे 24 नवम्बर, 2002 को रघुनाथ मंदिर पर दूसरे हमले और उसके बाद 15/16 मार्च, 2003 को इन्द, उधमपुर में और 23/24 मार्च, 2003 को नंदीमार्ग, पुलवामा में हुए हत्याकांड की घटनाओं के बाद हाल ही में वहां का दौरा किया।

जम्मू और कश्मीर में नंदीमार्ग घटना के बाद, आतंकवाद विरोधी व्यापक उपायों और रणनीतियों के साथ-साथ सुरक्षा स्थिति की हाल ही में, 31.03.2003 को एक उच्च स्तरीय बैठक में पुनरीक्षा की गई, जिसकी अध्यक्षता उप प्रधानमंत्री ने की और अन्यों के अलावा, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राज्य और केन्द्र सरकार और सुरक्षा बलों और आसूचना एजेन्सियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।

(च) विभिन्न स्तरों पर राजनयिक पहले जारी रखने और भीतरी क्षेत्र में आतंकवादियों पर अत्यधिक दबाव बनाए रखने के अलावा, सरकार, राज्य सरकार के साथ मिलकर, पाक समर्थित आतंकवादी/गुटों/पाक आई.एस.आई. द्वारा सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिकारी कार्रवाई करना, आसूचना तंत्र को सुचारू बनाना, आपरेशनल ग्रुपों और एकीकृत मुख्यालयों के आसूचना ग्रुपों के संस्थागत ढांचे के जरिए सभी स्तरों पर वृहत्त कार्यात्मक एकीकरण, सुरक्षा बलों के लिए विकसित प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण और आतंकवादियों के समर्थकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना शामिल हैं।

आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए रणनीतियों, युक्तियों और परिवर्तनात्मक तैनाती की राज्य और केन्द्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर सतत पुनरीक्षा संशोधन और प्रबोधन किया जाता है।

सरकार, आतंकवाद को रोकने के लिए एक संयुक्त प्रयास के एक भाग के रूप में, बहुआयामी रणनीतियों के अनुकूल सरकार राज्य सरकारों को वित्त, सुरक्षा कार्मिक, तकनीकी और आसूचना संबंधी सहायता के रूप में सभी सम्भव सहायता देती है।

**स्वतंत्रता सेनानी पेंशन**

*372. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :**
**श्री श्रीनिवास पाटील :**

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार स्वतंत्रता सैनिक पेंशन योजना के अंतर्गत गोवा और केरल के स्वतंत्रता सैनिकों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने मामलों को मंजूरी दी गई है;

(ग) क्या यह सत्य है कि अनेक मामले लम्बे समय से केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं जिनके कारण स्वतंत्रता सैनिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाये गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) :** (क) और (ख)

गोवा और केरल के स्वतंत्रता सैनिकों से दिनांक 31.3.2003 तक प्राप्त आवेदनों तथा मंजूर की गई पेंशनों की संख्या निम्नानुसार है :-

| राज्य का नाम | प्राप्त आवेदनों की संख्या | मंजूर की गई पेंशनों की संख्या |
|---|---|---|
| गोवा | 4,526 | 911 |
| केरल | 53,646 | 2,89 |

(ग) संघ सरकार के पास कोई मामला लंबित नहीं है जो स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के लिए हर प्रकार से पात्रता से रखता हो तथा गोवा तथा केरल की राज्य सरकारों से विधिवत रूप से सत्यापित तथा अनुशंसित हो।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

## उग्रवादियों से वार्ता

***373. श्री सनत कुमार मंडल :**
**श्री अवतार सिंह भडाना :**

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों से बातचीत करने हेतु एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा बातचीत पूरी करने हेतु यदि कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है, तो क्या है; और

(घ) कश्मीर में कितने आतंकवादी संगठन अभी तक हिंसा को छोड़ने के लिए सहमत हो गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) :** (क) और (ख) भूतपूर्व केन्द्रीय गृह सचिव तथा प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव श्री एन.एन. वोहरा को जम्मू और कश्मीर में चुने हुए प्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों तथा संबंधित व्यक्तियों से बातचीत शुरू करने और उसे जारी रखने के लिए भारत सरकार का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।

(ग) सरकार द्वारा बातचीत पूर्ण करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) अभी तक कोई नहीं।

## शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता में निजी क्षेत्र की भागीदारी

***374. श्री टी०एम० सेल्वागनपति :**
**प्रो० ए०के० प्रेमाजम :**

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का निजी क्षेत्र को शामिल करके शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार लाने हेतु कोई रणनीति तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार लाने में निजी भागदारी के संबंध में राज्य सरकारों से टिप्पणियां मांगी हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार को राज्य-वार क्या उत्तर प्राप्त हुए;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री अनन्त कुमार) :** (क) से (च) शहरी जल आपूर्ति और सफाई सेवाओं को सुधारने में निजी क्षेत्र की भागीदारी वाले विभिन्न नीतिगत मुद्दों, कार्यनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के बारे में संघ सरकार, कार्यशालाओं, संगोष्टियों और समय-समय पर आयोजित बैठकों के जरिए, राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को जागरूक करती रही है। इस बारे में संघ सरकार ने शहरी जल आपूर्ति और सफाई सेवाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश तैयार किए हैं जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया गया है:-

- सुधारों की जरूरत
- सरकार की भूमिका
- जल आपूर्ति और सफाई क्षेत्र सुधार के लिए नीतिगत ढांचा
- कानूनी और नियामक ढांचे के मुख्य तत्व
- कार्यान्वयन दायित्व

— निजी क्षेत्र भागदारी के स्वरूप

इन दिशानिर्देशों को सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को उनकी टिप्पणियों/विचारों के लिए परिचालित किया गया है। राज्य सरकारों को इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया तत्परता से देने के लिए अनुस्मरण कराया गया है। अब तक केवल पश्चिम बंगाल और सिक्किम सरकारों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

## सीमा विवाद

*375. **श्री भास्करराव पाटील :** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के बीच सीमा-विवाद कई वर्षों से अनिर्णीत पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन विवादों का समाधान करने हेतु कोई गम्भीर प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने सीमा-विवादों का समाधान करने हेतु किसी समिति का गठन किया है; और

(च) यदि हां, तो इस समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) :** (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) बिहार-उत्तर प्रदेश, हरियाणा-उत्तर प्रदेश; महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल; उड़ीसा-आन्ध्र प्रदेश; उड़ीसा-झारखंड; उड़ीसा-छत्तसीगढ़, उड़ीसा-पश्चिम बंगाल; पंजाब-हरियाणा, उत्तरांचल-हिमाचल प्रदेश; असम-मेघालय; असम-अरुणाचल प्रदेश और असम नागालैंड के बीच, अधिकांशत: दावों और प्रतिदावों के कारण सीमा विवाद है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने, विभिन्न राज्यों के बीच सीमा विवादों को हल समय-समय पर प्रयास किए हैं, हालांकि अपने आपसी सहमति से हल करने का काम निश्चत रूप से संबंधित राज्य सरकारों का है। बिहार और उत्तर-प्रदेश, के बीच सीमा विवाद को हल करने के उद्देश्य से, बिहार-उत्तर प्रदेश (सीमाओं में परिवर्तन) अधिनियम, 1968 अधिनियमित किया गया था। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा-विवाद को हल करने के उद्देश्य से हरियाणा-उत्तर प्रदेश (सीमाओं में परिवर्तन) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया गया। महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल सीमा विवाद को हल करने के लिए केन्द्र सरकार ने अक्तूबर, 1966 में महाजन आयोग गठन किया था। चंडीगढ़ के बदले में हरियाणा को दिए जाने वाले पंजाब के क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए अभी तक तीन आयोग गठित किए जा चुके हैं। केन्द्र सरकार ने असम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद पर 1976 में एक अध्ययन किया था और जून 1985 में असम और नागालैंड के पुलिस बलों के बीच झड़पों के बाद दोनों राज्यों के बीच विवाद को हल करने के लिए शास्त्री आयोग का गठन किया था। इसी प्रकार से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने एक त्रिपक्षीय समिति गठित की थी।

(ङ) और (च) जी नहीं, श्रीमान।

## देश में रसायन और उर्वरक संयंत्र

*376. **श्री सी० श्रीनिवासन :**
**श्री अम्बरीश :**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बहुत पहले शुरू किए गए अनेक उर्वरक तथा रसायन संयंत्रों के चालू होने में बहुत विलम्ब हुआ है जिससे उन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इनके शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) :** (क) से (ग) उर्वरक संयत्रों और अधिकांश रासायनिक संयत्रों की स्थापना लाईसेंस लेने की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं है और उद्यमी, औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) दायर करके उत्पादन सुविधाएं स्थापित कर सकता है।

जहां तक सरकारी क्षेत्र में रासायनिक संयत्रों का संबंध है, हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एच.आई.एल.) की दिल्ली इकाई का पुन:स्थापन जिसे 1 दिसम्बर, 1996 से उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत बंद कर दिया गया था, में देरी हुई थी। यह संयंत्र 7.70 करोड़ रुपये की लागत से दिसम्बर, 2000 तक शुरू किया जाना था किंतु अनेक कारणों से जैसे भूमि के आबंटन में समय लगने और कवर्ड एरिया की शर्तों के अनुसार संयंत्र की डिजाइन और क्षमता में किए गए संशोधनों और मैसर्स पंजाब स्टेट इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन (पीएसआईईसी) और मैसर्स एफएसीटी इंजीनियरिंग एंड डिजाइन

आर्गेनाइजेशन (एफएडीओ) के मानदंडों को पूरा करने के लिए उपस्कर आदि के कारण परियोजना में देरी हुई। आरंभ में यह संयंत्र इन किसी राज्यों में अर्थात् उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पुन:स्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया था। अन्तिम रूप से परियोजना के लिए भूमि का आबंटन पीएसआईसी द्वारा मई, 1999 में किया गया था। इस प्लांट को अब भटिंडा, पंजाब में 10.70 करोड़ रुपए (लगभग) की लागत से पुन: स्थापित किया गया और अब चालू है।

जहां तक सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों का संबंध है, केवल एक परियोजना का काम चल रहा है। यह असम के नामरूप में नामरूप रिवैम्प परियोजना है, जो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशंस लि. (बी.वी.एफ.सी.), एक नई कंपनी हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० (एच.एफ.सी.) के नामरूप इकाई को अलग करके बनाई गई है, द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। 2.11.1998 से कार्यान्वयन आरंभ हुआ है और 525.47 करोड़ रुपए की लागत से 1 फरवरी, 2002 तक पूरा किया जाना था। हालांकि नामरूप-I और III इकाइयां मार्च, 2002 में रिवैम्प के बाद पुन: उत्पादन आरंभ किया, नामरूप-II इकाई के रिवैम्प में विलंब हुआ।

परियोजना पूरी होने में अनेक कारणों जैसे विक्रेताओं द्वारा महत्वपूर्ण उपस्करों की देरी से सप्लाई, आर्डर दिए जाने के बाद सप्लायरों का मुकर जाना, पूछताछ का उत्तर कमतर दिए जाने, स्थल पर कन्ट्रैक्टर द्वारा सिविल और इरेक्शन कार्य की धीमी प्रगति और महत्वपूर्ण उपस्करों के परिवहन में विलंब आदि कारणों से हुआ है। परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार रिवैम्प कार्यों का स्थल पर दौरा, उर्वरक पी.एस.यूज./सहकारी समितियों से तकनीकी विशेषज्ञों को परियोजना टीम को सहायता करने के लिए भेजने और बी.वी.एफ.सी. के मुख्य कार्यकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने और नामरूप में कन्सलटेंट के वरिष्ठ कार्यकारियों और परियोजना व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी करके सरकार प्रगति का मूल्यांकन करती रही है।

*[हिन्दी]*

## गरीबी उपशमन कार्यक्रम हेतु धनराशि

***377. योगी आदित्यनाथ : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-2003 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा गरीबी उपशमन कार्यक्रम हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित धनराशि का राज्य सरकारों द्वारा पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया; और

(ग) यदि हां, तो अप्रयुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री अनन्त कुमार) :** (क) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय दिनांक 1.12.1997 से स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) नामक एक केन्द्र प्रायोजित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम चला रहा है। वर्ष 2002-03 के दौरान राज्य-वार नियतन तथा जारी धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान जारी की गयी केन्द्रीय धनराशि के उपयोग प्रमाण-पत्र अभी तक देय नहीं हुए हैं।

**विवरण**

*वर्ष 2002-2003 के लिए एस.जे.एस.आर.वाई. के अंतर्गत केन्द्रीय धनराशि का राज्यवार नियतन/जारी धनराशि*

(लाख रुपये में)

| क्रम सं० | राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का नाम | नियतन | जारी की गयी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 784.37 | 904.15# |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 58.54 | 0.00 |
| 3. | असम | 476.55 | 0.00 |
| 4. | बिहार | 427.02 | 0.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 236.41 | 236.41 |
| 6. | गोवा | 17.62 | 0.00 |
| 7. | गुजरात | 366.69 | 1717.07* |
| 8. | हरियाणा | 88.39 | 238.39# |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 55.21 | 63.64# |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 62.98 | 62.98 |
| 11. | झारखण्ड | 213.37 | 0.00 |
| 12. | कर्नाटक | 580.09 | 68.68# |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 13. | केरल | 261.98 | 301.99# |
| 14. | मध्य प्रदेश | 813.93 | 683.93 |
| 15. | महाराष्ट्र | 1331.81 | 618.73 |
| 16. | मणिपुर | 133.72 | 0.00 |
| 17. | मेघालय | 70.10 | 0.00 |
| 18. | मिजोरम | 91.22 | 105.15# |
| 19. | नागालैंड | 59.67 | 68.78# |
| 20. | उड़ीसा | 330.94 | 381.48# |
| 21. | पंजाब | 58.45 | 67.38# |
| 22. | राजस्थान | 349.20 | 402.53# |
| 23. | सिक्किम | 27.07 | 31.20# |
| 24. | तमिलनाडु | 651.70 | 751.22# |
| 25. | त्रिपुरा | 99.17 | 114.31# |
| 26. | उत्तरांचल | 76.18 | 16.33 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 1450.29 | 1671.76# |
| 28. | प. बंगाल | 435.20 | 501.66# |
| 29. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 114.30 | 0.00 |
| 30. | चंडीगढ़ | 122.27 | 269.09# |
| 31. | दादरा एवं नगर हवेली | 23.91 | 23.91 |
| 32. | दमन एवं दीव | 32.52 | 0.00 |
| 33. | दिल्ली | 125.15 | 0.00 |
| 34. | पांडिचेरी | 65.85 | 191.00# |
| | योग | 10091.77& | 10091.77 |

*दंगा प्रभावित व्यक्तियों के लाभार्थ गुजरात राज्य सरकार को मई, 2002 में 15 करोड़ रुपया जारी किया गया है।

#अतिरिक्त धनराशि का कार्य-निष्पादन नहीं करने वाले राज्यों से बेहतर कार्य-निष्पादन करने वाले राज्यों को हस्तांतरित किये जाने के कारण अतिरिक्त धनराशि जारी की गयी।

&इसमें पुनर्विनियोजन के जरिए दी गयी 17.77 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि शामिल है।

## खनिजों की रायल्टी दरें

*378. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
**श्री सुरेश कुरूप :**

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार खनिजों पर खनिज-वार प्रति टन रायल्टी की नवीनतम दर क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में खनिजों पर रायल्टी की संशोधित दरों की घोषणा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रायल्टी की संशोधित दरें राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में उत्पादित विभिन्न खनिजों पर मांगी गई दरों से बहुत कम हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने रायल्टी की दरों में और संशोधन करने पर विचार किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर केरल राज्य सरकार से इल्मेनाइट समूह के खनिजों की प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर, जोकि अन्य धातु अयस्कों के समान हो, पर रायल्टी की दर निर्धारित करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) से (ग) ईंधन तथा गौण खनिजों को छोड़कर अन्य खनिजों की रायल्टी दरों को खान मंत्रालय द्वारा पिछली बार दिनांक 12.9.2000 को राजपत्र अधिसूचना जी एस आर 713(ई) के मार्फत अधिसूचित किया गया था और इस अधिसूचना की एक प्रति दिनांक 27.11.2000 को लोक सभा के पटल पर रख दी गई थी। ईंधन खनिजों अर्थात् कोयले और लिग्नाइट के लिए रायल्टी दरें कोयला मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की

जाती हैं तथा गौण खनिजों की रायल्टी दरें राज्य सरकारों द्वारा अपनी-अपनी गौण खनिज रियायत नियमावली के तहत् अधिसूचित की जाती हैं।

(घ) से (च) परम्परानुसार, ईंधन और गौण खनिजों को छोड़कर अन्य खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन करने के लिए अपर सचिव, खान मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल गठित किया जाता है और रोटेशनल आधार पर प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो और भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ को इसके सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। राज्य सरकारों सहित सभी स्टेक होल्डरों से प्रश्नावली के माध्यम से टिप्पणियां मंगवाई जाती हैं। इनसे प्राप्त जानकारियों तथा अध्ययन दल के विचारणीय विषय में यथा-निर्दिष्ट मानदण्डों जैसेकि उत्पादन और औसत विक्रय मूल्य की प्रवृत्तियों, खनिजों की निर्यात-क्षमता, जहां भी संभव हो वहां रायल्टी दरों को अंतर्राष्ट्रीय रायल्टी दरों के समान बनाना आदि तथा खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु रायल्टी व्यवस्था के स्थायित्व की आवश्यकता की तुलना में राज्य सरकारों के राजस्व में बढ़ोतरी के आधार पर अध्ययन दल द्वारा रायल्टी दरों की सिफारिश की जाती है। केन्द्र सरकार अध्ययन दल की सिफारिशों की जांच करती है और उस पर निर्णय लेती है।

सरकार ने ईंधन तथा गौण खनिजों को छोड़कर अन्य खनिजों की रायल्टी दरों में संशोधन करने हेतु दिनांक 22.5.2002 को एक अध्ययन दल का गठन किया था। इस अध्ययन दल ने अभी तक केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उपधारा (3) के परंतुक के अनुसार केन्द्र सरकार (खान मंत्रालय) रायल्टी दरों में 3 वर्ष की किसी अवधि के दौरान एक बार से अधिक बढ़ोतरी नहीं कर सकती है। अत: ईंधन तथा गौण खनिजों को छोड़कर अन्य खनिजों की रायल्टी दरों में बढ़ोतरी 11.9.2003 के बाद ही की जा सकती है।

(छ) और (ज) केरल राज्य सरकार ने तटीय बालू खनिजों नामत: इल्मेनाइट, ल्यूकोसीन, रूटाइल, जिरकॉन तथा ग्रेन्यूलर सिल्लीमेनाइट के लिए यथा-मूल्य आधार पर 10% उच्चतर रायल्टी का सुझाव दिया है जबकि ग्रेन्यूलर सिल्लीमेनाइट तथा अन्य खनिजों पर मौजूदा रायल्टी दर क्रमश: 2.5% और 2% है। अध्ययन दल को अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले केरल राज्य सरकार के सुझाव सहित सभी स्टेक होल्डरों के सुझावों को ध्यान में रखने का दायित्व सौंपा गया है।

*[अनुवाद]*

**बंजर/परती भूमि का विकास**

***379. श्री वाई०वी० राव :**
**श्री परसुराम माझी :**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंजर और परती भूमि का राज्य-वार कुल क्षेत्र कितना है जो इस समय देश में वन तथा गैर-वन भूमि, दोनों में पड़ता है;

(ख) क्या सरकार की ऐसी भूमि के विकास हेतु कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी भूमि का विकास करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं और इस प्रयोजनार्थ पिछले पांच वर्षों के दौरान और आज तक कितनी निधियां आबंटित की गई और उनमें से कितनी धनराशि खर्च की गई?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) से (घ) भारत की बंजरभूमि संबंधी मानचित्रावली, 2000 (वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया, 2000) (जिसे भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, हैदराबाद के सहयोग से उपग्रह दूर संवेदी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके तैयार किया गया है) के अनुसार देश में वनीय और वनेतर दोनों ही क्षेत्रों में बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि का कुल क्षेत्रफल 63.85 मिलियन हैक्टेयर है, जिसमें से ऊसर चट्टानी/पथरीली बंजरभूमि/शीट रॉक क्षेत्र का क्षेत्रफल 6.45 मिलियन हैक्टेयर है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जबकि बंजर (बैरन) भूमि को विकसित करने के लिए इस समय कोई विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए तीन मुख्य कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है जिनमें भूमि अवक्रमण को रोककर ऐसी बंजर भूमि को विकसित करने/उपजाऊ बनाने तथा ऐसी भूमि को उत्पादनकारी उपयोग में लाने संबंधी कार्य शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत नई परियोजनाएं अब पंचायती राज संस्थाओं के जरिए कार्यान्वित की जाएंगी। विगत पांच वर्षों (वर्ष 1998-99 से लेकर 2002-03 तक) के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए 2194.13 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी जिसमें से 2102.59 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

**विवरण**

*भारत की राज्य-वार और श्रेणी-वार बंजरभूमि*

(क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में)

| राज्य | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 692.68 | 20256.64 | 1035.02 | 603.26 | 13.80 | 22237.78 | 709.29 | 52.91 | 464.70 | 98.88 | 5196.27 | 388.96 | 0.00 | 51750.19 | 275068.00 | 18.81 |
| 2. अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 3326.76 | 41.47 | 0.00 | 3088.08 | 1416.67 | 2134.99 | 6.07 | 309.43 | 0.30 | 1262.36 | 7.93 | 6732.17 | 18325.25 | 83743.00 | 21.88 |
| 3. असम | 0.00 | 843.72 | 1633.56 | 0.00 | 8391.48 | 3112.71 | 2217.85 | 0.00 | 3764.54 | 0.43 | 54.88 | 0.00 | 0.00 | 20019.17 | 78438.00 | 25.52 |
| 4. बिहार | 559.17 | 4689.93 | 1198.87 | 0.51 | 45.45 | 13066.53 | 164.97 | 79.80 | 222.08 | 184.23 | 688.91 | 97.10 | 0.00 | 20997.55 | 173877.00 | 12.08 |
| 5. गोवा | 0.00 | 292.83 | 41.02 | 0.00 | 0.00 | 71.99 | 2.47 | 32.19 | 0.00 | 110.73 | 58.55 | 3.49 | 0.00 | 613.27 | 3702.00 | 16.57 |
| 6. गुजरात | 1013.39 | 21786.72 | 2656.26 | 7637.34 | 0.00 | 5443.02 | 387.45 | 78.32 | 188.42 | 49.66 | 3293.39 | 487.31 | 0.00 | 43021.28 | 196024.00 | 21.95 |
| 7. हरियाणा | 49.50 | 988.42 | 238.30 | 285.63 | 0.00 | 732.52 | 721.65 | 134.12 | 465.01 | 13.72 | 105.12 | 0.00 | 0.00 | 3733.98 | 44212.00 | 8.45 |
| 8. हिमाचल प्रदेश | 121.89 | 2056.50 | 15.69 | 1.36 | 0.00 | 4589.98 | 4278.17 | 2457.59 | 105.04 | 85.66 | 3858.04 | 1529.67 | 12559.42 | 31659.00 | 55673.00 | 56.87 |
| 9. जम्मू एवं काश्मीर | 21.25 | 4495.30 | 246.50 | 0.00 | 0.00 | 2491.66 | 267.51 | 640.56 | 869.26 | 0.31 | 32821.50 | 1685.42 | 21904.97 | 65444.24 | 101387.00 | 64.55 |
| 10. कनार्टक | 301.52 | 9087.68 | 32.76 | 125.11 | 0.00 | 8299.41 | 97.46 | 104.74 | 43.96 | 77.78 | 2627.89 | 40.97 | 0.00 | 20839.28 | 191791.00 | 10.87 |
| 11. केरल | 0.00 | 357.93 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 609.30 | 3.99 | 25.65 | 27.87 | 0.49 | 146.46 | 140.49 | 0.00 | 1448.18 | 38863.00 | 3.73 |
| 12. मध्य प्रदेश | 7569.11 | 36977.87 | 51.72 | 162.81 | 0.00 | 20437.77 | 302.44 | 910.40 | 24.57 | 141.44 | 2950.97 | 184.65 | 0.00 | 69713.75 | 443446.00 | 15.72 |
| 13. महाराष्ट्र | 1700.37 | 31386.91 | 527.57 | 251.66 | 0.00 | 13430.67 | 1349.40 | 687.43 | 77.63 | 100.45 | 2587.42 | 1389.57 | 0.00 | 53489.08 | 307690.00 | 17.38 |
| 14. मणिपुर | 0.00 | 1.32 | 324.60 | 0.00 | 12014.06 | 608.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12948.62 | 22327.00 | 58.00 |
| 15. मेघालय | 0.00 | 4190.63 | 14.87 | 0.00 | 2086.77 | 3612.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9904.38 | 22429.00 | 44.16 |

| राज्य | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. मिजोरम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3761.23 | 310.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4071.68 | 21081.00 | 19.31 |
| 17. नागालैण्ड | 0.00 | 1596.46 | 0.00 | 0.00 | 5224.65 | 1582.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8404.10 | 16579.00 | 50.69 |
| 18. उड़ीसा | 185.82 | 8358.68 | 379.10 | 51.49 | 115.28 | 10014.07 | 13.43 | 193.93 | 212.49 | 35.45 | 1574.09 | 207.88 | 0.00 | 21341.71 | 155707.00 | 13.71 |
| 19. पंजाब | 168.52 | 339.44 | 352.01 | 173.29 | 0.00 | 353.29 | 113.71 | 81.58 | 619.57 | 26.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2228.40 | 50362.00 | 4.42 |
| 20. राजस्थान | 4952.77 | 27152.76 | 289.66 | 2722.99 | 0.00 | 12541.89 | 12208.44 | 21.14 | 40639.51 | 128.65 | 4799.02 | 182.28 | 0.00 | 105639.11 | 342239.00 | 30.87 |
| 21. सिक्किम | 0.00 | 1073.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1060.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 0.00 | 1425.56 | 3569.58 | 7096.00 | 50.30 |
| 22. त्रिपुरा | 0.00 | 286.87 | 0.11 | 0.00 | 400.88 | 588.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1276.03 | 10486.00 | 12.17 |
| 23. तमिलनाडु | 226.12 | 7697.91 | 415.80 | 2479.73 | 0.53 | 9634.25 | 168.94 | 221.96 | 590.80 | 120.46 | 1155.92 | 301.50 | 0.00 | 23013.90 | 130058.00 | 17.70 |
| 24. उत्तर प्रदेश | 2806.52 | 5498.99 | 4981.43 | 5811.94 | 0.00 | 3338.32 | 446.36 | 50.44 | 470.21 | 29.26 | 1180.13 | 992.83 | 13166.37 | 38772.80 | 294411.00 | 13.17 |
| 25. पं० बंगाल | 171.90 | 1245.16 | 1931.54 | 131.25 | 0.00 | 777.58 | 384.97 | 2.93 | 879.13 | 47.34 | 130.46 | 16.24 | 0.00 | 5718.48 | 88752.00 | 6.44 |
| 26. संघ राज्य क्षेत्र | 12.83 | 25.74 | 24.60 | 39.01 | 0.00 | 289.97 | 5.43 | 46.34 | 47.33 | 0.00 | 83.05 | 0.00 | 0.00 | 574.30 | 10973.00 | 5.23 |
| योग | 20553.35 | 194014.29 | 16568.45 | 20477.38 | 35142.20 | 140652.31 | 25978.91 | 5828.09 | 50021.65 | 1252.13 | 64584.77 | 7656.29 | 55788.49 | 638518.31 | 3166414.00 | 20.17 |

1. खड्डयुक्त और/या बीहड़ी भूमि 2. झाड़ीयुक्त/झाड़ी रहित भूमि 3. जलाक्रांत दलदली भूमि 4. लवणीयता/क्षारीयता प्रभावित तटीय/अन्तरस्थलीय भूमि 5. झूम खेती वाला क्षेत्र 6. अप्रयुक्त/अवक्रमित अधिसूचित वन भूमि 7. अवक्रमित चरागाह/गोचर भूमि 8. बागान फसलों के अंतर्गत अवक्रमित भूमि 9. रेतीला अन्तर्स्थलीय/तटीय क्षेत्र 10. खनन/औद्योगिक बंजरभूमि 11. ऊसर चट्टानी/पथरीली बंजर/शीट रॉक क्षेत्र 12. सीधी ढलान वाला क्षेत्र 13. बर्फीला और/या हिमनदीय क्षेत्र 14. कुल बंजरभूमि 15. कुल भौगोलिक क्षेत्र 16. कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत

स्रोत : लैंड सैट थीमैटिक मैपर/आई.आर.एस./एल.आई.एस. एस II/III डाटा के द्वारा 1:50000 के पैमाने पर तैयार बंजरभूमि के नक्शे।

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर में 1,20,849.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का नक्शा तैयार नहीं किया गया है और इस प्रकार प्रतिशतता के परिकलन के लिए इस पर विचार नहीं किया गया है।

## सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत मजदूरी

*380. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत कामगारों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी की दर क्या है;

(ख) जब कामगारों को अकाल राहत कार्यों में लगाया जाता है तो उन्हें इन राज्यों में दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी की दर क्या है;

(ग) दोनों मजदूरियों में अंतर के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि श्रम कानूनों का उल्लंघन न हो?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) समय-समय पर राज्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत मजदूरी दी जानी होती है। सूचना के अनुसार, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार दी जाती है:-

(राशि रुपयों में)

| क्रमांक | राज्य | न्यूनतम मजदूरी की दर |
|---|---|---|
| 1. | गुजरात | 60.00 |
| 2. | राजस्थान | 60.00 |
| 3. | आंध्र प्रदेश* | 80.00 |
| 4. | बिहार | 58.64 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | 58.00 |

*न्यूनतम मजदूरी की दर हर जिले में अलग-अलग है, समग्र के रूप में राज्य के लिए औसत मजदूरी दर 80.00 रुपये है।

(ख) जैसा कि बताया गया है, अकाल राहत कार्यों में राज्यों द्वारा न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार दी जाती है:-

(राशि रुपयों में)

| क्रमांक | राज्य | न्यूनतम मजदूरी की दर |
|---|---|---|
| 1. | गुजरात | 42.50 |
| 2. | राजस्थान | 60.00 |
| 3. | आंध्र प्रदेश* | 80.00 |
| 4. | बिहार | 58.64 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | 58.00 |

*न्यूनतम मजदूरी की दर हर जिले में अलग-अलग है, समग्र के रूप में राज्य के लिए औसत मजदूरी दर 80.00 रुपये है।

(ग) केवल गुजरात में ही दो अलग-अलग दरें हैं। राज्य सरकार के अनुसार अधिकांश लोगों को राहत कार्य मुहैया कराते समय अधिकतम कार्य दिवसों के लिए अधिकतम लोगों को मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलक्टर द्वारा सूखा प्रभावित जिलों में मजदूरी की कम दरें निर्धारित की जाती हैं।

(घ) दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत रोजगार के लिए संगत अनुसूची हेतु अधिसूचित दर पर न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है तो संबंधित प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकते हैं। यदि केंद्र सरकार यह पाती है कि न्यूनतम मजदूरी अभी भी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं दी जा रही है तो वह संबंधित जिलों के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों की अगली रिलीज को रोक सकती है।

## दिल्ली में यातायात की भीड़भाड़

3721. **श्री सईदुज्जमा :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 फरवरी, 2003 को ''दी हिन्दुस्तान टाइम्स'' में राजधानी में यातायात की भीड़भाड़ के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दिल्ली मेट्रो दिल्ली के नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार नगर में यातायात की भीड़भाड़ कम करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर दैनिक यात्रियों को कम लागत पर वाहनों को पार्क करने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या कनॉट प्लेस जैसे स्थानों पर तिपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से यात्रियों की समस्या का समाधान होने के बजाय उनकी समस्या बढ़ेगी; और

(ज) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन)** : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यातायात की भीड़ के दुष्प्रभावों, नगर में पार्किंग की समस्याओं, राज्य की परिवहन नीति और दिल्ली मेट्रो की पुनरीक्षा आदि के संबंध में मोटे तौर पर चर्चा की गई।

(ग) दिल्ली मास्टर प्लान के करीब 245 किमी. नेटवर्क में से दिल्ली मेट्रो के केवल 62 किमी. के फेस-I का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस फेस-I में से केवल प्रारंभिक 8.5 किमी. लंबा सेक्शन अभी चालू किया गया है। अत: अभी से यह नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली मेट्रो दिल्ली के नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है।

(घ) अन्य प्रमुख नगरों की भांति दिल्ली में भी विविध प्रकार [illegible] नेटवर्क की आवश्यकता है। दिल्ली मेट्रो मास्टर प्लान नेटवर्क [illegible] करने के साथ-साथ सतत्‌ प्रबंध, अधिक क्षमता वाली बसें [illegible]

(ङ) और (च) चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों पर वाहनों के लिए पार्किंग स्थल मुहैया कराया जा रहा है। इन स्टेशनों का चयन और उनमें पार्किंग स्थल का विस्तार विस्तृत यातायात सर्वेक्षणों के आधार पर किया गया है।

(छ) और (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## भोपाल गैस पीड़ितों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव

**3722. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि दिसंबर, 1984 में (भोपाल में) यूनियन कार्बाइड गैस रिसाव के हजारों पीड़ितों का इलाज करने का वर्षों का अनुभव रखने वाले समर्पित विशेषज्ञों का दल इस त्रासदी से बचने वाले लोगों की कम से कम दो पीढ़ियों पर दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव निर्धारित करने, सतत्‌ स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और स्वास्थ्य जांच के लिए निरंतर वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने की मांग करने हेतु दिनांक 30 जनवरी, 2003 को एकत्रित हुआ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान की स्थापना

**3723. श्री जी.एस. बसवराज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या उक्त संस्थान भारतीय परंपरा और आधुनिक विश्व की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अन्तर्संबंध की समस्या का सामना कर रहा है;

[illegible]

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन करने हेतु संस्थान के मुख्य प्रस्ताव क्या हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) :** (क) से (ङ) शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना और पुनर्गठन सम्बन्धी केन्द्र प्रयोजित योजना के तहत निर्धारित स्तरों की मौजूदा ख्यातिप्राप्त संस्थाओं का उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानो के रूप में स्तरोन्नयन किया जा रहा है। इस समय देश में 38 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कार्य कर रहे हैं। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान का मुख्य दायित्व इस प्रकार है— माध्यमिक शिक्षकों के लिए सेवापूर्व और सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना, विस्तार और संसाधन सहायता उपलब्ध कराना, विद्यालय शिक्षा में परीक्षण और नवाचारी कार्यक्रम आयोजित करना, प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षकों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देना, उच्च स्तरीय मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान आयोजित करना तथा बी.एड. और एम.एड. पाठ्यक्रम आयोजित करने के अतिरिक्त जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का शैक्षिक मार्गदर्शन करना आदि।

उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मूलत: शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है और भारतीय संस्कृति और परम्परा पर कोई अध्ययन अथवा अनुसंधान नहीं कर रहे हैं।

*[हिन्दी]*

## बाल भवनों की स्थापना

3724. **श्री राजो सिंह :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर बिहार में 'बाल भवनों' के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) :** (क) जी, नहीं।

**(ख) प्रश्न नहीं उठता।**

(ग) इस समय, राज्य बाल भवनों के निर्माण में सहायता देने संबंधी केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है। राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न राज्य बाल भवनों की स्थापना की गई है, जो राष्ट्रीय बाल भवन से संबद्ध हैं।

*[अनुवाद]*

## महाद्वीपीय शेल्फ

3725. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन :** क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हमारे महाद्वीपीय शेल्फ, समुद्री सीमा आदि का अभी तक पुनर्निर्धारण नहीं किया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा हमारी समुद्री सीमा की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) :** (क) और (ख) प्रादेशिक सागर, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्रवर्ती क्षेत्र अधिनियम 1976 "में इन समुद्रवर्ती क्षेत्रों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है।" 12 समुद्री मील वाले प्रादेशिक सागर और 200 समुद्री मील वाले अनन्य आर्थिक क्षेत्र का माप आधार रेखा से किया जाता है। समुद्र विधि संबंधी संयुक्त राष्ट्र कंवेंशन के अन्तर्गत महासागर विकास विभाग महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमाओं का सीमाकंन करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है।

*[हिन्दी]*

## मितव्ययिता उपाय

3726. **श्री रामदास आठवले :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों और उपक्रमों द्वारा प्रचार, विज्ञापन, स्वागत, खान-पान, उद्घाटन समारोहों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, देशी-विदेशी दौरों, एस.टी.डी. और आई.एस.डी. टेलीफोन बिलों, बिजली बिलों (विशेषकर एयरकंडीशनर्स और कूलरों) और अन्य कार्यालयीय व्ययों पर शीर्ष-वार कितनी राशि व्यय कि गई;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त शीर्षों पर होने वाले व्यय को कम करने हेतु कोई अभियान शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) :** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**अवैध निर्माण को हटाया जाना**

3727. **श्री रामजी मांझी :** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम को सुरक्षा बल प्रदान नहीं किया है जैसा कि दिनांक 27 फरवरी, 2003 को 'टाइम्स ऑफ इंडियां' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं जिनमें दिल्ली पुलिस ने सरकारी भूमि/ग्राम सभा भूमि से अवैध अतिक्रमण/निर्माण हटाने हेतु सुरक्षा बल प्रदान नहीं किया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि दिल्ली नगर निगम, डी.डी.ए. और प्रखण्ड विकास अधिकारियों द्वारा की गई मांग के अनुसार पुलिस बल प्रदान किए जाएं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) :** (क) दिनांक 26 फरवरी, 2003 को अतिक्रमण को गिराने का कार्यक्रम अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा क्योंकि इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराया गया पुलिस बल, इस क्षेत्र में उभरती कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं था।

(ख) वर्ष 2003 के दौरान (31 मार्च, 2003 तक) भूमि के मालिकाना हक रखने वाली एजेन्सियों द्वारा एक हजार छः सौ चौरानबे बार पुलिस बल मांगा गया जिनमें से 516 अवसरों पर दिल्ली पुलिस, पुलिस बल उपलब्ध नहीं करा पाई।

(ग) जब कभी अपेक्षित होता है तो भूमि का मालिकाना हक रखने वाली एजेन्सियों को पुलिस बल उपलब्ध कराया जाता है। तथापि, कई बार अन्य दबावों के मद्देनजर पुलिस बल प्रदान करना संभव नहीं होता है।

**वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा**

3728. **श्री जे.एस. बराड़ :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो वर्ष 2003 की वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा में शामिल हुए हैं और उनमें से कितने सरकारी विद्यालयों और कितने निजी विद्यालयों के हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में सभी पात्र विद्यार्थियों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करने हेतु बुनियादी अवसंरचना प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) :** (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा-XII), 2003 दिनांक 5.4.2003 को संपन्न हो चुकी है। वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 3,66,145 है जिनमें से 1,87,666 पब्लिक विद्यालयों से हैं? 1,32,414 सरकारी विद्यालयों से हैं, और 46,065 प्राइवेट/पत्राचार विद्यार्थी हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**यशदा में प्रशिक्षण और प्रबंधन केन्द्र की स्थापना**

3729. **श्री प्रकाश वी. पाटील :**
**श्री मोहन रावले :**

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से यशदा (पुणे) में प्रशिक्षण और प्रबंध केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन)** : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, आर्थिक कार्य विभाग को महाराष्ट्र में पुणे सहित यशवंतराव चव्हाण अकेडमी ऑफ डेवेलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (यशदा) से महाराष्ट्र के लिए शहरी संसाधन आधार और सूचना सेवा (अर्बन रिसोर्स बेस एण्ड इन्फर्मेशन सर्विस) स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो कंट्री कोऑपरेशन फ्रेमवर्क-2 (सीसीएफ-2) के अंतर्गत यूएनडीपी की संभावित सहायता से होगा। यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में विचाराधीन है।

## मैंग्नीज अयस्क का उत्पादन

3730. **श्री अनन्त नायक** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार मैंग्नीज अयस्क का कुल कितना उत्पादन किया गया; और

(ख) मैंग्नीज अयस्क के उत्पादन में निजी और सरकारी क्षेत्र के कार्यनिष्पादन का वर्ष-वार अलग-अलग विवरण क्या है?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस)** : (क) खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो (आई बी एम) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार उत्पादित मैंग्नीज अयस्क की कुल मात्रा निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

(मात्रा टन में)

| राज्य | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 (अनन्तिम) |
|---|---|---|---|
| भारत | 1585726 | 1595458 | 1552723 |
| आन्ध्र प्रदेश | 87554 | 130825 | 92554 |
| गोवा | 14229 | 11132 | 6775 |
| झारखण्ड | 5388 | 2608 | 1161 |
| कर्नाटक | 274052 | 21882 | 212153 |
| मध्य प्रदेश | 328698 | 323361 | 323351 |
| महाराष्ट्र | 352584 | 362634 | 388313 |
| उड़ीसा | 523221 | 546016 | 528416 |

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में मैंग्नीज अयस्क का उत्पादन निम्नवत है:-

(टन में)

| वर्ष | सार्वजनिक क्षेत्र | निजी क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1999-2000 | 932866 | 652860 |
| 2000-2001 | 949449 | 646009 |
| 2001-2002 (अनन्तिम) | 873602 | 679121 |

## इटली द्वारा वित्तीय सहायता

3731. **श्री महबूब जाहेदी** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इटली सरकार ने पश्चिम बंगाल में 15 नगरपालिकाओं को विकास कार्य के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जलापूर्ति परियोजनाओं हेतु इतालवी सहायता के अंतर्गत 0.5 प्रतिशत की बहत ही निम्न ब्याज दर पर 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार भी पेयजल और अपशिष्ट पदार्थों को ढोने के लिए भूमिगत गहरे पाइप डालने के विकासात्मक परियोजना कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपये का व्यय वहन करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सही है कि इतालवी वित्तीय सहायता 35 वर्षों में पुनर्भुगतान की जानी है और इटली सरकार को 24 वर्षों तक किसी भी राशि का पुनर्भुगतान नहीं किया जाना है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के लिए इतालवी सहायता की 70 प्रतिशत राशि पर 12.5 प्रतिशत ब्याज निर्धारित किया है और 30 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी गई है; और

(च) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार से इतालवी सहायता पर इतना उच्च ब्याज दर लेने के क्या कारण हैं; विशेषकर तब जब कि 0.5 प्रतिशत ब्याज दर पर इतालवी सरकार से सहायता प्राप्त की गई है?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन)** : (क) से (च) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने सूचित किया है कि भारत सरकार और इटली सरकार के बीच हाल ही में किए गए द्विपक्षीय करार द्वारा इटली सरकार कतिपय शर्तों को पूरा करने के अधीन "पश्चिम बंगाल के 14 चुनिंदा कस्बों में जलापूर्ति तथा ठोस कचरा प्रबंधन" परियोजना के लिए 0.5% की वार्षिक ब्याज दर पर आसान शर्तों के ऋण के रूप में 50 बिलियन इटालियन लीरा (अनुमानत: 120 करोड़ रु० अथवा 24 मिलियन अमरीकी डालर) की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गई है। 24 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के साथ ऋण की अदायगी अवधि 35 वर्ष है। उन्होंने आगे यह भी सूचित किया है कि विभिन्न बहुपक्षीय एवं द्विपीक्षीय एजेंसियों से प्राप्त विदेशी सहायता भारत सरकार द्वारा राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) के रूप में दे दी जाती है। बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ई.ए.पी) के लिए ए.सी.ए. का चालू ढांचे में समय निर्धारित किया गया है। ए.सी.ए. को राज्य सरकारों के लिए उन्हीं शर्तों एवं अनुबंधों पर पारण (पास ऑन) किया जाता है जैसा कि राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता संबंधी शर्तें निर्धारित हैं जिनका ब्यौरा निम्नप्रकार है:-

- पश्चिम बंगाल जैसे विशेष श्रेणी की स्थिति के अंतर्गत आने वाले राज्यों के लिए धनराशि 70% ऋण : 30% अनुदान के अनुपात में दी जाती है चाहे वह विदेशी सहायता अनुदान के रूप में हो अथवा ऋण के रूप में।

- केन्द्र सरकार समय-समय पर पुनर्भुगतान अवधि, ब्याज दर आदि के बारे में अनुदेश जारी करती है। दिनांक 1.4.2003 से केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों पर 10.5% प्रतिवर्ष ब्याज लगेगा।

- सामान्य नीति में किसी भी अपवाद को विशेषरूप से अधिसूचित किया जाता है।

इस प्रकार ए.सी.ए. में बाह्य सहायता के रूपान्तरण सहायता की मूल शर्तों और अनुबंधों को नया रूप दिया जाता है क्योंकि केन्द्र सरकार विदेशी मुद्रा तथा कुछ अतिरिक्त लागतों को वहन करती है।

## अंडे पर अनुसंधान

**3732. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या यह सही है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने यह खोज की है कि मुर्गी के अंडे सर्पदंश के उपचार के लिए अणु स्रोत बन सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा")** : (क) और (ख) जी, हां। बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारत सरकार से सहायता प्राप्त विनल मल्लया वैज्ञानिक अनुसंधान फाउंडेशन, बंगलौर में किए जा रहे एक अध्ययन में यह पाया गया है कि सामान्यत: चारों प्रकार के सभी विषैले भारतीय सर्पों अर्थात बंगारस सेरूलस (क्रेट), नाजा नाजा (कोबरा), ईचिस, कारीनटस (सा-स्केलड वाइपर) तथा वाइपरा रूसेली (रूसल वाइपर) के अलग-अलग तथा एक साथ काटे गए सर्पदंश के उपचार के लिए मुर्गी के अण्डे एक विष-रोधी उपाय बन सकते हैं। आरम्भिक परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। वर्तमान में आई जी वाई एण्टीवाडीज़ का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए शुद्धिकरण की प्रणालियों का मानकीकरण तथा चिरकालिक विषाक्तता तथा अध्ययन किये गये हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सर्पदंश के शिकार बने व्यक्तियों के उपचार के लिए अन्तिम ए एस वी संरूपण सुरक्षित हैं।

## तांबे का उत्पादन/मांग

**3733. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तांबे के उत्पादन की संस्थापित क्षमता कितनी है और क्षमता का किस हद तक उपयोग किया गया एवं पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या देश में उत्पादन द्वारा तांबे की मांग को पूरा किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा तांबे का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या तांबे का निर्यात दूसरे देशों को किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और निर्यात किए गए तांबे की मात्रा कितनी है और उक्त अवधि के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में प्राथमिक कॉपर की संस्थापित क्षमता, उपयोग और प्राप्त उत्पादन निम्नवत है:-

| वर्ष | संस्थापित क्षमता (टन) | उत्पादन (टन) | क्षमता उपयोग % |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | 2,47,500 | 2,26,751 | 91.62 |
| 2000-01 | 2,47,500 | 2,62,837 | 106.20 |
| 2001-02 | 3,47,500 | 3,36,049 | 96.70 |

(ख) जी, हां। देश में कॉपर की मांग को स्वदेशी उत्पादन से पूर्णतया पूरा किया जा रहा है।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार, ''कॉपर और उसके सामानों'' वर्गीकरण के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कॉपर का 159 देशों को निर्यात किया जा रहा है। प्रमुख देश यू एस ए, यू.के., जर्मनी, कोरिया, जापान, थाईलैण्ड, साउदी अरब, चीन, ताईवान, मलेशिया, यू ए ई आदि हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की मात्रा तथा अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नवत है:-

| | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 |
|---|---|---|---|
| मात्रा (कि.ग्रा.) | 22152518 | 62844413 | 92877168 |
| मूल्य (लाख रु में) | 36,242.20 | 74,921.10 | 99,552.62 |
| अर्जित विदेशी मुद्रा का मूल्य (अमेरिकी मिलियन डालर में) | 83.64 | 164.00 | 208.74 |

## वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना और निर्मल भारत अभियान

**3734. श्री किरीट सोमैया :** क्या **क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना और निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र को अब तक प्रदान की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रयुक्त/अप्रयुक्त /रोक दी गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा धनराशि का पूरा उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय को वर्ष 2002-2003 के लिए इन योजनाओं हेतु महाराष्ट्र सरकार और मुम्बई नहानगर पालिका से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) :** (क) निर्मल भारत अभियान सहित वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत 2001-2002 तथा 2002-03 के दौरान महाराष्ट्र राज्य को क्रमश: 1198.00 लाख रु० तथा 845.60 लाख रु. प्रदान किए गए हैं।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 31.3.2003 तक २६.00 लाख रु० की राशि का उपयोग किया गया है।

(ग) महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएचएडीए) से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा धनराशि का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है। क्योंकि नगर निगम/परिषद/जिला अधिकारियों (डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर) जैसे संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों से वैकल्पिक भूमि मुहैया कराने, नक्शे अनुमोदित करने/लाभार्थियों की सहमति आदि जैसे कार्यों में विलंब हुआ।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्ष 2002-03 के दौरान महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण से 17196 मकानों तथा 3900 शौचालय सीटों के निर्माण के लिए 4985.25 लाख रु० की केन्द्रीय सब्सिडी प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं। मार्च, 2003 में महाराष्ट्र को 3900 शौचालय सीटों के निमाण के लिए 780.00 लाख रु. की केन्द्रीय सब्सिडी प्रदान् की गई। वर्ष 2002-03 में शेष राशि प्रदान नहीं की जा सकी क्योंकि प्रस्ताव वित्त वर्ष के अंत में प्राप्त हुए और उस समय आवास घटक के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध नहीं थी।

**विवरण**

*वर्ष 2002-2003 के दौरान वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्ताव*

(लाख रु. में)

| क्रम सं. | एजेंसी | क्षेत्र | मकानों/शौचालय सीटों की संख्या | मांगी गई केन्द्रीय सब्सिडी | दी गई केन्द्रीय सब्सिडी | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | एमएचएडीए | कोंकण | 1018/767 | 373.925 | 153.40 | इन प्रस्तावों की निर्मल भारत अभियान की पूरी राशि मार्च, 2003 में शौचालय सीटों के लिए प्रदान कर दी गई थी। उस समय आवास घटक के तहत राशि उपलब्ध न होने के कारण मकानों के लिए कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई। |
| 2. | एमएचएडीए | पुणे | 4009/369 | 865.150 | 71.80 | |
| 3. | एमएचएडीए | नासिक | 1704/0 | 385.100 | 0.00 | |
| 4. | एमएचएडीए | अमरावती | 1362/305 | 326.555 | 61.00 | |
| 5. | एमएचएडीए | औरंगाबाद | 777/124 | 173.770 | 24.80 | |
| 6. | एमएचएडीए | नागपुर | 1871/0 | 455.250 | 0.00 | |
| 7. | एमएचएडीए | मुम्बई | 0/2345 | 469.0 | 469.00 | |
| 8. | एमएचएडीए | मुम्बई | 6455/0 | 1936/500 | 0.00 | |
| | | कुल | 17196/3900 | 4985.25 | 780.00 | |

**असम में राहत शिविर**

**3735. श्री एम.के. सुब्बा :** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने राहत शिविरों में रह रहे दंगा पीड़ितों के पुनर्वास हेतु किसी केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है जैसा कि दिनांक 20 फरवरी, 2003 को 'असम ट्रिब्यून' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) :** (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। असम सरकार शिविरों के संवासियों को आनुग्रहिक राहत प्रदान करती रही है। राज्य सरकार ने इन परिवारों को राहत शिविरों से उनके मूल स्थानों में पुनर्वास हेतु कदम भी उठाए हैं।

केन्द्र सरकार, शरणार्थी परिवारों को आनुग्रहिक और पुनर्वास अनुदान प्रदान करने पर राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती रही है। असम सरकार ने केन्द्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान इन परिवारों के पुनर्वास हेतु 10 करोड़ रु. की अग्रिम राशि रिलीज करने का अनुरोध किया था। इस प्रयोजनार्थ, मंत्रालय ने वर्ष 2002-2003 की अवधि के दौरान असम सरकार को 10 करोड़ रु. रिलीज किए थे। अभी तक, केन्द्र सरकार ने वर्ष 1996-97 से 2002-2003 की अवधि के दौरान शरणार्थी परिवारों को आनुग्रहिक राहत और पुनर्वास अनुदान प्रदान करने के लिए असम की राज्य सरकार को 113.29 करोड़ रु. की धनराशि जारी की है। राज्य सरकार को

सलाह दी गई है कि इन शरणार्थी परिवारों को एक निश्चित समयावधि में पुनर्वासित किया जाए और शरणार्थी शिविरों को यथा संभव शीघ्र बंद किया जाए।

**महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पुनर्निर्माण और पुनः बहाली के लिए सहायता**

**3736. श्री त्रिलोचन कानूनगो :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1999 के महाचक्रवात से प्रभावित महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार के लिए यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत सहायता को अभी तक संबंधित संस्थानों के पक्ष में जारी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह राशि कब जारी की गई और कितनी राशि स्वीकृत की गई और जारी की गई?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) :** (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उड़ीसा राज्य में 1999 में आए भीषण चक्रवात से दुष्प्रभावित तीन विश्वविद्यालयों तथा 39 कालेजों को चक्रवात राहत आदि के रूप में आबंटित 3.60 लाख रु. का संपूर्ण अनुदान जारी किया जा चुका है।

**अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पंचायती राज संस्थाएं**

**3737. श्री ए.सी. जोस :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तपोषण नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले एक वर्ष के दौरान से अब तक विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कितनी राशि आबंटित की गई?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) :** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

*[हिन्दी]*

**कोयले के परमिट**

**3738. डा. चरणदास महंत :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे दिशानिर्देश और नियम/शर्तें क्या हैं जिनके आधार पर उनके मंत्रालय द्वारा सरकार और गैर-सरकारी उद्योगों/संगठनों को परमिट दिए जाते हैं तथा वित्तीय वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान निकाले गए कोयले की दर कितने रुपए प्रति मीट्रिक टन निर्धारित की गई है;

(ख) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान दिशानिर्देश/नियम और शर्तों का उल्लंघन कर जारी किए गए कोयला परमिटों के विरुद्ध कम्पनीवार प्राप्त शिकायतों/सूचनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) :** (क) उद्योगों की श्रेणी के आधार पर उपभोक्ताओं को मोटे तौर पर कोर तथा नॉन-कोर क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है और तदनुसार कोयले के संचलन के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

कोर क्षेत्र में विद्युत उपयोगिताएं (कैपटिव विद्युत संयंत्रों सहित), सीमेन्ट, इस्पात, उर्वरक, प्रतिरक्षा, लोको आते हैं। मौसमी उपभोक्ताओं सहित शेष नान-कोर क्षेत्र में आते हैं।

कोर क्षेत्र को कोयले के प्रेषण स्थायी लिंकेज समिति द्वारा प्रदान किये गये लिंकेज के माध्यम से नियंत्रित होते हैं। यह एक अंतर्मंत्रालयी निकाय है जो कोयला मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करती है। इसके अन्य सदस्य विद्युत, इस्पात उद्योग एवं वाणिज्य तथा रेल मंत्रालयों से होते हैं। इसके अलावा अन्यों में योजना आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कोयला उत्पादक कम्पनियों, सी.एम.पी.डी.आई.एल. के प्रतिनिधि भी समिति के सदस्य हैं। स्थायी लिंकेज समिति दीर्घावधि तथा अल्पावधि दोनों परिदृश्य में तथा प्रचालन सुविधा में कार्य करती है जो एस. एल.सी. (एल.टी.) तथा एस.एल.सी. (एस.टी.) के रूप में जानी जाती है।

मौजूदा तथा आरंभ की जा रही नई परियोजनाओं से उत्पादन प्रक्षेपण पर विचार करते हुए, एस०एल०सी० (एल०टी०) कोर क्षेत्र

के उपभोक्ताओं नामत: सी०पी०पी० सहित विद्युत, सीमेंट, इस्पात, उर्वरक उद्योगों के लिए दीर्घावधि कोयला आपूर्ति स्रोत को जोड़ती है। एस०एल०सी० (एल०टी०) द्वारा मंजूर किए गए सभी दीर्घावधि लिंकेज सिद्धांतत: ऐसा लिंकेज है जिसे एक निश्चित समय-सीमा के भीतर कोयला कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर के अध्ययधीन पुष्ट किया जाता है। 25 मेगावाट से कम की क्षमता के कैप्टिव बिजली संयंत्रों के लिए दीर्घावधि लिंकेजों पर विचार करने का प्राधिकार वर्तमान में कोयला कंपनियों को दिया गया है।

एस०एल०सी० (एस०टी०) विद्युत (उपयोगिता तथा कैप्टिव दोनों) तथा सीमेंट क्षेत्र को त्रैमासिक आधार पर मासिक लिंकेज प्रदान करती है। विद्युत और सीमेंट क्षेत्र के लिए अल्पावधि लिंकेज का निर्णय लेने के लिए दीर्घावधि लिंकेज को एक आधार के तौर पर प्रयोग किया जाता है। एस०एल०सी० (एस०टी०) विद्युत और सीमेंट क्षेत्र के लिए त्रैमासिक आधार पर मासिक लिंकेज का निर्णय करने के लिए, बिजली घरों तथा सीमेंट संयंत्रों के पास कोयले का स्टाक, जनरेशन तथा उत्पादन लक्ष्य, कोयला उत्पादक कंपनियों के पास कोयले की उपलब्धता, परिवहन लाजिस्टिक को भी ध्यान में रखती है।

1996 से आगे कोकिंग कोयले के विनियंत्रण से इस्पात क्षेत्र को कोकिंग तथा अर्द्धकोकिंग/मिश्रण योग्य कोयले के आबंटन की जिम्मेवारी सी०आई०एल० को दी जाती है। तदनुसार सी०आई०एल० का विपणन प्रभाग मासिक कोकिंग कोयला आबंटन बैठकें आयोजित करता है जिसमें इस्पात संयंत्रों के लिए वाशरी-वार, कोलफील्ड-वार, कोयले के मासिक आबंटन का निर्णय करने के लिए रेलवे इस्पात संयंत्रों को सहयोजित किया जाता है। इसी प्रकार स्पांज आयरन क्षेत्र के लिए सी०आई०एल० का विपणन प्रभाग रेलवे, स्पांज आयरन इकाइयों तथा कोयला कंपनियों के सहयोग से त्रैमासिक आधार पर मासिक आबंटन का निर्णय करती है। रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक क्षेत्र के लिए वार्षिक मात्रा की सिफारिश जारी करता है।

नॉन-कोर क्षेत्र उपभोक्ताओं के संबंध में, सी०आई०एल० में पूर्व की नॉन-कोर लिंकेज समिति द्वारा मंजूर किए गए लिंकेजों को लिंक्ड उपभोक्ताओं और अनुषंगियों के बीच ईंधन आपूर्ति समझौता (एफ०एस० ए०) में परिवर्तित किया जा रहा है। सी०आई०एल०/ अनुषंगियां कोयला मंत्रालय द्वारा जारी नई कोयला नीति के क्रियान्वयन के संबंध में कार्रवाई कर रही हैं। पहले चरण में, ईंधन आपूर्ति समझौता उन मौजूदा नॉन-कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं के साथ किया जा रहा है जिनकी स्थिति का सत्यापन किया गया है और सही पाया गया है। बाकी उपभोक्ताओं को, जिनके लिंकेज रद्द किए गए हैं/समाप्त हो गए हैं, मौजूदा लिंक्ड मात्रा को बढ़ाया गया है और नए औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी, संबंधित अनुषंगी कोयला कंपनियों में कोयले की उपलब्धता के अध्ययधीन, ईंधन आपूर्ति समझौता करने की अनुमति दी जा रही है।

कोल इंडिया लि. की अनुषंगी कोयला कंपनियों के निकाले गए कोयले के लिए (कोयले का मूल्य) रुपयों में निर्धारित प्रति मीट्रिक टन की दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) सी०आई०एल०/कोयला कंपनियों ने निम्नलिखित का सत्यापन करने के लिए सत्यापन की कार्यवाही की थी जिसमें राज्य सरकारों, अनुषंगियों के आंतरिक सतर्कता विभाग को शामिल किया गया था:-

(1) इकाइयों की विद्यमानता (2) इकाइयों की कार्यकरण की स्थिति तथा (3) इंकाइयों की खपत का पैटर्न।

इस कार्यवाही के परिणामत: कुल 4789 वैध लिंक्ड उपभोक्ताओं में से सी.आई.एल. द्वारा 1042 इकाइयों की पहचान की गई है जिनके विरुद्ध आज की तारीख को, अलग-अलग जांच एजेन्सियों की प्रतिकूल रिपोर्ट है और इसलिए, इन इकाइयों को कोयले की आपूर्तियां बंद कर दी गई हैं। 298 इकाइयों के संबंध में सत्यापन की कार्यवाही जारी है।

**विवरण**

*कोयले की विभिन्न किस्मों का मूल्य निम्नानुसार है*

| कोयला कंपनी का नाम | कोयले का ग्रेड – नॉन कोकिंग कोयला | | |
|---|---|---|---|
| ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० | 1450 | 1370 | 1170 |
| ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० नॉन-लौंग फ्लेम कोयला | 1177 | 1059 | 870 |
| ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (एस.पी. माइन्स) | 1628 | 1447 | 1211 |

| कोयला कंपनी का नाम | कोयले का ग्रेड – नॉन कोकिंग कोयला | | |
|---|---|---|---|
| ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (मुग्मा) | 1345 | 1197 | 1000 |
| साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स | 1110 | 1040 | 890 |
| साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० लांग फ्लेम कोयला | 1000 | 940 | 810 |
| साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० नॉन-लांग फ्लेम कोयला | 940 | 880 | 750 |
| सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० * | 1330 | 1203 | 1006 |
| सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० ** | 1248 | 1129 | 944 |
| सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० नॉन-लांग फ्लेम कोयला | 1166 | 1049 | 862 |
| भारत कोंकिग कोल लि० | 1135 | 1030 | 847 |
| नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० लांग फ्लेम कोयला | 1147 | 1039 | 867 |
| नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० नॉन-लांग फ्लेम कोयला | 1072 | 964 | 792 |
| महानदी कोलफील्ड्स लि० लांग फ्लेम कोयला | 979 | 885 | 740 |
| महानदी कोलफील्ड्स लि० नॉन-लांग फ्लेम कोयला | 912 | 819 | 674 |
| वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० | 1148 | 1083 | 1012 |

| कोयला कंपनी का नाम | कोयले का ग्रेड–कोकिंग कोयला | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एसजी-I | एसजी-II | डब्लयूजी-I | डब्लयूजी-II | डब्लयूजी-III | डब्लयूजी-IV |
| भारत कोकिंग कोल लि० | 1970 | 1650 | 1440 | 1200 | 900 | 830 |
| भारत कोकिंग कोल लि० | – | – | 1337 | 1107 | 819 | 762 |
| ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० | – | – | 1575 | 1305 | 964 | 896 |
| सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० | – | – | 1351 | 1120 | 828 | 771 |
| वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० | – | – | 970 | 880 | – | – |

*मूल्य वाछरा, चुरी, भुरकुंडा (संगम परियोजना) सौंदा, सौंदा-डी-यू.जी. और अरगदा कोलियरियों के संबंध में है।

**मूल्य भुरकुंडा, सेंट्रल सौंदा, सयाल-डी, उरीमरी, नार्थ, उरीमरी, हिन्दगिर, सिरका, गिड्डी-ए, गिड्डी-सी, रेलीगोरा, राजहरा, हुरिलांग, पिपरवाड़ा, करमा और कुजु कोलियरियों के संबंध में हैं।

*[अनुवाद]*

**केन्द्रीय भण्डार के अध्यक्ष की नियुक्ति**

**3739. श्री शीशराम सिंह रवि :** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा केन्द्रीय भण्डार के अध्यक्ष की नियुक्ति के नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं और अंतिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) :** (क) और (ख) केन्द्रीय भण्डार में अध्यक्ष की नियुक्ति की दृष्टि से सरकार ने कोई निश्चित निबन्धन और शर्तें निर्धारित नहीं की हैं।

**उर्वरकों के भौतिक मिश्रणों में गुणवत्ता नियंत्रण**

**3740. श्री पी.सी. थामस :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उर्वरकों के भौतिक मिश्रणों में गुणवत्ता नियंत्रण को बनाए रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक भौतिक विनिर्माता इकाइयां सरकारी क्षेत्र में काम कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके उत्पादन का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक इकाई द्वारा प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में भौतिक मिश्रणों का निर्माण किया जाता है;

(ङ) क्या फसलों के लिए अल्प विश्लेषण उर्वरक मिश्रण की सिफारिश की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या उच्च विश्लेषण वाले एनपीके कम्पलेक्स उर्वरकों जिनमें पोषणिक तत्वों की 35 से अधिक इकाइयां होती हैं, केरल सहित कुछ राज्यों में लघु जोतों के लिए प्रयोग हेतु उचित नहीं होते हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या यह सच है कि उच्च श्रेणी वाले कम्पलेक्स उर्वरक का अधिक प्रयोग पौष्टिक तत्व और किसानों के धन की बर्बादी ही होगी;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ट) क्या केरल सरकार को उर्वरक मिश्रण के विनिर्माण की वर्तमान प्रणाली को चालू रखने की ऐसी अनुमति है; और

(ठ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) :** (क) और (ख) भौतिक मिश्रणों सहित सभी उर्वरकों की गुणवत्ता उर्वरक नियंत्रण आदेश (1985) के उपबंधों के तहत सुनिश्चित की जाती है जिसमें निर्धारित मानकों को पूरा न करने वाले उर्वरक मिश्रणों सहित किसी भी उर्वरक के उत्पादन और बिक्री पर कड़ी रोक लगाई गई है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक और कानूनी कार्यवाही के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश/आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं। वर्ष 2001-02 के दौरान देश में विश्लेषित किए गए उर्वरक मिश्रणों के कुल 11154 नमूनों (भौतिक और दानेदार, दोनों) में से 873 नमूनें को गैर-मानकीकृत पाया गया था।

(ग) और (घ) फर्टिलाइज़र्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट) केन्द्र सरकार का ऐसा एकमात्र उर्वरक उत्पादक उपक्रम है जो एनपीके उर्वरकों के भौतिक मिश्रणों का उत्पादन करता है। फैक्ट ऐसे मिश्रणों के 9 ग्रेडों का उत्पादन करता है। 10:10:4 तथा 10:10:10 के रूप में एन:पी:के के सम्मिश्रण के साथ दो मिश्रण ग्रेडों में इसके मिश्रणों की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता का लगभग 80% निहित है। फैक्ट द्वारा वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 में उर्वरक मिश्रणों का क्रमश: 21936 मी. टन, 18083 मी. टन और लगभग 20000 मी. टन का उत्पादन किया गया।

(ङ) और (च) उर्वरक मिश्रण बहुत ही मृदा एवं फसल विशिष्ट होने के नाते, राज्य सरकारों द्वारा इनके मानकों का निर्धारण उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 13(2) के तहत किया जाता है। कुछ राज्य

सरकारों, नामत: आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने निम्न विश्लेषित उर्वरक मिश्रण (25 इकाई पोषक रखने वाले) अधिसूचित किए हैं।

(छ) और (ञ) 35 इकाई से अधिक पोषक अंश रखने वाली उच्च विश्लेषित एनपीके मिश्रित उर्वरक राज्यों को न देखते हुए छोटी जोतों में उपयोग के लिए काफी उपयुक्त हैं। ये हैंडलिंग, भण्डारण और उपयोग लागत को न्यूनतम करने के अलावा तर्कसंगत रूप से उपयोग किए जाने पर फसलों का संतुलित उर्वरण सुनिश्चित करते हैं।

(ट) और (ठ) केरल सहित सभी राज्य सरकारों को एफसीओ के तहत उर्वरक मिश्रणों के मानक निर्धारित करने और इसका उत्पादन करने का अधिकार है।

*[हिन्दी]*

## स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत मिल्क पाउडर संयंत्र की स्थापना

**3741. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले में मिल्क पाउडर संयंत्र की स्थापना करने हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उस क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों के हित में इस संयंत्र की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या ऐसे संयंत्र की स्थापना अन्य राज्यों में भी की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) :** (क) से (घ) मंत्रालय को मार्च, 2003 में 460.00 लाख रु. की कुल लागत से मुजफ्फरपुर में 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाला मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित करने के लिए जिला गामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.), मुजफ्फरपुर, बिहार से एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्ताव स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के विशेष परियोजना घटक के दिशा-निर्देश के अनुसार नहीं है।

(ङ) और (च) वर्ष 2001-02 के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के तहत उड़ीसा मिल्क फेडरेशन को एक मिल्क पाउडर प्लांट स्वीकृत किया गया है।

*[अनुवाद]*

## संस्थानिक भूमि का आबंटन

**3742. श्री रनेन बर्मन :**
**श्री भर्तृहरि महताब :**

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्यकारी आवश्यकताओं और परियोजना रिपोर्टों की विस्तृत जांच के पश्चात आबंटित की जाने वाली संस्थानिक भूमि का न्यूनतम क्षेत्र का हिसाब लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संस्थानिक भूमि के 30 से 40 प्रतिशत तक आगे किराये पर देने की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे आगे किराये पर देने से पता चलता है कि सोसायटियों को अपनी आवश्यकता से अधिक भूमि का आबंटन किया गया है और यह अतिरिक्त क्षेत्र वापस लिया जा सकता है और जनता की भलाई के लिए अन्य पात्र सोसायटियों को इसका आबंटन किया जा सकता है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या केन्द्र सरकार का विचार उच्च स्तरीय दल द्वारा प्रत्येक सोसायटी द्वारा आगे किराये पर दिए गए कुल क्षेत्र का तत्काल सर्वेक्षण करने हेतु आदेश देने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर अतिरिक्त आबंटित भूमि को वापस लेने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) उन सोसायटियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान नई/अतिरिक्त भूमि आबंटित की गई है जबकि उन्होंने अपनी पहली भूमि के एक भाग को आगे किराये पर दे दिया था और इसका क्या औचित्य है?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन)** : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण और भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा संस्थानिक भूमि का आबंटन, परियोजना रिपोर्ट, मास्टर प्लान मानकों तथा भूमि की वास्तविक उपलब्धता के अनुसार आवेदक सोसायटी की भूमि की मांग को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ग) से (ङ) संस्थानों को निर्मित क्षेत्र का 25% सरकारी विभागों या समान प्रकृति के संगठनों या सेवा संगठनों जैसे बैंक आदि को उप-किराएदारी पर देने की अनुमति दी जाती है ताकि संस्थान अधिक्य स्थान, यदि कोई हो, का उपयोग कुछ प्रयोजनों हेतु कर सकें और साथ ही अपने कार्यों हेतु कुछ धन जुटा सकें। उप-किराएदारी का क्षेत्र केवल निर्मित स्थान का हिस्सा होता है, जिसे संस्थान अपने क्रियाकलापों के विस्तार हेतु भविष्य में स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं।

(च) और (छ) आवंटी संस्थान के अंतर्गत परिसर का सर्वेक्षण आवधिक रूप से किया जाता है। जब कभी भी संस्थानों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्र की उप-किराएदारी का पता चलता है, पट्टा/आबंटन शर्तों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

(ज) ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।

*[हिन्दी]*

## कोल इंडिया लिमिटेड में स्थानान्तरण नीति

**3743. प्रो० रीता वर्मा** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अधीनस्थ इकाइयों के संबंध में स्थानान्तरण नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विशेषकर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानान्तरण अनिवार्य रूप से हर तीसरे वर्ष दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो 15 मार्च, 2003 तक की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों के लिए तत्संबंधी कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विक्रय विभाग में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की कंपनी-वार और श्रेणी-वार संख्या क्या है जो पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात रहे हैं;

(ङ) विक्रय विभाग के उन अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या क्या है जो अपने स्थानान्तरण के एक वर्ष के भीतर अपने पुराने पद पर लौट आए हैं; और

(च) 15 मार्च, 2003 तक की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी कम्पनी-वार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है?

**कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा)** : (क) कोल इंडिया लि. की एक सुपरिभाषित स्थानान्तरण नीति है। इस नीति के अनुसार, एम1 और उसके ऊपर के ग्रेड के जो अधिकारी 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही कम्पनी में कार्य कर रहे हैं और उनकी सेवा-निवृत्ति में 2 वर्षों से अधिक का समय है, वे स्थानान्तरण किए जाने के योग्य हैं। स्थानान्तरण नीति आगे निर्धारित करती है कि बड़े स्तर पर स्थानान्तरणों को टाला जाना चाहिए परन्तु मानदण्ड पूरा करने वाले कम से कम 10% अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। इस स्थानान्तरण नीति को प्रभावकारी रूप से क्रियान्वित करने के लिए, स्टेशन वरीयता के आधार पर प्रत्येक वर्ष 20% अधिकारियों को स्थानान्तरित करने का निर्णय वर्ष 1998 में लिया जा चुका है। उक्त नीति के अनुसार, संवेदनशील शाखाओं में कार्यरत एम1 और उससे ऊपर के अधिकारी विद्यमान कम्पनी में 5 वर्ष पूरे होने पर स्थानान्तरण किए जाने योग्य हैं। यद्यपि, उन्हें संवेदनशील पदों पर 3 वर्ष पूरे होने पर अथवा प्रबंधन के विवेकाधीन उससे पूर्व भी, कम्पनी के भीतर रोटेट किया जा सकता है। संवेदनशील शाखाओं में कार्यरत ई1 से ई5 ग्रेडों के अधिकारियों को 3 वर्ष पूरे होने पर कम्पनी के भीतर रोटेट किया जाएगा। एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी में स्थानान्तरित अधिकारी को उस कम्पनी में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा जिसमें वह 3 वर्षों की अवधि समाप्त होने से पूर्व तैनात था।

(ख) किसी पद को महत्वपूर्ण पद के रूप में घोषित नहीं किया गया है। तथापि, कुछ शाखाओं को संवेदनशील के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और संवेदनशील शाखाओं में ई1 से ई5 ग्रेडों में कार्यरत अधिकारियों को 3 वर्ष पूरे होने पर कम्पनी के भीतर रोटेट किया जा रहा है और एम1 तथा ऊपर के ग्रेडों के अधिकारियों को 5 वर्ष पूरे होने पर विद्यमान कम्पनी से स्थानान्तरित किया जा रहा है।

(ग) संवेदनशील शाखाओं में कार्यरत उन अधिकारियों का ब्यौरा, जिन्हें पिछले 3 वर्षों के दौरान स्थानान्तरित किया जा चुका है, नीचे की तालिका में दिया गया है।

एम1 तथा ऊपर के ग्रेड

| कम्पनी | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० | 5 | 13 | 10 |
| भारत कोकिंग कोल लि० | 9 | 15 | 7 |
| सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० | 9 | 21 | 13 |
| वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० | 13 | 7 | 14 |
| साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० | 11 | 8 | 15 |
| नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० | 9 | 3 | 10 |
| महानदी कोलफील्ड्स लि० | 7 | 3 | 20 |
| सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि. | — | — | 5 |
| क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय | 2 | 2 | 4 |
| कोल इण्डिया लि. (मुख्या.) | 5 | — | 14 |
| कुल | 70 | 72 | 112 |

(घ) विक्रय विभाग में कार्यरत उन अधिकारियों की कम्पनी-वार तथा ग्रेड-वार संख्या, जो 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं, नीचे दी गई है:-

| कम्पनी | एम.2 | एम.1 | ई.5 | ई.4 | ई.3 | ई.2 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कोल इण्डिया लि. (मुख्या.) | 2 | 2 | 4 | — | 1 | 1 | 10 |
| भारत कोकिंग कोल लि० | 2 | 3 | 17 | 2 | 21 | 2 | 47 |
| सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० | 2 | 4 | 33 | 6 | 19 | 2 | 66 |
| महानदी कोलफील्ड्स लि० | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 20 |
| साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० | 1 | 2 | 22 | 3 | 8 | 3 | 39 |
| वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० | 1 | 2 | 32 | 3 | 11 | 5 | 54 |
| नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० | 1 | — | 9 | — | 7 | — | 17 |
| ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० | — | — | 34 | 6 | 14 | — | 54 |
| नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स | — | — | — | — | — | — | 0 |
| कुल | 10 | 14 | 156 | 21 | 90 | 16 | 307 |

(ङ) विक्रय विभाग का कोई भी अधिकारी अपने स्थानान्तरण के एक वर्ष के भीतर अपनी पुरानी स्थिति पर नहीं लौटा है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

## अनुवांशिक पद्धति से तैयार टीके

**3744. श्रीमती मेनका गांधी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत की जनसंख्या के बारे में अनुवांशिक पद्धति से तैयार टीकों के परीक्षण को प्राधिकृत करने वाले समझौते पर कुछ अमेरिकी और डी बी टी प्रयोगशालाओं के मध्य वर्ष 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समझौते से भारत की जनसंख्या के जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी और प्रतिरक्षा रूपरेखा तक पैठ प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सैनिक स्तर पर यह आंकड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(छ) क्या इस समझौते को अमल में लाया गया है; और

(ज) यदि हां, तो ऐसा कौन सी प्रयोगशालाओं द्वारा किया गया है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") :** (क) से (घ) राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान (एन आई आई), जो बायोटेक्नोलॉजी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है, ने 1986-88 के दौरान इन्टरनेशनल कमेटी ऑन कन्ट्रासेप्शन रिसर्च आफ दि पॉपूलेशन काउंसिल, न्यूयार्क, यू एस ए के साथ आपस में लाभकारी सहयोग समझौता किया था। इस सहयोग के भाग के रूप में पॉपूलेशन काउंसिल ने ह्यूमन कोरिओनिक गोनाडोट्रोपिन (एच सी जी) तथा इसके सबयूनिटों की आपूर्ति की थी तथा जी एम पी/जी एल पी प्रक्रियाओं के द्वारा बी एच सी जी के शुद्धिकरण के लिए इन-हाऊस क्षमता को प्राप्त करने के लिए संस्थान की सहायता भी की है। भारत की जनसंख्या के लिए जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी तथा प्रतिरक्षा रूपरेखा तक पहुंच के लिए डी बी टी की किसी भी प्रयोगशाला ने कोई समझौता नहीं किया।

(ङ) से (ज) जी, नहीं। अनुसंधान कार्य राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान में जनन क्षमता नियंत्रण टीके के विकास के लिए किया गया है।

## बच्चों के लिए क्रैच

**3745. श्री भान सिंह भौरा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार समाज के कमजोर वर्गों की कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए क्रैचों की स्थापना करने के लिए वित्तीय और संगठनात्मक दोनों प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने संगठनों और ऐसे कितने केन्द्रों को सहायता प्रदान की गई?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) :** (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

### विवरण

*विगत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त संगठनों एवं केन्द्रों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा*

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2000-2001 | | 2001-2002 | | 2002-2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संगठनों की सं० | शिशु गृहों की सं० | संगठनों की सं० | शिशु गृहों की सं० | संगठनों की सं० | शिशु गृहों की सं० |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 107 | 1611 | 94 | 1845 | 47 | 1740 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | — | 100 | — | 100 | — | 100 |
| 3. | असम | 8 | 249 | 2 | 199 | 9 | 245 |
| 4. | बिहार | — | 210 | 2 | 270 | 1 | 260 |
| 5. | दिल्ली | 4 | 231 | 3 | 229 | 3 | 229 |
| 6. | गोआ | — | 31 | — | 31 | — | 31 |
| 7. | गुजरात | 11 | 884 | 12 | 883 | 2 | 864 |
| 8. | हरियाणा | 15 | 475 | 14 | 468 | 4 | 591 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 2 | 490 | 2 | 490 | — | 480 |
| 10. | जम्मू व कश्मीर | — | 153 | — | 153 | — | 153 |
| 11. | कर्नाटक | 13 | 641 | 9 | 616 | 8 | 636 |
| 12. | केरल | — | 643 | — | 643 | — | 643 |
| 13. | मध्य प्रदेश* | 17 | 1364 | 15 | 1434 | 14 | 1405 |
| 14. | महाराष्ट्र | 39 | 1301 | 24 | 1258 | 13 | 1287 |
| 15. | मणिपुर | 5 | 256 | 2 | 247 | — | 240 |
| 16. | मेघालय | — | 166 | — | 166 | — | 166 |
| 17. | मिजोरम | — | 143 | — | 143 | — | 143 |
| 18. | नागालैण्ड | — | 41 | — | 41 | — | 41 |
| 19. | उड़ीसा | 30 | 716 | 29 | 731 | 2 | 631 |
| 20. | पंजाब | 1 | 155 | 2 | 165 | — | 145 |
| 21. | राजस्थान | 7 | 385 | 5 | 367 | 1 | 350 |
| 22. | सिक्किम | — | 126 | — | 126 | — | 126 |
| 23. | तमिलनाडु | 27 | 1046 | 18 | 1042 | 23 | 1068 |
| 24. | त्रिपुरा | — | 169 | — | 169 | — | 169 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | उत्तर प्रदेश$ | 46 | 894 | 43 | 862 | 33 | 955 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 9 | 779 | 5 | 743 | 14 | 1180 |
| 27. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | — | 88 | — | 88 | — | 88 |
| 28. | चण्डीगढ़ | — | 37 | — | 37 | — | 37 |
| 29. | दादरा व नगर हवेली | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| 30. | दमन व दीव | — | — | — | — | — | — |
| 31. | लक्षद्वीप | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| 32. | पाण्डिचेरी | — | 112 | — | 112 | — | 112 |
| | कुल | 341 | 13515 | 281 | 13677 | 174 | 14154 |

* झारखण्ड सहित।

$ उत्तरांचल सहित।

**पीने हेतु समुद्री जल**

**3746. श्री पी.एस. गढ़वी :**
**श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात के सौराष्ट्र/कच्छ क्षेत्र में समुद्री जल को पीने योग्य बनाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में इस पानी को कब तक पीने हेतु उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) :** (क) से (ग) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है और समस्त योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त प्रदान कर राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार ने खारापन दूर करने के लिए 12 संयंत्रों को अनुमोदित और 11 संयंत्रों को स्थापित किया है।

**उर्वरकों को राजसहायता**

**3747. श्री रमेश चेन्नितला :**
**श्री जे.एस. बराड़ :**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि उर्वरकों के लिए राज सहायता के लाभ किसानों की बजाए कंपनियों को पहुंचते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रणाली तैयार की है कि उर्वरकों संबंधी राजसहायता का लाभ किसानों को मिले;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) :** (क) से (ङ) कृषकों को नियंत्रित उर्वरक 'यूरिया' सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर और नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक व पोटाशिक उर्वरक केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम खुदरा मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट के संकेतात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

चूंकि विभिन्न उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य/संकेतात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य आमतौर पर स्वदेशी उत्पादकों की उत्पादन लागत से कम होते हैं, अत: उर्वरकों के राजसहायता प्राप्त और नियंत्रित मूल्यों के रूप में राजसहायता का लाभ कृषकों को प्राप्त होता है। स्वदेशी उर्वरकों के उत्पादन की लागत तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उर्वरकों के मूल्यों के बीच अंतर मुख्यत: देश में फीडस्टॉक/कच्चे मालों की उच्च लागत के कारण हैं।

*[हिन्दी]*

**प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क कोष**

**3748. श्रीमती जयश्री बैनर्जी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पेट्रोल और डीजल पर उपकर के लिए पुराने केन्द्रीय सड़क कोष से राज्य सरकारों विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य सरकार को कितनी धनराशि आबंटित/जारी की है;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा अब तक उपर्युक्त धनराशि खर्च कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को उपयोग प्रमाणपत्र और शेष धनराशि जारी करने हेतु मांगपत्र भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस राज्य को शेष धनराशि के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू)** : (क) से (ग) वर्तमान समय में हाई स्पीड डीजल पर उपकर के 50 प्रतिशत हिस्से से पी एम जी एस वाई का वित्त पोषण किया जाता है। वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान रिलीज की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निधियों एवं मध्य प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा फरवरी, 2003 तक खर्च की गई राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 में रिलीज की गई निधियों में से किए गए व्यय का उपयोग प्रमाण-पत्र भेजा है।

(च) जब राज्य सरकार योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रगति प्राप्त कर लेगी तो फरवरी, 2003 में स्वीकृत किए गए 2003-04 के सड़क कार्यों के लिए शेष निधियां जारी कर दी जाएंगी।

**विवरण**

*पी एम जी एस वाई के अंतर्गत वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान रिलीज एवं खर्च की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा*

(रुपये करोड़ में)

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | जारी की गई राशि | | | फरवरी, 2003 तक खर्च की गई राशि | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2000-01 | 2001-02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **आंध्र प्रदेश** | 195.00 | 224.65 | 219.29 | 244.62 | 189.91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 40.95 | 45.00 | 41.51 | 40.95 | 40.18 |
| 3. | असम | 75.00 | 80.00 | 74.92 | 69.47 | 95.14 |
| 4. | बिहार | 149.90 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 92.41 | 98.62 | 159.60 | 80.41 | 115.02 |
| 6. | गोवा | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 7. | गुजरात | 59.81 | 60.00 | 51.70 | 52.24 | 58.50 |
| 8. | हरियाणा | 25.18 | 30.00 | 44.75 | 20.96 | 10.80 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 60.00 | 72.09 | 104.57 | 59.31 | 49.39 |
| 10. | जम्मू व कश्मीर | 20.00 | 0.00 | 35.00 | 10.73 | 4.64 |
| 11. | झारखंड | 110.05 | 120.00 | 0.00 | 99.00 | 39.38 |
| 12. | कर्नाटक | 100.57 | 108.37 | 97.74 | 97.33 | 51.98 |
| 13. | केरल | 19.71 | 27.65 | 11.43 | 14.40 | 17.30 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 217.64 | 248.00 | 450.39 | 141.39 | 260.20 |
| 15. | महाराष्ट्र | 130.21 | 134.50 | 114.58 | 126.25 | 44.00 |
| 16. | मणिपुर | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 31.33 | 0.00 |
| 17. | मेघालय | 34.95 | 45.72 | 35.00 | 34.95 | 21.78 |
| 18. | मिजोरम | 19.93 | 26.53 | 50.88 | 19.93 | 36.34 |
| 19. | नागालैंड | 19.75 | 25.53 | 22.23 | 19.09 | 21.39 |
| 20. | उड़ीसा | 179.70 | 175.00 | 107.09 | 137.56 | 152.22 |
| 21. | पंजाब | 24.66 | 55.00 | 20.39 | 22.09 | 46.98 |
| 22. | राजस्थान | 140.09 | 150.00 | 241.74 | 94.82 | 176.15 |
| 23. | सिक्किम | 13.16 | 20.00 | 17.81 | 13.16 | 13.70 |
| 24. | तमिलनाडु | 99.25 | 88.57 | 80.32 | 137.02 | 53.88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | त्रिपुरा | 24.75 | 26.85 | 25.00 | 24.76 | 0.00 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 321.11 | 348.11 | 240.54 | 319.09 | 241.27 |
| 27. | उत्तरांचल | 60.63 | 70.00 | 0.00 | 41.90 | 13.35 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 135.00 | 149.65 | 159.52 | 99.61 | 42.82 |
| | कुल (राज्य) | 2414.41 | 2474.84 | 2469.00 | 2107.37 | 1796.32 |
| | **संघ राज्य क्षेत्र** | | | | | |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 30. | दादरा व नगर हवेली | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 31. | दमन व दीव | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | दिल्ली | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | लक्षद्वीप | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34. | पांडिचेरी | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 0.00 |
| | योग (संघ राज्य क्षेत्र) | 20.59 | 14.89 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
| | कुल योग | 2435.00 | 2489.73 | 2469.00 | 2110.67 | 1796.32 |

**दंड प्रक्रिया में संशोधन**

**3749. श्री महेश्वर सिंह** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज नेताओं के विरुद्ध मामलों की सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर करने हेतु विशेष अदालतों की व्यवस्था करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी)** : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

*[अनुवाद]*

**केरल में इंजीनियरिंग कालेज**

**3750. श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में वयानाड और इदुक्की में सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों को ए.आई.सी.टी.ई. की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उपर्युक्त कालेजों को ए आई सी टी ई की मंजूरी देने की व्यवहार्यता की जांच करने हेतु समिति गठित की है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त समिति की रिपोर्ट क्या है और इस पर ए आई सी टी ई द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो नई तकनीकी संस्थाएं खोलने के लिये अनुमोदन प्रदान करने वाली अधिकार प्राप्त एक सांविधिक निकाय है, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केरल राज्य में वयानाड और इदुक्की में स्थित राजकीय इंजीनियरी कालेजों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन लिये बिना ही ने क्रमश: वर्ष 1999 तथा 2000 में कार्य करना शुरू कर दिया था। यद्यपि शैक्षिक वर्ष 1999-2000 के लिए इन संस्थाओं की स्थापना हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा आशय पत्र जारी किये गये थे जिनकी वैधता अवधि वर्ष 2001-2002 के लिए पुन: नवीकृत की गई थी लेकिन अनुमोदन हेतु प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए निर्धारित तारीख से पहले संस्थानों द्वारा कोई ब्यौरे नहीं भेजे गए थे। इन कालेजों द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अपीलीय समिति ने 26 फरवरी, 2003 को आयोजित अपनी बैठक में आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये और समय देने की सिफारिश की।

## सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का आबंटन

3751. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी :**
**श्री राजो सिंह :**
**श्री सनत कुमार मंडल :**
**श्री गंता श्रीनिवास राव :**
**श्री गुनीपाटी रामैया :**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रभावित राज्यों को अब तक सूखा राहत के रूप में राज्य-वार कितनी मात्रा में खाद्यान्न दिया गया;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य जारी रखने के लिए और अधिक धनराशि/चावल जारी करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न के आबंटन हेतु नियमों में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू)** : (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम (एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) के अंतर्गत 2000-2001, 2001-2002 तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) के विशेष घटक के अंतर्गत 2002-2003 के दौरान आपदा प्रभावित राज्यों को सूखा राहत के रूप में उपलब्ध किए गए खाद्यान्नों की मात्रा संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (घ) आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से एस जी आर वाई के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों तथा खाद्यान्नों की रिलीज के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। एस जी आर वाई के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को दी गई अतिरिक्त सहायता संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) और (च) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू करने के लिए एस जी आर वाई के विशेष घटक के अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए उप-प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने सूखा प्रभावित प्रत्येक राज्य के लिए मासिक जरूरत को निर्धारित किया है। कार्यदल के अनुमोदन के बाद इसी के अनुसार रिलीज की जाती हैं।

**विवरण-I**

(मात्रा मीट्रिक टन में)

| क्रम सं. | राज्य | काम के बदले अनाज कार्यक्रम | | विशेष घटक |
|---|---|---|---|---|
| | | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0 | 1650000 | 2000000 |
| 2. | बिहार | 0 | 100000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | छत्तीसगढ़ | 207000 | 419007 | 329116 |
| 4. | गुजरात | 90000 | 58105 | 148000 |
| 5. | हरियाणा | | | 25000 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 11549 | 0 | 10000 |
| 7. | झारखंड | | | 40000 |
| 8. | कर्नाटक | 0 | 100000 | 530000 |
| 9. | केरल | 0 | 5000 | 52000 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 63079 | 188665 | 417500 |
| 11. | महाराष्ट्र | 10000 | 140000 | 115800 |
| 12. | उड़ीसा | 100000 | 150000 | 400000 |
| 13. | राजस्थान | 118145 | 621360 | 1898420 |
| 14. | तमिलनाडु | | | 125000 |
| 15. | उत्तर प्रदेश | | | 200000 |
| 16. | उत्तरांचल | | | 50000 |
| | कुल | 599773 | 3432137 | 6340836 |

**विवरण–II**

(लाख रु. में) (टन में)

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम | नगद घटक | | खाद्यान्न घटक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 5% तक | अतिरिक्त रिलीज | 5% तक | अतिरिक्त रिलीज |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1540.00 | 3862.85 | 0 | 48525 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 73.14 | 0 | 939 |
| 3. | असम | 0.00 | 258.53 | 0 | 3629 |
| 4. | बिहार | 0.00 | 375.26 | 0 | 0 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 1120.00 | 1640.22 | 9504 | 20754 |
| 6. | गोवा | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7. | गुजरात | 0.00 | 469.34 | 0 | 6016 |
| 8. | हरियाणा | 1309.14 | 10.99 | 14664 | 142 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 140.00 | 170.86 | 0 | 2168 |
| 10. | जम्मू व कश्मीर | 0.00 | 137.52 | 0 | 1742 |
| 11. | झारखंड | 0.00 | 247.32 | 0 | 3129 |
| 12. | कर्नाटक | 1680.00 | 1665.79 | 14688 | 81103 |
| 13. | केरल | 0.00 | 1367.69 | 25000 | 17274 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 1890.00 | 3458.40 | 19759 | 43949 |
| 15. | महाराष्ट्र | 0.00 | 1723.65 | 0 | 64893 |
| 16. | मणिपुर | 0.00 | 0.00 | 0 | 526 |
| 17. | मेघालय | 0.00 | 305.03 | 0 | 4286 |
| 18. | मिजोरम | 0.00 | 114.13 | 0 | 1537 |
| 19. | नागालैंड | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20. | उड़ीसा | 2100.00 | 3953.33 | 17820 | 50022 |
| 21. | पंजाब | 0.00 | 387.88 | 0 | 4932 |
| 22. | राजस्थान | 2240.00 | 1954.17 | 25088 | 24738 |
| 23. | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 1330.00 | 3288.04 | 11286 | 41607 |
| 25. | त्रिपुरा | 0.00 | 776.60 | 0 | 10900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. | उत्तरांचल | 139.67 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 420.00 | 2711.46 | 0 | 34386 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30. | दादरा व नगर हवेली | 0.00 | 0 00 | 0 | 0 |
| 31. | दमन व दीव | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 32. | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 33. | पांडिचेरी | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| | अखिल भारत | 13908.81 | 28952.20 | 137809 | 467197 |

*[हिन्दी]*

**प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पंचायत मुख्यालयों का जोड़ा जाना**

**3752. श्रीमती रमा पायलट :**
**श्रीमती हेमा गमांग :**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के साथ पंचायत मुख्यालयों को उनकी आबादी का ध्यान किए बिना जोड़ने हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने 253 पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने के उद्देश्य से जुलाई, 2002 में 154 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू)** : (क) और (ख) पी.एम.जी.एस.वाई. दिशा-निर्देश में यह निर्धारित है कि जनसंख्या आकार पर ध्यान न देते हुए ग्राम पंचायत मुख्यालयों को नई सड़क संपर्क मुहैया कराई जा सकती है।

(ग) और (घ) जी, हां। राजस्थान से संबधित 680 करोड़ रु. के परियोजना प्रस्ताव, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 173 संपर्क विहीन पंचायत मुख्यालयों को सड़क संपर्क मुहैया कराना शामिल है, को फरवरी/मार्च, 2003 के चरण-III (2003-04) के तहत स्वीकृत किया गया है।

*[अनुवाद]*

**अंडमान-निकोबार को राज्य का दर्जा देना**

**3753. श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए राज्य का दर्जा देने और विधान सभा के गठन हेतु कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक)** : (क) से (ग) सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को राज्य का दर्जा देने के बारे में हाल में कोई विशिष्ट ज्ञापन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

*[हिन्दी]*

**बम विस्फोट संबंधी अनुसंधान**

**3754. श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 2000 के दौरान देश में बम विस्फोटों के बारे में अनुसंधान करने के लिए विशेष केन्द्रों की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या देश में सुरक्षा एजेन्सियां इस संबंध में अन्य देशों के साथ तकनीकी जानकारी का आदान-प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो अन्य देशों में ऐसे केन्द्रों से इस मामले में किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक)** : (क) राष्ट्रीय सुरक्षा गारद में राष्ट्रीय बम डाटा केन्द्र का गठन किया गया है और यह संबंधित राज्यों के अनुरोध पर देश के भीतर विभिन्न बम विस्फोटों को कवर करता है।

(ख) उपर्युक्त केन्द्र द्वारा कवर किए गए विस्फोटों पर, विस्फोट के बाद की जांच-पड़ताल रिपोर्टें संबंधित राज्यों को उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) और (घ) यह केन्द्र वार्षिक सेमीनार आयोजित करता है जिसमें अन्य एजेंसियों और विदेश से प्रतिनिधि आमंत्रित किये जाते हैं।

*[अनुवाद]*

## मुम्बई में बम विस्फोट

3755. **श्री दलपत सिंह परस्ते :**
**श्री किरीट सोमैया :**

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुम्बई में घाटकोपर, मुम्बई सेन्ट्रल विले पार्ले आदि में हाल ही में हुए कई बम विस्फोटों में विदेशी शक्तियों का हाथ होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुम्बई पुलिस और केन्द्र की विभिन्न एजेंसियों को इसमें विदेशी एजेंसियों के सहयोग और उनके शामिल होने का संदेह है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसका वर्ष 1992-93 में हुए बम विस्फोटों से भी संबंध होने का संदेह है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार स्तर की गुप्तचर एजेंसियां मुम्बई पुलिस के सम्पर्क में हैं; और

(छ) यदि हां, तो अब तक प्राप्त निष्कर्षों की स्थिति क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक)** : (क) से (ग) अभी तक की गई जांच-पड़ताल से पता चला है कि घाटकोपर बम विस्फोट मामले में, गिरफ्तार किए गए 6 अभियुक्तों सहित लश्कर-ए-तैयब्बा के आतंकवादी अब्बू हमजा, का हाथ है। 29.3.2003 को, मुलन्द के नजदीक ट्रेन बम विस्फोट से जुड़े, लश्कर-ए-तैयब्बा के तीन आतंकवादी जोगेश्वरी में हुई परस्पर गोलीबारी में मुम्बई पुलिस द्वारा मार गिराए गए।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) केन्द्र सरकार की आसूचना एजेन्सियां, इन मामलों की जांच-पड़ताल में मुम्बई पुलिस के साथ गहन सम्पर्क में रही है और उन्होंने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है।

(छ) इस आशय के स्पष्टसंकेत हैं कि पाक समर्थित ग्रुप जैसे एल.ई.टी., भारत में विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी कार्रवाईयों को अंजाम देने के प्रयास में सक्रिय रूप से संलिप्त हैं।

*[हिन्दी]*

## नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के सेवानिवृत्त अधिकारियों का पुनः नियोजन

3756. **डा. बलिराम** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के विभिन्न कार्यालयों और मुख्यालय में सेवा-निवृत्त होने के बाद भी अधिसंख्य अधिकारी कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक)** : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परिषद द्वारा उनके संबंधित क्षेत्रों में सलाहकार/परामर्शदाता अथवा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया है अथवा उन्हें चालू कम्प्यूटराइजेशन कार्यक्रम को पूरा करने का कार्य सौंपा गया है।

(ग) से (ङ) परिषद द्वारा इन अधिकारियों की सेवाएं विशेष कार्यों के लिए ली जा रही है जिनके पूरा हो जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

**विशेषज्ञता प्रशिक्षण**

3757. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :**
**डा. मन्दा जगन्नाथ :**
**डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :**

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की एक इकाई को रसायन, परमाणु और जैविक युद्ध शस्त्रों के जनहानि वाले हथियारों से निपटने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इजरायल, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि भेजे जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रशिक्षणार्थियों के खर्च को पूरा करने के उद्देश्य से कितना आबंटन किया गया है; और

(घ) विदेश में प्रशिक्षण के लिए सैनिकों के चयन हेतु दिशानिर्देश क्या हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी)** : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय विशेष आंकड़े संरचना कार्यबल**

3758. **श्री बिक्रम केशरी देव** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय विशेष आंकड़े संरचना कार्यबल का आशय हमारे उपप्रायद्वीप को आर्थिक गतिविधियों, कृषि वानिकी, भूमि और जल प्रबंधन, संरचनागत विकास, शहरी आपदा प्रबंधन योजना और पर्यावरण में पग्विर्तन संबंधी विस्तृत नक्शों और आंकड़ों की सुविधा प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने यातायात नौपरिवहन और समुद्री मार्ग खोज प्रणाली विकसित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपरोक्त प्रणाली को देश के प्रत्येक जिले में प्रारम्भ किये जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा")** : (क) और (ख) एन.एस.डी.आई. कार्यबल राष्ट्रीय स्पेशियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण संबंधी गतिविधियां कर रहा है जिससे कृषि, वानिकी, भूमि एवं जल प्रबंधन, अवसंरचना विकास, शहरी योजना, आपदा प्रबंधन तथा हमारे उपमहाद्वीप पर जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों में विभिन्न प्रयोक्ता अनुप्रयोगों के लिए स्पेशियल डाटा तक पहुंच सक्षम हो सकेगी। एन.एस.डी.आई. स्वयं डाटा का निर्माण नहीं करेगा परन्तु डाटा प्रसंस्करण एजेंसियों के लिए एक सहायक ढांचा प्रदान करेगा ताकि उनकी डाटा परिसम्पत्तियां राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बन सकें और एक केन्द्रीय पहुंच प्रणाली के माध्यम से प्रयोक्ता समुदाय को उपलब्ध हो सकें।

(ग) से (च) भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एस.ओ.आई.) ने विद्यमान मार्ग-निर्देशन तथा ट्रेकिंग प्रणालियों द्वारा प्रयोग के लिए डिजीटल डाटा उपलब्ध कराया है जोकि बाजार में उपलब्ध है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग को भौगोलिक डाटा/सूचना उपलब्धकर्त्ता बनाया गया है, जिनका भिन-भिन अनुप्रयोगों, जिसमें वाहन मार्ग निर्देशन तथा ट्रैकिंग प्रणालियां शामिल हैं, के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि ऐसी प्रणालियों के विकासकर्त्ता जिला स्तर पर डाटा चाहते हैं तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग इन आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में है।

*[हिन्दी]*

**ऐतिहासिक इमारतें आतंकवादियों का लक्ष्य**

3759. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य आसूचना द्वारा सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आतंकवादियों ने ऐतिहासिक इमारतों को अपना लक्ष्य बना रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की इमारतों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) :** (क) से (ग) कुछेक ऐतिहासिक इमारतों को आतंकवादियों से खतरे की रिपोर्टों के पश्चात, वहां पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है।

**कोयला खदानों में खनन कार्य**

3760. **श्री रामजीलाल सुमन :**
**श्री नवल किशोर राय :**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की उन कोयला खदानों की पहचान कर ली है जहां अभी तक भी कोल इण्डिया लिमिटेड ने खनन कार्य प्रारम्भ नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे खनन क्षेत्रों और जिन राज्यों में वे स्थित हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कोयला क्षेत्रों के कोयला भंडारों की अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(घ) इन कोयला क्षेत्रों में खनन कार्य प्रारम्भ करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई हैं?

**कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा)** : (क) 2006-07 के कोयला-उत्पादन स्तर को अगले 30 वर्षों तक बनाए रखने के लिए, कोल इंडिया लि. तथा इसकी अनुषंगियों द्वारा, अपने पास रखने के लिए 275 ब्लाकों की पहचान की गयी है। इनमें से 13 ब्लाकों में नवीं योजना के अन्त तक खनन कार्य शुरू हो गया है।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि. द्वारा अपने पास रखे गए ब्लाकों का राज्यवार वितरण नीचे दिया गया है :-

| राज्य | कोलफील्ड | कोल इंडिया द्वारा अपने पास रखे गए ब्लाक | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | आरक्षित (बि.ट.) |
| पश्चिम बंगाल | रानीगंज | 20 | 6.49 |
| झारखंड | राजमहल, रानीगंज, साहरजुरी, पूर्वी एण्ड पश्चिमी बोकारो, उत्तरी एण्ड दक्षिणी करणपुर, हुतार, डाल्टनगंज, झरिया, रामगढ़ | 101 | 11.52 |
| मध्य प्रदेश | जोहिल्ला, पाथेरखेड़ा, पेंच कान्हन, सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया | 32 | 2.62 |
| छत्तीसगढ़ | बिसरामपुर, झिलमिली, कोरबा, लखनपुर, मण्ड रायगढ़, रामकोला-तातापानी, सोनहट, सिन्दुरगढ़ | 43 | 6.51 |
| महाराष्ट्र | कांपटी, उमरेर-बान्देर, वर्धा घाटी | 58 | 3.32 |
| उड़ीसा | तलचर, ईब-घाटी | 21 | 7.86 |
| | कुल | 275 | 38.32 |

(घ) परियोजना रिपोर्ट/योजनाओं के प्रतिपादन तथा अनुमोदन के पश्चात 13 ब्लाकों में खनन कार्य नौवीं योजनावधि के दौरान शुरू हो गया है। क्रमश: दसवीं तथा ग्यारहवीं योजना के दौरान अतिरिक्त 52 तथा 57 ब्लाकों में खनन प्रचालन शुरू करने का कार्यक्रम बनाया गया है। शेष ब्लाकों में खनन प्रचालन ग्यारहवीं योजना के पश्चात शुरू होगा।

*[अनुवाद]*

**माध्यमिक शिक्षा**

3761. **श्री विष्णु पद राय** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 10.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3144 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 10.12.2002 के अतारांकित प्रश्न सं. 3144 के संदर्भ में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

**विवरण**

*लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3144 दिनांक 10.12.2002 के संदर्भ में सूचना के ब्यौरे निम्नवत है*

| प्रश्न सं. और दिनांक | विषय | उत्तर |
|---|---|---|
| अतारांकित प्रश्न संख्या 3144, दिनांक 10.12.2002 | **"माध्यमिक शिक्षा"** पूछते हुए कि : (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंडमान और निकोबार का शिक्षा विभाग जिस माध्यमिक शिक्षा योजना का कार्यान्वयन कर रहा है उसके अंतर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 40 कक्षों, 3 शौचालयों का निर्माण, 5 क्रीड़ा स्थलों का विकास 5 विद्यालय भवनों और 1 तार वाड का निर्माण किया जाना है; (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; | (क) और (ख) : जी, हां। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का शिक्षा विभाग "माध्यमिक शिक्षा" जैसी योजनागत कार्यान्वित कर रहा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस विभाग का 200 शिक्षण कक्षों का निर्माण, 30 शौचालय ब्लाकों का निर्माण, 25 खेलने के मैदान का विकास, 25 स्कूल भवनों का पुन: नवीनीकरण, 5 तारवाड/मैदान की दीवारों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त इस विभाग का 3 हाल, विज्ञान के 3 ब्लाक, 3 प्रशासनिक ब्लाक और 3 छात्रावासों को निर्मित करने का प्रस्ताव है। |
| | (ग) वर्ष 2002-2003 की वार्षिक योजना के दौरान स्थानवार कितने कक्षों, शौचालय ब्लाकों, क्रीड़ा स्थल और विद्यालय भवनों का पुनरुद्धार किये जाने का प्रस्ताव है और अक्तूबर 2002 तक कितनों का पहले ही निर्माण कर लिया गया है; (घ) कक्षों का निर्माण किन-किन विद्यालयों और स्थानों पर किए जाने की संभावना है; और | (ग) और (घ) अंडमान और निकोबार प्रशासन का वार्षिक योजना 2002-2003 के दौरान निम्नलिखित नए निमार्ण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है:-<br>1. 50 शिक्षण कक्षों का निर्माण<br>2. शौचालय ब्लाकों का निर्माण<br>3. 8 स्कूल भवनों का पुन: नवीनीकरण<br>4. 3 खेल मैदानों का विकास<br>चालू वित्त वर्ष 2002-03 के शुरू होने से पूर्व संस्वीकृत 12 शिक्षण कक्ष पहले ही तैयार हो गए हैं। उनका स्थानवार ब्यौरा संलग्नक में दिया गया है। |
| | (ङ) वर्ष 2002-2003 के दौरान कहां-कहां क्रीड़ा स्थल नियमित किए जाएंगे? | (ङ) अंडमान और निकोबार प्रशासन जिन स्थानों पर वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान खेलने के मैदान विकसित करने का प्रस्ताव कर रहा है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:<br>1. वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, तुसनाबाद, दक्षिण अंडमान<br>2. वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बाथूनस्ती, दक्षिण अंडमान<br>3. वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चेम्पिन, निकोबार जिला |

**संलग्नक**

*वर्ष 2002-03 के दौरान प्रस्तावित नए कार्य*
*(स्थानवार और स्कूलवार)*

**पोर्ट ब्लेयर शहरी**

माध्यमिक स्कूल साउथ पाइन्ट पर 4 शिक्षण कक्षों का निर्माण

स्कूल लाईन में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भवन का पुन: नवीनीकरण

वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल माडल में 1 कॉमन हाल का निर्माण

**पोर्ट ब्लेयर ग्रामीण**

वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल गाराचर्मा (नए ब्लॉक) में 4 शिक्षण कक्षों और 1 शौचालय का निर्माण

वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बाथू बस्ती में 4 शिक्षण कक्षों का निर्माण

वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बाथूबस्ती में खेलने के मैदान का विकास

**फेररगंज ब्लाक**

वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल विम्बेरली गंज में 4 शिक्षण कक्षों का निर्माण

वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल तुसनाबाद में 2 शिक्षण कक्षाओं का निर्माण

वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल तुसनाबाद में खेलने के मैदान का विकास

**रंगत ब्लाक**

वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बकूलतला में 4 शिक्षण कक्षों का निर्माण

माध्यमिक स्कूल उत्तरा में 2 शिक्षण कक्ष, 1 शौचालय, 1 विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण

वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रंगत में 4 शिक्षण कक्षों का निर्माण

सी एफ ओ नल्लाहा में माध्यमिक स्कूल भवन का पुन: नवीनीकरण

निम्बूताला में 1 शौचालय ब्लॉक का निर्माण

**मायाबुंदेक ब्लाक**

चेनपुर में माध्यमिक स्कूल भवन का पुन: नवीनीकरण (1/प्राथमिक माध्यमिक निर्माण)

वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मायाबुन्देर में 4 शिक्षण कक्षों का निर्माण

पहलगांव में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भवन का पुन: नवीनीकरण

माध्यमिक स्कूल गोविन्दपुर में 4 शिक्षण कक्ष का निर्माण

**दिगलीपुर ब्लाक**

केरलापुरम में माध्यमिक स्कूल भवन का पुन: नवीनीकरण

किशोरी नगर में माध्यमिक स्कूल भवन का पुन: नवीनीकरण (एक शौचालय ब्लाक और निकासी सुविधाओं का निर्माण)

रामनगर में 1 शौचालय ब्लाक का निर्माण

कालीघाट के छात्राओं के छात्रावास के चारों तरफ एस/टी दीवार का निर्माण

माध्यमिक स्कूल लक्ष्मीपुर में 1 शौचालय ब्लाक का निर्माण

**अंडमान जिले में अन्य द्वीपसमूह**

हटवेय में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भवन का पुन: नवीनीकरण

माध्यमिक स्कूल वी.के. पुर में 4 शिक्षण कक्षों का निर्माण कार्य

**कार निकोबार ब्लाक**

वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मालक्का में ० शिक्षण कक्ष का निर्माण

निकोबार द्वीप में अन्य द्वीपसमूह

माध्यमिक स्कूल डब्ल्यू बी कटचल में 2 शिक्षण कक्षा का निर्माण

वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चैम्पियन में खेलने के मैदान का विकास

पिलपिल्लो में माध्यमिक स्कूल भवन का पुन: नवीनीकरण

**चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरे किए गए कार्य का ब्यौरा**

वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रंगत में 8 शिक्षण कक्षों का निर्माण

वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल विजय नगर (99-00) में 4 शिक्षण कक्षों का निर्माण

## भारतीय खान ब्यूरो द्वारा राजस्व सृजन

**3762. श्री वीरेन्द्र कुमार** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रत्येक वर्ष में स्रोतवार कितनी राशि का राजस्व सृजित किया गया है;

(ख) क्या भारतीय खान ब्यूरो द्वारा 2003-2004 के दौरान राजस्व सृजन हेतु अधिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस)** : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) द्वारा प्रत्येक वर्ष में स्रोतवार सृजित राजस्व की राशि निम्नानुसार है:-

(रु. में)

| क्रम सं. | प्रभाग/क्रियाकलाप | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002 2003 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | खनिज सज्जीकरण | 51,37,551 | 42,01,378 | 39,57,019 |
| 2. | तकनीकी परामर्श | 7,05,208 | 14,26,044 | 19,29,192 |
| 3. | खनन अनुसंधान | 20,53,471 | 21,02,650 | 22,21,816 |
| 4. | प्रशिक्षण | 1,64,000 | 5,42,000 | 4,80,000 |
| 5. | प्रकाशनों की बिक्री | 5,12,459 | 4,37,765 | 5,13,506 |
| 6. | खान नियंत्रण तथा खनिज संरक्षण प्रभाग (कम्पाउंडिंग शुल्क/दण्ड, रिपोर्टों/खनिज मानचित्रों की बिक्री, खनन योजनाओं/ खनन स्कीम की प्रॉसेसिंग | 3,53,700 | 2,48,000 | 17,26,850 |
| 7. | खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग (डाटा/खनिज सूची की बिक्री) | 99,393 | 5,95,059 | 2,27,600 |
| 8. | खान और खनिज सांख्यिकी प्रभाग (डाटा की बिक्री) | 42,000 | 2,250 | 64,232 |
| | कुल | 90,68,328 | 95,55,146 | 1,11,20,215 |

(ख) आई.बी.एम. सलाहकार बोर्ड की दिनांक 4 सितम्बर, 2002 को हुई 13वीं बैठक के दौरान आई.बी.एम. के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित न करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि यह नियामक कार्य कर रहा है। अत: वर्ष 2003-04 के लिए राजस्व सृजन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## चूने के आरक्षित भण्डार क्षेत्र

**3763. श्री के.पी. सिंह देव** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में चूने के आरक्षित भण्डार क्षेत्रों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन क्षेत्रों में चूने का कुल कितना भण्डार है; और

(ग) उन क्षेत्रों में चूने के उचित दोहन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस)** : (क) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित चमना-पत्थर क्षेत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :-

**राजस्थान**

| जिला | एस एम एस ग्रेड चूना पत्थर के लिए आरक्षित क्षेत्र | क्षेत्र वर्ग कि.मी. में |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| नागौर | (क) सोना-सवाई-हीरा ब्लॉक | 26.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | (ख) माधोपुर ब्लॉक | 10.00 |
| जैसलमेर | (क) सिवारा-डुंगर (साहू ब्लॉक) | 60.00 |
| | (ख) खुइयाला (हबीर ब्लॉक) | 10.00 |
| | कुल | 106.00 |

**मध्य प्रदेश**

| जिला | आरक्षित |
|---|---|
| सतना | 22 गांव |
| मंदसौर | 3 गांव |
| जबलपुर/कटनी | 1 गांव |

(ख) इन क्षेत्रों में कुल चूना पत्थर भण्डार अलग से उपलब्ध नहीं है। तथापि, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार कुल (प्रमाणित, संभाव्य और संभावित) चूना-पत्थर भण्डार क्रमश: 18829.49 मिलियन टन और 6267.10 मिलियन टन है।

(ग) चूना पत्थर के लिए खनिज रियायतों की मंजूरी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 18 के प्रावधानों के अंतर्गत दी जाती है। केन्द्र सरकार ने खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास के लिए खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 को अधिसूचित किया है। इसमें इन नियमावलियों के उल्लंघन के लिए उपयुक्त दण्डों का प्रावधान किया गया है।

**वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना**

**3764. श्री भर्तृहरि महताब : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ग्रामीण निर्धनों के लिए लागू की जा रही इंदिरा आवास योजना की भांति वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना को भी पूर्णतया राजसहायता प्राप्त योजना में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खपत तथा आय-पैटर्न, आबादी, भूमि की उपलब्धता, धनराशि का नियतन इत्यादि जैसे विभिन्न कई कारकों की मौजूदगी को देखते हुए ग्रामीण तथा शहरी कार्यक्रमों का एक समान तरीके से कार्यान्वयन व्यवहार्य नहीं हो सकता है।

**विश्वविद्यालय का स्वायत्तशासी महाविद्यालयों में रूपांतरण**

**3765. श्री सुबोध मोहिते : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 13,000 महाविद्यालयों को स्वायत्तशासी महाविद्यालयों में रूपांतरित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दसवीं योजना अवधि के दौरान 500 कालेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव है। कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से यह स्कीम तैयार की गई है ताकि उन्हें अपनी पाठ्यचर्या को आधुनिक बनाने, नवाचारी शिक्षण कार्यनीतियां तैयार करने तथा अपनी प्रमाणिक मूल्यांकन कार्यविधियां डिजाइन करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जा सके।

**लंबित आपराधिक मामले**

**3766. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शुरू में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज किए गए एवं तत्पश्चात् पूर्वी जिला पुलिस रेंज में स्थानांतरित एवं दर्ज किए गए महिलाओं के नैतिक चरित्र हनन से

संबंधित आपराधिक मामलों का माननीय संसद सदस्य द्वारा दिए गए अनेक अभ्यावेदनों के बावजूद समाधान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष से लंबित पड़े ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे मामलों का समाधान न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे मामलों का समाधान करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक)** : (क) से (घ) अपराध शाखा को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि दो व्यक्ति जो उस महिला के सहयोगी थे जिसे दिल्ली पुलिस ने अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के तहत गिरफ्तार किया था तथा यह कि ये व्यक्ति शिकायतकर्त्ता को परेशान कर रहे थे क्योंकि वह उनकी अवैध गतिविधियों के बारे में जानती थी। शिकायत की प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि शिकायतकर्त्ता का इन व्यक्तियों के साथ वित्तीय लेन-देन के कारण विवाद था। तथापि, शक्करपुर थाने में एक मामला दर्ज कराया गया है तथा उसकी जांच चल रही है।

## गैर-सरकारी संगठन

3767. **चौ. तालिब हुसैन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा देश में चलाये जा रहे शैक्षिक संस्थानों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर जम्मू और कश्मीर द्वारा वर्षवार प्राप्त धनराशि/सहायता अनुदान की राशि कितनी है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को इन गैर-सरकारी संस्थानों के विरुद्ध धनराशि सहायता अनुदान का दुरुपयोग किये जाने संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या उपाय किए गये हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) से (ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय शैक्षिक संस्थाओं के संचालन संबंधी विभिन्न योजनाओं के तहत देशभर जिसमें जम्मू व कश्मीर राज्य भी शामिल है, के विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एक लाख तथा इससे अधिक राशि वाले ऐसे अनुदानों का विवरण; प्रतिवर्ष सामान्यत: मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में दिया जाता है। संस्वीकृति पश्चात् मानीटरन तथा समीक्षा हेतु सामान्यत: योजनाओं में व्यवस्था की गई है। आबंटित निधियों के समुचित उपयोग के सुनिश्चियन के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा आवधिक दौरे किए जाते हैं। ऐसे संगठनों द्वारा निधियों का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में यदि खास शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो मामले की जांच की जाती है तथा आरोप सही पाए जाने पर गैर-सरकारी संगठन के खिलाफ कार्रवाई की जातो है, जिसमें आगे का अनुदान बंद करना/गैर-सरकारी संगठनों का नाम काली सूची में डाल देना जैसी कार्रवाई होती हैं।

## सीमा सुरक्षा बल कर्मियों को पेंशन

3768. **डा. जसवंतसिंह यादव :**
**श्री सुरेश रामराव जाधव :**

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त/सेवा से त्यागपत्र देने वाले कर्मियों को पेंशन/परिवार पेंशन दिये जाने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन सभी सुरक्षा बल कर्मिकों की पेंशन/परिवार पेंशन रोक दी है जिन्होंने अपनी सेवा के 20 वर्ष पूर्ण नहीं किये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कब से यह आदेश लागू किया जाएगा;

(घ) क्या इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने भी एक आदेश दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस समय से उच्च न्यायालय के आदेश लागू किये गये हैं;

(च) क्या यह आदेश उन सेवानिवृत्त कर्मियों को भी प्रभावित करेगा जिन्होंने इस आदेश की घोषणा से पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी;

(छ) क्या सरकार का विचार सीमा सुरक्षा बल के उन सेवानिवृत्त कर्मियों को कुछ राहत देने का है जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय राष्ट्र सेवा में बिताया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक)** : (क) सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों को पेंशन/परिवार पेंशन सी.सी.एस. (पेंशन) नियम-1972 के तहत प्रदान की जाती है। उन कार्मिकों के लिए पेंशन स्वीकार नहीं की जाती है जो सेवा से त्याग पत्र देते हैं क्सोंकि सी.सी.एस. (पेंशन) नियम-1972 के नियम-26 के तहत सेवा या पद से त्यागपत्र देने पर पिछली सेवा का समपहरण हो जाता है।

(ख) और (ग) सरकार ने उन सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों की पेंशन बंद कर दी है जिन्होंने सुरक्षा बल नियम-19 के तहत त्यागपत्र दिया था और 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी नहीं की थी। तथापि, परिवार पेंशन बंद नहीं की गई है।

दिनांक 30 मार्च, 2001 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर, गृह मंत्रालय ने दिनांक 6.6.2001 के का.ज्ञा. सं. II-27012/16/2000-पी.एफ-1 के अन्तर्गत उन सभी अपात्र पेंशनरों को पेंशन की अदायगी रोकने के आदेश जारी किए हैं जिन्होंने 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी नहीं की है। इन आदेशों को कार्यान्वित कर दिया गया है और सभी अपात्र पेंशनरों के संबंध में पेंशन की अदायगी रोक दी गई है।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 30.3.2001 के निर्णय में कहा है कि वे सीमा सुरक्षा बल कार्मिक जिन्होंने 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले सीमा सुरक्षा बल नियम के नियम-19 के तहत सेवा से त्यागपत्र दिया है, पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के आधार पर, गृह मंत्रालय ने सभी अपात्र पेंशनरों की पेंशन रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं।

(च) जी नहीं, श्रीमान।

(छ) और (ज) हालांकि, सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 के नियम 19 के तहत ये कार्मिक पेंशन के पात्र नहीं हैं, लेकिन वे सामान्य भविष्य निधि, सी.जी.ई.जी.आई.एस. छुट्टी का वेतन इत्यादि के अंतिम भुगतान जैसे अन्य पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों के पुनरुद्धार के लिए हुडको द्वारा कर्नाटक को ऋण**

**3769. श्री आर.एल. जालप्पा** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों के पुनरुद्धार के लिए आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड से ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की मांग की गई है और कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों का पुनरुद्धार प्रस्तावित है;

(ग) क्या हुडको ने ऋण स्वीकृत कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो स्वीकृत ऋण की राशि कितनी है और उसके पुनर्भुगतान की क्या शर्तें हैं?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन)** : (क) और (घ) कर्नाटक सरकार ने केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए हॉस्टलों के पुनरुद्धार हेतु ऋण की मंजूरी के लिए आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हुडको) से संपर्क नहीं किया है। तथापि, हुडको ने कर्नाटक पिछड़ा वर्ग विभाग भवन निर्माण सोसायटी को 75% पिछड़े वर्ग के साथ 25% अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को रखने के प्रावधान वाले एक सौ हॉस्टलों के निर्माण के लिए 27.26 करोड़ रुपये की ऋण राशि मंजूर की है जिसकी पुनर्भुगतान अवधि तिमाही आधार पर दस वर्षों की है।

*[हिन्दी]*

**पंचायत राज संस्थाओं/ग्राम सभा को प्रशिक्षण**

**3770. श्री कांतिलाल भूरिया** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं की स्थायी समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्यवार कितनी निधियां आबंटित की गईं;

(ग) इसमें केन्द्र और राज्यों को निधियों की हिस्सेदारी का अनुपात कितना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए हिस्सेदारी बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील)** : (क) जी, हां।

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान पंचायत विकास एवं प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को प्रशिक्षण के लिए राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों तथा राज्य सरकारों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गयी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2001-02 तक राज्य सरकारों को सहायता की सीमा भोजन एवं आवास के लिए 20% वित्तपोषण तथा अन्य मदों के लिए 50% वित्तपोषण तक थी। वर्ष 2002-03 में राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता की सीमा को बढ़ाकर पंचायती राज संस्थाओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की लागत के 75% तक कर दिया गया।

(घ) वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान केन्द्रीय अंशदान को पहले ही बढ़ा दिया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**विवरण**

*पंचायती राज संस्थाओं को प्रशिक्षण देने के लिए आबंटित निधि*

(लाख रु. में)

| क्रमांक | राज्य | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | असम | – | – | – | – | 59.44 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | – | – | – | – | 153.72 |
| 3. | गोवा | – | – | – | – | 3.19 |
| 4. | गुजरात | – | – | – | – | 12.7 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | – | – | 15.793 | 17.21 | 4.11 |
| 6. | कर्नाटक | – | – | – | – | 53.83 |
| 7. | केरल | – | – | 1.52 | – | – |
| 8. | मध्य प्रदेश | – | – | 100 | – | – |
| 9. | महाराष्ट्र | – | 2.32 | – | – | – |
| 10. | नागालैंड | 5.92 | 5.92 | – | – | – |
| 11. | उड़ीसा | – | – | – | – | 27.96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | पंजाब | — | — | 35.38 | — | — |
| 13. | राजस्थान | — | 172.4 | — | 0.36 | — |
| 14. | सिक्किम | 3.253 | — | — | — | 2.56 |
| 15. | तमिलनाडु | — | — | — | 41.47 | 5.23 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | — | 17.946 | — | 174.11 | — |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 90.83 | — | 7.306 | — | — |

*[अनुवाद]*

**कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) की अदालती मामलों में हार होने के कारण हुआ घाटा**

3771. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियां अदालती मामले हारती रही हैं जिससे सरकार को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान कंपनी ने कितने मामले हारे और ऐसे अदालती मामलों की पैरवी करने में सहायक कंपनीवार कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

**कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा)** : (क) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि सी.आई.एल. और इसकी सहायक कंपनियां अदालत में मुकदमें हार रही हैं जिसके कारण सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। सामान्यत: मुकदमे या तो कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों द्वारा कार्य की स्थितियों से संबंधित शिकायतों के कारण दायर किए जाते हैं अथवा ग्राहकों द्वारा कोयले की बिक्री तथा/अथवा कुछ अन्य विविध मुद्दों के संबंध में दायर किए जाते हैं। अधिकतर मुकदमे कम्पनी के विरुद्ध दायर किए जाते हैं और कम्पनी द्वारा बहुत कम मामले दायर किए जाते हैं। जब कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाता है तो कम्पनी के पास उसे लड़ने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता है ताकि कम्पनी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पास न हो जाए।

(ख) पिछले 5 वर्षों के दौरान अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों का कम्पनी-वार ब्यौरा तथा कम्पनी के विरुद्ध फैसला हुए मामलों की संख्या के साथ हारे हुए मामलों के बचाव में हुए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

| कम्पनी | पिछले 5 वर्षों के दौरान अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या | जिन मामलों में कम्पनी के पक्ष में निर्णय हुआ उनकी संख्या | पिछले 5 वर्षों के दौरान जिन मामलों में कम्पनी के विरुद्ध निर्णय हुआ, उनकी संख्या | जिन मामलों में कम्पनी के विरुद्ध निर्णय हुआ है उनका प्रतिवाद करने पर हुआ कानूनी व्यय लाख रु. में (लगभग) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ई.सी.एल. | 501 | 462 | 39 | 21.60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| बी.सी.सी.एल. | 956 | 864 | 92 | 16.07 |
| सी.सी.एल. | 556 | 503 | 53 | 18.55 |
| एन.सी.एल. | 169 | 138 | 31 | 12.55 |
| डब्ल्यू.सी.एल. | 531 | 490 | 41 | 3.20 |
| एस.ई.सी.एल. | 1117 | 1053 | 64 | 4.15 |
| एम.सी.एल. | 460 | 408 | 52 | 8.42 |
| सी.एम.पी.डी.आई.एल. | 28 | 25 | 3 | 0.54 |
| सी.आई.एल. | 106 | 95 | 11 | 2.39 |
| सी.आई.एल. (समग्र) | 4424 | 4038 | 386 | 87.47 |

(ग) मुकदमों में हार के कारण प्रत्येक मामले में अलग-अलग हैं।

## अंटार्कटिका स्टेशन की स्थापना

**3772. श्री के. येरननायडू :**
**डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :**

क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने अंटार्कटिका में कितने स्टेशनों की स्थापना की है;

(ख) इन स्टेशनों पर कौन कौन से कार्यक्रमों पर अनुसंधान किया जा रहा है;

(ग) दक्षिण गंगोत्री और मैत्री स्टेशनों की क्या-क्या उपलब्धियां हैं; और

(घ) नये अंटार्कटिका स्टेशन की स्थापना के लिए क्या भावी योजना है और अगले पांच वर्षों के लिए कौ-कौन से नये कार्यक्रम हैं?

**महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी)** : (क) भारत ने अंटार्कटिक में 1983 के दौरान 'दक्षिण गंगोत्री' और 1988 के दौरान 'मैत्री' नामक दो स्थायी केन्द्र स्थापित किए।

(ख) और (ग) 1983 से उक्त केन्द्र शीतकालीन दलों को आवास तथा वायुमंडलीय विज्ञान, भूमि विज्ञान तथा वैश्विक परिवर्तन, इंजीनियरी और संचार आदि के क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान संचालित करने के लिए अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

(घ) अंटार्कटिक में एक अन्य स्थायी केन्द्र स्थापित करने के लिए 2004-05 के दौरान आवश्यक सर्वेक्षण किया जाएगा। अगले पांच वर्षों के दौरान आरम्भ होने वाले कुछ नए कार्यक्रमों में झील जीव विज्ञान, पुरा जलवायु, अंटार्कटिक सूक्ष्म जीव, भारतीय पट्टिका के साथ, अंटार्कटिक पट्टिका का संबंध, सूदूर चिकित्सा विज्ञान, स्वच्छ उर्जा प्रौद्योगिकी अध्ययन, आदि सम्मिलित हैं।

## तकनीकी संस्थानों की स्थापना

**3773. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव कर्नाटक राज्य में भारत-जर्मन सहयोग से कुछ तकनीकी संस्थानों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**औषधि उद्योग में अनुसंधान और विकास**

3774. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**
**श्री पी.आर. खूंटे :**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्री जी ने 1999 के बजट भाषण में औषधि उद्योग के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये की अनुसंधान और विकास निधि का प्रावधान किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मानदंड क्या हैं;

(ग) इन निधियों के संवितरण का प्राधिकार किसके पास है;

(घ) अब तक कितनी धनराशि का संवितरण किया जा चुका है;

(ङ) आज की स्थिति के अनुसार शेष कितनी धनराशि जारी की जानी है; और

(च) विलंब के क्या कारण हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह)** : (क) से (च) सरकार ने फरवरी, 2002 में 'भेषज नीति, 2002' घोषित कर दी है जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भेषज अनुसंधान एवं विकास सहायता निधि (पी.आर.डी.एस.एफ.) की स्थापना के लिए सिद्धांत रूप में मंजूरी शामिल है, उक्त विभाग पी.आर.डी.एस.एफ. के उपयोग के संचालन हेतु प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टी.डी.बी.) के अनुरूप औषध विकास संवर्धन बोर्ड (डी.डी.पी.बी.) का गठन भी करेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 10वीं योजना में 150 करोड़ रु. का प्रावधान किया है। वर्ष 2003-2004 के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदान मांगों में आवश्यक बजट प्रावधान किया गया है। हाल ही में किए गए इस प्रावधान से अब तक किसी निधि का वितरण नहीं किया गया है।

**केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अंतर्गत महिलाओं के लिए शिक्षा**

3775. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने "महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम की योजना" कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लक्ष्य क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों में इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा इस योजना के लिए कितनी धनराशि संवितरित की जा चुकी है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा)** : (क) जी, हां।

(ख) महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम नामक स्कीम का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा एवं प्रासंगिक कौशल प्रदान कर उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना है। यह स्कीम 15 वर्ष से अधिक आयु-वर्ग के बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले और अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनकी स्कूली पढ़ाई पूरी करने में सहायता प्रदान करने हेतु विशेष रूप से बनाई गई है।

(ग) यह स्कीम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, समाज कल्याण बोर्ड द्वारा इस स्कीम के लिए निर्मुक्त राशि इस प्रकार है :-

| वर्ष | राशि (रुपये लाखों में) |
|---|---|
| 2000-01 | 741.01 |
| 2001-02 | 228.03 |
| 2002-03 | 199.97 |

**महिलाओं और बच्चों के लिए कृतिक बल**

**3776. डा. वी. सरोजा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री के.सी. पंत की अध्यक्षता में महिलाओं और बच्चों संबंधी कृतिक बल ने अप्रैल, 2002 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में महिला और बाल विकास विभाग में एक अन्तर्मंत्रालयीय स्थायी समिति के गठन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थायी समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका गठन कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा)** : (क) से (ङ) महिलाओं और बच्चों पर कार्यबल का मत था कि उसे सौंपे गये विचारार्थ विषयों पर सतत् विचार एवं अनुवीक्षण की आवश्यकता है। कार्यबल ने महिला एवं बाल विकास विभाग में एक अंतर्मंत्रालयी समिति के गठन का सुझाव दिया। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों की सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समय-समय पर अन्तर्विभागीय बैठकों में समीक्षा की जाती है। कार्यदल की संस्तुतियों के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित सभी मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए इस तंत्र का प्रभावी तरीके से प्रयोग किया जायेगा।

*[हिन्दी]*

**गैस आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना**

**3777. श्री रामदास रूपला गावीत** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैस आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह)** : (क) उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और उद्यमी पर्यावरणीय मंजूरी की शर्त के अध्यधीन देश में कहीं भी उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) वर्तमान में, देश में सरकारी क्षेत्र में गैस पर आधारित कोई नया उर्वरक संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक बहुराज्यीय सहकारी समिति 'कृभको' ने एक अतिरिक्त अमोनिया-यूरिया स्ट्रीम की स्थापना करके हजीरा, गुजरात में इसकी मौजूदा यूरिया उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए पुन: प्रस्ताव चलाया है।

**अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण**

**3778. श्री बालकृष्ण चौहान** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्गों के 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' समूहों में कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे को पूरा किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) ऐसी रिक्तियों को कब तक भरा जाएगा;

(छ) क्या अन्य पिछड़ा वर्गों के संदर्भ में पदोन्नति में भी आरक्षण प्रदान किया जाता है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के न मिलने पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की भर्ती कर दी जाती है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा")** : (क) से (ज) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**विद्यालयों में अनिवार्य प्रार्थना**

**3779. श्री सी. कुप्पुसामी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिनांक 14.3.2003 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना अथवा ध्यान सत्र को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या अभिभावकों और धर्मनिरपेक्ष संगठनों की ओर से मीडिया में अनिवार्य प्रार्थना का कोई विरोध हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या दो वर्ष पहले सरस्वती वंदना के नाम पर पहले ही कोई विवाद उत्पन्न हो चुका है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए ऐसे विवादास्पद विचारों की सिफारिश पर पुन: विचार करेगी; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) से (छ) सरकार को छात्रों के लिए प्रार्थना अथवा ध्यान सत्र चलाने के संबंध में 14.3.2003 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपी खबर की जानकारी है। तथापि, प्रार्थना अथवा ध्यान सत्र को स्कूलों और कालेजों में अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**करगिल में जेएनवी का कार्यनिष्पादन**

**3780. श्री हसन खान** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करगिल में जेएनवी का कार्य-निष्पादन गिरता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत पांच वर्षों से मैट्रिक के परिणामों की प्रतिशतता कितनी रही है;

(घ) क्या आज की तारीख में विद्यालय के पास अपना भवन नहीं है जबकि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए कोई दस वर्ष पहले ही भूमि आवंटित करा दी गई थी;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या विद्यालय भवन के निर्माण के लिए कोई वैकल्पिक स्थान की पहचान की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) स्कूल भवन का निर्माण कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) और (ख) कारगिल में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के कार्यकरण में संवेदनशील स्थान पर स्थित होने और इस क्षेत्र में निरंतर बाधाओं के कारण कुछ अस्थाई अवरोध था। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि इस विद्यालय के कार्यकरण में कारगर सुधार हो तथा प्रतीत होता है कि यह विद्यालय खराब दौर से उबर रहा है।

(ग) पिछले 5 वर्षों के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय, करगिल में मैट्रिक (कक्षा-दस) के परिणाम की प्रतिशतता निम्नवत है :-

| वर्ष | परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत |
|---|---|
| 1997-1998 | 51.22 |
| 1998-1999 | 35.39 |
| 1999-2000 | 12.5 |
| 2000-2001 | 16.0 |
| 2001-2002 | 31.03 |

(घ) और (ङ) वर्ष 1987-88 के दौरान नवोदय विद्यालय, करगिल को संस्वीकृत किया गया था। शुरू में गांव खुरवाथेग में स्थायी भवन के लिए भूमि दी गई थी तथा गांव बारू में अस्थायी स्थान प्रदान किया गया था। वर्ष 1998 तक विद्यालय ने अस्थायी स्थल कार्य किया। भवन का निर्माण शुरू नहीं किया गया था क्योंकि क्षेत्र प्राय: गोलीबारी से प्रभावित था तथा जिला प्रशासन सुरक्षित स्थान में एक वैकल्पिक उचित स्थान का पता लगाने के लिए विचार कर रहा था। वर्ष 1998 के दौरान करगिल युद्ध की वजह से विद्यालय अस्थायी स्थल वारू से सांकू में स्थानांतरित कर दिया गया। सांकू में स्थान अपर्याप्त था तथा जिला प्रशासन ने वर्ष 2001 के दौरान खुम्बाथंग में सरकारी स्कूल भवन में वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया तथा विद्यालय इस समय इस भवन में कार्य कर रहा है।

(च) से (ज) वर्ष 1999 में खुम्बाथंग में वैकल्पिक स्थायी स्थल प्रदान किया गया तथा भवन के निर्माण के लिए आवश्यक संस्तुतियां जारी की गयी हैं। चाहरदीवारी का निर्माण पहले ही हो चुका है। भवन का निर्माण शीघ्र शुरू होने की संभावना है। निधियां सामान्य रूप से उपलब्ध होने पर स्कूल भवन का निर्माण लगभग 3-4 वर्षों में पूरा हो जाएगा।

*[हिन्दी]*

## भारतीय विद्यार्थियों को प्रवेश

**3781. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन सरकार का विचार अधिकतम भारतीय विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) और (ख) सरकार को जर्मनी की सरकार के इस प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। तथापि भारत सरकार ने हाल ही में विदेशों में भारतीय शिक्षा संवर्धन समिति का गठन किया है। इस समिति का कार्य विदेशों में भारतीय शिक्षा के संवर्धन हेतु विचारों का सृजन करना तथा कार्यक्रमों और क्षेत्रों का पता लगाना है और साथ ही इसके कार्यान्वयन हेतु कार्यनीतियां तैयार करना है।

*[अनुवाद]*

## हाडला भंडारों से लिग्नाइट उत्खनन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना

**3782. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से राजस्थान विद्युत उपाधान निगम लिमिटेड द्वारा लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के पक्ष में हाडला में मैसर्स नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से हाडला भंडारों से लिग्नाइट के उत्खनन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है;

(ग) क्या मैसर्स नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के लिए हाडला से लिग्नाइट के उत्खनन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देना व्यावहारिक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसका सक्षम प्राधिकारी कौन हैं; और

(च) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

**कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा)** : (क) हाडला लिग्नाइट भंडारों के आवंटन के लिए मैसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आर.आर.यू.एन.एल.) से, उनकी प्रस्तावित 1 × 125 मे.वा. लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना के संस्थापन के लिए, मैसर्स राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि. (आर.एस.एम.डी.सी.) के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) से (ङ) चूंकि, हाडला ब्लॉक बरसिंगसर ब्लॉक के काफी निकट है, इसलिए भारत सरकार की उपक्रम मैसर्स नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एन.एल.सी.) ने प्रस्तावित बरसिंगसर लिग्नाइट खनन-सह-तापीय विद्युत परियोजना के द्वितीय चरण के विकास के लिए इस ब्लॉक को चिन्हित किया है। जिसके लिए उनके द्वारा काफी निवेश भी किया गया है। मैसर्स आर.एस.एम.डी.सी. वैकल्पिक ब्लाक के बदले हाडला लिग्नाइट ब्लाक को एन.एल.सी. को आवंटित करने के लिए कथित रूप से सहमत हो गया है। भारत सरकार की दिनांक 12-12-2001

की संशोधित कोयला खनन नीति के अनुसार, राज्य सरकार की कम्पनियों को, एन.एल.सी. से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात कि उनकी सम्बन्धित क्षेत्र में लिग्नाइट का खनन प्रचालन शुरू करने की कोई योजना अथवा इच्छा नहीं है, लिग्नाइट भंडारों को खनन करने की अनुमति दी गई है।

(च) उपर्युक्त (ख) से (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

*[हिन्दी]*

**टेलीविजन सेटों के लिए निधियों का आबंटन**

3783. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विद्यालयों को टेलीविजन सेट प्रदान करने हेतु राज्यों को कोई धनराशि आबंटन की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रलाय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान वर्षवार और राज्यवार अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

**विवरण**

(रुपए लाख में)

| क्र.सं. | राज्य | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | नागालैंड | 16.2 | – | – |
| 2. | गोवा | 1.71 | – | – |
| 3. | कर्नाटक | 71.81 | – | – |
| 4. | महाराष्ट्र | 112.5 | – | – |
| 5. | त्रिपुरा | 1.80 | – | – |
| | कुल | 204.02 | – | – |

*[अनुवाद]*

**वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा**

3784. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश की राजधानी में और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों से निपटने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या वरिष्ठ नागरिकों के पुलिस स्टेशनवार आंकड़ों को रखने के उच्च न्यायालय के निर्देशों को आज की तिथि तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) आज की तारीख के अनुसार ऐसे नागरिकों की पुलिस स्टेशनवार संख्या कितनी है; और

(च) सरकार का वरिष्ठ नागरिकों पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी)** : (क), (ख) और (च) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं। अपराध को रोकने, पता लगाने, दर्ज करने, जांच-पड़ताल करने और मुकदमा चलाने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराधों से निपटने के लिए विशिष्ट योजनाओं के ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए गृह मंत्रालय ने समय-समय पर राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि वरिष्ठ नागरिकों सहित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अत्याचारों की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके।

(ग) और (घ) दिल्ली उच्च न्यायलय ने एक आपराधिक रिट याचिका सं. 723/2000 में, अन्य बातों के साथ-साथ, निदेश दिया है कि दिल्ली पुलिस के स्टेशन हाऊस अधिकारियों और डिवीजन अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों के

अलग-अलग रिकार्ड रखने चाहिए, उनके द्वारा रखे गए घरेलू नौकरों के चरित्र और पूर्ववृत्तों का सत्यापन करना चाहिए और उनके जान-माल की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने इन निदेशों के अनुपालन में, एक उपयुक्त स्कीम बनाई है जिसमें अकेले रह रहे बुजर्ग लोगों का पुन: सर्वेक्षण करना, उनके घरेलू नौकरों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन करना और संबंधित बीट कर्मचारियों, स्टेशन हाऊस आफिसरों और डिवीजन आफिसरों द्वारा उनके निवासों का सावधिक दौरा करना सम्मिलित है।

(ङ) सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

**असम समझौता**

**3785. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वर्ष 1985 का असम समझौता यह निर्धारित करता है कि दिनांक 25 मार्च, 1971 के पश्चात् देश में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को गैर-कानूनी प्रवासी माना जाएगा और उसे देश निर्वासित कर दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या नागरिकता अधिनियम, दूसरी ओर यह निर्धारित करता है कि इन गैर-कानूनी प्रवासियों से जन्में बच्चों को देश में जन्म लेने के कारण उन्हें भारत के नागरिक के रूप में स्वीकार किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि दिनांक 25 मार्च, 1971 के पश्चात् देश में एक बांग्लादेशी युगल प्रवेश करता है और वे एक बच्चे को जन्म देते हैं, तब बच्चे को भारतीय नागरिक माना जाएगा लेकिन उनके माता-पिता को गैर-कानूनी प्रवासी माना जाएगा;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम के स्थान पर विदेशियों विषयक अधिनियम लाने का है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार केवल असम में ही नहीं वरन् देश भर में सर्वत्र अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम को लागू करने का है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी)** : (क) से (घ) विदेशियों के मुद्दे पर असम राज्य सरकार ने जिस आन्दोलन का सामना किया उसकी समाप्ति के लिए, असम सरकार और संगठनों, अखिल छात्र संघ और अखिल असम गण संग्राम परिषद के प्रतिनिधियों के बीच 15/8/1985 को, असम समझौते के नाम से ज्ञात, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत, विदेशियों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया :-

I. 1-1-1966 से पहले असम में आए व्यक्ति।

II. 1-1-1966 और 24/3/1971 के बीच असम में आए व्यक्ति।

III. 25/3/1971 को या उसके बाद असम में आए व्यक्ति।

असम समझौते के उपबन्धों के अनुसरण में, वर्ष 1985, में नागरिकता अधिनियम, 1955 में धारा 6-क जोड़ी गई थी जिसमें भारतीय मूल के उन सभी आप्रवासियों को मान्यता देने की व्यवस्था है जो निर्धारित तारीखों को निर्दिष्ट क्षेत्रों से असम में आए। जो 1-1-1966 से पहले आए, उन्हें पूर्णत: नागरिक माना जाएगा, जबकि जो व्यक्ति 1-1-1966 के बाद और 24/3/1971 तक आए, उनका पता लगाया जाना था और पता लगने पर, मतदाता सुचियों से उनके नाम 10 सालों के लिए हटा दिए जाने थे। पता लगाने का यह कार्य विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के उपबंधों के अन्तर्गत बनाये गये विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश 1964 के आधार पर किया जाना था। श्रेणी-(III) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों का पता लगाया जाना था और उन्हें अवैध प्रवासी (अधिकरणों) द्वारा अवधारण अधिनियम 1983 के तहत निष्कासित किया जाना था।

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ हो वह जन्म से भारतीय होगा। 1.7.1987 को या उसके बाद जन्में व्यक्ति, जिसके माता-पिता में से कोई भी उसके जन्म के समय भारतीय नागरिक हो, को जन्म से भारतीय नागरिक माना जाएगा। तथापि कोई भी व्यक्ति इस धारा के कारण इस प्रकार का नागरिक नहीं होगा, यदि उसके जन्म के समय उसका पिता राजनायिक शरण लिए हुए हो और वह भारत का नागरिक न हो या उसका पिता शत्रु देश से आया हो और उसका जन्म, उस समय दुश्मन के कब्जे वाले क्षेत्र में हुआ हो।

(ङ) से (ज) असम सरकार ने, भारत सरकार से अवैध प्रवासी (अधिकरण) द्वारा अवधारण, (आई एम बी टी) अधिनियम 1983 को निरस्त करने का सिफारिश की थी। तथापि, भारत सरकार द्वारा इस पर कोई निर्णय लेने से पहले, आई एम डी टी अधिनियम, 1983 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका और दूसरी याचिका आई एम डी टी अधिनियम 1983 को निरस्त करने के विरुद्ध भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर की गई। दोनों मामलों (जनहित याचिकाओं) को इकट्ठा किया गया और ये याचिकाएं भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित पड़ी हैं। इस प्रकार से मामला न्यायाधीन हैं। इस समय आई एम डी टी अधिनियम 1983 को पूरे देश में लागू करने का, सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**केन्द्रीय भण्डार द्वारा लाभांश का भुगतान**

**3786. डा. रमेश चंद तोमर** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्रीय भंडार ने वर्ष, 2002-2003 के लिए अपने शेयर-धारकों को प्रोत्साहन/बोनस/लाभांश का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय भंडार द्वारा अपने शेयर-धारकों को प्रोत्साहन/बोनस/लाभांश कब तक प्रदान किए जाने/संवितरित किए जाने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक)** : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय भंडार ने अपने वर्ष, 2002-2003 के लेखे-जोखे को अंतिम रूप नहीं दिया है।

(ग) केन्द्रीय भंडार के उप नियमों के अनुसार, उसके द्वारा अर्जित लाभ के निबटारे के बारे में निर्णय, उसके अधिनियम, अधिसूचित नियमों और उप नियमों के मुताबिक, आम सभा द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

**मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना**

**3787. श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर अधिकाधिक नामांकन को सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ संतुलित करने के प्रयास में सरकार दूरवर्ती शिक्षा और मुक्त विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने के उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव किया गया है कि दसवीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कम-से-कम एक मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सामान्य उच्च शिक्षा के लिए समर्पित टेलिविजन चैनल की भी योजनाएं हैं;

(ङ) यदि हां, तो नौवीं योजना के दौरान कुल कितने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय थे; और

(च) दसवीं योजना अवधि के दौरान इनकी संख्या में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) से (च) सरकार देश में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के विकास को प्रोत्साहन देती रही है और दसवीं योजना अवधि के दौरान मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में 20 प्रतिशत के वर्तमान दाखिले को बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव है। नौवीं योजना अवधि में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और 64 पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थानों सहित दस मुक्त विश्वविद्यालय थे और दसवीं योजना में 8 नये राज्य मुक्त विश्वविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है तथा पारम्परिक विश्वविद्यालयों के 35 नये पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थानों को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत लाया जाएगा।

सरकार ने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक 24 घंटे चलने वाला शैक्षिक टी.वी. चैनल 'ज्ञान दर्शन' शुरू किया है। हाल ही में तकनीकी शिक्षा हेतु 26 जनवरी, 2003 को 'एकलव्य चैनल' नामक एक और चैनल शुरू किया गया है।

*[हिन्दी]*

**कोयले की आपूर्ति**

**3788. श्री शिवराज सिंह चौहान :**
**श्री रामदास आठवले :**

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की कितनी आवश्यकता पड़ी;

(ख) क्या कोयले की समय पर आपूर्ति नहीं की गई और कोयले में राख की मात्रा अधिक थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में विभिन्न उद्योगों/संयंत्रों को कोयले की नियमित आपूर्ति नहीं मिल रही है और उन्हें घटिया कोयला ही मिल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जानी है; और

(ज) विभिन्न उद्यमों/संयंत्रों/विद्युत संयंत्रों को उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

**कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा)** : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इण्डिया लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज लि. से प्रत्येक राज्य में तापीय विद्युत यंयंत्रों को राज्य-वार, विद्युत गृह-वार कोयला प्रेषण के ब्यौरे क्रमश संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दिए गए हैं।

सभी विद्युत गृहों को दिशा-निर्देशों तथा कोयला मंत्रालय द्वारा दिए गए लिंकेज के अनुसार कोयले की समय पर आपूर्ति की जाती थी। तथापि, कभी-कभी, कोयला बिक्री देयों के अपर्याप्त भुगतान के कारण कोयला कंपनियों द्वारा तापीय विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति को विनियमित किया जाता है।

(घ) से (छ) कोयला कंपनियों को विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में अवस्थित उद्योगों को कोयले की अनियमित आपूर्ति के संबंध में कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कोयला कंपनियों को कोयले की गुणवत्ता के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

(विद्युत गृहों, सीमेंन्ट तथा अन्य से संबंधित आंकड़े)

| राज्य | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 |
|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 132 | 91 | 18 |
| महाराष्ट्र | 42 | 13 | 3 |
| कर्नाटक | 40 | 7 | 10 |
| केरल | 1 | — | 1 |
| तमिलनाडु | 6 | — | 9 |
| कुल (सीआईएल + एससीसीएल) | 221 | 111 | 41 |

ग्राहकों से प्राप्त सभी शिकायतों की क्षेत्रीय महाप्रबंधक द्वारा पूर्ण जांच की जाती है तथा उनके द्वारा की गई कार्रवाई ग्राहकों को सम्प्रेषित की जाती है। इसके अलावा सी.आई.एल./एस.सी.सी.एल. तोल, गुणवत्ता आदि में अधिक पारदर्शिता के लिए ग्राहकों से ईंधन आपूर्ति करार में कोयले की संयुक्त सैम्पलिंग का प्रावधान किया जाता है, ताकि गुणवत्ता की शिकायतें उत्पन्न ही न हों।

(ज) उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोयला कम्पनियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :-

(i) खनन के दौरान ही परिकल्पित खनन क्रम/नक्शा (ले-आउट) का पालन करना।

(ii) कोयले का ओ.बी. पदार्थों से मिश्रण की सम्भावना को कम करने के लिए उपयुक्त ब्लास्टिंग कार्यविधि/तकनीक को अपनाना।

(iii) आवश्यकता के अनुसार आकारीकृत करने से पहले कोयले में से बड़े आकार के कंकड़/पत्थरों तथा अन्य बाहरी पदार्थों को चुनना।

(iv) कोयला हैण्डलिंग संयंत्रों/क्रशिंग मशीनों में आकार कम करना, जिससे विभिन्न आकार के अंशों को पृथक किया जा सके और जहां तक सम्भव हो, उच्चतर घनत्व वाली अशुद्धियों को हटाना।

(v) परिष्कृत कोयले में राख तत्व को घटाकर कोयला परिष्करण संयंत्रों के द्वारा कोयले की धुलाई/उन्नयन।

(vi) जहां-कहीं सम्भव हो शैल बैण्ड आदि को पृथक करने के लिए चुनिन्दा खनन।

(vii) लदान करते समय मुहाने पर कोयले से बाहरी पदार्थों को हटाना।

(viii) ओपनकास्ट खानों में ब्लास्टिंग से पूर्व कोयला सीम की सफाई करना।

(ix) अधिक चुनने वाले मजदूर नियोजित करके कोयला हैण्डलिंग संयंत्रों में शैल तथा पत्थरों को चुनना।

(x) प्रमुख प्रेषण बिन्दुओं पर स्वत: सैम्पलरों का स्थापन।

(xi) जहां कोयले की गुणवत्ता में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संयुक्त सैम्पलिंग तथा विश्लेषण की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वहां अधिक ग्राहकों से एफ.एस.ए. करने का आग्रह करना।

(xii) कोयला वाशरियों की स्थापना करना।

**विवरण-I**

*सी.आई.एल. से विद्युत गृहों को कोयले का प्रेषण*

(आंकड़े हजार टन में)

| एस.ई.बी./पी.यू. | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| बदरपुर | 3469 | 3887 | 4162 |
| डी.वी.बी | 1464 | 1469 | 1326 |
| कुल : दिल्ली | 4933 | 5356 | 5488 |
| एच.पी.जी.सी.एल. | 2683 | 3027 | 4421 |
| पी.एस.ई.बी. | 9500 | 10619 | 10498 |
| आर.आर.वी.यू.एन.एल. | 4743 | 6022 | 6891 |
| यू.पी.आर.वी.यू.एन.एल. | 15707 | 13821 | 16180 |
| उत्तर प्रदेश स्थित एनटीपीसी स्टेशन | 22753 | 24550 | 25927 |
| कुल : उत्तर प्रदेश | 38460 | 38371 | 42107 |
| ए.ई.सी. | 1101 | 972 | 923 |
| जी.ई.बी. | 15053 | 13533 | 12878 |
| कुल : गुजरात | 16154 | 14505 | 13801 |
| एम.पी.ई.बी. | 9511 | 11629 | 10503 |
| मध्य प्रदेश स्थित एनटीपीसी स्टेशन | 6244 | 8201 | 10289 |
| कुल : मध्य प्रदेश | 15755 | 19830 | 20792 |
| सी.एस.ई.बी. | 6309 | 5171 | 6246 |
| छत्तीसगढ़ स्थित एनटीपीसी स्टेशन | 11373 | 11149 | 10960 |
| कुल : छत्तीसगढ़ | 17682 | 16320 | 17206 |
| एम.एस.ई.वी. | 26327 | 26401 | 27406 |
| बी.एस.ई.एस. | 1834 | 2054 | 2164 |
| टी.ई.सी. | 3 | | |
| कुल : महाराष्ट्र | 28164 | 28455 | 29570 |
| ए.पी. जैनको | 7347 | 8670 | 7491 |
| आन्ध्र प्रदेश स्थित एनटीपीसी स्टेशन | 159 | 367 | 666 |
| कुल : आन्ध्र प्रदेश | 7506 | 9037 | 8157 |
| के.पी.सी.एल. | 2018 | 2375 | 2764 |
| टी.एन.ई.बी. | 11535 | 14846 | 14910 |
| बी.एस.ई.बी. | 917 | 786 | 916 |
| बिहार स्थित एनटीपीसी स्टेशन | 3559 | 4339 | 4229 |
| कुल : बिहार | 4476 | 5125 | 5145 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| जे.एस.ई.बी. | 1632 | 1449 | 1397 |
| झारखण्ड स्थित डीवीसी स्टेशन | 3007 | 2841 | 2879 |
| टीवीएनएल | 769 | 908 | 1083 |
| कुल : झारखण्ड | 5408 | 5198 | 5359 |
| ओ.पी.जी.सी. | 2751 | 2520 | 2227 |
| उड़ीसा स्थित एनटीपीसी | 6304 | 5944 | 6370 |
| कुल : उड़ीसा | 9055 | 8464 | 8597 |
| डब्ल्यू.बी.एस.ई.बी. | 2113 | 1822 | 1984 |
| डब्ल्यू.बी.पी.डी.सी.एल. | 3333 | 4208 | 4177 |
| सी.ई.एस.सी. | 3394 | 3722 | 4184 |
| डी.पी.एल. | 548 | 290 | 641 |
| पश्चिम बंगाल स्थित एनटीपीसी | 5467 | 7543 | 7176 |
| पश्चिम बंगाल स्थित डीवीसी | 2502 | 3016 | 2953 |
| कुल : पश्चिम बंगाल | 17357 | 20601 | 21115 |
| ए.एस.ई.बी. | 107 | 79 | 46 |
| सी.आई.एल. स्रोतों से अखिल भारतीय | 195536 | 208230 | 216867 |

**विवरण-II**

*एस.सी.सी.एल. से विद्युत गृहों को कोयले का प्रेषण*

(आंकड़े लाख टन में)

| विद्युत गृह | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| के.टी.पी.एस., आन्ध्र प्रदेश | 58.16 | 60.03 | 64.40 |
| वी.टी.पी.एस., आन्ध्र प्रदेश | 2.24 | 2.63 | 2.93 |
| आर.डी.बी.एस., आन्ध्र प्रदेश | 3.60 | 2.77 | 2.73 |
| नेल्लोर, आन्ध्र प्रदेश | 1.44 | 1.64 | 1.40 |
| मूदानूर, आन्ध्र प्रदेश | 18.24 | 19.08 | 18.14 |
| ए.पी. जैनको कुल (आन्ध्र प्रदेश) | 83.68 | 86.15 | 89.60 |
| एन.टी.पी.सी., आन्ध्र प्रदेश | 101.20 | 96.02 | 95.95 |
| पारली, एम.एस.ई.बी., महाराष्ट्र | 22.39 | 23.81 | 27.32 |
| टी.एन.ई.बी., तमिलनाडु | 0.32 | 0 | 0 |
| चन्द्रपुर, एम.एस.ई.बी., महाराष्ट्र | 0 | 3.78 | 4.63 |
| भुसावल, एम.एस.ई.बी., महाराष्ट्र | 0 | 1.65 | 0 |
| वनकबोरी, जी.ई.बी., गुजरात | 0 | 2.49 | 11.46 |
| रायचूर, के.पी.सी.एल., कर्नाटक | 36.57 | 31.28 | 30.28 |
| कुल | 244.16 | 245.18 | 259.24 |

*[अनुवाद]*

**रेप क्राइसिस सेंटर**

**3789. श्रीमती रेणूका चौधरी** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डेनमार्क में कार्यरत केन्द्रों और इकाइयों की तर्ज पर देशभर में बलात्कार पीड़ितों की सहायता के लिए "रेप क्राइसिस सेण्टर्स" और "सेक्सुअल एसाल्ट ट्रीटमेंट यूनिट्स" (एस.ए.टी.यू.) जैसी सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में मुंबई के किसी संगठन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी)** : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान।

तथापि, रेप क्राईसिस सेंटर्स और सैक्सुअल असाल्ट ट्रीटमेंट यूनिट्स जैसी सुविधाएं स्थापित करने के बारे में मुंबई स्थित एक संगठन से महिला और बाल विकास विभाग में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है।

**फ्लोराइड की अधिकता को कम करने वाले केन्द्र**

3790. **श्री दिलीप संघाणी :**
**श्री सवशीभाई मकवाना :**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों, विशेषकर गुजरात सरकार से फ्लोराइड की अधिकता कम करने वाले केन्द्रों की स्थापना के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील)** : (क) से (ग) जी, हां। यह सच है कि गुजरात सरकार ने फ्लोराइड की अधिकता कम करने वाले केन्द्रों की स्थापना के लिए अनुरोध किया है। देश में फ्लोराइड की अधिकता कम करने वाले केन्द्र के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजिन एंड पब्लिक हेल्थ (ए.आई.आई.एच.पी.एच.) कोलकाता को एक परियोजना प्रस्ताव तैयार करने का कार्य सौंपा था। ए.आई.आई.एच.पी.एच. ने पेयजल आपूर्ति विभाग को अपनी रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत किया था। परियोजना के मसौदा दस्तावेज पर विशेषज्ञों की राय मांगी गई है।

**पनधारा विकास कार्यक्रम**

3791. **श्री रामनायडू दग्गुबाटि** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक पनधारा विकास परियोजनाओं से राज्यवार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कितने अवसरों का सृजन हुआ;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पार्टील)** : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग तीन मुख्य वाटरशेड विकास कार्यक्रमों नामत: संशोकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को 1.4.1995 से लागू वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित करके बंजरभूमि और अवक्रमित भूमि को विकसित करने का कार्य करता है जिसका उद्देश्य भूमि को अवक्रमित होने से रोकना, ऐसी भूमि को उत्पादनकारी उपयोग में लाना तथा बायोमास, विशेषरूप से ईंधन लकड़ी और चारे की उपलब्धता को बढ़ाना है। वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, वाटरशेड कार्यकलाप श्रम-प्रधान हैं और वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अभी तक प्राप्त अनुभवों से यह पता चलता है कि वाटरशेड परियोजनाओं के निष्पादन में किए जाने वाले व्यय का लगभग 60% व्यय मजदूरी रोजगार के प्रति किया जाता है।

**आयु-सीमा**

3792. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा पेंशन लेने की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेंशन में मंहगाई/राहत-प्रावधानों में कमी करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानता समाप्त करना**

**3793. श्री ए. नरेन्द्र :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में शहरी-ग्रामीण असमानता को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कराये गये अध्ययन से संकेत मिला है कि विभिन्न केन्द्रीय ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत आबंटित करोड़ों रुपये गांवों में लाभार्थियों तक नहीं पहुंचते हैं;

(घ) यदि हां, तो अध्ययन रिपोर्टों की मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील)** : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय शहरी-ग्रामीण असमानता को समाप्त करने की आवश्यकता समझती है।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम और आवास कार्यक्रम कार्यान्वित करता रहा है। ग्रामीण गरीबों की दशा सुधारने के लिए मंत्रालय ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम भी कार्यान्वित करता है। हाल में शुरू की गई प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर संपर्क प्रदान करना है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों से अनुरोध करता रहा है कि योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार लाने और गरीबों को लाभ देने की व्यवस्था को ठीक करने के लिए चार सूत्री नीति अपनाई गई है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं– (1) योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, (2) पारदर्शिता, (3) लोगों की भागीदारी और (4) जवाबदेही–ग्राम सभा के जरिए सामाजिक लेखा परीक्षा।

**सर्व शिक्षा अभियान में वित्तपोषण करने पर कर में छूट**

**3794. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान में दान आदि जैसे वित्तपोषण पर कर में छूट देने के संबंध में वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव पर सहमति हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का इस संबंध में क्या रुख है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान)** : (क) से (ङ) स्कूल से संबंधित कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए इस मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को वर्ष 2003-2004 के बजट में एक प्रस्ताव शामिल करने का सुझाव दिया था कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रारंभिक शिक्षा में पहल हेतु पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अंशदानों को ध्यान में रखकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयकर से छूट दी जाए।

इस प्रस्ताव को चालू वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**अप्रयोज्य प्लास्टिक वस्तुओं से किरोसीन, पैट्रोल और डीजल का उत्पादन**

**3795. श्रीमती निवेदिता माने :**
**श्री चन्द्र नाथ सिंह**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों को अप्रयोज्य प्लास्टिक वस्तुओं और कोयले से किरोसीन, पैट्रोल और डीजल के उत्पादन में सफलता मिली

है जैसा कि 8 मार्च, 2003 को 'राष्ट्रीय सहारा' में खबर प्रकाशित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त का उपयोग हेतु परीक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या निकला?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा")** : (क) से (घ) नागपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अल्का जडगांवकर ने प्लास्टिक के कचरों को तरल ईंधन जैसे मिट्टी का तेल, डीजल और पैट्रोल में बदलने की प्रौद्योगिकी की खोज करने का दावा किया है। इस ईंधन की संभाव्यता की जांच करने हेतु पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। इस दल ने अपना मत व्यक्त किया है कि परिणामी उत्पाद को ईंधन के रूप में स्वीकार किए जाने से पूर्व इसमें और परिशोधन की आवश्यकता है। प्रो० अल्का जडगांवकर द्वारा भारतीय तेल निगम (आई ओ सी), फरीदाबाद के आर एण्ड डी केन्द्र में इसका प्रदर्शन भी किया गया। आई ओ सी ने सूचित किया है कि ईंधन के रूप में स्वीकार किए जाने से पूर्व इसमें संशोधन/परिशोधन की आवश्यकता है।

*[अनुवाद]*

**जल-मल व्ययन प्रणाली के लिये प्रस्ताव**

**3796. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी :**
**श्री मान सिंह पटेल :**
**श्री हरिभाई चौधरी :**

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक विभिन्न शहरों और कस्बों में जल-मल व्ययन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आंध्र प्रदेश और गुजरात सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य के स्वीकृत/अस्वीकृत/लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त राज्यों में उक्त योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित/जारी और उपयोग में लायी गई; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश और गुजरात में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन)** : (क) से (ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी अनुमोदन हेतु इस मंत्रालय को नवंबर, 2001 में 1190.92 लाख रु. की कुल लागत पर 8 जल आपूर्ति योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें भिजवाई हैं। आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त 8 योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इनमें से 1494.40 लाख रु. की कुल लागत पर 7 योजनाएं जनवरी-मार्च, 2002 के दौरान स्वीकृत की गई थी और 2001-2002 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार को केन्द्रीय अंश के रूप में 361.30 लाख रु. प्रदान किए गए। शेष 385.90 लाख रु. इन सात जल आपूर्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को वर्ष 2002-2003 के दौरान प्रदान किए गए। घाटकेश्वर कस्बे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आंध्र प्रदेश सरकार को फरवरी 2003 में लौटा दी गई क्योंकि राज्य पी आर ई डी से मांगे गए कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे।

पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात जल आपूर्ति तथा सीवरेज बोर्ड ने केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 9153.09 लाख रु. की कुल लागत पर 44 जल आपूर्ति योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तकनीकी अनुमोदन हेतु इस मंत्रालय को भिजवाई है। गुजरात जल आपूर्ति तथा सीवरेज बोर्ड से प्राप्त 44 योजनाओं के विवरण-II में दिए गए हैं। इनमें से 3504.67 लाख रु. की कुल अनुमानित लागत पर 32 योजनाएं नवंबर 2000 से फरवरी, 2003 के दौरान स्वीकृत की गई है तथा गुजरात सरकार को 2000-2001 से 2002-2003 तक अनुमोदित जल आपूर्ति योजनाएं लागू करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय अंश के रूप 1514.91 लाख रु. की राशि प्रदान की गई है। 4957.75 लाख रु. की परियोजना लागत वाली 12 योजनाएं लौटा दी गई है। विवरण इस प्रकार है :-

- 6 योजनाओं की संवीक्षा की गई और तकनीकी टिप्पणियां राज्य सरकार को अपेक्षित संशोधन के लिए भिजवाई गई।
- 5 योजनाएं राज्य सरकार को लौटा दी गई क्योंकि ये योजनाएं त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र नहीं है।
- राज्य सरकार ने पाटडी योजना वापस ले ली।

(घ) राज्यों द्वारा इस अवधि के दौरान उक्त योजना के तहत नियत/प्रदत्त तथा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) आंध्र प्रदेश और गुजरात में केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कस्बों, जिलों के नाम, 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी, स्वीकृति की तारीख, परियोजना लागत, केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-III तथा IV में दिया गया है।

**विवरण-I**

*(आन्ध्र प्रदेश)*

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | जिले का नाम | अनुमानित लागत (लाख रु. में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | यदागिरि गट्टा (फेज-I) | नालगोंडा | 266.00 |
| 2. | बंसुवाड़ा (फेज-I) | निजामाबाद | 250.00 |
| 3. | घाटकेश्वर (फेज-I) | रंगारेड्डी | 250.92 |
| 4. | मधिरा (फेज-I) | खम्माम | 100.00 |
| 5. | मठानी (फेज-I) | करीमनगर | 95.0 |
| 6. | काशीबग्गा | श्रीकाकुलम | 87.00 |
| 7. | पलसा | श्रीकाकुलम | 52.00 |
| 8. | सीरपुर (टी) | आदिलाबाद | 90.00 |
| | कुल | | 1190.92 |

**विवरण-II**

**राज्य : गुजरात** (रुपये लाख में)

| क्र.सं. | कस्बे का नाम | जिला | अनुमानित लागत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | देवगढ़ बंडिया | दहोद | 314.59 |
| 2. | भावड | जामनगर | 222.50 |
| 3. | रानवास | पोरबंदर | 174.00 |
| 4. | कुटियाना | पोरबंदर | 160.29 |
| 5. | दामनगर | अमरेली | 61.35 |
| 6. | लाठी | अमरेली | 29.28 |
| 7. | बेत | जामनगर | 52.55 |
| 8. | बाबरा | अमरेली | 175.95 |
| 9. | संतरामपुर | पंचमहल | 108.54 |
| 10. | पलियाद | भावनगर | 47.95 |
| 11. | लालपुर | जामनगर | 24.76 |
| 12. | पदाधारी | राजकोट | 228.83 |
| 13. | चोटिला | सुरेन्द्र नगर | 95.33 |
| 14. | रामपुर | अहमदाबाद | 69.86 |
| 15. | मंडल | अहमदाबाद | 87.93 |
| 16. | बघाई | डांग्स | 60.30 |
| 17. | वोडेली | वडोदरा | 47.03 |
| 18. | हारिज | पाटन | 155.04 |
| 19. | चानस्मा | पाटन | 126.33 |
| 20. | देलवाड़ा | जूनागढ़ | 133.75 |
| 21. | अंबाजी | बनासकंठा | 396.36 |
| 22. | कानोडा | बनासकंठा | 150.63 |
| 23. | छापी | बनासकंठा | 108.46 |
| 24. | विछिया | राजकोट | 44.27 |
| 25. | जटालसर | राजकोट | 43.83 |
| 26. | दिग्विजय ग्राम | जामनगर | 125.80 |
| 27. | सिक्का | जामनगर | 208.08 |
| 28. | दरतेज | भावनगर | 70.04 |
| 29. | शिवराजपुर | पंचमहल | 37.08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 30. | सोनगढ़ | भावनगर | 45.56 |
| 31. | सिंगारवा | अहमदाबाद | 132.05 |
| 32. | तलाला | जूनागढ़ | 457.00 |
| 33. | पाटडी | सुरेन्द्र नगर | 31.97 |
| 34. | वत्रपुर | अहमदाबाद | 251.62 |
| 35. | सरखेज | अहमदाबाद | 456.35 |
| 36. | मकरवा | अहमदाबाद | 603.21 |
| 37. | थालतेज | अहमदाबाद | 1219.7 |
| 38. | जोशीपुरा | जूनागढ़ | 527.75 |
| 39. | शोला | अहमदाबाद | 622.41 |
| 40. | मोटेरा | अहमदाबाद | 767.71 |
| 41. | नंदेज | अहमदाबाद | 93.40 |
| 42. | वासो | खेड़ा | 113.47 |
| 43. | कथलाल | खेड़ा | 94.78 |
| 44. | पाली | खेड़ा | 175.38 |
| | | कुल | 9153.09 |

**विवरण-III**

*त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत तीन वर्षों के दौरान नियतन/जारी/उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा*

**आंध्र प्रदेश**

| क्रम सं. | वर्ष | भारत सरकार द्वारा आवंटित राशि | भारत सरकार द्वारा जारी राशि | किया गया व्यय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 2000-2001 | 200.57 | शून्य | शून्य |
| 2. | 2001-2002 | 297.73 | 361.30 | शून्य |
| 3. | 2002-2003 | 382.19 | 385.90 | शून्य |

**गुजरात**

| क्रम सं. | वर्ष | भारत सरकार द्वारा आवंटित राशि | भारत सरकार द्वारा जारी राशि | किया गया व्यय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 2000-2001 | 329.47 | 386.10 | 152.94 |
| 2. | 2001-2002 | 489.06 | 464.34 | 481.72 |
| 3. | 2002-2003 | 627.80 | 664.47 | 128.47 (फरवरी, 2003 तक) |

**राज्य : आंध्र प्रदेश**

ए स्वीकृत परियोजना

स्थिति 31.3.2003

| क्र. सं. | कस्बे का नाम | जिला | जनसंख्या (1991 की जनगणना के अनुसार) | स्वीकृति की तारीख महीना/वर्ष | परियोजना लागत | जारी केन्द्रीय अंश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | सिरपुर (टी) | अदिलाबाद | 8518 | जनवरी, 2002 | 87.69 | 361.30 |
| 2. | पालसा | सिरीकाकुलम | 15580 | जनवरी, 2002 | 51.57 | (2001-2002) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | कसीबुग्गा | सिरीकाकुलम | 17452 | जनवरी, 2002 | 86.31 | 385.90 |
| 4. | मनथानी | करीमनगर | 14564 | जनवरी, 2002 | 241.60 | (2002-2003) |
| 5. | यादगिरी गट्टा | नालगोंडा | 11049 | जनवरी, 2002 | 322.48 | |
| 6. | बनुसवाडा | निजामाबाद | 19094 | जनवरी, 2002 | 517.50 | |
| 7. | मधिरा | खम्माम | 15321 | मार्च, 2002 | 187.25 | |
| | | | 101578 | | 1494.40 | 747.20 |

नोट :- 2001-02 से पहले कोई स्कीम अनुमोदित नहीं की गई थी।

**विवरण-IV**

**राज्य : गुजरात** स्थिति 30.3.2003

क. स्वीकृत परियोजना (लाख रु. में)

| क्रम सं. | कस्बे का नाम | जिला | आबादी 1991 की जनगणना | मंजूरी की तिथि मास/वर्ष | परियोजना लागत | जारी केन्द्रीय सहायता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | देवगढ़ बड़िया | दहोव | 17608 | नवम्बर, 2000 | 214.63 | |
| 2. | भांवड | जामनगर | 16715 | दिसम्बर, 2002 | 302.42 | 386.10 (2000-2001) |
| 3. | रानवाव | पोरबंदर | 19607 | फरवरी, 2001 | 169.17 | |
| 4. | कुटियाना | पोरबंदर | 17434 | फरवरी, 2001 | 160.56 | |
| 5. | दामनगर | अमरेली | 13946 | फरवरी, 2002 | 59.35 | 464.34 (2001-2002) |
| 6. | लाठी | अमरेली | 16545 | फरवरी, 2002 | 43.20 | |
| 7. | वेत | जामनगर | 4891 | फरवरी, 2002 | 54.95 | |
| 8. | बाबरा | अमरेली | 14541 | फरवरी, 2002 | 93.68 | 664.47 (2002-0003) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | संतरामपुर | पंचमहल | 13921 | फरवरी, 2002 | 68.88 | |
| 10. | पलियाद | भावनगर | 8316 | फरवरी, 2002 | 29.25 | |
| 11. | लालपुर | जामनगर | 11542 | जुलाई, 2002 | 30.28 | |
| 12. | पदाधारी | राजकोट | 7122 | जुलाई, 2002 | 170.85 | |
| 13. | चोटिला | सुरेन्द्र नगर | 11635 | अगस्त, 2002 | 81.84 | |
| 14. | रानपुर | अहमदाबाद | 11786 | अगस्त, 2002 | 43.97 | |
| 15. | मंडल | अहमदाबाद | 10217 | अगस्त, 2002 | 77.37 | |
| 16. | बधाई | डांग्स | 4947 | सितम्बर 2002 | 54.63 | |
| 17. | बोडेली | वडोदरा | 8621 | सितम्बर 2002 | 59.38 | |
| 18. | हारिज | पाटन | 16636 | अक्टूबर 2002 | 93.04 | |
| 19. | चानस्मा | पाटन | 16214 | अक्टूबर 2002 | 79.67 | |
| 20. | देलवाड़ा | जूनागढ़ | 9120 | जनवरी, 2003 | 124.14 | |
| 21. | अंबाजी | बनासकंठा | 10673 | जनवरी, 2003 | 395.81 | |
| 22. | कानोडा | बनासकंठा | 9029 | जनवरी, 2003 | 140.19 | |
| 23. | छाप्पी | बनासकंठा | 5716 | जनवरी, 2003 | 106.60 | |
| 24. | विछिया | राजकोट | 9459 | जनवरी, 2003 | 44.27 | |
| 25. | जटालपुर | राजकोट | 11309 | जनवरी, 2003 | 44.88 | |
| 26. | दिग्विजय ग्राम | जामनगर | 8195 | जनवरी, 2003 | 118.71 | |
| 27. | सिक्का | जामनगर | 13594 | जनवरी, 2003 | 196.03 | |
| 28. | वरतेज | भावनगर | 8187 | जनवरी, 2003 | 66.09 | |
| 29. | शिवराजपुर | पंचमहल | 5133 | जनवरी, 2003 | 37.08 | |
| 30. | सोनगढ़ | भवनगर | 5670 | जनवरी, 2003 | 40.84 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | सिगारवा | अहमदाबाद | 7733 | फरवरी, 2003 | 103.70 | |
| 32. | तलाला | जूनागढ़ | 14376 | फरवरी, 2003 | 199.21 | |
| | | कुल | 360438 | | 3504.67 | 1514.91 |

## केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान के लिए वित्तीय सहायता

**3797. प्रो. ए.के. प्रेमाजम** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिये वित्तीय सहायता हेतु केरल सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील)** : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का दिनांक 10 दिसम्बर, 02 का एक प्रस्ताव अग्रसारित किया है, जिसमें 2760 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने के लिए 75.00 लाख रुपये की मांग की गयी है। इन प्रतिभागियों में पंचायती राज के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी और अधिकारी, स्वसहायता समूहों के प्रतिनिधि, विभिन्न विषयों के स्नातकोत्तर आदि शामिल होंगे। इस प्रस्ताव में विकेन्द्रीकृत आयोजना, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख, लघु उपक्रम, शहरी ढांचे का वित्त पोषण आदि सहित विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित करना भी शामिल है। इस प्रस्ताव में केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आयोजित किए जाने वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रमों पर व्यय और कक्षाओं एवं छात्रावासों के रखरखाव/सुधार पर व्यय भी शामिल है।

(ग) केरल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव—''पंचायत विकास और प्रशिक्षण''—मंत्रालय की संबंधित योजना के कार्यक्षेत्र से बाहर है, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

## भूकंप और आपदा प्रबंधन प्रणाली

**3798. श्री श्रीनिवास पाटील** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोयना बांध के समीप बार-बार आ रहे भूकंपों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने भूकंप आये और उनकी तीव्रता क्या थी;

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में आपदा प्रबंधन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) इस सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र में संचार माध्यमों हेतु क्या वैज्ञानिक बुनियादी संरचना स्थापित की गई है या स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस क्षेत्र में भूकंपों की बारम्बारता और उससे मानव जीवन को होने वाली संभावित क्षति के संबंध में क्या वैज्ञानिक अध्ययन कराये गये हैं और उनका क्या निष्कर्ष निकला?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा'')** : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को सतारा जिले में कोयना बांध के समीप भूकंपीय गतिविधियों के बारे में जानकारी है। विगत तीन वर्षों के दौरान भारत मौसम विज्ञान विभाग के नेशनल सिस्मोलॉजीकल नेटवर्क द्वारा रिक्टर पैमाने पर 3 तथा उससे ऊपर की तीव्रता वाले 49 भूकंप रिकार्ड किए गए।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा देश में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने हेतु कई उपाय किए गए हैं जिनमें क्षमता सृजन, खोज एवं बचाव क्षमताएं तथा वैब आधारित आपदा बचाव नेटवर्क शामिल हैं। राज्य सरकारों को क्षमता सृजन, भवन कोड्स का प्रवर्तन सुनिश्चित

करने, संसाधनों की इनवैंट्री का अनुरक्षण तथा राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने हेतु विशिष्ट योजनाएं तैयार करने का सुझाव दिया गया है। महाराष्ट्र का सतारा जिला भी इस प्रयास का एक अंग है।

(ङ) हाल ही में कोयना-वारना सहित भारतीय प्रायद्वीपीय पट्टी में भूकंपीय प्रेक्षणात्मक नेटवर्क को आधुनिक भूकंपीय उपकरणों, शीघ्र पता लगाने, स्थानन एवं आंकड़ों के प्रसार हेतु संचार संयोजनों से स्तरोन्नत किया जा रहा है। कोयना बांध के समीप भूकंपों के बेहतर ढंग से पता लगाने और उनकी अवस्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए कोयना-वारना क्षेत्र में हाल ही में एक टेलीमीटर्ड भूकंपीय नेटवर्क की स्थापना की गई है। लघु सतही गतिविधियों के मॉनीटरन के लिए जी पी एस अध्ययन शुरू किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान रिकार्ड किए गए भूकंपीय आंकड़ों से उक्त क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधि के बढ़ने अथवा कम होने के बारे में ठीक-ठीक पता नहीं चलता है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारत के भूकंपीय क्षेत्रण मानचित्र में कोयना क्षेत्र IV में आता है। इस वर्गीकरण के अनुसार यह क्षेत्र परिमार्जित मर्केली स्केल पर VIII की तीव्रता वाले भूकंपों से व्यापक रूप से संबंधित है और भूकंपों के कारण होने वाले नुकसान की आशंका वाला क्षेत्र है।

## त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के मानदण्डों में परिवर्तन

**3799. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या शहरी विकास और गरीबी उपमशन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने 2001 की जनगणना और वर्तमान मुद्रा स्फीति के संदर्भ में ''त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम'' के वर्तमान मानदण्डों में कुछ परिवर्तन का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) :** (क) जी, हां। दिनांक 19.3.2002 को सचिव (यूडी) की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के दौरान महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि 50,000 तक की आबादी वाले श्रेणी ''ए'' नगरपालिकाओं को भी त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के तहत शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। यह भी कि त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के दिशानिर्देशों में यथा उल्लिखित 1000 रुपए प्रति व्यक्ति के लागत मानदण्ड को भी संशोधित करके बढ़ाया जाए क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में अधिकांश स्कीमें लंबी दूरी वाले सतही संसाधनों पर आधारित है जिनमें काफी अधिक निवेश अपेक्षित है।

(ख) मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार 1991 की जनगणना के आधार पर 20,000 की आबादी वाले सभी कस्बों का एयूडब्ल्यूएसपी के तहत शामिल करने का प्रस्ताव है।

लागत मानदंडों के मामले में यह स्पष्ट किया जाता है कि एयूडब्ल्यूएसपी के मौजूदा दिशानिर्देशों में उल्लिखित 1000/- रुपए प्रति व्यक्ति लागत मानदंड के निदर्शात्मक है। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में यदि समुचित औचित्य दिया गया हो तो गुणावगुण के आधार पर उच्चतर प्रति व्यक्ति लागत पर विचार किया जाता है।

## कृषि रसायनों का उत्पादन

**3800. श्री अनन्त नायक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितनी मात्रा में कृषि-रसायनों का उत्पादन किया गया;

(ख) इन वर्षों में कुल कितनी मात्रा में कृषि रसायनों का निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव वर्ष 2003-2004 के दौरान कृषि रसायनों के निर्यात में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त वित्तीय वर्ष में कृषि रसायनों के उत्पादन और निर्यात हेतु लगाये गये अनुमान का ब्यौरा क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) :** (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भारत सरकार ने कृषि रसायनों का निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं; अर्थात् :-

(i) अपेक्षित आंकड़ों का सरलीकरण, जो कि कीटनाशियों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए न्यूनतम हैं;

(ii) पंजीकरण समिति द्वारा निर्यात पंजीकरण के लिए आवेदनों की पखवाड़ा आधार पर तुरंत (फास्टट्रेक) जांच और प्राथमिकता के आधार पर मामलों की स्वीकृति; और

(iii) पंजीकरण पद्धति का कम्प्यूटरीकरण।

(घ) उद्योग विनियंत्रित होने के कारण उत्पादन और निर्यात, बाजार में आपूर्ति एवं मांग पर निर्भर करता है।

**विवरण**

| क्र.सं. | पेस्टिसाइड्स | 99-00 | | 2000-01 | | 2001-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | उत्पादन | निर्यात | उत्पादन | निर्यात | उत्पादन | निर्यात |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | डीडीटी | 3638 | 16 | 3786 | 64 | 3513 | 25 |
| 2. | मेलाथियॉन | 6049 | 2806 | 5900 | 2278 | 5597 | 2248 |
| 3. | पेराथियन (मिथाइल) | 1860 | 112 | 1979 | 48 | 2055 | 11 |
| 4. | डायमेथेएट | 1447 | 297 | 1463 | 115 | 847 | 121 |
| 5. | डीडीवीपी | 2495 | 187 | 2648 | 204 | 2832 | 230 |
| 6. | क्विनलफॉस | 2218 | 205 | 2649 | 259 | 2111 | 209 |
| 7. | मोनोक्रोटोफॉस | 9522 | 0 | 8319 | 0 | 6706 | 0 |
| 8. | फास्फामिडॉन | 4673 | 0 | 3470 | 0 | 534 | 0 |
| 9. | फोरेट | 6140 | 0 | 6101 | 0 | 4767 | 0 |
| 10. | इथियन | 3383 | 0 | 3456 | 0 | 4132 | 0 |
| 11. | इंडोसल्फान | 8287 | 3434 | 8508 | 2489 | 4489 | 2385 |
| 12. | फेनवेलेरेट | 1394 | 0 | 1632 | 0 | 1192 | 0 |
| 13. | साइपरमेथ्रीन | 3771 | 3773 | 4438 | 4618 | 5128 | 5692 |
| 14. | ऐनीलोफॉस | 900 | 0 | 848 | 0 | 896 | 0 |
| 15. | एसिफेट | 2884 | 0 | 3109 | 0 | 4354 | 0 |
| 16. | क्लोरोपाइरीफॉस | 7513 | 0 | 8033 | 0 | 6950 | 0 |
| 17. | फोसेलॉन | 514 | 0 | 582 | 0 | 513 | 0 |
| 18. | मेटासिस्टाक्स | 744 | 0 | 583 | 0 | 660 | 0 |
| 19. | अबेट | 185 | 0 | 265 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | फेमथियन | 155 | 0 | 189 | 3 | 69 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | ट्राइएजाफॉस | 845 | 0 | 847 | 0 | 1523 | 0 |
| 22. | लिंडेन | 1107 | 280 | 483 | 83 | 266 | 103 |
| 23. | टेमफॉस | 6 | 0 | 176 | 0 | 208 | 0 |
| 24. | डेल्टामेथ्रिन | 104 | 0 | 124 | 0 | 97 | 0 |
| 25. | अल्फामेथ्रिन | 361 | 0 | 115 | 0 | 303 | 0 |
| | कुल कीटनाशी | 70195 | 11110 | 69703 | 10161 | 59443 | 11024 |
| | **फंगीसाइड्स** | | | | | | |
| 26. | केप्टान व केप्टाफॉल | 1125 | | 1383 | 0 | 1177 | 0 |
| 27. | जिरम (थियोकार्बामेट) | 0 | 21 | 108 | 26 | 0 | 0 |
| 28. | कार्बेंडाजिम (बेविस्टिन) | 900 | 0 | 678 | 0 | 702 | 0 |
| 29. | केलिक्सिन (ट्राईडिमार्फ) | 35 | 0 | 38 | 0 | 61 | 0 |
| 30. | मेनकोजेब | 10323 | 0 | 9889 | 0 | 11628 | 0 |
| 31. | कोप्रोक्सीक्लोराइड | 219 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| | कुल हर्बिसाइड्स | 12602 | 21 | 12096 | 26 | 13586 | 0 |
| | **हर्बिसाइड्स** | | | | | | |
| 32. | 2, 4-डी | 1348 | 1865 | 1290 | 1004 | 215 | 492 |
| 33. | बुटाक्लोर | 706 | 0 | 224 | 0 | 363 | 0 |
| | कुल हर्बिसाइड्स | 2054 | 1865 | 1514 | 1004 | 578 | 492 |
| | **वीडीसाइड्स** | | | | | | |
| 34. | आइसोप्रोटुरॉन | 4610 | 1500 | 3752 | 2094 | 3779 | 633 |
| 35. | बेसालिन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | ग्लाइफोसेट | 1676 | 0 | 674 | 0 | 409 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | पेराक्वेट | 1374 | 0 | 1239 | 0 | 1000 | 0 |
| 38. | ड्यूरॉन | | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | एट्राजिन | 128 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 |
| 40. | फ्लुक्लोरालिन (तक.) | 154 | 0 | 50 | 0 | 133 | 0 |
| | कुल वीडीसाइड | 7942 | 1500 | 5739 | 2094 | 5524 | 633 |
| | **रोडेन्टिसाइड्स** | | | | | | |
| 41. | जिंक फास्फाइड | 474 | 0 | 592 | 0 | 338 | 0 |
| | कुल रोडेन्टिसाइड्स | 474 | 0 | 592 | 0 | 338 | 0 |
| | **फ्यूमिगेंट्स** | | | | | | |
| 42. | अलमुनियम फास्फाइड | 1842 | 632 | 2461 | 1098 | 2184 | 1094 |
| 43. | मिथाइल ब्रोमाइड | 100 | 0 | 63 | 0 | 41 | 0 |
| 44. | डिकोफॉल | 124 | 0 | 106 | 0 | 109 | 0 |
| | कुल फ्यूमिगेंट्स | 2066 | 632 | 2630 | 1098 | 2334 | 1094 |
| | सकल योग | 95333 | 15128 | 92274 | 14383 | 81803 | 13243 |
| | **कीटनाशी** | | | | | | |
| | मात्रा मी. टन में | | 89405 | | 47875 | | 51479 |
| | | | | | | | 13564 |
| | मूल्य लाख रुपए में | | 100411 | | 121532 | | 5 |
| | डीजीसीआईएस, कोलकाता के अनुसार | | | | | | |

*[हिन्दी]*

**पुलिस थानों के अभिलेख**

**3801. श्री वाई.वी. राव** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने पुलिस थानों के अभिलेखों के रख-रखाव हेतु समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक)** : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, दिल्ली में पुलिस स्टेशनों में रिकार्ड के रख-रखाव की समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुनरीक्षा की जाती है और पुनरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों में तत्काल सुधार किया जाता है।

## औषधियों के मूल्य

**3802. श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है माननीय बंगलौर उच्च-न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सरकार द्वारा मूल्य अधिसूचना जारी किये जाने के 15 दिनों के भीतर औषधियों के नए मूल्य प्रभावी बनाये जायें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि भेषज कंपनियों ने वर्तमान में बेची जा रही पुराने बैचों की औषधियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नये मूल्यों के संबंध में विवाद के न्यायालय के बाहर निपटान के लिये सरकार से संपर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह)** : (क) से (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) का पैरा 14 (I) के अंतर्गत, सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए प्रपुंज औषध या सूत्रयोग का मूल्य, जैसा भी मामला हो, सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने की तारीख या इस संबंध में सरकार का आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर, प्रत्येक विनिर्माता या आयातकर्ता द्वारा लागू किया जाना अपेक्षित है। मेसर्स स्मिथक्लीन बिकम फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर की गई समादेश याचिका सं. 38973/98 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 12.11.2002 के अपने आदेश के जरिए यह निर्णय दिया कि, ''डीपीसीओ के प्रावधान में स्पष्ट है कि 15 दिनों के अंदर मूल्य में संशोधन होना चाहिए उन सूत्रयोगों के मामले में भी जिनका अधिसूचना जारी होने के तारीख से पूर्व उत्पादन किया गया या अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों के अंदर जिनका उत्पादन हुआ हो।'' कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मैसर्स ग्लेक्सो स्मिथक्लीन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की गई है।

## सी.आई.एस.एफ. के बकाया देय

**3803. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में आन्ध्र प्रदेश में कितनी औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है;

(घ) क्या सी.आई.एस.एफ. द्वारा प्रदान किये जा रहे सुरक्षा कवच के बदले निजी औद्योगिक इकाइयों और राज्य सरकारों से कोई शुल्क लिया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सी.आई.एस.एफ. द्वारा कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई और राज्य सरकारों और निजी औद्योगिक इकाइयों पर कितनी धनराशि बकाया है; और

(च) समय से इस धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक)** : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को आन्ध्र प्रदेश में 20 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यूनिटों में तैनात किया गया है।

(घ) और (ङ) एकत्र की गई और बकाया राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(च) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मामले को संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/राज्य सरकार के साथ उपयुक्त स्तर पर उठाया है। गृह मंत्रालय भी बकाया की स्थिति का प्रबोधन करता है तथा संबंधित राज्यों के साथ मामले को उठाता है।

**विवरण-I**

*के.औ. सुरक्षा बल की यूनिटों के नाम*

| क्रम सं. | यूनिट का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | बी.डी.एल. भानूर |
| 2. | बी.डी.एल. कंचनबाग |
| 3. | भेल, हैदराबाद |
| 4. | एफ.सी.आई. रामगुनडम |
| 5. | एच.पी.सी.एल. विशाखापत्तनम |
| 6. | एच.पी.सी.एल./एल.पी.जी.(बी.पी.) विशाखापत्तनम |
| 7. | एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरू |
| 8. | हैदराबाद एयरपोर्ट |
| 9. | आई.जी. मिन्ट, हैदराबाद |
| 10. | एन.एफ.सी. हैदराबाद |
| 11. | एन.आर.एस.ए. बलानगर |
| 12. | ओ.एन.जी.सी. नरसापुर |
| 13. | आर.एस.टी.पी.पी. रामगुन्डम |
| 14. | सालारजंग म्यूजियम |
| 15. | एस.सी.सी.एल. सिंगरेनी |
| 16. | शार सेन्टर |
| 17. | एस.टी.पी.पी. (एन.टी.पी.सी.) सिम्हाद्री |
| 18. | विशाखापतनम हवाई अड्डा |
| 19. | वी.पी.टी. विशाखापतनम |
| 20. | वी.एस.पी. विशाखापतनम |
| 21. | पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा |
| 22. | बी.आर.पी.एल. बोंगई गांव |
| 23. | बी.वी.एफ.सी. नाम रूप |
| 24. | सी.पी.एम. पंचग्राम |
| 25. | डिब्रूगढ हवाई अड्डा |
| 26. | गुवाहाटी हवाई अड्डा |
| 27. | आई.ओ.सी. गुवाहाटी |
| 28. | जोरहाट हवाई अड्डा |
| 29. | एल.पी.जी./गेल लकवा |
| 30. | एन.पी.एम. जागी रोड |
| 31. | एन.आर.एल. नूमलीगढ़ |
| 32. | ओ.आई.एल. दुलियाजान |
| 33. | ओ.एन.जी.सी. जोरहाट |
| 34. | ओ.एन.जी.सी. नजीरा |
| 35. | ओ.पी.एस. नूनमाटी |
| 36. | एस.बी.एस.एस. सलाकाटी |
| 37. | सूबनसिरि (एल), एच.ई. परियोजना |
| 38. | बी.के.पी.एल. बरौनी |
| 39. | एफ.सी.आई. (एफ.एस.डी.) दिघाघाट |
| 40. | एफ.सी.आई. (एफ.एस.डी.) गया |
| 41. | एफ.सी.आई. (एफ.एस.डी.) मुकामा |
| 42. | एफ.सी.आई. (एफ.एस.डी.) फुलवारी शरीफ |
| 43. | आई.ओ.सी. बरौनी |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 44. | के.एच.एस.टी.टी.पी. कहलगांव |
| 45. | पटना हवाई अड्डा |
| 46. | बी.ए.आर.एच. सुपर थर्मल पावर परियोयोजना, बी.ए.आर.एच. |
| 47. | गया हवाई अड्डज्ञ |
| 48. | रोहतास इन्डस्ट्रीज (निजी क्षेत्र) (आई.एस. ड्यूटी) |
| 49. | चंडीगढ़ हवाई अड्डा |
| 50. | बी.आई.ओ.पी. डेप-5 |
| 51. | बी.आई.ओ.पी. डेप-14 |
| 52. | बी.एस.पी. भिलाई |
| 53. | के.एस.टी.पी.एस. कोरबा |
| 54. | रायपुर हवाई अड्डा |
| 55. | गोवा हवाई अड्डा |
| 56. | जी.एस.एल. गोवा |
| 57. | एम.पी.टी. गोवा |
| 58. | अहमदाबाद हवाई अड्डा |
| 59. | भुज हवाई अड्डा |
| 60. | गेल गंधार |
| 61. | गेल वधोदिया |
| 62. | आई.ओ.सी. (जी.आर.) बडौदा |
| 63. | जे.जी.जी.पी.पी. भरूच |
| 64. | के.ए.पी.एस. काकरापाड़ा |
| 65. | के.जी.पी.पी. कवास |
| 66. | के.पी.टो. कांदला |
| 67. | ओ.एन.जी.सी. अहमदाबाद |
| 68. | ओ.एन.जी.सी. अंकलेश्वर |
| 69. | ओ.एन.जी.सी. गंधार |
| 70. | ओ.एन.जी.सी. हजीरा |
| 71. | ओ.एन.जी.सी. मेहसाना |
| 72. | राजकोट हवाई अड्डा |
| 73. | एस.ए.सी. अहमदाबाद |
| 74. | एस.एम.पी.एल. राजकोट |
| 75. | यू.टी.पी.एस. उकई |
| 76. | बडोदरा हवाई अड्डा |
| 77. | एफ.जी.पी.पी. फरीदाबाद |
| 78. | आई.डी.पी.एल. गुडगांव |
| 79. | आई.ओ.सी. पानीपत |
| 80. | आई.ओ.सी./आर.एड.डी. फरीदाबाद |
| 81. | एन.एफ.एल. पानीपत |
| 82. | पी.टी.पी.एस. पानीपत |
| 83. | भुन्तर (कुल्लु) हवाई अड्डा |
| 84. | बी.एस.एच.ई.पी. सुरनगनी |
| 85. | चेप चमेरा-I |
| 86. | चेप चमेरा-II |
| 87. | एन.जे.पी.सी. झाकारी |
| 88. | शिमला हवाई अड्डा |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 89. | एच.एम.टी. श्रीनगर |
| 90. | पी.जी.सी.आई.एल. वगूरा |
| 91. | ढेल दुलहस्ती |
| 92. | यू.एच.ई.पी. उड़ी |
| 93. | शेप सलाल |
| 94. | बी.सी.सी.एल. धनबाद |
| 95. | बी.एल.एस.एम. भावनाथपुर |
| 96. | बी.एल.एल. बोकारो |
| 97. | बी.टी.पी.एम. (डी.बी.सी.) बोकारो |
| 98. | सी.सी.एल. करगाली |
| 99. | सी.सी.डब्ल्यू.ओ. धनबाद |
| 100. | सी.टी.पी.एस. चन्द्रपुरा |
| 101. | डी.वी.सी. माइथौन डैम |
| 102. | डी.वी.सी. पनचोत डैम |
| 103. | एफ सी आई सिन्दरी |
| 104. | एच ई सी रांची |
| 105. | कियोप किरिरू |
| 106. | मियोम मेघातुब्रू |
| 107. | पी टी पी एस पतरातू |
| 108. | रांची हवाई अड्डा |
| 109. | टी टी पी एस तेनूघाट |
| 110. | यू सी आई एल जादूगुडा |
| 111. | बंगलौर हवाई अड्डा |
| 112. | भेल बंगलौर |
| 113. | दियोम डोनी मलाई |
| 114. | इसरो बंगलौर |
| 115. | के आई ओ सी एल कुद्रेमुख |
| 116. | मंगलौर हवाई अड्डा |
| 117. | एम सी एफ हसन |
| 118. | एन एम पी टी मंगलौर |
| 119. | एन एन पी मैसूर |
| 120. | एन पी सी काइगा |
| 121. | टी एस पी तुंगभद्रा |
| 122. | ए पी ई पी आल्वाई |
| 123. | कालीकट हवाई अड्डा |
| 124. | कोचीन हवाई अड्डा |
| 125. | सी पी टी कोचीन |
| 126. | सी एस वाई कोचीन |
| 127. | एफ ए सी टी उद्योग मंडल |
| 128. | एच एन एल कोट्टायम |
| 129. | आई टी आई पालघाट |
| 130. | के सी सी पी पी कायमकुलम |
| 131. | पी एस एल वी वलिया मलाई |
| 132. | वी एस एस सी थुम्बा |
| 133. | त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा |
| 134. | एन सी एल सिंगरौली (केवल एफ डब्ल्यू) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 135. | भेल भोपाल |
| 136. | भेपाल हवाई अड्डा |
| 137. | बी एन पी देवास |
| 138. | डी एम पी पन्ना |
| 139. | गेल विजयपुर |
| 140. | जी ओ ए एफ नीमच |
| 141. | ग्वालियर हवाई अड्डा |
| 142. | एन एफ एल विजयपुर |
| 143. | एम पी एम होशंगाबाद |
| 144. | वी.एस.टी.पी.पी. सीधी |
| 145. | औरंगाबाद हवाई अड्डा |
| 146. | बी ए आर सी/टी ए पी एस तारापुर |
| 147. | बी पी सी एल मुम्बई |
| 148. | गेल उस्सर |
| 149. | एच ए एल पिम्परी |
| 150. | एच ओ सी रसायनी |
| 151. | एच पी सी एल मुम्बई |
| 152. | जे एन पी टी सेवा |
| 153. | एम डी एल मुम्बई |
| 154. | एन ए वी ए यार्ड मुम्बई |
| 155. | ओ एन जी सी मुम्बई |
| 156. | आर सी एफ एल चेंबूर |
| 157. | आर सी एफ एल थाल |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 158. | मुम्बई हवाई अड्डा |
| 159. | नागपुर हवाई अड्डा |
| 160. | पुणे हवाई अड्डा |
| 161. | आई एस पी नासिक |
| 162. | सी एन पी नासिक |
| 163. | पेप दोयान्ग |
| 164. | एन पी पी सी एल टुली |
| 165. | बी टी पी एस बदरपुर |
| 166. | सी सी आई एल तुगलकाबाद |
| 167. | सी सी आई एल तुगलकाबाद |
| 168. | आई पी एस (डी बी बी) नई दिल्ली |
| 169. | एल पी जी (बी.पी.) टीकरीकलां |
| 170. | राष्ट्रीय संग्रहालय |
| 171. | ओ आई एल शकूर बस्ती |
| 172. | आर पी एस (डी वी पी) नई दिल्ली |
| 173. | सी जी बी एस नई दिल्ली |
| 174. | भुवनेश्वर हवाई अड्डा |
| 175. | एफ सी आई तलचर |
| 176. | एच डब्ल्यू पी तलचर |
| 177. | नाल्को एन्गुल |
| 178. | नाल्को दमनजोडी |
| 179. | पी पी टी पारादीप |
| 180. | आर एस पी राऊरकेला |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 181. | टी एस टी पी पी कानिहा |
| 182. | टी टी पी एस तलचर |
| 183. | ई आई आर पी अभयचंद्रपुर |
| 184. | अमृतसर हवाई अड्डा |
| 185. | एन एफ एल भटिन्डा |
| 186. | एन एफ एल नया नांगल |
| 187. | ए जी पी पी अन्ता |
| 188. | जयपुर हवाई अड्डा |
| 189. | जोधपुर हवाई अड्डा |
| 190. | के टी पी एम कोटा |
| 191. | आर ए पी एस एच डब्ल्यू पी कोटा |
| 192. | उदयपुर हवाई अड्डा |
| 193. | चेन्नई हवाई अड्डा |
| 194. | कोयंबटूर हवाई अड्डा |
| 195. | सी पी टी चेन्नई |
| 196. | डी ए ई कल्पक्कम |
| 197. | एन्नोरे पोर्ट |
| 198. | एल पी एस ई महेन्द्रगिरि |
| 199. | एम एफ एल मनाली |
| 200. | सी पी सी एल मनाली |
| 201. | एन एल सी नेवेली |
| 202. | एस एस पी सेलम |
| 203. | टी पी टी तूतिकोरिन |
| 204. | मदुरै एयरपोर्ट |
| 205. | त्रिची हवाई अड्डा |
| 206. | अगरतला हवाई अड्डा |
| 207. | ओ एन जी सी त्रिपुरा |
| 208. | आगरा हवाई अड्डा |
| 209. | ए टी पी पी अनपाड़ा |
| 210. | ए यू जी पी पी एटावा |
| 211. | भेल जगदीशपुर |
| 212. | भेल झांसी |
| 213. | बी पी सी एल नैनी |
| 214. | एफ सी आई गोरखपुर |
| 215. | एफ जी यू टी पी पी ऊंचाहर |
| 216. | गोफ गाजीपुर |
| 217. | एच टी पी पी कासिमपुर |
| 218. | इफ्फको एनोला |
| 219. | इफ्फको फूलपुर |
| 220. | आई ओ सी मथुरा |
| 221. | इस्ट्रैक लखनऊ |
| 222. | आई टी आई मानकपुर |
| 223. | आई टी आई नैनी |
| 224. | आई टी आई रायबरेली |
| 225. | लखनऊ हवाई अड्डा |
| 226. | नैप्स नरोरा |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 227. | एन सी टी पी पी दादरी |
| 228. | ओ टी एच पी पी ओबरा |
| 229. | पी टी पी एस पनकी |
| 230. | पी टी पी एस परीचा |
| 231. | आर एच ई पी सी पीपरी |
| 232. | आर एच एस टी पी पी रिहन्द |
| 233. | एस एस टी पी पी एस शक्ति नगर |
| 234. | ताजमहल (आई एस ड्यूटी) |
| 235. | टी एस एल नैनी |
| 236. | टी टी पी पी टांडा |
| 237. | यू पी पी सी पाटा |
| 238. | वाराणसी हवाई अड्डा |
| 239. | भेल हरिद्वार |
| 240. | एच एम टी रानीबाग |
| 241. | आई डी पी एल ऋषिकेश |
| 242. | ओ एन जी सी देहरादून |
| 243. | टी एच डी सी टिहरी |
| 244. | थेप बंबासा |
| 245. | बागडोगरा हवाई अड्डा |
| 246. | बी आर बी एन एम एल सलबोनी |
| 247. | के ओ पी टी कोलकाता |
| 248. | डी सी सी दनकुनी |
| 249. | डी एस पी दुर्गापुर |
| 250. | डी टी पी एस दुर्गापुर |
| 251. | डी वी सी मुख्यालय कोलकाता |
| 252. | ई सी एल शीतलपुर |
| 253. | एफ बी पी फरक्का |
| 254. | एफ सी आई एफ एस डी नई जलपाईगुड़ी |
| 255. | एफ एस टी पी पी फरक्का |
| 256. | एच डी सी हल्दिया |
| 257. | एच एफ सी एल दुर्गापुर |
| 258. | एच एफ सी एल हल्दिया |
| 259. | इस्को बर्नापुर |
| 260. | आई ओ सी हल्दिया |
| 261. | कोलकाता हवाई अड्डा |
| 262. | एम ए एम सी दुर्गापुर |
| 263. | एम टी पी एस (डी वी सी) मेजिया |
| 264. | खजुराहो हवाई अड्डा |
| 265. | एन एस पी सी एल दुर्गापुर |
| 266. | रामपुर रजा पुस्ताकालय |
| 267. | पंजाब एवं हरियाणा सचिवालय |
| 268. | एस ई डब्ल्यू ए एच ई परियोजना |
| 269. | इफ्फको कांडला |
| 270. | प्रगति पावर परियोजना |
| 271. | के के एन पी पी कुन्दनकुलम |

टिप्पणी: केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती 271 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/सरकारी स्थापनाओं तथा एक निजी क्षेत्र उद्योग में (क्र. 48 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार) की गई है।

**विवरण-II**

*केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान एकत्र की गई तथा राज्य सरकारों निजी औद्योगिक यूनिटों पर बकाया राशि*

| क्रम सं. | यूनिट का नाम | एकत्र की गई राशि | | | योग | 31.3.2003 को बकाया |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | | |
| 1. | एटीपीपी अनपाडा | 3,90,39,113 | 5,67,79,489 | 6,59,35,604 | 16,17,54,206 | 1,86,74,710 |
| 2. | एचटीटीपीपी कासिमपुर | 3,71,25,670 | 4,06,20,713 | 5,43,42,134 | 13,20,88,517 | 1,11,13,058 |
| 3. | ओटीएचपीपी ओबरा | 6,04,67,519 | 7,43,56,787 | 7,95,55,532 | 21,43,79,838 | 4,34,10,116 |
| 4. | पीटीपीएस पनकी | 2,55,00,000 | 3,97,00,000 | 5,22,50,000 | 11,74,50,000 | 2,19,10,888 |
| 5. | पीटीपीएस परीचा | 2,49,13,338 | 3,92,13,323 | 4,86,40,805 | 11,27,67,466 | 1,79,31,762 |
| 6. | आरएचईपीपी पीपरी | 1,31,47,743 | 1,61,26,287 | 1,45,67,802 | 4,38,41,832 | 86,88,978 |
| 7. | पीटीपीएस पतरातू | 4,42,09,279 | 3,07,60,870 | 4,57,00,000 | 12,06,70,149 | 1,95,52,007 |
| 8. | टीटीपीएस तेनुघाट | 12,35,843 | 1,46,57,488 | 1,59,80,548 | 3,18,73,879 | 68,04,937 |
| 9. | जीटीपीएस, नई दिल्ली | 1,37,11,187 | 1,25,37,709 | 1,22,63,944 | 3,85,12,840 | 45,611 |
| 10. | आईपीएस डीवीबी, नई दिल्ली | 1,24,99,326 | 1,66,39,642 | 1,50,50,799 | 4,41,89,767 | 10,89,686 |
| 11. | आरपीएसडीवीबी नई दिल्ली | 1,51,67,416 | 1,68,80,755 | 1,49,86,042 | 4,70,34,213 | 14,99,970 |
| 12. | प्रगति पावर परियोजना, नई दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 नई शामिल की गई |
| 13. | यूटीपीएस उकई | 1,63,28,802 | 1,50,48,313 | 2,31,44,949 | 5,45,22,064 | 37,90,356 |
| 14. | पीटीपीएस पानीपत | 1,26,17,036 | 93,61,895 | 90,23,102 | 3,10,02,033 | 25,69,569 |
| 15. | केटीपीएस कोटा | 1,44,08,737 | 1,79,58,485 | 2,66,79,009 | 5,90,46,231 | 53,04,957 |
| 16. | रोहतास उद्योग | 5,00,000 | 3,00,000 | | 8,00,000 | 3,38,66,972 |
| | कुल | 33,08,71,009 | 40,09,41,756 | 47,81,20,270 | 1,20,99,33,035 | 19,62,53,577 |

**महिला सशक्तीकरण**

**3804. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में महिला दिवस के अवसर पर उनके सशक्तीकरण संबंधी कुछ नई योजनायें शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत कन्या शिशु के पैदा होने पर महिलाओं को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं और इसका ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**ग्रामीण विकास योजनाओं के वित्तपोषण की पद्धति में परिवर्तन**

**3805. श्री एम.के. सुब्बा** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर ग्रामीण विकास योजनाओं के वित्तपोषण की पद्धति में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) राज्य के वित्तपोषण की पद्धति में किए जाने वाले संभावित विशिष्ट परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील)** : (क) जी, हां।

(ख) असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों ने केन्द्र और राज्यों के बीच ग्रामीण विकास योजनाओं के वित्त पोषण की पद्धति को 75 : 25 को बदलकर 90 : 10 कर देने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) ये मामला योजना आयोग के विचाराधीन है।

**लेखन सामग्री की खरीद**

**3806. श्री शीशराम सिंह रवि :**
**श्री रघुनाथ झा :**

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 17-12-2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4185 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या दिनांक 14-7-1981 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन का तात्पर्य उन लेखन सामग्रियों की स्थानीय खरीद करने से है जिनकी मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग आपूर्ति करने में समर्थ नहीं है अथवा तत्संबंधी आपूर्ति में विलंब होता है अथवा असंभावित आपात स्थिति में न कि दैनिक रूप से;

(ङ) यदि हां, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14-7-1981 के कार्यालय ज्ञापन में संशोधन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 102 के परिशिष्ट 9 का नियम 6 (क) सरकारी कार्यालयों द्वारा लेखन सामग्री की खरीद पर लागू होता है न कि सामान्य वित्तीय नियमों का अध्याय 8;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या उनके मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालयों/विभागों और उनके प्रभावित और अधीनस्थ कार्यालयों को दिनांक 27-2-1991 के सरकारी संकल्प का स्पष्ट रूप से अनुपालन करने की सूचना दी है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन)** : (क) से (ग) कार्मिक, लोक शिकायत तथा

पेंशन मंत्रालय से अब सूचना प्राप्त हो गई है। दिनांक 17.12.2002 के अतारांकित प्रश्न सं. 4185 का उत्तर दिनांक 6.3.2003 को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज दिया गया है। उत्तर की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (च) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 14.7.1981 का का.ज्ञा. लेखन सामग्री व अन्य मदों की स्थानीय खरीद के संबंध में है। सरकार के मंत्रालयों/विभागों के पास सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के नियमों के तहत इस प्रकार की स्थानीय खरीद करने की शक्तियां हैं। अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई लेखन सामग्री भंडार की स्थानीय खरीद शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

(छ) और (ज) सामान्य वित्तीय नियमावली के परिशिष्ट 9 में लोक सेवा हेतु लेखन सामग्री भंडार की खरीद नियंत्रित करने हेतु नियम निर्धारित किए गए हैं। यह नियम 102 के अंतर्गत अनुबंधित है, जो स्वयं ही जीएफआर के अध्याय 8 का एक भाग है।

(झ) और (ञ) दिनांक 27.2.1991 का भारत सरकार का संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था तथा सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा इसका अनुपालन किया जाना है। भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय को भी इस संकल्प की प्रतियां ऐसे सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जो उन्हें अपनी लेखन सामग्री के मांग पत्र नियमित रूप से नहीं भेज रहे हैं।

**विवरण**

(क) और (ख) भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय लेखन सामग्री की खरीद तथा भारत सरकार के विभागों/कार्यालयों को आपूर्ति के लिए प्राधिकृत एक केन्द्रीय एजेंसी है। तथापि, सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के नियम 102 के अन्तर्गत परिशिष्ट-9 में नियम 6(क) के अन्तर्गत लेखन सामग्री भंडार की स्थानीय खरीद की अनुमति आकस्मिक परिस्थितियों या मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग के मार्फत आपूर्ति में विलंब या असफलता की वजह से आकस्मिकता में दी जाती है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.7.81 के का.ज्ञा.सं. 14/12/80-कल्याण के तहत सभी केन्द्रीय सरकार के विभागों, उनके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों तथा दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित सरकार से वित्तपोषित व/या नियंत्रित अन्य संगठनों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे अपनी जरूरत की लेखन सामग्री तथा अन्य मदों की सभी स्थानीय खरीद केवल केन्द्रीय भंडार से करे। यह प्राधिकार स्थानीय खरीद के लिए है, जो जीएफआर के तहत अनुमत्य है।

(ग) से (च) "अन्य मद" शब्द दिनांक 14.7.81 के का.ज्ञा. में विशेष तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, इस का.ज्ञा. के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट है कि उचित दाम के साथ-साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण देने हेतु लेखन सामग्री, सैनिटरी, बिजली व अन्य सामान, जो सामान्यतया सरकारी विभागों द्वारा मांगे जाते हैं, की कीमतें एक समिति द्वारा तय की जाएगी। अत: का.ज्ञा. के पैरा 5 के साथ पठित पैरा 4 में कार्यालय ज्ञापन का अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि सरकारी विभागों द्वारा सामान्यत: मांगी जा रही सभी मदों को "अन्य मदों" की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

**बेसहारों और विधवाओं की दुर्दशा**

**3807. श्री पी.सी. थामस** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में बेसहारों और विधवाओं की दुर्दशा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी दशा सुधारने हेतु कौन-सी योजनाएं लक्षित हैं;

(ग) क्या सरकार ने बेसहारों और विधवाओं की दुर्दशा का अध्ययन किया है या अध्ययन हेतु कोई समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा)** : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा अंगीकृत राष्ट्रीय महिला शक्तिसम्पन्नता नीति में अशक्त महिलाओं, विधवाओं, वृद्ध महिलाओं, परित्यक्त महिलाओं आदि जैसी विशिष्ट रूप से वंचित वर्गों की महिलाओं को विशेष सहायता देने हेतु उपाय करना एवं कार्यक्रम चलाना अपेक्षित है। आपदाग्रस्त महिलाओं के लिए सरकार ने 'स्वाधार' नामक स्कीम भी शुरू की है, जो देखभाल एवं संरक्षण की जरूरतमंद निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं सहित सभी श्रेणियों की कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड ने 1988 में उत्तर प्रदेश के वृंदावन एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में विधवाओं एवं अन्य महिलाओं की स्थिति के बारे में सर्वेक्षण किया था। पश्चिम बंगाल महिला आयोग ने भी 2000 में वृंदावन में बंगाली महिलाओं

का सर्वेक्षण किया था। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 1996 में वृंदावन एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में विधवाओं पर अध्ययन कराया था।

**सी.बी.आई. द्वारा छापे**

3808. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
**श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
**श्रीमती निवेदिता माने :**
**श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
**श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
**श्री कैलाश मेघवाल :**

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.बी.आई. ने हाल ही में दिविप्रा के उपाध्यक्ष सहित उसके कुछ अधिकारियों के कार्यालय और आवासीय परिसरों पर छापा मारा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जब्त की गयी परिसम्पत्तियों और गिरफ्तार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) छापे के परिणामों के आधार पर आगे क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना हैं?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) :** (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) के सर्वश्री सुभाष शर्मा, तत्कालीन उपाध्यक्ष, आनन्द मोहन शरण, आयुक्त (भूमि निपटान) विजय रिसबुद, आयुक्त (योजना), जगदीश चन्दर, निदेशक (भूमि) तथा अशोक कपूरी, उपाध्यक्ष के भूतपूर्व निजी सचिव (निलम्बनाधीन) के कार्यालय तथा रिहायशी परिसरों की तलाशी ली गयी। तलाशी के परिणामस्वरूप आयुक्त (भूमि-निपटान) तथा आयुक्त (योजना) के रिहायशी परिसरों से क्रमश: 36 लाख रुपये तथा 3,63,000/- रुपये नकद बरामद किये गये। यह बताया गया है कि तलाशी लिये गये परिसरों में से कथित रूप से अपराध संकेती दस्तावेज/बैंक खाते/ कम्प्यूटर बरामद हुये हैं। श्री आनन्द मोहन शरण, आयुक्त (भूमि निपटान), डी.डी.ए. को दिनांक 28.03.03 को गिरफ्तार किया गया, श्री अशोक कुमार, उपाध्यक्ष के निजी-सचिव, डी.डी.ए. (निलम्बनाधीन) को दिनांक 02.04.03 को गिरफ्तार किया गया तथा श्री सुभाष शर्मा, भूतपूर्व उपाध्यक्ष, डी.डी.ए. को दिनांक 03.04.03 को गिरफ्तार किया गया।

(घ) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम, 3(2) के तहत सर्वश्री सुभाष शर्मा, भा.प्र.से., भूतपूर्व उपाध्यक्ष तथा आनन्द मोहन शरण, भा.प्र.से. आयुक्त (भूमि-निपटान) मानित निलम्बनाधीन हैं। श्री विजय रिसबुद, आयुक्त (योजना) तथा श्री जगदीश चन्दर निदेशक (भूमि) को भी निलम्बित कर दिया गया है।

*[हिन्दी]*

**सी.आई.एल. के अधिकारियों पर सी.बी.आई. के छापे**

3809. **प्रो. रीता वर्मा :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के कितने अधिकारियों के परिसरों पर सी.बी.आई. ने छापा मारा है तथा उनके नाम और पदनाम क्या हैं;

(ख) उन अधिकारियों की कम्पनी-वार संख्या कितनी हैं जो अभी भी सेवारत हैं;

(ग) इन अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज मामलों की अद्यतन स्थिति क्या है;

(घ) क्या सी.बी.आई. द्वारा मामला दर्ज करने के बाद भी इन अधिकारियों को पदोन्नति दी गयी अथवा संवेदनशील पदों पर नियुक्त किया गया;

(ङ) यदि हां, तो इसके मामले-वार कारण क्या हैं; और

(च) ऐसे कितने अधिकारियों को सी.बी.आई. द्वारा उनके विरुद्ध मामला दर्ज करने की वजह से सेवा से निलंबित अथवा बर्खास्त किया गया?

**कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) :** (क) और (ख) जिन अधिकारियों के घरों में सी.बी.आई. ने छापे मारे उनकी संख्या का अनुषंगीवार ब्यौरा तथा उनमें से ऐसे अधिकारियों की संख्या जो अब भी सेवा में हैं, नीचे दिए अनुसार है :-

| कम्पनी का नाम | ई.सी. एल. | बी.सी.सी. एल. | सी.सी. एल. | डब्ल्यू.सी. एल. | एस.ई.सी. एल. | एम.सी. एल. | एन.सी. एल. | सी.एम.पी. डी.आई.एल. | सी.आई.एल. (मुख्या.) | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| छापा मारे गए अधिकारियों की संख्या | 10 | 47 | 18 | 04 | 02 | — | 02 | 01 | — | 84 |
| सेवारत अधिकारियों की संख्या | 4 | 33 | 14 | 4 | 2 | — | 2 | 1 | — | 60 |

(ग) मामले की अनुषंगीवार नवीनतम स्थिति नीचे दी गई है :-

| | कम्पनी का नाम | ई.सी. एल. | बी.सी.सी. एल. | सी.सी. एल. | डब्ल्यू.सी. एल. | एस.ई. सी.एल. | एम.सी. एल. | एन.सी. एल. | सी.एम.पी. डी.आई.एल. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) | विचारणाधीन | 5 | 36 | 9 | 4 | 1 | — | 1 | — |
| (ii) | विभागीय जांच | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | — |
| (iii) | जांच चल रही है | — | 2 | 7 | — | — | — | 1 | 1 |
| (iv) | बर्खास्त | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| (v) | बरी किए गए | — | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| (vi) | हाल में प्राप्त अदालती निर्णय | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| (vii) | दण्डित किए गए (बर्खास्तगी के अलावा) | 3 | — | — | — | — | — | — | — |

(घ) मामलों के लंबित रहने के दौरान इन अधिकारियों को न तो पदोन्नत किया गया और न ही संवेदनशील पदों पर तैनात किया गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

| कम्पनी का नाम | ई.सी. एल. | बी.सी.सी. एल. | सी.सी. एल. | डब्ल्यू.सी. एल. | एस.ई.सी. एल. | एम.सी. एल. | एन.सी. एल. | सी.एम.पी. डी.आई. एल. | सी.आई. एल. (मुख्या.) | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| निलंबित अधिकारियों की संख्या | 2 | 32 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 41 |
| बर्खास्त किए गए अधिकारियों की संख्या | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई**

**3810. श्री किरीट सोमैया :**
**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने आर.सी.एफ., मुंबई के अधिकारी संगठन द्वारा पेट्रोलियम मंत्रालय के विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रसायन और उर्वरक मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और आर.सी.एफ. ने गैस आपूर्ति के मुद्दे को सुलझा लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स (आर.सी.एफ.) 'फीडस्टॉक नेचुरल गैस लिमिटेशन' और अंत: निगम ऋण जैसी कुछ वास्तविक समस्याओं से जूझ रहा है जिसने मिनी रत्न के दर्जे से सम्मानित होने के बावजूद आर.सी.एफ. के कार्यकलाप को प्रभावित किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन समस्याओं से निपटने में उर्वरक विभाग और आर.सी.एफ. को मदद पहुंचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) :** (क) से (च) जी, हां। आर.सी.एफ. ऑफिसर्स ऐसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के बीच रिट याचिका संख्या 2002 की 3161 में माननीय उच्च न्यायालय, बम्बई के निर्देशों के अनुपालन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा उर्वरक विभाग के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि उरान क्षेत्र में उपलब्ध गैस का वितरण एक सीमित अवधि के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को विशेष छूट देते हुए आनुपातिक आधार पर उपभोक्ताओं के बीच किया जाएगा।

आर.सी.एफ. ने फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई), हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एचएफसी), इंडिया ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल) और स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (एसएसपीएल) जो केन्द्र सरकार के उपक्रम हैं और इन्हें या तो रुग्ण घोषित कर दिया गया है या बंद कर दिया गया है, को अंत:-निगम ऋण दिए हैं। एफ.सी.आई. ने एक समझौते के तहत आर.सी.एफ. को अपने ऋण की अदायगी कर दी है किन्तु अन्य सरकारी उपक्रम धन के अभाव के कारण आर.सी.एफ. को ऋणों की अदायगी नहीं कर पाए हैं।

**कुशल व्यक्तियों को डिप्लोमा/डिग्री प्रदान करना**

**3811. श्री चन्द्र भूषण सिंह :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-मान्यता प्राप्त क्षेत्र में कार्यरत उन कुशल व्यक्तियों को इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिग्री प्रदान करने पर विचार कर रही है जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं है ऐसे डिप्लोमा व डिग्री प्रदान करने से पूर्व तत्संबंधी छानबीन एवं जांच हेतु एक राज्य स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) :** (क) से (घ) व्यवसायोन्मुख शिक्षा की प्रस्तावित संशोधित योजना में नेशनल कम्पीटेंसी टेस्टिंग एजेंसी स्थापित करने का प्रावधान है जो गैर-मान्यता प्राप्त क्षेत्र के व्यक्तियों सहित कुशल व्यक्तियों की क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होगी।

**निगरानी समितियों के अंतर्गत अध्यक्ष के चयन हेतु मानदंड**

**3812. श्री नरेश पुगलिया :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता व निगरानी समितियों को पुनर्गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या एक जिला में अपेक्षाकृत कम संख्या में विधान सभा चुनाव क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों को ऐसी समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है जबकि उसी जिले में अपेक्षाकृत अधिक विधान सभा चुनाव क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों को उपाध्यक्ष बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में संसद सदस्यों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील)** : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्ड इस प्रकार है:-

(i) जहां एक जिला में मात्र एक ही लोक सभा सदस्य है, वहां उस जिला में उस सदस्य को समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है।

(ii) जहां एक जिला में एक से अधिक लोक सभा सदस्य हैं, वहां जो सदस्य सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र कवर करते हैं उन्हें अध्यक्ष नामित किया गया है और उस जिला के अन्य सदस्यों को उपाध्यक्ष नामित किया गया है। यदि सदस्यों में से कोई लोक सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हैं या केन्द्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं तो उस सदस्य को समिति का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को समिति का उपाध्यक्ष नामित किया गया है।

(ग) लोक सभा सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व रखे जाने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कोई मानदंड नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) कुछ सदस्यों ने प्रतिवेदन दिया है कि उन्हें जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों में अध्यक्ष नामित किया जाना चाहिए क्योंकि वे अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(छ) ऐसे प्रतिवेदनों पर संसद सदस्यों द्वारा कवर किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप जांच की जाती है और जहां अपेक्षित है वहां सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

*[हिन्दी]*

## गरीबी उपशमन कार्यक्रम

**3813. श्री हरिभाई चौधरी :**
**श्री लक्ष्मण गिलुवा :**
**डा. जसवंतसिंह यादव :**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का परियोजना परिव्यय कितना है;

(ख) नौवीं योजनावधि के दौरान कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है;

(ग) दसवीं योजना के दौरान नए उद्योगों की स्थापना और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार औद्योगिक घरानों के सर्जनात्मक सहयोग से गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को तैयार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम के तहत रोजगार के अवसरों की कार्यकुशलता विकसित करने तथा ग्रामीण उद्योगों की स्थापना करने हेतु निजी क्षेत्र को शामिल करने का भी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार का विचार गरीबी उपशमन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गरीबी उपशमन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उनको योजनावार और गैर-सरकारी संगठनवार कितनी धनराशि मुहैय्या करायी गयी?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील)** : (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रमुख गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए योजना परिव्यय निम्नानुसार है :-

(करोड़ रु. में)

| क्रम सं. | योजना का नाम | दसवीं योजना परिव्यय |
|---|---|---|
| 1. | सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) | 30,000.00 |
| 2. | ग्रामीण आवास (इंदिरा आवास योजना) | 8603.00 |
| 3. | स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) | 3955.00 |
| | कुल | 42,558.00 |

(ख) उपलब्ध नवीनतम आकलन के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 1993-94 में 37.27% से घटकर 1999-2000 में 27.09% हो गया है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) जी, हां।

(छ) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां समूह विकास प्रक्रिया की शुरुआत करने एवं इसे जारी रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों या समुदाय आधारित संगठनों या समुदाय समन्वयकों/प्रेरकों का नेटवर्क या वाणिज्य बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ सहकारी बैंकों के रूप में सुविधादाताओं की मदद करेंगी। ग्रामीण उत्पादों के लिए विपणन सहायता मुहैया कराने के लिए निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

(ज) जी, हां।

(झ) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के दिशा-निर्देशों में कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर गैर-सरकारी संगठनों की स्पष्ट भूमिका का प्रावधान है। गैर-सरकारी संगठनों को अभिनव ग्रामीण आवास योजना और ग्रामीण निर्मिति केन्द्र योजना के कार्यान्वयन में भी शामिल किया जाता है जिसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से निधियां रिलीज की गई हैं। वर्ष 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 में ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई निधियां संलग्न विवरण-I और II में दर्शाई गई हैं।

**विवरण-I**

(लाख रु. में)

| क्र. सं. | योजना का नाम | वर्ष | गैर-सरकारी संगठनों का नाम | रिलीज की गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अभिनव योजना | 2000-2001 | ब्रदर्न इंस्टी. ऑफ रूरल डेवलपमेंट | 8.00 |
| 2. | | | अहमदाबाद स्टडी एक्शन ग्रुप | 8.00 |
| 3. | | | सी.एन. मेमोरियल वनिया समाजम, त्रिवेंद्रम | 12.96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | | 2000-2001 | संथाना महिला समाजम एंड नर्सरी स्कूल, त्रिवेंद्रम | 5.40 |
| 5. | | | वेलफेयर सर्विस, एर्नाकुलम | 8.00 |
| 6. | | | बम्बू सोसाइटी ऑफ इंडिया, बंगलौर | 0.57 |
| 7. | | | कर्नाटक रिजनल इंजीनियरिंग कालेज, दक्षिण कन्नड़ जिला | 25.00 |
| 8. | | | सौनारी मल्टीपल कॉपरेटिव सोसाइटी लि., नागालैंड | 8.00 |
| 9. | | | कॉपरेशन लीग इन डेवलपमेंट, कन्याकुमारी | 8.00 |
| 10. | | | अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं समाज कल्याण परिषद् | 8.00 |
| 11. | | | जन-मानस विकास संस्थान, लखनऊ | 8.00 |
| 12. | | | सर्वभौम स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, मथुरा | 7.97 |
| 1. | | 2001-2002 | हरिथा एसो. फॉर लर्निंग एनवॉयरमेंट, खम्माम | 2.74 |
| 2. | | | ग्रामोदय ऑर्गे. फॉर रूरल डेव., नालगोंडा | 4.55 |
| 3. | | | साई सेवा समिति, कुरनूल | 5.00 |
| 4. | | | अरिमजातो यिवाकामा सेवा समगजा, वोकौमाग्राम | 4.70 |
| 5. | | | शक्ति महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति, लि.मि. | 16.00 |
| 6. | | | सिविल इंजीनियरिंग टेक. डेव. सेंटर, विदिशा | 3.63 |
| 7. | | | वांगू सबल यूथ डेव. एसो., बिष्णुपुर | 5.00 |
| 8. | | | मानव सेवा सदन, ढ़ेंकनाल | 8.00 |
| 9. | | | कॉपरेशन लीग इन डेव., कन्याकुमारी | 8.00 |
| 10. | | | जन मानस विकास लखनऊ | 8.00 |
| 11. | | | सर्वभौम स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, मथुरा | 7.97 |
| 12. | | | कलियाचक नेताजी सुभाष संघ बर्द्धवान | 4.92 |
| 1. | | 2002-2003 | ग्राम्युदय सेवा युवाजन संगम, श्रीकाकुलम | 5.00 |
| 2. | | | मदर टेरेसा ऑरफान सोसा. फॉर डिस्प्लेस्ड वूमन, हैदराबाद | 3.70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | | 2002-2003 | प्रजा प्रगति सेवा संगम, जि. कृष्णा | 4.38 |
| 4. | | | विलेज डेव. सोसा., हैदराबाद | 3.30 |
| 5. | | | नित्य कृषि रूरल डेव. एड्. एंड हेल्थ सोसाइटी, अनंतपुर | 4.18 |
| 6. | | | शक्ति महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमि., मधुबनी | 4.00 |
| 7. | | | जरपन-नसारपुर विभाग कल्याणी मंडल, वादी | 4.99 |
| 8. | | | सी.एन. मेमोरियल वनिता समाजम, त्रिवेंद्रम | 3.24 |
| 9. | | | वेलफेयर सर्विस, एर्नाकुलम | 8.00 |
| 10. | | | स्टार स्कूल समिति, इंदौर | 4.66 |
| 11. | | | नेताजी सुभाष चंद्र बोस शिक्षा समिति, जयपुर | 3.93 |
| 12. | | | श्री हरिदेव शिक्षा समिति, भरतपुर | 3.93 |
| 13. | | | नेहरू रूरल डेवलपमेंट सोसा., तिरूवन्नामलाई | 5.00 |
| 14. | | | इंटीग्रेटेड रूरल कम्यूनिटी डेव. सोसा., तिरूवल्लूर | 5.00 |
| 15. | | | अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन एवम् समाज कल्याण परिषद, मथुरा | 8.00 |
| 16. | | | पिंकी ग्रामोद्योग संस्था, जि. अम्बेडकर नगर | 4.87 |
| 17. | | | अग्रदूत पॉली उन्नयन समिति, हावड़ा | 5.00 |
| 18. | | | कॉम्प्रिहेंसिव एरिया डेव. सर्विस, उत्तर 24 परगना | 5 00 |

**विवरण-II**

(लाख रु. में)

| क्र.सं. | योजना का नाम | वर्ष | गैर-सरकारी संगठनों के नाम | रिलीज की गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ग्रामीण निर्मिति केंद्र | 2000-2001 | मल्टीपरपस सोशल सर्विस सोसा. | 6.00 |
| 2. | | | पूर्व हैलाकांडी डेव. काउंसिल | 6.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | | 2000-2001 | आर.इ.एफ.आर.ओ. | 6.00 |
| 4. | | | शक्ति महिला विकास स्वावलंबी सहकारी | 6.00 |
| 5. | | | इंटरनेशनल रूरल डेव. (एन जी ओ) | 6.00 |
| 6. | | | के आर बी सेंटर | 6.00 |
| 7. | | | रिसेटलमेंट ऑफ बी एस एफ | 6.00 |
| 8. | | | सिविल इंजी. टेक्निकल टेक.डेव. सेंटर | 6.00 |
| 9. | | | सी ई बी टी ई सी | 6.00 |
| 10. | | | महात्मागांधी खादी ग्रामोद्योग समिति | 6.00 |
| 11. | | | इंडियन इंस्टी. और रूरल मैनेजमेंट | 6.00 |
| 1. | | 2001-2002 | जी आर ई डी एस | — |
| 2. | | | रूरल एग्रो एंड डेव. सोसा. | 3.00 |
| 3. | | | इकौलॉजिकल डेव. ग्रुप | — |
| 4. | | | वास्तुकला रिसर्च | — |
| 1. | | 2002-03 | मल्टीपर्पज सोशल सर्वि. सोसा. | 6.00 |
| 2. | | | पूर्वा हेलाखांडी डेव. कॉसिल | 6.00 |
| 3. | | | बरनारदी ग्राम्य उन्नयन समिति | 6.00 |
| 4. | | | मिरनस | 5.00 |
| 5. | | | शक्ति महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि. | 9.00 |
| 6. | | | के एम वी पी टी सेंटर | 5.00 |
| 7. | | | श्री विध्यार निकेतन | 5.00 |
| 8. | | | गुजरात महिला हाउसिंग सेवा ट्रस्ट | 5.60 |
| 9. | | | जय भारत चेरीटेबल ट्रस्ट | 6.00 |
| 10. | | | चौबीसी विकास संघ, रोहतक | 6.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | | 2002-2003 | धोलाधर पब्लिक एजू. सोसा. | 6.00 |
| 12. | | | पीपुल्स ट्रस्ट | 6.00 |
| 13. | | | चेतना | — |
| 14. | | | एम पी आवास विकास संस्थान | 6.00 |
| 15. | | | नेशनल सेंटर फार ह्यूमन सेटलमेंट एंड एन्वायरमेंट | 8.00 |
| 16. | | | एनर्जी एन्वायरमेंट एंड डेव. सोसा. | 6.00 |
| 17. | | | कॉस्ट इफैक्टिव बिल्डिंग टेक्नोलाजी सेंटर | 6.00 |
| 18. | | | एसोसिएशन फार ट्राइबल वेल्फेयर डेव. | 6.00 |
| 19. | | | टी अथरोंगबा संघतरम पी डब्ल्यू डी सेक्टर कंज्यूमर को.सो.लि. | 6.00 |
| 20. | | | अरुण इस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स | 0.00 |
| 21. | | | महात्मागांधी खादी और ग्रामोद्योग समिति | 0.00 |
| 22. | | | उड़ीसा को-हाउसिंग कारपोरेशन लि. | 6.00 |
| 23. | | | सेल्फ इम्पलायड वर्कर्स एसो. केंद्र | 6.00 |
| 24. | | | इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट | 6.00 |
| 25. | | | वर्धा | 9.00 |
| 26. | | | विवेकानंद केंद्र | 6.00 |
| 27. | | | वसुंधरा विकास समिति | 6.00 |
| 28. | | | नव तकनीकी एवम समग्र केंद्र | 6.00 |
| 29. | | | श्री गंगा सनातन धर्मार्थ ट्रस्ट | 0.00 |
| 30. | | | जनमानस विकास संस्थान | 0.00 |
| 31. | | | उत्तराखंड बिल्डिंग सेंटर प्रा.लि. | 6.00 |
| 32. | | | सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च ऑन पंचायत एंड रूरल डेव. | 6.00 |

**''ट्रान्सजेनिक'' जानवर**

**3814. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
**श्री चन्द्रनाथ सिंह :**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ''ट्रान्सजेनिक'' जानवर विकसित करने का निर्णय लिया है जैसा कि 15 फरवरी, 2003 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जैवप्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में इस दिशा में अनुसंधान और विकास कार्य शुरू हो चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ''डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सजेनिक एनिमल्स'' के संबंध में कोई मैनुअल तैयार किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस योजना के लाभ का ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा'')** : (क) जी हां, एक माडल जानवर के रूप में चूहों का प्रयोग करते हुए जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पराजीनी पशुओं पर विभिन्न प्रयोगशालाओं में अनुसंधान कार्य शुरू किया गया है।

(ख) से (घ) जैवप्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने 1997 में एक माडल जानवर के रूप में चूहों का प्रयोग करते हुए पराजीनी पशुओं के विकास के लिए एक बहुआयामी कार्यक्रम का वित्तपोषण किया था। इस बहुआयामी कार्यक्रम की शुरूआत 3 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/ विश्वविद्यालय अर्थात भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई में की गई थी। जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए पराजीनी चूहों की 18 लाइनें विकसित की गई थीं। इन पराजीनी लाइनों का रखरखाव किया जा रहा है और ये शोधकर्त्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। इन तीन केंद्रों के अलावा कोशिका एवं आण्विक जीवविज्ञान केंद्र, हैदराबाद में भी काम किया जा रहा है। प्रयोगशाला-पशुओं में इस प्रौद्योगिकी को सुनिश्चित किये जाने के बाद अब यह भी प्रस्ताव है कि पराजीनी पशुधन विकसित करने हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया जाए।

(ङ) से (छ) पराजीनी पशुओं के विकास सहित सभी प्रकार के पराजीनी अनुसंधान कार्य के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित नियम 1989 के तहत 1990 में जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किए गए पुनर्योगज डी एन ए सुरक्षा मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करना होता है।

(ज) यह पराजीनी प्रौद्योगिकी पराजीनी पशुओं के दूध में बहुमूल्य पुनर्योगज प्रोटीनों तथा भेषजों के स्राव के लिए जीन निष्पीड़न, विकासशील जीवविज्ञान, सजीव बायो-रिएक्टर के अध्ययनों के लिए अत्यंत लाभदायक रही है। पराजीनी पशु को मानव रोगों के लिए एक माडल पशु के रूप में विकसित किया जा सकता है और चूहा एक आदर्श माडल जीव है क्योंकि मानसिक रूप से यह मानव से मिलता जुलता है। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग पशु उत्पादकता में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। पराजीनी पशु का उपयोग जीनोट्रांसप्लांटेशन के लिए डोनर आर्गन्स हेतु किया जा सकता है।

*[अनुवाद]*

**बाल्को**

**3815. श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल्को (भारत अल्युमिनियम कम्पनी) जिसे 2001 में बेच दिया गया था, के कामगारों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पूरी धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) बाल्को के कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनमें से कितनों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को चुना है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कितने लाभ उनको देय हैं तथा अब तक उन्हें कितनी धनराशि दी जा चुकी है;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि आवास खाली न करने की वजह से 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की राशि

रोक कर रखी गयी है तथा सेवानिवृत्ति लाभ की 30,000 रुपये की धनराशि भी कम्पनी द्वारा रोक कर रखी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा कामगारों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की धनराशि और रोककर रखी गई उनकी जगा राशियों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने तथा उनके शिकायतों के निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस)** : (क) जी, हां। 23 कर्मचारियों को छोड़कर, सभी अन्य कर्मचारी जिनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी आर) आवेदन बालको प्रबंधन ने विनिवेश के बाद स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें अभी तक स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना (वी आर एस) की पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(ख) बालको ने सूचित किया है कि 1099 कर्मचारियों जिनके वी आर आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं, में से 23 कर्मचारियों को पूरी राशि दे दी गई है। जहां तक बाकी 1076 कर्मचारियों की बकाया देय राशि का संबंध है, बालको दूसरी और इसके बाद की किश्तों पर 7% ब्याज के साथ 5 किस्तों में इनका भुगतान कर रहा है। 41 कर्मचारियों को छोड़कर सभी को वी आर एस राशि की पहली किश्त का भुगतान कर दिया गया है। बालको के विनिवेश के तुरंत बाद इसके कर्मचारियों द्वारा की गई 67 दिनों की हड़ताल के कारण कंपनी को हुई वित्तीय कठिनाइयों की वजह से देय राशि का किश्तों में भुगतान करना पड़ा।

(ग) 28.2.2003 की स्थिति के अनुसार बालको में कार्यरत 5011 कर्मचारियों में से 1076 कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार भुगतान किए जाने वाले वी आर एस संबंधी लाभ और ग्रेच्युटि मिलाकर कुल 66.48 करोड़ रुपए की राशि है। बालको ने अभी तक 22.85 करोड़ रु. की पहली किश्त जारी कर दी है।

(घ) और (ङ) बालको ने सूचित किया है कि यदि कर्मचारी निर्धारित समय में कम्पनी के आवास को खाली नहीं करते हैं तो 25,000 रु. (कामगारों के मामले में) और 50,000 रु. (अधिकारी और प्रबंधकों के मामले में) सेवानिवृत्ति राशि में से प्रतिभूति के रूप में रोक लिये जाते हैं जो उन्हें कंपनी का आवास खाली करने पर वापस लौटा दिए जाते हैं। जहां तक सेवानिवृत्ति और मृतक सहायता लाभ की 30,000 रु. की राशि, का संबंध है, इस राशि का भुगतान कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु होने पर ही कंपनी द्वारा किया जाता है।

(च) सरकार शेयर होल्डर समझौते के अनुसार कर्मचारियों के हित के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

## कपार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

**3816. श्री रामशेठ ठाकुर :**
**श्री ए. वेंकटेश नायक :**
**श्री अशोक ना. मोहोल :**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक कार्रवाई एतं ग्रामीण प्रोद्योगिकी प्रगति परिषद् (कपार्ट) ने देश में, विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं पर संतोष व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति और आवास योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) कपार्ट द्वारा इन राज्यों में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं;

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अलग-अलग कितनी निधियां आबंटित की गयी हैं; और

(ङ) इन योजनाओं को इन राज्यों में कब तक पूरी तरह कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू)** : (क) जी, हां।

(ख) कपार्ट इस समय स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति तथा आवास जैसी स्ट्रेट-जैकेटिड योजनाओं को सहायता नहीं देता है। ये योजनाएं कपार्ट के जन सहयोग की एक ही योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती हैं जिसके तहत स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति तथा आवास को शामिल करके अभिनव तथा समेकित परियोजना प्रस्तावों को सहायता दी जाती है।

(ग) महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों में कपार्ट की विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत कपार्ट के आरंभ से लेकर अब तक 1626 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) विभिन्न प्रकार की परियोजना अवधि की 1250 परियोजनाएं इन राज्यों में चल रही हैं तथा ये कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

**विवरण**

*विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कपार्ट द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को आबंटित/रिलीज की गई राज्यवार निधियां*

| क्र.सं. | योजना का नाम | राशि (करोड़ रुपये) |
|---|---|---|
| 1. | जन सहयोग | 49.38 |
| 2. | लाभार्थियों का संगठन | 10.10 |
| 3. | कपार्ट को सहायता | 83.97 |
| 4. | डवाकरा | 07.11 |
| 5. | आई आर डी पी | 01.29 |
| 6. | आवास | 13.87 |
| 7. | सामाजिक वानिकी | 02.57 |
| 8. | बंजर भूमि विकास | 12.51 |
| 9. | पंचायती राज | 00.23 |
| 10. | सी आर एम पी | 07.53 |
| 11. | ए आर डब्ल्यू एस पी | 12.24 |
| | कुल | 200.90 |

*[हिन्दी]*

**प्री-पेड बूथों पर आवश्यकता से अधिक किराया वसूल करना**

**3817. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित प्री-पेड बूथों पर ऑटो रिक्शा का आवश्यकता से अधिक भाड़ा वसूल करने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई जांच करवायी है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक)** : (क) से (घ) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, हाल ही में कुछ अखबारों में इक्का-दुक्का समाचार रिपोर्ट थी जिनमें प्री-पेड बूथों पर अधिक वसूली का आरोप लगाया गया था। इन समाचार रिपोर्टों में आरोपों के समर्थन में किसी भी विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं किया गया था। फिर भी दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच से यह पता चला है कि समाचार रिपोर्टों में लगाए गए प्रभारों के कतिपय अधिकृत घटकों को गलती से अवैध संग्रहण के रूप में दिखा दिया गया है।

**झंडा संहिता**

**3818. श्री प्रहलाद सिंह पटेल :**
**श्रीमती मिनाती सेन :**

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय झंडा फहराने संबंधी नियमों को और सरल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नियमों को लागू करने का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार का है अथवा राज्य सरकार का;

(घ) यदि हां, तो इन नियमों को विशेषकर अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा तोड़े जाने पर किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने 'द प्रिवेन्शन ऑफ इनसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट, 1971' में संशोधन करने का निर्णय लिया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी)** : (क) और (ख) नई भारतीय झंडा संहिता, 2002 को 26 जनवरी, 2002 से लागू किया गया है। भाग-I में राष्ट्रीय झंडे के बारे में सामान्य विवरण दिया गया है। इस संहिता के भाग-II में आम जनता, प्राइवेट संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने के बारे में विवरण दिया गया है। इस संहिता का भाग-II धारा-I के पैराग्राफ 2.1 में स्पष्टतया यह उल्लेख है कि आम जनता, प्राइवेट संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं आदि द्वारा राष्ट्रीय झंडे के प्रदर्शन पर संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा इस विषय पर बनाए गए किसी अन्य कानून में बताए गए प्रतिबंध के सिवाय कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यद्यपि भारतीय झंडा संहिता, 2002 वैधानिक समर्थन के बिना अनुदेशों का एक संकलन होने के कारण नागरिकों पर प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी पैरा 2.1 के खंड (i) से लेकर (xiii) तक में कतिपय कार्यों को निषिद्ध किया गया है जो कि इन दोनों अधिनियमों के अर्थ के अन्तर्गत राष्ट्रीय झंडे का ''अपमान'' अथवा ''दुरुपयोग'' है अथवा हो सकता है। इस संहिता के भाग-II की धारा-I के पैराग्राफ 2.2 में कुछ ''करने वाली तथा न करने वाली बातें'' दी गई हैं जो झंडे के मान और सम्मान के अनुरूप अनिवार्य रूप से सलाह के तौर पर हैं। भाग-III के प्रावधान सरकारी विभागों/संगठनों/कार्यकारियों के लिए प्रवर्तनीय है तथा यह सरकारी अनुदेश की स्वरूप के होने के कारण उन पर बाध्यकारी हैं।

(ग) से (च) झंडा संहिता कार्यकारी अनुदेशों का एक संकलन है और इसे कोई कानूनी समर्थन प्राप्त नहीं है। इसलिए संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए आम जनता के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तथापि, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान एक अपराध है। अधिनियम के अंतर्गत संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(छ) और (ज) राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अपमान करना एक दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ही दण्ड दिए जा सकते हैं। इस अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि ''अपमान'' के दायरे में राष्ट्रीय झंडे के ''घोरअपमान'' को शामिल करते हुए अपमान शब्द की परिभाषा को व्यापक बनाया जा सके तथा राष्ट्रीय झंडे के अपमान का अपराध दूसरी बार या उसके बाद करने पर न्यूनतम एक वर्ष के कारावास का प्रावधान किया जा सके। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2003 लोक सभा में 7 मार्च, 2003 को, प्रस्तुत किया गया है।

## टाईप-V क्वार्टर्स

**3819. श्री महेश्वर सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के टाईप-V क्वार्टर्स की कुल संख्या कितनी है और विभिन्न मंत्रालयों और स्वायत्त संस्थाओं के पूल में इस प्रकार के क्वार्टर्स की अलग-अलग संख्या क्या है और ये कहां स्थित हैं तथा 31.1.2003 की स्थिति के अनुसार इनमें से अब तक कितने क्वार्टरों का आबंटन हुआ है और कितने खाली पड़े हैं;

(ख) टाईप पांच के कितने क्वार्टर्स विभिन्न कारणों से गिराए गए हैं और खतरनाक घोषित किए गए हैं तथा ये कहां स्थित हैं और प्रभावित आवंटियों की संख्या कितनी हैं जिन्हें अब तक गत दो वर्षों के दौरान वैकल्पिक आवास आबंटित किए गए हैं; और

(ग) उन क्वार्टरों में रहने वाले प्रभावित व्यक्तियों जिन्हें वैकल्पिक क्वार्टर अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है उनकी संख्या कितनी है और उन्हें वैकल्पिक क्वार्टर कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभवना है?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन)** : (क) सामान्य पूल में टाईप-V के कुल 1171 क्वार्टर हैं। इसके अतिरिक्त कुछ क्वार्टर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को सौंपे गए हैं जिनकी सूची संलग्न विवरण-I में है। दिनांक 31 जनवरी, 2003 की स्थिति अनुसार संपदा निदेशालय को सूचित सभी खाली क्वार्टरों के लिए आबंटन नियमावली के अनुसार आबंटन का प्रस्ताव भेजा गया है।

(ख) सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) कोटला रोड, प्रैस रोड, माता सुन्दरी रोड, राउज एवेन्यू, माता सुन्दरी लेन और मीरदर्द रोड क्षेत्र के सामान्य पूल क्वार्टरों के सभी 88 अधिभोगियों को वैकल्पिक आवास आबंटित किए गए हैं और इस प्रकार खाली हुए क्वार्टरों को ढ़हाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है।

देवनगर क्षेत्र में कुल 55 आबंटियों को स्थानांतरित करने के मामले में सामान्य पूल में 35 व्यक्तियों ने पहले ही क्वार्टर खाली/स्थानांतरित कर दिया है।

शेष 20 में से सामान्य पूल के 8 आबंटियों को वैकल्पिक आवास मुहैया करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और उनसे उनके वेतन आदि के बारे में कुछ सूचना देने के लिए कहा गया है। शेष 12 आबंटी अन्य पूल के हैं जिन्हें उनके संबंधित पूलों द्वारा वैकल्पिक आवास दिया जाना है।

**विवरण-I**

*विभिन्न मंत्रालयों, स्वायत्त और विभिन्न विभागों के पूलों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के टाइप-V क्वार्टर*

| क्र. सं. | स्थान | पूल | फ्लैटों की कुल सं. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | अशोका रोड | एन डी एम सी पूल | 1 |
| | | दिल्ली प्रशासन पूल | 1 |
| | | राज्य सभा पूल | 1 |
| 2. | एशियन गेम्स विलेज कॉम्पलेक्स | आर्टिस्ट कोटा | 19 |
| | | आई जी एन सी ए पूल | 15 |
| | | हुडको पूल | 8 |
| | | विदेश मंत्रालय पूल | 6 |
| | | संसदीय फोरम | 1 |
| | | एन सी डी सी पूल | 1 |
| 3. | एन्ड्रयूज | सीजीएचएस पूल | 1 |
| | | डिफेंस पूल | 4 |
| | | आर एंड ए डब्ल्यू पूल | 1 |
| | | सफदरजंग अस्पताल पूल | 2 |
| | | टेलीकॉम पूल | 2 |
| | | बी एस एफ पूल | 1 |
| | | एन एस जी पूल | 1 |
| | | डी जी एच एस पूल | 2 |
| 4. | कार्नवालिस रोड | बी एस एफ पूल | 1 |
| | | डिफेंस पूल | 1 |
| 5. | देवनगर | जी एम टेलीफोन पूल | 1 |
| | | लोक सभा पूल | 2 |
| | | सीजीएचएस पूल | 1 |
| | | डीएमसी डिस्पेंसरी पूल | 1 |
| | | दिल्ली प्रशासन पूल | 1 |
| | | पुलिस पोस्ट पूल | 2 |
| | | डीएमसी स्कूल पूल | 1 |
| | | जी के केन्द्र पूल | 1 |
| | | डी जी एच एस पूल | 1 |
| | | एमटीएनएल पूल | 1 |
| 6. | किदवई नगर पश्चिम | पी एंड टी पूल | 2 |
| | | लोक सभा पूल | 2 |
| | | राज्य सभा पूल | 1 |
| | | मंत्रिमंडल सचिवालय | 1 |
| | | दिल्ली सरकार पूल | 1 |
| | | विदेश मंत्रालय | 1 |
| | | प्रेसीडेंट सचिवालय | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | सफदरजंग अस्पताल पूल | 20 |
| | | डिफेंस पूल | 11 |
| | | सीपीडब्ल्यूडी पूछताछ कार्यालय | 4 |
| 7. | किदवई नगर पूर्व | लोक सभा पूल | 3 |
| | | आई टी बी पी पूल | 1 |
| | | दिल्ली प्रशासन पूल | 3 |
| | | सफदरजंग अस्पताल पूल | 11 |
| | | डीजीएचएस पूल | 3 |
| | | राजस्व पूल | 1 |
| | | ई एम आर पूल | 3 |
| | | डिफेंस पूल | 22 |
| | | एन एस जी पूल | 1 |
| 8. | काकानगर | आई एफ एस पूल | 2 |
| | | दिल्ली प्रशासन पूल | 3 |
| | | काकानगर एसोसिएशन | 1 |
| | | प्रेस पूल | 6 |
| | | लोक सभा पूल | 3 |
| | | टेलीकॉम पूल | 2 |
| | | डिफेंस पूल | 27 |
| | | राजस्थान सरकार पूल | 7 |
| | | पी एंड टी पूल | 3 |
| | | इनकमटैक्स पूल | 1 |
| | | आर्टिस्ट पूल | 1 |
| 9. | लोधी रोड कॉम्पलेक्स | लोक सभा पूल | 2 |
| | | दिल्ली टेलीफोन पूल | 1 |
| | | सीपीडब्ल्यूडी पूछताछ | 1 |
| 10. | मोतीबाग | सफदरजंग अस्पताल पूल | 2 |
| | | डिफेंस पूल | 52 |
| | | पी एंड टी पूल | 1 |
| 11. | एम वी रोड | एन एस जी पूल | 1 |
| | | सीजीएचएस पूल | 1 |
| 12. | नेताजी नगर | डिफेंस पूल | 2 |
| | | लोक सभा पूल | 1 |
| | | टलीकॉम पूल | 1 |
| | | राव पूल | 2 |
| | | आई टी बी पी पूल | 2 |
| | | उत्तर प्रदेश सरकार | 1 |
| | | बी एस एफ पूल | 1 |
| 13. | नानक पुरा | आई टी बी पी पूल | 1 |
| | | आईजी पुलिस पूल | 1 |
| | | सफदरजंग अस्पताल पूल | 1 |
| | | लेडी हार्डिंग पूल | 2 |
| | | सीजीएचएस पूल | 1 |
| | | रक्षा मंत्रालय पूल | 23 |
| | | दिल्ली जूडीशियल पूल | 1 |
| | | आई एफ एस पूल | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | आर एम एल अस्पताल पूल | 1 |
| 14. | पंडारा रोड | रेलवे पूल | 1 |
| | | आर एंड डब्ल्यू पूल | 1 |
| | | विदेश मंत्रालय | 1 |
| | | केन्द्रीय भंडार | 1 |
| | | सी जी ई सी सी | 1 |
| | | पी एंड टी पूल | 1 |
| | | डीजीएचएस | 3 |
| | | लोक सभा पूल | 1 |
| | | आर एम एल अस्पता | 3 |
| | | दिल्ली प्रशासन | 2 |
| | | प्रेस/आर्टिस्ट पूल | 12 |
| | | डिफेंस पूल | 16 |
| 15. | पंडारा पार्क | लोक सभा पूल | 1 |
| | | मेघालय सरकार | 1 |
| 16. | पार्क स्ट्रीट | दिल्ली प्रशासन पूल | 1 |
| 17. | आर के पुरम (सं.-13) | आई एफ एस पूल | 1 |
| | | एन एस जी पूल | 1 |
| | | सफदरजंग अस्पताल पूल | 2 |
| | | आर एंड ए डब्ल्यू पूल | 1 |
| | | आई टी बी पी पूल | 1 |
| 18. | आर के पुरम (सं.-3) | सीपीडब्ल्यूडी पूल | 2 |
| 19. | राजौरी गार्डन | सीपीडब्ल्यूडी | 1 |
| | | सीजीएचएस | 2 |
| | | एनएसजी | 3 |
| | | गृह मंत्रालय | 1 |
| 20. | शाहजहां रोड | डिफेंस पूल | 2 |
| | | एमटीएनएल पूल | 1 |
| 21. | तिलक लेन | सीपीडब्ल्यूडी पूछताछ | 1 |
| | | डी ई एस यू | 1 |
| | | आई एफ एस पूल | 2 |
| | | प्रेस पूल | 1 |
| 22. | टेलीग्राफ लेन | लोक सभा पूल | 1 |
| | | सीपीडब्ल्यूडी पूल | 1 |
| | | सीजीएचएस पूल | 1 |
| | | चंडीगढ़ प्रशासन पूल | 1 |
| 23. | विनय मार्ग | डीजीएचएस पूल | 3 |
| | | डिफेंस पूल | 28 |
| | | राज्य सभा पूल | 1 |
| | | आर एंड ए डब्ल्यू पूल | 1 |
| | | मध्य प्रदेश सरकार | 1 |
| | | सिक्किम सरकार | 1 |
| | | राजस्थान सरकार | 1 |
| | | त्रिपुरा सरकार | 1 |
| | | आई जी पुलिस पूल | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | एन डी एम सी पूल | 1 |
| | | एम सी डी पूल | 1 |
| | | दिल्ली विद्युत बोर्ड | 1 |
| | | ई एम आर पूल | 1 |
| | | झारखंड सरकार | 1 |

**विवरण-II**

*गत दो वर्षों के दौरान खतरनाक घोषित किए गए और गिराए जाने के लिए नियत किए गए टाइप-V फ्लैटों की संख्या*

| क्र. सं. | स्थान का नाम | फ्लैटों की संख्या | क्या वैकल्पिक आवास आबंटित किया गया |
|---|---|---|---|
| 1. | कोटला रोड | 23 | हां |
| 2. | प्रेस रोड/माता सुन्दरी रोड | 15 | हां |
| 3. | राउज एवेन्यू | 45 | हां |
| 4. | माता सुन्दरी लेन | 01 | हां |
| 5. | मीरदर्द रोड | 04 | हां |
| 6. | देवनगर | 55 | 55 में से 35 व्यक्तियों ने पहले ही खाली/ स्थानांतरित किया |

**मेट्रो रेल निगम की आमदनी**

**3820. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :**
**श्री रामजीलाल सुमन :**

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेट्रो रेल निगम द्वारा प्रथम चरण के अंतर्गत यात्री भाड़ा से प्रतिदिन कितनी आमदनी होने का अनुमान लगाया गया है; और

(ख) प्रथम चरण के तहत शाहदरा-तीस हजारी रेल मार्ग पर प्रतिदिन कितने रेल यात्रियों द्वारा इस सेवा का लाभ उठाए जाने का अनुमान है?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन)** : (क) वर्ष 2005 में दिल्ली मेट्रो के संपूर्ण फेज-I के पूरा होने पर 2.2 करोड़ रु. प्रतिदिन।

(ख) वर्ष 2005 में दिल्ली मेट्रो के संपूर्ण फेज-I के पूरा होने पर शाहदरा-तीस हजारी खंड से प्रतिदिन लगभग 1.9 लाख यात्री लाभान्वित होंगे।

*[अनुवाद]*

**कर्नाटक में आवासों का निर्माण**

**3821. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार राज्य के पांच जिलों में बेघर लोगों हेतु 25 हजार आवासों के निर्माण के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूरी वित्तीय सहायता ''हुडको'' द्वारा दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये आवास वर्तमान वर्ष, 2003 के अंत तक गरीब लोगों को देने हेतु तैयार हो जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन)** : (क) से (ङ) आवास और शहरी आवास निगम लि. (हुडको) ने राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए 245670 रिहायशी मकानों के निर्माण करने हेतु वर्ष 2002-2003 के दौरान कर्नाटक राज्य में 378.46 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। परियोजनाओं की अवधि 1 से 2 वर्ष तक अलग-अलग है। इसके अलावा, वर्ष 2001-2002

तथा 2002-2003 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी मलिन बस्ती वासियों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के अंतर्गत राज्य को 10312 रिहायशी मकानों और 2790 शौचालयों को शामिल करते हुए 2882.60 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की गई है।

## लाल बत्तियों का दुरुपयोग

**3822. श्री भास्करराव पाटील : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली यातायात पुलिस ने हाल में वाहनों के ऊपर लगी लाल बत्ती के तथाकथित दुरुपयोग हेतु बहुत से वाहनों का चालान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों जो कि वाहनों के ऊपर लगी लालबत्ती के उपयोग के लिए अधिकृत नहीं थे, को इसका दुरुपयोग करते हुए पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि इस मामले में दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन हो?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक)** : (क) से (ग) चालू वर्ष (31 मार्च, 2003 तक) के दौरान दिल्ली पुलिस ने ऐसे 179 वाहनों के चालान किए जो अवैध रूप से लाल या नीली बत्तियां लगाए हुए थे। वाहन मालिकों की हैसीयत के आधार पर ऐसे चालानों के संबंध में रिकॉर्ड नहीं रखे जाते हैं।

(घ) दिल्ली पुलिस का यह प्रयास रहता है कि ऐसी बत्तियों के अवैध प्रयोग को रोकने के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 तथा दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के संगत प्रावधानों को कड़ाई से लागू किया जाए।

## दिल्ली में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा

**3823. श्री सी. श्रीनिवासन :**
**श्री अम्बरीश :**
**श्री मंजय लाल :**

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा हेतु कितने पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों की सतर्कता का पता लगाने हेतु औचक जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली पुलिस को गत तीन महीनों के दौरान राजधानी के विभिन्न रेलवे स्टेशनों विशेषकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बम्ब रखने के संबंध में झूठी कॉलें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक)** : (क) दिल्ली पुलिस ने अपराध नियंत्रण और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेलवे पुलिस स्टेशनों/चौकियों पर 320 पुलिस कार्मिक तैनात किए हैं। इसके अतिरिक्त, 191 दिल्ली पुलिस कार्मिक मेट्रो रेल स्टेशनों पर तैनात किए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान। वरिष्ठ अधिकारी अन्य पुलिस स्टेशनों की भांति ही रेलवे पुलिस स्टेशनों/चौकियों का नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण करते हैं।

(घ) से (च) गत तीन महीनों के दौरान, दिल्ली पुलिस को एक ऐसी होक्स काल प्राप्त हुई, जिसके संबंध में बाद में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

*[हिन्दी]*

## कोयला कंपनियों में कार्यरत श्रमिक

**3824. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डे : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आज तक विभिन्न राज्यों में, विशेषकर झारखंड में विभिन्न कोयला कम्पनियों में वर्षवार कंपनीवार और राज्यवार कितने श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न कोयला कंपनियों में हाथ से और मशीनों से काम करने वाले श्रमिकों की कम्पनीवार और राज्यवार अलग-अलग संख्या क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विशेषकर झारखंड में हाथ से और मशीनों के द्वारा कम्पनीवार और राज्यवार अलग-अलग कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन हुआ है?

**कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा)** : (क) सी.आई.एल. की विभिन्न अनुषंगियों में श्रमशक्ति नीचे तालिका में दर्शायी गई है:-

| कंपनी | राज्य | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 (1.3.2003 तक) |
|---|---|---|---|---|
| ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. | पश्चिम बंगाल और झारखंड | 127452 | 119723 | 115554 |
| भारत कोकिंग कोल लि. | झारखंड और पश्चिम बंगाल | 113738 | 108043 | 103607 |
| सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. | झारखंड | 77882 | 74887 | 72879 |
| वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. | मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र | 77866 | 75005 | 72679 |
| साउथ इंस्टर्न कोलफील्ड्स लि. | मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ | 95561 | 93397 | 91495 |
| महानदी कोलफील्ड्स लि. | उड़ीसा | 22587 | 22216 | 21660 |
| नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. | मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश | 17166 | 17212 | 17276 |
| नार्थ ईस्टर्न कोलफीलड्स | असम | 4099 | 3930 | 3799 |
| सेंट्रल प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि. | झारखंड/अन्य | 3600 | 3485 | 3441 |
| कोल इंडिया लि. (मु.) | पश्चिम बंगाल | 2080 | 2024 | 1981 |
| जोड़ | | 542031 | 523922 | 504371 |

कोल इंडिया लि. की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में झारखंड राज्य में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :-

| कंपनी | 2001-02 | 2002-03 (1.3.2003 तक) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. | 16350 | 15778 |
| भारत कोकिंग कोल लि. | 104929 | 100485 |
| सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. | 74887 | 72879 |
| सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि. | 1580 (अनंतिम) | 1580 (अनंतिम) |
| जोड़ | 197746 | 190722 |

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अद्यतन तिथि तक विभिन्न कोयला कंपनियों में मैनुअल कार्यों में नियोजित पीस-रेटिड श्रमिकों की संख्या निम्नानुसार हैं :-

| कंपनी | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 (1.3.03 तक) |
|---|---|---|---|
| ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. | 32698 | 30283 | 28153 |
| भारत कोकिंग कोल लि. | 28425 | 27367 | 26486 |
| सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. | 17159 | 15809 | 15339 |
| वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. | 9988 | 8732 | 7602 |
| साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. | 8738 | 8026 | 7309 |
| महानदी कोलफील्ड्स लि. | 2307 | 2127 | 1665 |
| नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. | — | — | — |

गत तीन वर्षों के दौरान अद्यतन तिथि तक विभिन्न कोयला कंपनियों में कुशल श्रमिकों (मैकेनिकल/तकनीकी) की संख्या निम्नानुसार है:-

| कंपनी | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 (1.3.03 तक) |
|---|---|---|---|
| ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. | 27109 | 31503 | 34663 |
| भारत कोकिंग कोल लि. | 33330 | 31381 | 30023 |
| सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. | 19710 | 19412 | 18734 |
| वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. | 29940 | 30328 | 30807 |
| साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. | 28928 | 29448 | 29630 |
| महानदी कोलफील्ड्स लि. | 6579 | 6647 | 6609 |
| नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. | 8152 | 8216 | 8103 |

(ग) गत दो वर्षों के दौरान अद्यतन तिथि तक कंपनी-वार मैनुअल तथा मशीन से उत्पादित कोयले की मात्रा निम्नानुसार है :-

(आंकड़े लाख टन में)

| कंपनी | 2000-01 | | 2001-02 | | 2002-03 (अनं.) (जन., 03 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मैनुअल | मशीन से | मैनुअल | मशीन से | मैनुअल | मशीन से |
| ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. | 90.53 | 189.76 | 85.35 | 200.12 | 65.22 | 142.55 |
| भारत कोकिंग कोल लि. | 55.54 | 204.16 | 50.86 | 201.74 | 38.22 | 150.14 |
| सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. | 23.78 | 293.68 | 22.94 | 315.19 | 19.05 | 270.33 |
| नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. | — | 414.00 | — | 424.63 | — | 368.95 |
| वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. | 34.34 | 317.66 | 27.31 | 342.78 | 16.80 | 298.08 |
| साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. | 36.15 | 567.16 | 29.93 | 611.27 | 19.13 | 519.65 |
| महानदी कोलफील्ड्स लि. | 7.18 | 440.85 | 7.00 | 471.05 | 4.66 | 420.03 |
| नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स | 2.05 | 4.55 | — | 6.40 | — | 4.87 |

झारखंड राज्य में कंपनी-वार उत्पादन निम्नानुसार है :-

| कंपनी | 2001-02 | | 2002-03 (अनं.) (जन., 03 तक) | |
|---|---|---|---|---|
| | मैनुअल | मशीन से | मैनुअल | मशीन से |
| ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. | 6.57 | 105.86 | 4.86 | 75.14 |
| भारत कोकिंग कोल लि. | 50.39 | 196.38 | 37.35 | 146.57 |
| सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. | 22.94 | 315.19 | 19.05 | 270.33 |
| जोड़ | 79.90 | 617.43 | 61.26 | 492.01 |

**क्रेच और कामकाजी महिला हॉस्टल योजना**

**3825. श्री कैलाश मेघवाल :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय द्वारा ''क्रेच और कामकाजी महिला हॉस्टल'' के अंतर्गत कौन-कौन से कार्यक्रम चलाये गए हैं और सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिए ऋण/अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या फार्मूला अपनाया गया है और राज्य सरकारों द्वारा इसमें प्रदान किए गए योगदान का ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) :** मुख्यत: नैमित्तिक, प्रवासी, खेतीहर तथा निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ महिला एवं बाल विकास विभाग ''कामकाजी एवं बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र'' नामक स्कीम चला रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, 1800/- रुपये प्रति माह से कम आय वाले माता-पिता के पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं में विश्राम, पूरक पोषाहार, टीकाकरण, उपचार एवं मनोरंजन आदि शामिल हैं। इस स्कीम को चलाने की केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता प्रत्येक शिशुगृह की स्थापना/ परिचालन के प्रथम वर्ष में 4000/- रुपये के अनावर्ती अनुदान के अतिरिक्त 18480/- रुपये प्रति वर्ष प्रति शिशुगृह है। उपरोक्त अनुदान शिशुगृह की परिचालन लागत का लगभग 90% होगा, जबकि शेष 10% लागत प्रायोजक संस्था/संगठन की आय से वहन की जायेगी। इस स्कीम में राज्य सरकार द्वारा किसी योगदान का प्रावधान नहीं है।

कामकाजी महिला हॉस्टल स्कीम, जिसमें दिवस देखभाल केन्द्र संबंधी घटक भी शामिल है, के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों सहित संस्थाओं को निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत की 75% राशि सहायतानुदान के रूप प्रदान की जाती है। शेष 25% लागत प्रायोजक संगठन/संस्था द्वारा वहन की जाती है। इस स्कीम में भी राज्य सरकार द्वारा किसी योगदान का प्रावधान नहीं है।

*[अनुवाद]*

**भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खनिजों की खनन हेतु मंजूरी**

**3826. श्री बिक्रम केशरी देव :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अब तक पहचान की गई खनिजों और इनके दोहन हेतु दी गई मंजूरी का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके खनन हेतु आवेदन करने वाली कम्पनियों और बहुराष्ट्रीय निगमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में इन खनिजों के दोहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) और (ख) खनिजों के विदोहन के लिए खनिज रियायत खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम एम डी आर एक्ट) की धारा 10 (3) तथा इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के तहत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है तथा इसलिए भारतीय खान ब्यूरो को यह कार्य नहीं सौंपा गया है।

(ग) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993के अनुसार देश के खनिज संसाधनों के विदोहन को बढ़ावा देने के लिए सभी गैर-ईंधन और गैर-परमाणु

खनिजों का गवेषण और विदोहन निजी उद्यमियों के लिए खोल दिया गया है। सरकार खनिज क्षेत्र में निवेश बढ़ाने हेतु ऐसे निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेशक अनुकूल वातावरण सृजित करने तथा बाधाओं को दूर करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना**

**3827. श्री विष्णुपद राय** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस तिथि से व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किये गए हैं;

(ख) नौवीं योजनावधि हेतु 192.95 लाख रुपये के वार्षिक परिव्यय वाली 'वोकेशनल एजुकेशन' स्कीम नं. 8 के अंतर्गत कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं;

(ग) अब तक वर्ष 1999-2000 तक तथाकथित रूप से 39.87 लाख रुपये के व्यय से कितने व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किये गए हैं;

(घ) क्या कोई नया पाठ्यक्रम चलाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उस पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उपकरणों की खरीद से पहले चयनित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की आवश्यकता का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और पाठ्यक्रम शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में व्यवसायोन्मुख शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत वर्ष 1990-91 से व्यवसायोन्मुख पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(ख) व्यवसायोन्मुख शिक्षा स्कीम से कुल 218 छात्र लाभान्वित हुए हैं।

(ग) अभी तक केवल सचिवालीय पद्धति पाठ्यक्रम ही कार्यान्वित किया जा रहा है। पहले से संचालित किए जा रहे बागवानी तथा समुद्री मत्स्य पालन जैसे पाठ्यक्रमों के प्रति छात्रों के कम उत्साह को देखते हुए इन्हें हटा दिया गया है।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग पाठ्यक्रम वर्ष 2002-03 के दौरान शुरू किया गया है। मांग के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी, विपणन तथा यात्रा एवं पर्यटन में चरणबद्ध ढंग से रोजगारोन्मुख व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संबंधी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु 6.78 लाख रु. खर्च हुए। 10वीं योजनावधि के दौरान संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा 45 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।

(च) व्यवसायोन्मुख पाठ्यक्रमों में शामिल होने वाले इच्छुक छात्रों की संख्या का पता लगाने हेतु सितम्बर, तथा अक्तूबर, 2002 के दौरान एक सर्वेक्षण किया गया था।

(छ) एक व्यापक सर्वेक्षण केवल 2002 में किया गया था और कुल 2664 छात्र व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में इच्छुक पाए गए थे। सर्वेक्षण के आधार पर आवश्यकतानुसार और अधिक पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है।

*[हिन्दी]*

**विदेशी मिशन हेतु पुस्तकों की आपूर्ति**

**3828. श्री माणिकराव होडल्या गावित :**
**श्री जी.एस. बसवराज :**

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान उच्चायोग के पास विदेशी मिशनों को पुस्तकों और गुप्त दस्तावेजों की आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भाभा परमाणु केन्द्र से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बरामद कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राज्यवार और देशवार कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक)** : (क) दिल्ली पुलिस ने 24 फरवरी, 2003 को पाक उच्च आयोग के नजदीक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उससे अनेक वर्गीकृत दस्तावेज बरामद किए।

(ख) और (ग) अभियुक्त से बरामद भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र से संबंधित दस्तावेज, सार्वजनिक दस्तावेज हैं और इनमें कोई वर्गीकृत सूचना नहीं है।

(घ) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) केन्द्र और राज्य आसूचना तथा सुरक्ष एजेन्सियां, जासूसी मामलों का पता लगाने के लिए गहन ताल-मेल के साथ काम करती हैं।

**विवरण**

*गिरफ्तार किए गए जासूसी एजेन्टों के राष्ट्रीयता-वार ब्यौरे*

| वर्ष | पाकिस्तानी | भारतीय | नेपाली | बांग्लादेशी | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 6 | 34 | 4 | 1 | 45 |
| 2001 | 5 | 27 | 2 | — | 34 |
| 2002 | 8 | 79 | 1 | 1 | 89 |
| 2003 (7.4.2003 तक) | 3 | 7 | — | — | 10 |

*गिरफ्तार जासूसी एजेन्टों के राज्यवार ब्यौरे*

| वर्ष | उत्तर प्रदेश | दिल्ली | पंजाब | महाराष्ट्र | पश्चिम बंगाल | हिमाचल प्रदेश | आन्ध्र प्रदेश | मध्य प्रदेश | गुजरात | जम्मू और कश्मीर | असम | हरियाणा | राजस्थान | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 10 | 15 | 4 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 45 |
| 2001 | 3 | 8 | 4 | — | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 13 | 34 |
| 2002 | 29 | 6 | 1 | — | 16 | — | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 89 |
| 2003 (7.4.2003 तक) | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 1 | — | 10 |

*[अनुवाद]*

**राजभाषा**

**3829. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल और अन्य भारतीय भाषाओं को देश की राजभाषाएं घोषित करने के मुद्दे पर विचार करने हेतु कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी विचारार्थ विषय क्या रहे हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी)** : (क) और (ख) अन्य बातों के साथ-साथ संविधान की आठवीं अनुसूची की सभी 18 भाषाओं (तमिल सहित) को संघ की राजभाषाओं के रूप में मानने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय गठित करने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित

निकाय का गठन करने के लिए पहले की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते हैं।

**प्रत्यक्ष विदेशी निवेश**

3830. **श्री रमेश चेन्नितला :**
**श्री विनय कुमार सोराके :**

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमेकित टाउनशिप्स के विकास में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दिये जाने के बावजूद काफी विदेशी निवेश नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या विदेशी निवेशक शहरी विकास क्षेत्र में वर्तमान कठोर कानूनों के कारण धनराशि निवेश करने में कतरा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और शहरी क्षेत्रों में भू-राजस्व और भूमि सुधार प्रक्रिया को निवेशक के अनुकूल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) :** (क) से (घ) समेकित टाउनशिप्स विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दिशानिर्देश 4.1.02 को जारी किए गए थे।

समेकित टाउनशिप्स के विकास में निवेश करने के इच्छुक किसी भी निवेश को सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पहले परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना होगा। अत: समेकित टाउनशिप्स के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होने में समय लगेगा।

सरकार ने पहले ही गुड़गांव (हरियाणा) और हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में समेकित टाउनशिप विकसित करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

समेकित टाउनशिप के विकास में कोई भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश के वर्तमान कानूनों के अनुरूप ही होगा।

भूमि राजस्व और भूमि सुधार राज्य के विषय हैं। तथापि, राज्य सरकारों से संसद द्वारा बनाया गया शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 अपनाने के लिए कहा गया है।

**पंचायती राज संस्थाओं हेतु नयाचार**

3831. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों हेतु किसी नयाचार संबंधी पूर्वोदाहरण (प्रोटोकॉल ऑफ प्रिसीडेंस) का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील)** : (क) जी, नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नयाचार संबंधी पूर्वोदाहरण का निर्णय नहीं लेता है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पूर्वता अधिपत्र राज्य/औपचारिक समारोहों के दौरान सरकारी अधिकारियों अर्थात राज्याध्यक्ष, केन्द्रीय तथा राज्य मंत्री, न्यायपालिका सदस्य, स्थायी सिविल एवं मिलीटरी अधिकारियों, राजदूतों, भारत रत्न धारण करने वालों आदि के लिए अग्रता क्रम को विनियमित करने के लिए है, जो नयाचार अनुपालन को अनिवार्य बनाता है। राज्याध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति द्वारा अपने विशेषाधिकार के अंतर्गत इस पर निर्णय लिया जाता है और इसे राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा कार्यकारी आदेश के रूप में जारी किया जाता है। यह बैठने की व्यवस्था करने के लिए होता है और इसका दैनिक कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। इस समय लागू नयाचार संबंधी पूर्वोदाहरण राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा 1979 में जारी किया गया था और तब से लेकर आज तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(घ) हालांकि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के लिए कोई नयाचार संबंधी पूर्वोदाहरण तय नहीं किया है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सभी औपचारिक समारोहों में यथोचित आदर एवं सम्मान दिया जाता है।

**नागा विद्रोहियों का नि:शस्त्रीकरण करना**

**3832. श्री के. येरननायडू** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागा विद्रोहियों का नि:शस्त्रीकरण करने और क्षेत्र में शान्ति बहाल करने हेतु नागा नेताओं से वार्ता करते समय एन.एस.सी.एन. (आई.एन.) को विघटित करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी)** : (क) और (ख) नागालैंड सरकार से यह निर्णय लागू करने का अनुरोध किया गया है कि नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नगालैंड (आई/एम) तथा नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड (के) दोनों ही के काडर निर्धारित शिवरों में चले जाएं तथा निर्धारित शिविरों के बाहर घूमने वाले सशस्त्र काडरों अथवा वर्दी में घूमने वाले काडरों से सुरक्षा बलों द्वारा कारगरता से निपटा जाए।

**भारत-चीन सीमा को सील करना**

**3833. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-चीन सीमाओं को सील करने में कौन-कौन से राज्य लगे हुए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक सीमा को सील करने के लिए इन राज्यों को वर्षवार कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है और इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी)** : (क) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमाएं चीन से लगती हैं। भारत सरकार के पास भारत-चीन सीमा को सील करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। इस सीमा की अखण्डता को सुरक्षा बलों द्वारा नियमित गश्त आदि के माध्यम से बनाए रखा जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

**महिलाओं हेतु अल्पावधि ठहराव गृह**

**3834. श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा राज्यवार कितने अल्पावधि ठहराव गृहों का वित्त पोषण किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार महिलाओं हेतु अल्पावधि ठहराव गृहों की संख्या बढ़ाने और समाज में उनकी भूमिका को अहम् बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्यंबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा)** : (क) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) महिलाओं के लिए अतिरिक्त अल्पावास गृहों की स्वीकृति के प्रस्तावों पर इस प्रकार की स्थापनाओं की आवश्यकता के आधार पर विचार किया जाता है।

**विवरण**

*वर्ष 2002-03 के दौरान वित्तपोषित अल्पावास गृहों की संख्या*

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | स्वीकृत अल्पावास गृहों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 31 |
| 2. | असम | 11 |
| 3. | बिहार | 39 |
| 4. | गुजरात | 4 |
| 5. | हरियाणा | 4 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 1 |
| 7. | जम्मू व कश्मीर | 0 |
| 8. | कर्नाटक | 17 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 9. | केरल | 5 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 21 |
| 11. | महाराष्ट्र | 27 |
| 12. | मणिपुर | 6 |
| 13. | मेघालय | 0 |
| 14. | नगालैण्ड | 1 |
| 15. | उड़ीसा | 47 |
| 16. | पंजाब | 2 |
| 17. | राजस्थान | 10 |
| 18. | तमिलनाडु | 30 |
| 19. | त्रिपुरा | 5 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 49 |
| 21. | पश्चिम बंगाल | 29 |
| 22. | अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह | 0 |
| 23. | अरुणाचल प्रदेश | 2 |
| 24. | चण्डीगढ़ | 1 |
| 25. | दिल्ली | 3 |
| 26. | गोवा, दमन व दीव | 1 |
| 27. | लक्षद्वीप | 0 |
| 28. | मिजोरम | 1 |
| 29. | पाण्डिचेरी | 2 |
| 30. | सिक्किम | 1 |
| 31. | दादरा व नगर हवेली | 1 |
| | कुल | 351* |

*सामंजस्य के अध्यधीन।

*[हिन्दी]*

**उनके मंत्रालय के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के कर्मचारी**

**3835. श्री बालकृष्ण चौहान :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों और उपक्रमों में श्रेणी क, ख, ग और घ के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के कर्मचारियों की श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों और उपक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) का आरक्षण कोटा पूरी तरह से भरा जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त कोटे के कब तक भरे जाने की संभावना है;

(च) क्या पदोन्नति में भी अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कोटा है;

(छ) क्या ओ.बी.सी. के आरक्षित पदों के लिए ओ.बी.सी. उम्मीदवारों के न मिलने पर इन पदों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाता है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) :** (क) इस मंत्रालय के विभागों और उपक्रमों में विभिन्न समूहों में अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) केंद्रीय सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले कुल पदों का 27 प्रतिशत है।

(ग) से (ङ) यद्यपि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सितम्बर, 1993 से लागू हो गया था परन्तु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण कोटे में आने वाले अधिकांश पद पहले ही अन्य वर्गों के उम्मीदवारों से भरे हुए थे इसलिए आरक्षण कोटा अभी तक

पूरी तरह नहीं भरा गया है। इसके अतिरिक्त सीधी भर्ती के मामले में आरक्षण की सीमा 50% है। जुलाई 1997 से पद आधारित रोस्टरों का अनुपालन किया जा रहा है। इन कारणों से इस मंत्रालय में विभिन्न ग्रेडों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित कोटा पूरी तरह से नहीं भरा गया है। इस मंत्रालय द्वारा नियन्त्रित सभी ग्रेडों में उपलब्ध रिक्तियों को नियमित रूप से पद आधारित रोस्टरों के अनुसार भरा जा रहा है और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों से संबंधित पदों को नियत समय में भरे जाने की संभावना है।

मंत्रालय में बहुत से पद अखिल भारतीय सेवा और अन्य केंद्रीय सेवाओं के हैं। इन पदों पर भर्ती सेवा का प्रबन्ध कार्य कर रहे मंत्रालय/विभाग द्वारा केन्द्रिकृत आधार पर की जाती है। भर्ती करते समय उनके द्वारा आरक्षण का निर्धारण पूरी सेवा में भरे जाने वाले पदों के संदर्भ में किया जाता है।

(च) पदोन्नति में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कोई आरक्षण कोटा नहीं है।

(छ) अन्य पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किसी पद को सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से नहीं भरा जा सकता।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

*ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन और पेयजल आपूर्ति विभाग सहित) और उसके स्वायत्तशासी निकाय अर्थात् कपार्ट और एन आई आर डी में क, ख, ग, और घ श्रेणियों में अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की कुल संख्या*

| कार्यालय का नाम | समूह | अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ग्रामीण विकास विभाग | ख | 04 |
| | ग | 11 |
| | घ | 06 |
| भूमि संसाधन विभाग | घ | 02 |
| पेयजल आपूर्ति विभाग | | |
| लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद | क | 02 |
| | ख | 04 |
| | ग | 06 |
| | घ | 12 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान | क | 02 |
| | ख | 02 |
| | ग | 37 |
| | घ | 24 |

*[अनुवाद]*

**केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना**

**3836. श्री सुरेश रामराव जाधव :**
**प्रो. ए.के. प्रेमाजम :**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन का विचार चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए अभिभावकों से एकत्रित 120 करोड़ रुपये की विद्यालय विकास निधि से एक सौ नये विद्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन विद्यालयों को किन-किन स्थानों पर खोले जाने की संभावना है और इस संबंध में अन्य ब्यौरे क्या हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, संगठन अधिशेष कर्मचारियों को पुन: तैनात करके कुछ नए स्कूल खोल रहा है। अस्थायी आधारभूत संरचना सृजित करने के लिए एक मुश्त लागत विद्यालय विकास निधि से आंशिक रूप से वहन की जाएगी। तथापि, भारत सरकार द्वारा जारी की गई योजनागत निधियों में से स्थायी भवन निर्मित किए जाएंगे। नए स्कूलों को खोलने के लिए स्थान का चयन नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता

तथा देश के विभिन्न भागों में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने संबंधी व्यवहार्यता के आधार पर किया जाएगा। वर्ष 2003-04 के दौरान खोले जाने हेतु अब तक संस्वीकृत 54 केन्द्रीय विद्यालयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

*वर्ष 2003-2004 के दौरान सिविल क्षेत्र में खोले जाने हेतु संस्वीकृत केन्द्रीय विद्यालयों की सूची*

| क्र. सं. | स्थान का नाम | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | सेक्टर |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आई आई टी गुवाहाटी | असम | सिविल |
| 2. | मंगलदोई | असम | सिविल |
| 3. | आर आर एल जोरहाट | असम | सिविल |
| 4. | बरपेटा | असम | सिविल |
| 5. | लखीमपुर | असम | सिविल |
| 6. | डिब्रूगढ़ | असम | सिविल |
| 7. | रोइंग | अरुणाचल प्रदेश | सिविल |
| 8. | बेतिया | बिहार | सिविल |
| 9. | बक्सर | बिहार | सिविल |
| 10. | मोतीहारी | बिहार | सिविल |
| 11. | हाजीपुर | बिहार | सिविल |
| 12. | मशरख | बिहार | सिविल |
| 13. | रायपुर | छत्तीसगढ़ | सिविल |
| 14. | दांतेवाडा में बेलाडिल्ला | छत्तीसगढ़ | सिविल |
| 15. | जशपुर | छत्तीसगढ़ | सिविल |
| 16. | वसंतकुंज | दिल्ली | सिविल |
| 17. | सेक्टर-22, रोहिणी | दिल्ली | सिविल |
| 18. | सेक्टर-25, रोहिणी | दिल्ली | सिविल |
| 19. | सेक्टर-5, द्वारका | दिल्ली | सिविल |
| 20. | नरेला | दिल्ली | सिविल |
| 21. | द्वारका | गुजरात | सिविल |
| 22. | नं. 3, फरीदाबाद | हरियाणा | सिविल |
| 23. | नं. 2, गुड़गांव | हरियाणा | सिविल |
| 24. | आई टी बी पी रिकांगपिओ किन्नौर | हिमाचल प्रदेश | सिविल |
| 25. | अनंतनाग | जम्मू और कश्मीर | सिविल |
| 26. | पहलगाम | जम्मू और कश्मीर | सिविल |
| 27. | जंसकर | जम्मू और कश्मीर | सिविल |
| 28. | कारगिल | जम्मू और कश्मीर | सिविल |
| 29. | नूबरा | जम्मू और कश्मीर | सिविल |
| 30. | न्योमा में चुसूल | जम्मू और कश्मीर | सिविल |
| 31. | हीरा नगर | जम्मू और कश्मीर | सिविल |
| 32. | कठुआ | जम्मू और कश्मीर | सिविल |
| 33. | कुद में चेनानी | जम्मू और कश्मीर | सिविल |
| 34. | बदरवाह | जम्मू और कश्मीर | सिविल |
| 35. | सूरदा, घाटशिला | झारखंड | सिविल |
| 36. | नं. 3, भोपाल | मध्य प्रदेश | सिविल |
| 37. | मंडला | मध्य प्रदेश | सिविल |
| 38. | लंगलेह | मिजोरम | सिविल |
| 39. | नं. 2 भुवनेश्वर | उड़ीसा | सिविल |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 40. | बी एस एफ पोखरन | राजस्थान | सिविल |
| 41. | रामेश्वरम | तमिलनाडु | सिविल |
| 42. | ग्वालदाम | उत्तरांचल | सिविल |
| 43. | भीमताल | उत्तरांचल | सिविल |
| 44. | ऋषिकेश | उत्तरांचल | सिविल |
| 45. | कोसानी | उत्तरांचल | सिविल |
| 46. | आई आई टी इलाहाबाद | उत्तर प्रदेश | सिविल |
| 47. | रक्षा विहार, कानपुर | उत्तर प्रदेश | सिविल |
| 48. | लखनऊ | उत्तर प्रदेश | सिविल |
| 49. | वाराणसी | उत्तर प्रदेश | सिविल |
| 50. | गोरखपुर | उत्तर प्रदेश | सिविल |
| 51. | दूरिआ | उत्तर प्रदेश | सिविल |
| 52. | ग्रेटर नोएडा | उत्तर प्रदेश | सिविल |
| 53. | डी आई यू | दीव और दमन | सिविल |
| 54. | कावारत्ती | लक्षद्वीप | सिविल |

**खान और खनिज अधिनियम, 1957 में संशोधन**

**3837. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :**
**श्री शिवराजसिंह चौहान :**

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को छोटी खानों वाली उत्खनन योजनाओं को मंजूरी देने के अधिकार दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम 1957 में संशोधन करके राज्यों को और अधिकार देने तथा ऐसे खानों हेतु खनन योजनाओं को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम, 22 (4ए) के अंतर्गत राज्य सरकारों को 29 गैर-धात्विक अथवा औद्योगिक खनिजों के संबंध में ओपन कास्ट खानों (भूमिगत खानों को छोड़कर खानें) की खनन योजना को अनुमोदन प्रदान करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन 29 गैर-धात्विक अथवा औद्योगिक खनिजों को दिनांक 25.9.2000 की राजपत्र अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 743(ई) द्वारा अधिसूचित किया गया था जिसकी प्रति 27.11.2000 को पहले ही सदन के पटल पर रख दी गई है।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों को खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों ने उन राज्य सरकार अधिकारियों की पात्रता योग्यताओं में संशोधन करने के लिए प्रतिवेदन दिया था जिन्हे खनन योजनाओं को अनुमोदन प्रदान करने के लिए शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप खनिज रियायत नियमावली, 1960 में उन राज्य सरकारों के अधिकारियों की पात्रता योग्यताओं में संशोधन करने के लिए दिनांक 29.10.2002 की राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 733(ई) द्वारा और संशोधन किया गया है जिन्हें 25.9.2000 को अधिसूचित की गई 29 गैर-धात्विक औद्योगिक खनिजों की खनन योजना के अनुमोदन के लिए शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। दिनांक 29.10.2002 की अधिसूचना की प्रति पहले ही दिनांक 26.11.2002 को सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

**माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों की समीक्षा और जांच करना**

**3838. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों और अन्य शिक्षा संबंधी सुधारों की समीक्षा और जांच करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति में जीवन के सभी क्षेत्रों के उन शिक्षाविदों/विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व दिया गया है जो विद्यार्थियों की मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तरों से उनकी कठिनाइयों और समस्याओं की जांच कर सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो समिति से किस प्रकार का कार्य और कार्यसूची की आशा की जाती है और उनके द्वारा सरकार को कब तक रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**आपराधिक न्याय प्रणाली**

**3839. श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने संबंधी मलिमथ समिति ने अपनी पहली मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार को रिपोर्ट कब तक मिलने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी)** : (क) से (ग) समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही आने की उम्मीद है।

**कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा जनशक्ति का उपयोग**

**3840. श्री ए. नरेन्द्र** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड में कम्पनी के पास उपलब्ध जनशक्ति के अधिकतम उपयोग हेतु कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अतिरिक्त कर्मियों की पुनर्नियुक्ति हेतु कोई कार्य योजना बनायी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा)** : (क) और (ख) अनुषंगी कम्पनियां, कार्य की मात्रा और आवश्यकता के सन्दर्भ में जनशक्ति की जरूरत का आकलन करने के लिए, जनशक्ति का बजट प्रत्येक वर्ष तैयार करती हैं। जनशक्ति के नियोजन का गहन रूप से प्रबोधन किया जाता है ताकि इसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) और (घ) अतिरिक्त जनशक्ति का अभिज्ञात श्रेणी-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

| श्रेणी | कम्पनी | | |
|---|---|---|---|
| | ई.सी.एल. | बी.सी.सी.एल. | सी.सी.एल. |
| पीस रेटिड | 1667 | 2458 | 7094 |
| दैनिक रेटिड | 3483 | 2422 | 36 |
| मासिक रेटिड | 1258 | 965 | 496 |
| कुल | 6408 | 5845 | 7626 |

(ङ) और (च) अतिरिक्त श्रमिकों को उसी कम्पनी के भीतर स्थानान्तरित/परिनियोजित करके अथवा अन्य कम्पनियों में स्थानान्तरित करके उनका लाभप्रद रूप से उपयोग किया जाता है। जहां भी आवश्यक होता है, वहां श्रमिकों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बारी-बारी से प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। अतिरिक्त श्रमिकों को अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की भी अनुमति दी जाती है।

*[हिन्दी]*

**गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अ.जा./ अ.ज.जा. के लोग**

**3841. श्री रामदास आठवले** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का राज्यवार प्रतिशत कितना है;

(ग) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित लोगों की राज्यवार और योजनावार संख्या कितनी है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) :** (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों का राज्य-वार प्रतिशत संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए एक स्व-रोजगार योजना अर्थात् स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) कार्यान्वित कर रहा है।

(घ) वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान मुख्य ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत लाभान्वित लोगों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

**विवरण-I**

*वर्ष 1999-2000 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों (बी.पी.एल.) की राज्यवार संख्या*

| क्रम सं. | राज्य | लोगों की संख्या (लाख) | अनु.जा. का प्रतिशत (लोग) | अनु.ज.जा. का प्रतिशत (लोग) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 58.13 | 16.49 | 23.82 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 3.80 | * | * |
| 3. | असम | 92.17 | 44.00 | 38.73 |
| 4. | बिहार | 376.51 | 59.81 | 59.68 |
| 5. | गोवा | 0.11 | * | * |
| 6. | गुजरात | 39.80 | 17.77 | 29.11 |
| 7. | हरियाणा | 11.94 | 19.03 | * |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 4.84 | 13.15 | 5.73 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 2.97 | * | * |
| 10. | कर्नाटक | 59.91 | 26.22 | 25.49 |
| 11. | केरल | 20.97 | 14.64 | 24.20 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 217.32 | 41.29 | 56.26 |
| 13. | महाराष्ट्र | 125.12 | 33.27 | 43.56 |
| 14. | मणिपुर | 6.53 | * | * |
| 15. | मेघालय | 7.89 | * | * |
| 16. | मिजोरम | 1.40 | * | * |
| 17. | नागालैंड | 5.21 | * | * |
| 18. | उड़ीसा | 143.69 | 51.83 | 73.93 |
| 19. | पंजाब | 10.20 | 12.39 | 17.99 |
| 20. | राजस्थान | 55.06 | 19.62 | 25.27 |
| 21. | सिक्किम | 2.00 | * | * |
| 22. | तमिलनाडु | 80.51 | 32.59 | 43.20 |
| 23. | त्रिपुरा | 12.53 | * | * |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 412.01 | 43.65 | 34.06 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 180.11 | 35.10 | 50.02 |
| 26. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.58 | * | * |
| 27. | दादरा एवं नगर हवेली | 0.30 | * | * |
| 28. | दमन व दीव | 0.01 | * | * |
| 29. | लक्षद्वीप | 0.03 | * | * |
| 30. | पांडिचेरी | 0.64 | * | * |
| | कुल | 1932.29 | 36.25 | 45.86 |

नोट : समस्त जनसंख्या के लिए गरीबी रेखा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयोग किया जाता है।

अखिल भारतीय गरीबी दर लोगों के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और (अस्पष्ट) अखिल भारतीय गरीबी रेखा से निकाली गई है।

*योजना आयोग ने राज्यों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बी.पी.एल. जनसंख्या नहीं निकाली है।

**विवरण-II**

| क्र. सं. | राज्य का नाम | ई.ए.एस./एस.जी.आर.वाई.-I उपलब्धि सृजित रोजगार (लाख श्रमदिवस) | | | जे.जी.एस.वाई./एस.जी.आर.वाई.-II उपलब्धि सृजित रोजगार (लाख श्रमदिवस) | | | आई.ए.वाई. उपलब्धि बनाई गई आवासीय इकाई (संख्या) | | | एस.जी.एस.वाई. उपलब्धि सहायता प्राप्त कुल स्व-रोजगारी | | | ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. उपलब्धि कवर की गई बसावटें (संख्या) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03* | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03* | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03* | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03* | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 111.32 | 159.45 | 160.67 | 156.37 | 143.94 | 167.42 | 83912 | 82228 | 70313 | 83084 | 79211 | 53199 | 3000 | 2560 | 2179 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 20.10 | 4.84 | 5.84 | 6.59 | 8.57 | 1.30 | 4515 | 4542 | 2049 | 1403 | 1564 | 194 | 126 | 177 | 35 |
| 3. | असम | 78.04 | 200.66 | 230.27 | 132.86 | 206.71 | 173.84 | 65089 | 46817 | 32910 | 12282 | 15805 | 11595 | 2826 | 2746 | 2229 |
| 4. | बिहार | 211.65 | 138.13 | 147.31 | 184.73 | 156.17 | 198.89 | 161199 | 167979 | 109700 | 125792 | 146925 | 73390 | 50 | 4 | 0 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 83.32 | 299.00 | 238.45 | 68.96 | 76.09 | 87.38 | 17777 | 22996 | 3966 | 25423 | 26907 | 14013 | 7294 | 3055 | 1980 |
| 6. | गोवा | 0.86 | 0.09 | 0.00 | 2.61 | 0.57 | 0.38 | 368 | 317 | 153 | 45 | 2016 | 555 | 8 | 4 | 3 |
| 7. | गुजरात | 80.00 | 30.42 | 63.89 | 46.72 | 39.32 | 53.65 | 28192 | 27497 | 18533 | 29241 | 20963 | 14891 | 995 | 552 | 395 |
| 8. | हरियाणा | 20.19 | 57.94 | 53.72 | 18.84 | 48.84 | 53.32 | 13309 | 9814 | 5689 | 25853 | 14847 | 6309 | 570 | 592 | 322 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 11.51 | 11.91 | 9.09 | 13.89 | 13.90 | 7.58 | 3716 | 3852 | 1115 | 11647 | 9091 | 4225 | 2448 | 1925 | 1229 |
| 10. | जम्मू व कश्मीर | 25.75 | 11.34 | 11.34 | 10.68 | 21.51 | 7.26 | 4082 | 7632 | 2897 | 9302 | 14978 | 5242 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | झारखंड | 100.31 | 121.37 | 41.65 | 113.45 | 149.00 | 22.41 | 56233 | 49052 | 17621 | 55038 | 70699 | 19485 | 99 | 0 | 77 |
| 12. | कर्नाटक | 103.56 | 88.04 | 111.38 | 129.95 | 84.36 | 107.26 | 42675 | 43824 | 25153 | 29026 | 42944 | 18731 | 5506 | 1633 | 1462 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | केरल | 30.49 | 33.11 | 18.44 | 27.93 | 31.71 | 13.73 | 19092 | 21372 | 23794 | 37926 | 27046 | 12763 | 235 | 247 | 21 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 159.37 | 225.82 | 207.24 | 208.44 | 242.52 | 178.76 | 61773 | 64962 | 31656 | 71823 | 63910 | 26982 | 8246 | 2365 | 1372 |
| 15. | महाराष्ट्र | 216.82 | 217.08 | 118.15 | 316.43 | 229.39 | 122.87 | 81111 | 88773 | 28337 | 87998 | 70602 | 22663 | 5608 | 2811 | 495 |
| 16. | मणिपुर | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 3.67 | 0.00 | 552 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 38 |
| 17 | मेघालय | 5.87 | 6.69 | 4.31 | 11.21 | 17.25 | 3.19 | 4368 | 3953 | 1696 | 1671 | 8950 | 1125 | 340 | 110 | 59 |
| 18. | मिजोरम | 5.97 | 5.77 | 3.54 | 3.95 | 4.24 | 3.27 | 2290 | 1275 | 618 | 1352 | 3822 | 928 | 202 | 206 | 11 |
| 19. | नागालैंड | 17.40 | 4.08 | 13.33 | 14.17 | 4.28 | 3 86 | 4906 | 4441 | 6638 | 1376 | 1138 | 452 | 98 | 33 | 0 |
| 20. | उड़ीसा | 195.20 | 174.28 | 135.19 | 248.51 | 236.80 | 163.50 | 139561 | 101443 | 298939 | 86171 | 59233 | 22394 | 1865 | 100 | 0 |
| 21. | पंजाब | 15.72 | 9.75 | 6.81 | 12.31 | 8.75 | 4.94 | 6606 | 5317 | 2839 | 11990 | 6272 | 3708 | 258 | 282 | 251 |
| 22. | राजस्थान | 76.38 | 82.56 | 179.49 | 96.71 | 72.13 | 143.22 | 41766 | 30471 | 25353 | 44504 | 36053 | 14690 | 10254 | 10903 | 8605 |
| 23. | सिक्किम | 9.15 | 2.01 | 2.73 | 3.80 | 3.39 | 2.35 | 1539 | 1754 | 936 | 1930 | 2145 | 1046 | 130 | 104 | 56 |
| 24. | तमिलनाडु | 110.38 | 132.51 | 211.59 | 131.19 | 139.54 | 187.02 | 49914 | 43540 | 39290 | 83393 | 54614 | 33117 | 6617 | 6865 | 3648 |
| 25. | त्रिपुरा | 19.53 | 43.52 | 19.96 | 24.84 | 30.06 | 29.20 | 11640 | 10382 | 1552 | 14640 | 20625 | 5110 | 995 | 260 | 321 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 333.02 | 185.68 | 447.91 | 412.59 | 261.08 | 498.72 | 159680 | 171944 | 79165 | 124064 | 121400 | 40201 | 3473 | 156 | 0 |
| 27. | उत्तरांचल | 11.07 | 12.38 | 26.93 | 10.39 | 26.74 | 23.16 | 13775 | 11245 | 5887 | 31555 | 17715 | 3922 | 350 | 418 | 0 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 116.27 | 61.85 | 131.96 | 136.65 | 94.56 | 187.42 | 90783 | 71553 | 58323 | 21230 | 15480 | 22241 | 6317 | 6078 | 4231 |
| 29. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 0.39 | 0.13 | 0.00 | 0.49 | 16.03 | 0.00 | 52 | 858 | 183 | 448 | 470 | 142 | 20 | 20 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | चंडीगढ़ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | दादरा व नगर हवेली | 0.18 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 77 | 0 | 6 | 26 | 0 | 57 | 13 | 13 |
| 32. | दमन व दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 66 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | दिल्ली | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.34 | 0.15 | 0.00 | 0.33 | 0.21 | 0.10 | 22 | 15 | 5 | 20 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 35. | पांडिचेरी | 0.76 | 0.06 | 1.59 | 0.16 | 0.19 | 1.79 | 428 | 266 | 244 | 39 | 437 | 493 | 7 | 5 | 13 |
| | कुल | 2174.89 | 2320.65 | 2602.78 | 2547.61 | 2371.52 | 2448.29 | 1170926 | 1100257 | 896412 | 1030272 | 955914 | 433812 | 68017 | 44259 | 29045 |

* जनवरी, 2003 तक (अनंतिम)

जे.जी.एस.वाई.—जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

ई.ए.एस.—सुनिश्चित रोजगार योजना

एस.जी.एस.वाई.—स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.—त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

आई.ए.वाई.—इंदिरा आवास योजना

एस.जी.आर.वाई.—संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

*[अनुवाद]*

## ''टेन्योरपूल'' से सरकारी आवासों का आबंटन

**3842. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की प्रतिनियुक्ति पर आए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को सरकारी आवास के आबंटन हेतु एक पृथक ''टेन्योरपूल'' है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मंत्रालयों में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अन्य प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को उक्त पूल से इस प्रकार के आवास नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा इस विषय में पहले कोई आश्वासन दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो अब तक इसके क्रियान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) :** (क) जी, हां।

(ख) सरकारी आवासों (दिल्ली में सामान्य पूल) के आबंटन नियम 1963 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति वाले केन्द्रीय सेवा के अधिकारी टेन्योर पूल से सरकारी आवास के आबंटन के लिए पात्र नहीं हैं तथा उन्हें सामान्य पूल, जो एक मूल पूल है, से आवास का आबंटन किया जाता है।

(ग) जी, हां। दिनांक 8.5.2000 को उत्तरित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4540 के उत्तर में एक आश्वासन दिया गया था।

(घ) टेन्योर पूल तथा सामान्य पूल में आवास की उपलब्धता तथा संतुष्टि पर एक अलग पूल के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के परामर्श से इस मामले की जांच की जा रही है।

## दि.वि.प्रा. द्वारा नई आवास योजना

**3843. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोई नई आवास योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या समाज के कमजोर तबके के लिए कोई योजना शुरू की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) :** (क) और (ख) जी, हां। डीडीए ने वर्ष 2003 में निम्नलिखित स्कीमें शुरू की हैं :-

(i) केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों, स्वायत्तशासी सांविधिक निकायों तथा बैंकों को फ्लैट आबंटन हेतु आवास स्कीम।

(ii) जनता/एलआईजी/एमआईजी फ्लैट आबंटन हेतु नरेला आवास स्कीम, 2003

(ग) और (ख) फ्लैटों के आबंटन के लिए नरेला आवास स्कीम, 2003 के अलावा, जिसमें जनता फ्लैट भी शामिल हैं, कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए श्रमिक आवास योजना के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/श्रम मंत्रालय के कर्मचारियों को गरीब 8045 जनता फ्लैटों के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है।

## केन्द्रीय भण्डार द्वारा बाजार-सर्वेक्षण

**3844. श्री रामजी मांझी : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब भी नए आपूर्तिकर्ता आते हैं या आपूर्तिकर्ता मूल्य-पुनरीक्षण की मांग करते हैं तब केन्द्रीय भण्डार बाजार-सर्वेक्षण कराता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न वस्तुओं की दरें विशेषत: गेटवे ब्राण्ड टाइपिंग और साइक्लोस्टाइलिंग पेपर्स (एफ एस) का मूल्य, बाजार और एन सी सी एफ से अधिक पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इनकी तुलनात्मक दरें क्या हैं;

(ङ) गलत सर्वेक्षण-रिपोर्ट देने के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) सतर्कता-विभाग को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक)** : (क) से (च) इस बारे में जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

## दिल्ली पुलिस

**3845. श्री वाई.वी राव** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस अधिकारियों में महिलाओं के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक)** : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्। दिल्ली पुलिस अपने कार्मिकों को लिंग भेद के प्रति संवेदनशील बनाने को उच्च प्राथमिकता देती है, जिसके लिए विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।

## दिल्ली में फ्लाईओवर निर्माण

**3846. श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कई फ्लाईओवर अपने निर्धारित समय के भीतर पूरे नहीं हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे फ्लाईओवरों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इसके फलस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि हुई?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन)** : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग, दिल्ली रा.रा. क्षेत्र सरकार द्वारा सूचित उन फ्लाईओवरों का ब्यौरा जिनका कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा नहीं किया जा रहा है। विलंब के कारणों और आज की तारीख में लागत में संभावित वृद्धि के साथ संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

| क्र.सं. | फ्लाईओवर का नाम | विलंब के कारण | अब तक संभावित लागत वृद्धि (लाख रु. में) |
|---|---|---|---|
| 1. | वजीराबाद-रोड नं. 66 | – दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वाटर मेन लाइन और साथ ही एमटीएनएल तथा डीवीबी लाइनों को हटाना<br>– दो छोटे पुलों की निर्माण की अतिरिक्त जिम्मदारी | 80.60 |
| 2. | एनएच-24 और नोएडा रोड | मौजूदा संरचनाओं को बचाने के लिए इस फ्लाईओवर की के जीएडी में संशोधन किया गया। इससे विनिर्देश और डिजाइन में परिवर्तन हुआ | 63.33 |
| 3. | पंजाबी बाग | रेलवे जमीन का स्थानांतरण और वाटर मेन को हटाना | 40.00 |
| 4. | धौला कुंआ | विभिन्न प्राधिकरणों से भूमि प्राप्ति में विलंब और सेवाओं का स्थानांतरण। | 11.5 |
| 5. | मायापुरी | दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा सेवाओं का स्थानांतरण। | 19.25 |
| 6. | सफदरजंग अस्पताल क्रासिंग | दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा सेवाओं का स्थानांतरण | 56.00 |

## अभियंताओं के लिए लाइसेंस की शुरूआत

**3847. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व व्यापार संगठन के दबाव के कारण अभियंताओं को अपने पेशे के लिए लाइसेंस देने पर विचार कर रही है जैसा कि 'इंजीनियर्स विल नीड लाइसेंस टू प्रैक्टिस' शीर्षक के अंतर्गत 5.3.03 को इंडियन एक्सप्रेस में खबर प्रकाशित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे पूरा करने के लिए विश्व व्यापार संगठन द्वारा कोई अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ए आई सी टी ई अभियंताओं को ऐसे लाइसेंस देने को तैयार है; और

(च) यदि हां, तो इस सेवा से देश को तथा अभियंत्रिकी पेशे को कितना लाभ मिलेगा?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) :** (क) से (घ) जी, नहीं। भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन को दिए गए वचन में इस तरह का कदम उठाने की कोई बात नहीं है।

(ङ) और (च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने अभियन्ताओं के रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी स्वयं लेने का निर्णय लिया है। अभियन्ताओं को रजिस्ट्रेशन प्रदान किए जाने से पंजीकृत व्यावसायिक एक देश से दूसरे देश में जा सकेंगे, क्योंकि इससे देश तथा विदेश में अभियान्त्रिकी को व्यवसाय के रूप में व्यवहार में लाने की तत्काल मान्यता मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से देश में योग्य व्यावसायिकों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कठोर शैक्षिक मानदण्ड तथा व्यावसायिक आचार संहिता लागू करने की स्थिति में होगी।

*[हिन्दी]*

## दिल्ली विश्वविद्यालय

**3848. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध महाविद्यालयों में आरक्षित पदों को भरने के लिए कोई विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अभ्यर्थियों की कितनी रिक्तियों को भरा जाएगा और उनका श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान 5 मार्च, 2003 को नवभारत टाइम्स में आरक्षित पदों की भर्ती में अनियमितताओं के संबंध में छपे लेख की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) :** (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

## यूरिया घोटाला

**3849. श्री नरेश पुगलिया :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा यूरिया घोटाले के मामले को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा हाल में किस कार्यवाही का प्रस्ताव किया गया है?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) :** (क) और (ख) जी, नहीं। यूरिया घोटाले में अभियुक्त श्री सी.के. रामाकृष्णन, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, एन.एफ.एल. तथा अन्य के विरुद्ध सी.बी.आई. द्वारा दिनांक 26.12.97 को एक आरोप पत्र दाखिल किया गया था। श्री ए.के. गर्ग, विशेष न्यायाधीश, नई दिल्ली के न्यायालय में इस मामले का परीक्षण चल रहा है।

(ग) और (घ) विशेष न्यायाधीश नई दिल्ली के न्यायालय में यूरिया घोटाला मामले का परीक्षण चल रहा है। यह अभियोजन साक्ष्य की अवस्था में है। सी.बी.आई. के प्रयास परीक्षण के शीघ्र निष्कर्ष की ओर उन्मुख हैं।

**आंगनवाड़ी के लिए भवन निर्माण**

**3850. श्री पी.सी. थामस :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंगनवाड़ी के लिए भवन निर्माण हेतु कई योजनाएं भारत सरकार के समक्ष लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार विशेषत: केरल के संदर्भ में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संदर्भ में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) :** (क) से (ग) आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु कोई भी स्कीम भारत सरकार के समक्ष अनुमोदनार्थ लम्बित नहीं है।

तथापि, इन दिनों आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए मंजूरी आई.सी.डी.एस. (सामान्य) के तहत और अन्य राज्यों के लिए आई.सी.डी.एस.-III परियोजना के तहत दी जाती है। केरल राज्य के लिए 1600 आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से केरल राज्य ने 1313 भवनों के पूर्ण निर्माण की सूचना दे दी है और शेष भवन निर्माणाधीन हैं।

**समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार**

**3851. श्री रामशेठ ठाकुर :**
**श्री ए. वेंकटेश नायक :**
**श्री अशोक ना. मोहोल :**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बंजरभूमि विकास के माध्यम से ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में विशेषत: कर्नाटक और महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में इसके अंतर्गत राज्यवार कितने रोजगार सृजित किए गए/सृजित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यवार कितना खर्चा आया; और

(ङ) आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यवार वर्तमान बजट आबंटन कितना है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) :** (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को 1.4.1995 से लागू वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित करके बंजरभूमि और अवक्रमित भूमि को विकसित करने का कार्य करता है जिसका उद्देश्य भूमि को अवक्रमित होने से रोकना, ऐसी भूमि को उत्पदनकारी उपयोग में लाना तथा बायोमास, विशेषरूप से ईंधन लकड़ी और चारे की उपलब्धता को बढ़ाना है।

वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, वाटरशेड कार्यकलाप श्रम-प्रधान हैं और वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अभी तक प्राप्त अनुभवों से यह पता चलता है कि वाटरशेड परियोजनाओं के निष्पादन में किए जाने वाले व्यय का लगभग 60% व्यय मजदूरी रोजगार के प्रति किया जाता है। वर्ष 1995-96 से 2002-03 तक की अवधि में समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत कर्नाटक में 2.34 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए कुल 23 वाटरशेड परियोजनाएं तथा महाराष्ट्र में 2.13 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 20 वाटशेड परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है। वर्ष 2003-2004 के दौरान

आई.डब्ल्यू.डी.पी. की परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 275.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

**विवरण**

*नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-98 से 2002-03) के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत जारी की गई निधियां*

| क्रम सं. | राज्य का नाम | आई.डब्ल्यू.डी.पी. (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 6333.42 |
| 2. | अंडमान एवं निकोबार | 0.00 |
| 3. | बिहार | 66.00 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 746.00 |
| 5. | दिल्ली | 250.00 |
| 6. | गुजरात | 3235.10 |
| 7. | हरियाणा | 512.02 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 3038.72 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 929.49 |
| 10. | झारखंड | 189.49 |
| 11. | कर्नाटक | 2880.96 |
| 12. | केरल | 359.90 |
| 13. | महाराष्ट्र | 1752.45 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 4325.21 |
| 15. | उड़ीसा | 2522.84 |
| 16. | पंजाब | 275.52 |
| 17. | राजस्थान | 3208.46 |
| 18. | तमिलनाडु | 2456.13 |
| 19. | उत्तर प्रदेश | 6424.74 |
| 20. | उत्तरांचल | 705.04 |
| 21. | पश्चिम बंगाल | 45.00 |
| 22. | अरुणाचल प्रदेश | 94.85 |
| 23. | असम | 2398.93 |
| 24. | मणिपुर | 1245.73 |
| 25. | मेघालय | 260.74 |
| 26. | मिजोरम | 933.23 |
| 27. | नागालैंड | 3004.92 |
| 28. | त्रिपुरा | 230.23 |
| 29. | सिक्किम | 1206.86 |
| | योग | 49631.98 |

**कोयला उद्योगों के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति में श्रमिक संघ**

**3852. श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति में प्रतिनिधित्व करने वाले संघों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) समिति में श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के चयन के मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या सीटू को छोड़कर सभी श्रमिक संघों को कोयला खान भविष्य निधि संगठनों में प्रतिनिधित्व दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) :** (क) पांच केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों यथा इंटक, ए.आई.टी.यू.सी, एच.एम.एस., बी.एम.एस. और सीटू का कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जे.बी.सी.सी.आई.) में श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व है।

(ख) वर्ष 1973 में भारत सरकार ने समग्र कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समझौता समिति गठित करने का निर्णय लिया। श्रमिकों के प्रतिनिधियों तथा कोयला उत्पादक कम्पनियों के प्रतिनिधियों की जे.बी.सी.सी.आई. का गठन किया गया था। श्रमिकों के प्रतिनिधि इंटक ए.आई.टी.यू.सी., सीटू और एच.एम.एस. से लिए गए थे और उसके बाद बी.एम.एस. को सितम्बर, 1978 में शामिल किया गया था। जे.बी.सी.सी.आई. में यूनियनों के प्रतिनिधित्व का मूल निर्णायक कारक ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी जनसमर्थन और सम्पूर्ण कोलफील्ड में गैर-कार्यपालक कर्मचारियों में ट्रेड यूनियनों की आमतौर से स्वीकार्यता है। पांच केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों तथा इंटक, ए.आई.टी.यू.सी., एच.एम.एस., बी.एम.एस. तथा सीटू के पास जे.बी.सी.सी.आई. में प्रतिभागिता के लिए आवश्यक योग्यता है।

(ग) कोयला खान भविष्य निधि संगठन के न्यासी बोर्ड में सीटू को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियनों का, जो जे.बी.सी.सी.आई. के सदस्य हैं, प्रतिनिधित्व है।

(घ) कोयला खान भविष्य निधि के न्यासियों के बोर्ड (बीओटी) में ट्रेड यूनियनों को प्रतिनिधित्व कोयला उद्योग में उनकी सदस्यता की संख्या के अनुरूप दिया जाता है। सी.एम.पी.एफ. एवं प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम 1948 के अनुसार बोर्ड में ट्रेड यूनियनों के केवल छः प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है जिसमें से कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होगा जो ऐसे किसी संगठन का सदस्य नहीं हो। अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में वर्तमान में सदस्यता निम्नानुसार है :-

| | | |
|---|---|---|
| इंटक | — | 2 |
| ए.आई.टी.यू.सी. | — | 1 |
| एच.एम.एस. | — | 1 |
| बी.एम.एस. | — | 1 |

इसके अतिरिक्त अधिनियम के प्रावधानों की भावना को ध्यान में रखते हुए जिसमें यह व्यवस्था है कि कम से कम एक सदस्य ऐसा कर्मचारी होगा जो ट्रेड यूनियन संगठनों में कोई पद धारी नहीं हो, इस श्रेणी में एक कर्मचारी को नामित किया गया है।

ऊपर स्पष्ट किए गए कारणों से सीटू सहित कोई अन्य ट्रेड यूनियन का न्यासियों के बोर्ड में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है।

## रेलगाड़ी में बम विस्फोट

3853. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
**श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
**श्री भास्करराव पाटील :**
**श्री कैलाश मेघवाल :**
**डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
**श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
**श्री जी.एस. बसवराज :**
**श्री अधीर चौधरी :**
**श्री ए. नरेन्द्र :**
**श्री सी. कुप्पुसामी :**

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि करजट जा रही उपनगरीय रेलगाड़ी के डिब्बे में हुए शक्तिशाली बम विस्फोट के कारण मुम्बई में कई लोग मारे गए तथा कई घायल हुए जैसा कि 14.3.03 के कई अखबारों में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने घटना के संबंध में राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार के विस्फोटों में संलिप्त लोगों को पकड़ने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) :** (क) से (ग) दिनांक 13.3.2003 को मुम्बई में मुलुन्ड स्टेशन के समीप करजत जाने वाली उपनगरीय स्थानीय रेल के द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे में एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ। इसमें 11 यात्री मारे गए तथा 82 घायल हो गए।

(घ) इस मामले की जांच-पड़ताल में केन्द्रीय सरकार की एजेन्सियां मुम्बई पुलिस को आसूचना सहयोग प्रदान कर रहीं हैं।

**निर्धारित अवधि से पिछड़ रही कोयला संबंधी परियोजनाएं**

**3854. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**
**श्री सी. श्रीनिवासन :**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धारित अवधि से पिछड़ रही कोयला संबंधी परियोजनाओं का परियोजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजनाओं के आरम्भ में अनुमानित लागत कितनी थी और इन परियोजनाओं के लागत में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) क्या यह सच है कि नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन परियोजना सहित कई कोयला परियोजनाएं बहुत विलम्बित हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं के शीघ्र पूरा किए जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) :** (क) निर्धारित अवधि से पिछड़ रही कोयला सम्बन्धित परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

| क्रम सं. | परियोजना का नाम (राज्य) | क्षमता | स्वीकृति की तिथि | पूर्णता की तिथि | | स्लिपेज (वर्षों में) | विलम्ब के कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कार्यक्रम के अनुसार | अब प्रत्याशित | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.** | | | | | | | |
| 1. | झांझरा चरण-I यू.जी. (प. बंगाल) | 2.00 | 08/95 | 03/98 | 03/03 | 5 | परियोजनाएं इसके एक पैनल में तापन की समस्या तथा उसके साथ-साथ पुराने पी.एस.एल.डब्ल्यू. के प्रतिस्थापन तथा अन्य विकास उपकरणों हेतु निधि समस्या के कारण प्रभावित हुई है। |
| 2. | जे.के. नगर-यू.जी. (प. बंगाल) | 0.87 | 02/91 | 03/93 | 03/04 | 11 | भू-गर्भीय हलचलों की मौजूदगी के कारण खनन तकनोलॉजी को एल.डब्ल्यू. खनन से बी.एण्ड. पी. प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया है। शाफ्ट की शिंकिंग को पूर्ण करने में पी.एस.यू. ठेकेदार की असफलता तथा स्किप को चालू करने में असफलता से परियोजना में विलम्ब हुआ। परियोजना निधि की बाध्यताओं के कारण भी प्रभावित हुई थी। |
| 3. | कालीदासपुर-यू.जी. (प. बंगाल) | 0.54 | 11/95 | 03/98 | 03/03 | 5 | परियोजना भू-गर्भीय हलचलों गैस के रिसाव तथा केविंग प्रणाली के स्थान पर स्टोइंग प्रणली के क्रियान्वयन के कारण |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | बुरी तरह प्रभावित हुई है। प्रशासकीय कठिनाई क्योंकि यह परियोजना दामोदर नदी के दूसरे किनारे पर स्थित है तथा गम्भीर निधि समस्या भी विलम्ब के लिए उत्तरदायी है। |
| 4. | सारपी यू.जी. (प. बंगाल) | 0.90 | 09/87 | 03/95 | 03/03 | 8 | परियोजना में गम्भीर निधि समस्या के कारण विलम्ब हुआ है। |
| | **सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.** | | | | | | |
| 5. | बोकारो बरमो सीम-ओ.सी. (झारखण्ड) | 0.80 | 05/95 | 03/00 | 03/04 | 4 | पी.आर. में परिकल्पित अतिरिकत हैम को निधि की समस्या के कारण नहीं दिया जा सका। |
| 6. | सौन्दा डी, ओ.सी. (झारखण्ड) | 0.35 | 04/01 | 03/02 | 03/03 | 1 | पी.आर. में परिकल्पित अतिरिक्त हैम को निधि की समस्या के कारण नहीं दिया जा सका। |
| | **नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.** | | | | | | |
| 7. | टीपीएस-1 (तमिलनाडु) | 2x210 मे.वा.<br>2x210 मे.वा | 02/96<br>12/01 | यूनिट-I 01/02<br>यूनिट-II 05/02<br>यूनिट-I 01/03<br>यूनिट-II 03/03 | यूनिट I- 10/02 को तुल्कालिक किया गया<br>यूनिट II- 7/03 | 16 माह | परियोजना के लिए वित्त-पोषण एजेंसी मैसर्स के.एफ.डब्ल्यू. द्वारा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने में विलम्ब, उपकरणों की आपूर्ति तथा स्थापन में विलम्ब, ठेकेदार द्वारा स्थल गति-विधियों की धीमी प्रगति आदि। |
| | **सिंगरनी कोलियरीज कम्पनी लि.** | | | | | | |
| 8. | सान्तीखानी विस्तार चरण-I (आन्ध्र प्रदेश) | 0.190 | 06/92 | 1996-97 | 2002-03 | 6 | प्रतिकूल भू-खनन स्थितियों तथा रोड हैडर की अधिप्राप्ति में विलम्ब के कारण। |
| 9. | येलन्डू ओ.सी. ब्लाक-ई (आन्ध्र प्रदेश) | 0.450 | 05/99 | 2001-02 | 2003-04 | 2 | उपभोक्ता की आवश्यकता तथा एफ.एस.ए. की तुलना में गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए परियोजनाओं को स्थगित रखा गया है। |

(ख) इन परियोजनाओं के संबंध में नवीनतम स्वीकृत पूंजी, प्रत्याशित पूंजी तथा वृद्धि, यदि कोई हो, नीचे दी गई है :-

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | नवीनतम स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु.) | प्रत्याशित पूंजी (करोड़ रु.) | वृद्धि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| **ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड** | | | | | |
| 1. | झांझरा चरण-I- यू.जी. | 403.96 | 386.44 | (-)17.52 | परियोजना को 1.03 मि.ट. प्रतिवर्ष की क्षमता पर समय से पूर्व बन्द करने का प्रस्ताव सरकार के अन्मोदन हेतु विचाराधीन है। |
| 2. | जे.के. नगर - यू.जी. | 95.28 | 53.42 | (-)41.86 | 0.435 मि.ट. प्रतिवर्ष की डिरेटिड क्षमता का आर.पी.आर. सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन हैं। |
| 3. | कालीदासपुर यू.जी. | 75.05 | 36.49 | (-)37.56 | परियोजना को 0.135 मि.ट. प्रतिवर्ष की क्षमता पर समय से पूर्व बन्द करने का प्रस्ताव सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। |
| 4. | सारपी यू.जी. | 53.05 | 26.62 | (-)26.43 | 0.34 मि.ट. प्रतिवर्ष की क्षमता पर समय से पूर्व बन्द करने को सी.आई.एल. बोर्ड की ई.एस.सी. द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। |
| **सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.** | | | | | |
| 5. | बोकारो बरमो सीम - ओ.सी. | 46.78 | 46.78 | 0.00 | |
| 6. | सौन्दा डी - ओ.सी. | 25.81 | 25.81 | 0.00 | आर.पी.आर. को सी.आई.एल. बोर्ड की ई.एस.सी. की 55वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। |
| **नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.** | | | | | |
| 7. | टीपीएस-1 | 1420.27 | 1420.27 | 0.00 | — |
| **सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि.** | | | | | |
| 8. | सान्तीखानी विस्तार चरण-I | 18.32 | 18.32 | 0.00 | — |
| 9. | येलन्डू ओ.सी. ब्लॉक-ई | 12.17 | 12.17 | 0.00 | — |

(ग) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.)/सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. (एससीसीएल) तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी) की ऐसी परियोजनाओं के ब्यौरे उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में दिए गए हैं।

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब के कारण उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में दिए गए हैं।

(ङ) कोयला मंत्रालय ने कड़े मूल्यांकन तथा स्वीकृति कार्यविधियां प्रारम्भ की हैं और परियोजना के निर्धारण तथा प्रबोधन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परियोजनाओं को अब भूमि की उपलबधता, तैयारी की स्थिति तथा निधियों के सुनिश्चित प्रवाह के विस्तृत परीक्षण के पश्चात ही कार्यान्वित किया जाता है।

प्रबोधन की प्रणाली/सक्रिय उपायों को विभिन्न स्तरों पर मानकीकृत किया गया है।

**(क) परियोजना स्तर पर :**

- मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के स्तर पर मासिक समीक्षा।
- कम्पनी के सी.एम.डी. तथा निदेशक (तकनीकी) के स्तर पर मासिक समीक्षा।
- मासिक फ्लैश रिपोर्टें तथा त्रैमासिक प्रबोधन रिपोर्टें सी. आई.एल., सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और कोयला मंत्रालय को भेजी जाती है।

**(ख) अनुषंगी/सी.आई.एल. बोर्ड स्तर पर :**

चालू परियोजनाओं के संबंध में ए.टी.आर. तथा स्थिति रिपोर्टों की अनुषंगी बोर्डों तथा साथ ही सी.आई.एल. बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है और आवश्यक सुधारात्मक उपाए किए जाते हैं।

**(ग) मंत्रालय स्तर पर :**

100 करोड़ रु. तथा उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं की सचिव (कोयला) द्वारा नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाती है। योजना आयोग, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, व्यय विभाग और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि भी ऐसी समीक्षा बैटकों में भाग लेते हैं।

**शहरों और कस्बों का मानचित्र बनाना**

3855. **श्री श्रीनिवास पाटील :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार हवाई मानचित्र, जी एस एम आदि जैसी उन्नत तकनीकों का प्रयोग करके शहरों और कस्बों के मानचित्र तैयार करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से शहरी मानचित्र बनाने हेतु पहल करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रगति, यदि कोई है, कितनी हुई है;

(ङ) क्या सुरक्षा कारणों से शहरों और कस्बों का पूर्व हवाई सर्वेक्षण प्रकाशित नहीं किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) :** (क) से (घ) शहरों और कस्बों के मानचित्र तैयार करना राज्यों पर निर्भर करता है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने दो चरणों में 53 कस्बों को शामिल करने हेतु 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रायोगिक आधार पर शहरी मानचित्रण स्कीम शुरू की है। ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ङ) और (च) 1:2000 के मानक में हवाई फोटोग्राफी व डिजिटल फोटोग्रेमेटरी के उपयोग के जरिए शहरी मानचित्रण स्कीम के अंतर्गत सृजित मानचित्रों को गुप्त वर्गीकृत किया गया है। अत: इन मानचित्रों का उपयोग राज्य कस्बा नियोजन विभागों तक सीमित किया गया है।

**विवरण**

*शहरी मानचित्रण के अंतर्गत शामिल कस्बे (चरण-I व II)*

**चरण-I**

| क्रमांक | राज्य | क्रमांक | शामिल कस्बे | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | तमिलनाडु | 1. | तिन्दीवनम | पूर्ण |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | 2. | नागापट्टिनम | पुर्ण |
| | | 3. | करईकुडी | पूर्ण |
| | | 4. | त्रिरूचेन्दूर | पूर्ण |
| | | 5. | राजापल्लयाम | पूर्ण |
| 2. | उत्तर प्रदेश | 6. | आगरा | पूर्ण |
| | | 7. | फैजाबाद | पूर्ण |
| | | 8. | नैनीताल | पूर्ण |
| 3. | उड़ीसा | 9. | भुवनेश्वर | पूर्ण |
| | | 10. | पुरी | पूर्ण |
| 4. | गुजरात | 11. | वलसाद | पूर्ण |
| | | 12. | भरूच | पूर्ण |
| | | 13. | सुरेन्द्र नगर | पूर्ण |
| | | 14. | पोरबंदर | पूर्ण |
| | | 15. | वेरावल | पूर्ण |
| 5. | महाराष्ट्र | 16. | कल्याण और उल्लास नगर | पूर्ण |
| | | 17. | शोलापुर | पूर्ण |
| | | 18. | नांदेड | पूर्ण |
| | | 19. | नागपुर | पूर्ण |
| | | 20. | रतनगिरी | पूर्ण |
| | | 21. | अकोला | पूर्ण |
| 6. | आंध्र प्रदेश | 22. | नांदियाल | पूर्ण |
| | | 23. | खम्माम | पूर्ण |
| | | 24. | गुडीवाडा | पूर्ण |
| | | 25. | भीमावरम | पूर्ण |

**चरण–II**

| क्रमांक | राज्य | क्रमांक | शामिल कस्बे | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | कर्नाटक | 1. | मंगलौर | मानचित्रण पूर्ण |
| | | 2. | मैसूर | मानचित्रण पूर्ण |
| 2. | पश्चिम बंगाल | 3. | आसनसोल | फ्लाईंग पूर्ण |
| | | 4. | सिलिगुड़ी | फ्लाईंग पूर्ण |
| 3. | मध्य प्रदेश | 5. | भोपाल | मानचित्रण पूर्ण |
| | | 6. | इंदौर | मानचित्रण पूर्ण |
| 4. | राजस्थान | 7. | अजमेर | मानचित्रण पूर्ण |
| | | 8. | बीकानेर | मानचित्रण पूर्ण |
| 5. | हरियाणा | 9. | अम्बाला | एनआरएसए को सौंपा |
| | | 10. | गुड़गांव | फ्लाईंग पूर्ण |
| 6. | पंजाब | 11. | मुक्तसर | मानचित्रण पूर्ण |
| | | 12. | मोगा | मानचित्रण प्रगति पर है |
| 7. | मेघालय | 13. | शिलांग | री फ्लाईंग |
| 8. | सिक्किम | 14. | गंगटोक | मानचित्रण पूर्ण |
| 9. | चंडीगढ़ | 15. | चंडीगढ़ | फ्लाईंग पूर्ण |
| 10. | असम | 16. | गुवाहाटी | रक्षा मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी हाल ही में मिलो है। |
| 11. | केरल | 17. | कोची | एनआरएसए को सौंपा |
| | | 18. | त्रिवेन्द्रम | एनआरएसए को सौंपा |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 12. | बिहार | 19. | गया | फ्लाईंग पूर्ण |
| | | 20. | छपरा | फ्लाईंग पूर्ण |
| 13. | पांडिचेरी | 21. | पांडिचेरी | मानचित्रण पूर्ण |
| 14. | गोवा | 22. | पणजी | मानचित्रण पूर्ण |
| 15. | हिमाचल प्रदेश | 23. | हमीरपुर | फ्लाईंग पूर्ण तथा मानचित्रण प्रगति पर |
| | | 24. | मंडी | फ्लाईंग पूर्ण तथा मानचित्रण प्रगति पर |
| 16. | अरुणाचल प्रदेश | 25. | ईटानगर | फ्लाईंग पूर्ण |
| 17. | मिजोरम | 26. | एजवाल | फ्लाईंग पूर्ण |
| 18. | नागालैंड | 27. | कोहिमा | फ्लाईंग पूर्ण |
| 19. | त्रिपुरा | 28. | अगरतला | एनआरएसए को सौंपा |

**हिन्दी अधिकारियों के पदों को समाप्त करना**

**3856. श्री अनन्त नायक :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार मुद्रणालय में हिन्दी अधिकारियों के कुछ पदों को इन मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण/बंद करने/विलय के कारण समाप्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसका केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) संविधान के उपबंध के अनुसार हिन्दी अधिकारियों के पदों को जारी न रखने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारत सरकार मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण के कारण हिन्दी अधिकारियों के पदों का महत्व नहीं बढ़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और हिन्दी अधिकारियों के पदों की संविधिक जरूरतों को पूरा करने हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) :** (क) से (ग) जी, नहीं। भारत सरकार मुद्रणालयों में हिन्दी अधिकारियों के पदों को इन मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण/बंद करने/विलय के कारण अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। तथापि, संबंधित भारत सरकार मुद्रणालयों में उनके आधुनिकीकरण/पुनर्गठन के फलस्वरूप कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन होने से राजभाषा से संबंधित कार्य हेतु पद सृजन मानकों के अनुसार हिन्दी अधिकारी के पदों की संख्या में भी परिवर्तन होगा।

(घ) और (ङ) हिन्दी अधिकारी के पद राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित होते हैं। भारत सरकार मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण/पुनर्गठन के निर्णय का पूर्णतया अनुपालन होने के बाद भारत सरकार मुद्रणालयों में निर्धारित संख्या में ये पद मुहैया कराए जाएंगे।

**नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड**

**3857. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** दिनांक 10.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3180 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को विनिवेश प्रक्रिया में इफको और कृभको को बोली लगाने की अनुमति देने संबंधी मुद्दों पर निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) :** (क) से (ग) सरकार ने नेशनल फर्टिलाइज़र्स लि. सहित सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों के विनिवेश में भाग लेने के लिए इफको और कृभको को अनुमति देने का निर्णय लिया है।

**व्यावसायिक पाठ्यक्रम**

**3858. श्री विष्णु पद राय :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत 20 वर्षों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप के एक स्कूल यथा राजकीय कन्या उच्चतम विद्यालय

में केवल एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम अर्थात् शार्टहैंड और टाइप राइटिंग, जिसे अब सचिवीय सेवा कहा जाता है, उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इसके अंतर्गत कवरेज बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या प्रशासन ने नौवीं योजना दस्तावेज में यह स्वीकार किया है कि 10 वर्ष की शिक्षा पूरी करने वाले 50 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भेजा जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु और विद्यालयों में व्यावसायिक पाठयक्रमों की कवरेज न बढ़ाने के क्या कारण हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) :** (क) सविवालीय पद्धति पर व्यवसायोन्मुख पाठ्यक्रम वर्ष 1980-81 से शुरू किया गया है। वर्ष 2002-2003 से सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। पहले से संचालित किए जा रहे बागवानी तथा समुद्री मत्स्य पालन जैसे पाठ्यक्रमों के प्रति छात्रों के कम उत्साह को देखते हुए इन्हें हटा दिया गया है।

(ख) सितम्बर-अक्तूबर, 2002 के दौरान और अधिक पाठयक्रमों को प्रारंभ करने संबंधी संभावनाओं का पता लगाने हेतु एक सर्वेक्षण किया गया था। 10वीं योजनावधि के दौरान चरणबद्ध रूप से और अधिक रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, विपणन, यात्रा एवं पर्यटन प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) नौवीं योजना का लक्ष्य दसवीं पास छात्रों में से 50 प्रतिशत छात्रों को व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में लाना था। तथापि, व्यावसायिक विषयों के प्रति विद्यार्थियों की रुचि के अभाव के कारण तथा रोजगार अवसरों के अभाव के कारण यह पाया गया कि छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रम अपनाने के प्रति उदासीन थे। अधिकांश विद्यार्थियों का ध्यान देश के प्रमुख स्थानों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आबंटन पर था। दसवीं योजना में विद्यार्थियों की उपलब्धता के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम शुरू करने से संबंधित स्कीम शुरू करने के लिए 45 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

## स्वजलधारा योजना

**3859. श्री रमेश चेन्नितला :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां स्वजलधारा योजना लागू की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना को देश के सभी जिलों में बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) :** (क) से (घ) उन जिलों, जिनके लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति द्वारा स्वजलधारा परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। स्वजलधारा योजना सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है।

**विवरण**

*स्वजलधारा योजना का जिलावार विवरण*

| राज्य | जिला |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आंध्र प्रदेश | गुंटूर |
| | महबूब नगर |
| | अदीलाबाद |
| | प. गोदावरी |
| | रंगारेड्डी |
| | चित्तूर |
| | करीमनगर |
| | खम्माम |
| | श्रीकाकुलम |
| | गुंटूर |
| | वारांगल |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | निजामाबाद |
| | मेडक |
| | कुरनूल |
| | कडप्पा |
| | कृष्णा |
| | विशाखापतनम |
| असम | कछार |
| | करीमगंज |
| | कारूप |
| | हेलकांडी |
| | शिवसागर |
| छत्तीसगढ़ | जांजगीर चांपा |
| | कवर्धा |
| | जशपुर |
| | कोरबा |
| गुजरात | साबरकांठा |
| | आनन्द |
| | वडोदरा |
| | पंचमल |
| | वलसाड़ |
| | कुल |
| हरियाणा | कुरूक्षेत्र |
| हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | चम्बा |
| | कुल्लू |
| | मंडी |
| | शिमला |
| | सिरमोर |
| | सोलन |
| | बिलासपुर |
| | हमीरपुर |
| कर्नाटक | हावेरी |
| | रायचूर |
| | टुमकुर |
| | उडुप्पी |
| | शिमोगा |
| केरल | कोटाय्यम |
| | मल्लपुरम |
| | त्रिचुर |
| | त्रिवेन्द्रम |
| मध्य प्रदेश | धार |
| | खारगौन |
| | मंदसोर |
| | देवास |
| | भोपाल |
| | विदिशा |
| | टीकमगढ़ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | कटनी |
| महाराष्ट्र | रत्नगिरी |
| | सिंघदुर्ग |
| | पुणे |
| | सतारा |
| | सांगली |
| | कोल्हापुर |
| | अहमदनगर |
| | जलगांव |
| | बीड |
| | नागपुर |
| | यावतमल |
| | बुलदाना |
| | जालना |
| | परभनी |
| | हिगंली |
| | उस्माना |
| | शोलापुर |
| | ठाणे |
| | औरंगाबाद |
| | नासिक |
| उड़ीसा | बारगढ़ |
| | बोलंगीर |
| | देवगढ़ |
| | जयपुर |
| | कालाहांडी |
| | कोरापुट |
| | मलकानगिरी |
| | नवरंगपुर |
| | पुरी |
| | भद्रक |
| | केन्द्रपाड़ा |
| | कटक |
| | बौघ |
| | अंगुल |
| | ढेंकनाल |
| | खंडामल |
| | सम्बलपुर |
| राजस्थान | जयपुर |
| तमिलनाडु | वेल्लोर |
| | कोयम्बटूर |
| | पेरम्बलूर |
| | कुडालोरी |
| | कांचीपुरम |
| | मदुरई |
| | विल्लूपुरम |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | विरुद्धनगर |
| | धर्मापुरी |
| | डिंडीगुल |
| | थिनी |
| | तिरुवनामलाई |
| | सेलम |
| | करूर |
| | रामनद |
| | शिवगंगा |
| | पुडकोटाई |
| | इरोड |
| उत्तर प्रदेश | लखनऊ |
| | बांदा |
| | आगरा |
| | बलरामपुर |
| | बदायूं |
| | बरेली |
| | बुलंदशहर |
| | चंदौली |
| | इटावा |
| | मेरठ |
| | मुजफ्फरनगर |
| | सिद्धार्थनगर |
| | सोनभद्र |
| | महोबा |
| | वाराणसी |
| | प्रतापगढ़ |
| | सुल्तानपुर |
| | उन्नाव |
| प. बंगाल | वर्धमान |
| | दक्षिण 24 परगना |
| | पूरब मिदिनीपुर |
| | पश्चिम मिदिनीपुर |
| दादरा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र | दादरा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र |

## दिल्ली में भीड़-भाड़ कम करना

**3860. श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली में भीड़-भाड़ कम करने संबंधी योजना का वित्तपोषण करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ किए गए वित्तपोषण प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितनी राशि जारी की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस योजना को देश के सभी राज्यों में बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) :** (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र के सुव्यवस्थित और समन्वित विकास के लिए वर्ष 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास, नीतियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं का उद्देश्य है:-

- राजधानी के अतिरिक्त दबाव का कम करना;
- राजधानी पर और अधिक दबाव न पड़ने देना; तथा
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मानव बसावों का स्वरूप पुन: तैयार करना ताकि वे निवासियों की जरूरतें पूरी कर सकें।

बोर्ड द्वारा तैयार की गई तथा जनवरी, 1989 में अधिसूचित क्षेत्रीय योजना-2001 में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संबंधित नीतियों को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार दिल्ली में भीड़-भाड़ का कम करना एन.सी.आर.पी.बी. का निहित और स्पष्ट उद्देश्य है।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रा.रा.क्षे.यो. बोड ने अब तक 172 योजनाओं का वित्तपोषण किया है जिनमें से 84 योजनाएं पूरी हो गई हैं तथा 88 योजनाएं पूरी होने के विभिन्न स्तरों पर हैं।

इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 5359.47 करोड़ रु. है जिसके लिए 2372.008 करोड़ रु० का ऋण स्वीकृत किया गया है और फरवरी, 2003 तक 1433.98 करोड़ रु. की राशि प्रदान कर दी गई है। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रिहायशी प्लाटों/फ्लैटों, औद्योगिक शेड/प्लाटों तथा वाणिज्यिक दुकानों/प्लाटों के सृजन के साथ-साथ जल आपूर्ति, सीवरेज, सड़कें आदि जैसी अवस्थापना परियोजनाओं के सृजन में मदद मिली है।

(घ) और (ङ) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[हिन्दी]*

## अन्य पिछड़ा वर्ग

**3861. श्री बालकृष्ण चौहान :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला मंत्रालय के विभागों और उपक्रमों में क, ख, ग और घ समूह में कार्यरत अन्य पिछड़ा वर्गों के कर्मचारियों की समूहवार कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के विभागों और उपक्रमों में आरक्षण कोटा पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(च) क्या अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यार्थी नहीं मिलने पर इन पदों पर सामान्य अभ्यर्थियों की भर्ती की जाती है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) :** (क) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन दो अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात कोयला नियंत्रक का संगठन (सी.सी.ओ.) और भुगतान आयुक्त (सी.ओ.पी.) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) और नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एन.एल.सी.) में क, ख, ग, और घ समूहों में कार्यरत अन्य पिछड़ा वर्गों के समूहवार कर्मचारियों की कुल संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सरकार के निर्देशानुसार केन्द्र सरकार की सेवा में ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण है :-

| | |
|---|---|
| खुली प्रतियोगिता द्वारा भर्ती | 27% |
| खुली प्रतियोगिता के अलावा भर्ती | 25.84% |

(ग) से (ङ) सूचना सारणी संलग्न विवरण-II में प्रस्तुत की गयी है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ज) जी, नहीं।

(झ) प्रश्न नहीं उठता है।

**विवरण-I**

| संगठन/सार्वजनिक उपक्रम | समूह क | समूह ख | समूग ग | समूह घ | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) | शून्य | शून्य | 4 | 1 | 5 |
| भुगतान आयुक्त (सीओपी) | शून्य | शून्य | 1 | 1 | 2 |
| कोल इंडिया लि. (सीआईएल) | 1189 | 3059 | 79486 | 32889 | 116623 |
| नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एनएलसी) | 2147* | 429* | 9365* | 2903* | 14844* |

*इन आंकड़ों में अनारक्षित/ओ.बी.सी. शामिल हैं। 50% से अधिक ओ.बी.सी. श्रेणी से संबंधित है। वास्तविक संख्या को निर्दिष्ट नहीं किया जा सका क्योंकि ओ.बी.सी. के सम्बन्ध में 8 सितम्बर, 1993 से पहले भर्ती किए गए ओ.बी.सी. के लिए जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं था। तथापि 8 सितम्बर, 1993 से आज की तिथि तक एन.एल.सी. में ओ.बी.सी. श्रेणी के 3393 व्यक्तियों की भर्ती की गयी है।

**विवरण-II**

| | |
|---|---|
| कोयला नियंत्रक का संगठन (सीसीओ) | आरक्षण कोटे शत-प्रतिशत नहीं भरा जा सका क्योंकि पदों की समीक्षा की जा रही है और आगे कोई नियुक्ति नहीं की गई है। |
| भुगतान आयुक्त (सीओपी) | 1992-93 से कोई रिक्ति नहीं है। |
| कोल इंडिया लि. (सीआईएल) | अधिकांश कोटा भर दिया गया है। कुछ श्रेणियों में कमी है जिसे सीधी भर्ती किए जाने पर पूरा कर लिया जाएगा। |
| नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एनएलसी) | भर्ती किए गए ओ.बी.सी. का प्रतिशत आरक्षण के लागू प्रतिशत से अधिक है। |

*[अनुवाद]*

**विदेशी सहायता से पेयजल/स्वच्छता**

**3862. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में विदेशी सहायता से पेयजल और बेहतर स्वच्छता प्रणाली उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार के परामर्श से कोई योजना बनाई है/ऐसी योजना बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले गांवों की जिलेवार संख्या कितनी है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) :** (क) से (घ) इस समय विदेशी सहायता के अंतर्गत राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में जल और स्वच्छता परियोजना क्रियान्वयन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां**

**3563. श्रीमती श्यामा सिंह :**
**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न अपराधों में बढ़ोतरी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में उल्फा आतंकवादियों ने 8.3.2003 को हमला करके आईओसीएल के असम तेलशोधन कारखाने में पेट्रोल भण्डारण टैंक में आग लगा दी थी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों विशेषत: असम में केन्द्र सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठानों और अन्य स्थलों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) :** (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसक घटनाओं की संख्या में वर्ष 2001 में 1339 से घट कर वर्ष 2002 में 1312 हो गई। सरकार ने विभिन्न उग्रवादी गुटों अर्थात नेशनल सोशलिस्ट काऊंसिल ऑफ नागालैंड (इस्साक-मुईवाह), नेशनल सोशलिस्ट काऊंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग, यूनाईटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी और दीमा हालोंग दाओगाह के साथ संघर्ष विराम में समझौते किए हैं। सरकार ने बोडो लिब्रेशन टाइगर्स के साथ 10 फरवरी, 2003 को समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके कारण सुरक्षा बलों और उग्रवादी गुटों के बीच घटनाओं की संख्या में कमी आई है लेकिन क्षेत्र में प्रभुत्व के लिए धड़ों के बीच आन्तरिक झड़पें जारी हैं।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, यूनाईटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) कैडरों ने 7-8 मार्च के बीच की रात को तेल और गैस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। उग्रवादियों ने डिग्बोई, तिनसुकिया जिले में इंडियन ऑयल कारपोरेशन रिफाइनरी पर राकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आर.पी.जी.) से हमला किया जिसके कारण टैंकों में से एक में विनाशकारी आग लग गई। एक अन्य घटना में, यूनाईटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) उग्रवादियों ने 8.3.2003 को वायर कंट्रोल्ड इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आई.ई.डी.) का विस्फोट किया और कथलगुड़ी, डिब्रूगढ़ जिले में आई.ओ.सी. की दो गैस पाइपलाइनों को क्षति पहुंचाई। असम सरकार से, असम में तेल और गैस-प्रतिष्ठानों तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाने तथा इन घटनाओं के पीछे राष्ट्र-विरोधी तत्वों को पकड़ने का भी अनुरोध किया गया है। सरकार, विद्रोहियों द्वारा दी गई चुनौतियों से निपटने के लिए केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल की तैनाती सहित पूर्वोत्तर राज्यों को सभी सहायता प्रदान करने के लिए दृढ़संकल्प है।

*[हिन्दी]*

**हॉलैंड के साथ संयुक्त उद्यम परियोजनाएं**

**3864. श्री रामदास आठवले :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और हॉलैंड द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में शुरू करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त योजनाओं हेतु प्राप्त निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) :** (क) आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार नीदरलैंड सरकार के साथ संयुक्त रूप से कोई परियोजना शुरू नहीं की गई है। तथापि, नीदरलैंड भाग (ख) के उत्तर में दर्शाई परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान दे रहा है।

(ख) परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | राज्य का नाम | सहायता की राशि | मंजूरी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | समुदाय प्रबंधित गोवा क्षेत्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना-संशोधित चरण | गुजरात | 12.543 | 4.8.1997 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | गुजरात के भूकम्प प्रभावित जिलों में समुदाय प्रबंधित डेवलपमेंट जल आपूर्ति कार्यक्रम | गुजरात | 35.712 | 20.8.2002 |

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस मंत्रालय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेने तथा कठिनाइयां, यांद कोई हो, का पता लगाने तथा उन्हें दूर करने के लिए समय-समय पर समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

*[अनुवाद]*

**प्राकृतिक खनिजों का प्रयोग**

**3865. श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक खनिजों के न्याय संगत प्रयोग हेतु कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) :** (क) से (ग) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 18 अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र सरकार को ऐसे सभी कदम उठाने का दायित्व सौंपती है, जो भारत में खनिजों के संरक्षण और सुनियोजित विकास के लिए आवश्यक हों। उक्त अधिनियम की इस धारा के अनुसार केन्द्र सरकार ने खनिजों के संरक्षण और सुनियोजित विकास के लिए खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 (एम.सी.डी. आर.) अधिसूचित की है। खान स्वामियों को एम.सी.डी.आर. के प्रावधानों के अनुसार खनन योजना प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसे खनिजों के संरक्षण, खान के सुनियोजित विकास, पर्यावरण की सुरक्षा, आदि को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.)/राज्य सरकारें अनुमोदित खान योजना के अनुसार खान के कार्यकरण की सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल और निगरानी करने के बाद खान योजना को अनुमोदन प्रदान करती हैं तथा एम.सी.डी. आर. के अनुसार उपयुक्त कदम उठाने का सुझाव देती हैं। आई.बी. एम./राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों से खनिजों का न्यायसंगत उपयोग और खनिजों का संरक्षण/सुनियोजित विकास भी होगा।

*[हिन्दी]*

**कोल इण्डिया लिमिटेड में अधिकारियों और कर्मचारियों के संवर्ग में परिवर्तन**

**3866. प्रो. रीता वर्मा :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इण्डिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी इकाइयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के संवर्गों में परिवर्तन की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में कोयला अधिकारियों और कर्मचारियों के संवर्गों में परिवर्तन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान 15 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार, श्रेणीवार, रैंक-वार और कंपनीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन अधिकारियों और कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या क्या है जिनके संवर्ग में परिवर्तन किया गया और जिन्हें इन कोयला कंपनियों में कंपनीवार बिक्री विभाग संवर्ग दिया गया;

(ङ) क्या उन अधिकारियों और कर्मचारियों जिनका संवर्ग बदलकर बिक्री विभाग संवर्ग कर दिया गया, के विरुद्ध कोई आपराधिक जांच भी शुरू की गई थी अथवा विभागीय कार्यवाही की गई थी; और

(च) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम और पदनामों का ब्यौरा क्या है?

**कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) :** (क) कोल इण्डिया लि. में अधिकारियों का संवर्ग बदलने की नीति नीचे दिए अनुसार है:-

किसी विशिष्ट संवर्ग / शाखा में व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी के भीतर आंतरिक अधिसूचना के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवारों का चयन योग्यता तथा अनुभव के स्वरूप के आधार पर साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को नई शाखा

में स्थायी रूप से शामिल किए जाने से पहले उन्हें एक वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रखा जाता है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के पश्चात स्थायी समावेशन उपयुक्तता के अनुसार किया जाता है। यदि उम्मीदवार नए संवर्ग में अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसे मूल शाखा में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) अद्यतन तिथि तक 32 कार्यपालकों का समावेशन पर्यावरण संवर्ग में स्थायी रूप से कर दिया गया है। एक कार्यपालक को समस्तरीय रूप से कंपनी सचिव संवर्ग में भेज दिया गया है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

**पर्यावरण संवर्ग ग्रेड**

| कंपनी | एम 2 | एम 1 | ई 5 | ई 4 | ई 3 | ई 2 | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भारत कोकिंग कोल लि० | – | – | 2 | – | 1 | – | 3 |
| सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० | – | – | – | 1 | 2 | – | 3 |
| सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि. | – | 1 | 3 | – | 3 | 1 | 8 |
| महानदी कोलफील्ड्स लि० | – | – | 1 | – | 4 | – | 5 |
| नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० | – | – | – | – | 4 | 1 | 5 |
| साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० | – | – | – | 1 | 2 | – | 3 |
| वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० | 1 | – | 1 | – | 3 | – | 5 |
| जोड़ | 1 | 1 | 7 | 2 | 19 | 2 | 32 |
| *कंपनी सचिव संवर्ग* | | | | | | | |
| भारत कोकिंग कोल लि० | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| जोड़ | – | – | 1 | – | – | – | 1 |

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी कार्यपालक संवर्ग को बिक्री विभाग संवर्ग में परिवर्तित नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता है।

**पुनर्वास कालोनियों में रहने वाले लोगों को क्वार्टरों का आबंटन**

**3867. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम ने पुनर्वास कालोनियों में रहने वाले लोगों को प्रतिमाह 8 रुपये के लाइसेंस शुल्क के साथ क्वार्टर आबंटित किए थे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार आबंटित किए गए क्वार्टरों का कालोनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्वार्टरों को सील कर दिया गया है और पुनर्वास कालोनियों में इनको रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं, और उनके पुनर्वास हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

*[अनुवाद]*

**खनिजों की खोज हेतु हवाई सर्वेक्षण**

3868. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
**श्री ए. वेंकटेश नायक :**
**श्री अशोक ना. मोहोल :**

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर कर्नाटक और महाराष्ट्र में खनिजों की खोज और खनन को बढ़ावा देने हेतु हवाई सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाई गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार और राज्यवार प्रत्येक सर्वेक्षण का क्या निष्कर्ष रहा;

(ग) क्या कुछ विदेशी कंपनियों को खनिजों का खोज कार्य सौंपा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय कंपनियों को सर्वेक्षण कार्य देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस)** : (क) जी, हां। खनिज गवेषण तथा संबंधित भूवैज्ञानिक अध्ययनों में सहायता प्रदान करने हेतु देश में हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण किए जाते हैं। खनिजों के गवेषण तथा अनुवर्ती निष्कर्षण को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में वृहद क्षेत्रों पर टोही परमिट (आर.पी.)/पूर्वेक्षण लाइसेंस (पी.एल.) प्रदान किए गए हैं। विभिन्न राज्यों में वृहद क्षेत्रों पर प्रदान किए गए टोही परमिट/पूर्वेक्षण लाइसेंसों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान, मै० डी बीयर्स ने कर्नाटक में 5001 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और 451 विसंगतियों का पता लगाया तथा मै. जियो मैसूर ने महाराष्ट्र राज्य में 3482 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और 5 विसंगतियों का पता लगाया। किसी महत्वपूर्ण अयस्क निकाय की पुष्टि नहीं हो पायी है।

(ग) जी, हां। कम्पनी अधिनियम के तहत् भारत में पंजीकृत विदेशी कंपनियों की कुछ सहायक कंपनियों को खनिजों के गवेषण का कार्य सौंपा गया है।

(घ) खनिज क्षेत्र को उन्मुक्त बनाने तथा देश में खनिजों के अनुवर्ती एवं त्वरित गवेषण हेतु नीति के सामंजस्य में मै. मेटमिन फाइनेंस एण्ड होल्डिंग कम्पनी लि., मै. बी.एच.पी. मिनरल्स (इण्डिया) प्रा.लि., मै. इन्गलेवुड मिनरल्स (प्रा.) लि., मै. डब्ल्यू.एस.आई.एल. मिनरल्स सैंड्स इण्डिया प्रा.लि., मै. जियोमैसूर सर्विसिस इण्डिया प्रा.लि., मै. फेल्प्स डॉज एक्सप्लोरेशन इण्डिया प्रा.लि., मै. डी बीयर्स इण्डिया सर्वेज प्रा.लि., मै. डी बीयर्स इण्डिया प्रास्पेक्टिंग प्रा.लि., मै. डायमंड प्रास्पेक्टिंग प्रा.लि., मै. डी बीयर्स इण्डिया मिनरल्स प्रा.लि., मै. मेरीडियन मिनरल्स इण्डिया प्रा.लि. और मै. सी.आर.ए. एक्सप्लोरेशन (इण्डिया) प्रा०लि० को टोही परमिट/पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

(ङ) भारतीय कम्पनियों नामत: नेशनल मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान जिंक लि. तथा हट्टी गोल्ड माइंस लि. को भी हवाई सर्वेक्षण के लिए टोही परमिट/पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

**विवरण**

*अनुमोदित/प्रदान किए गए पूर्वेक्षण लाइसेंसों (बड़े क्षेत्रों पर)/टोही परमिटों का राज्यवार ब्यौरा*
*(1.1.2003 की स्थिति के अनुसार)*

| राज्य | पी.एल./आर.पी. की कुल संख्या | क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में) | जिलों के नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आंध्र प्रदेश | 31 | 46395.00 | अनंतपुर, चित्तूर, कड्डापाह, कुरनूल, प्रकासम, महबूबनगर और नैल्लोर |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| उड़ीसा | 6 | 9741.06 | कालाहांडी, बोलंगीर, नवरंगपुर, नोपाडा |
| झारखंड | 2 | 4341.68 | सिंहभूम (पूर्व और पश्चिम) |
| गुजरात | 2 | 206.25 | पालनपुर/बनस्कंठ |
| हरियाणा | 4 | 2490.00 | भिवानी, मोहिन्दरगढ़ और रोहतक |
| कर्नाटक | 36 | 44255.87 | बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चमराजनगर, दावनगेरे, गडग, गुलबर्ग, हावेरी, कोलार, रायचूर, टुमकुर और शिमोगा। |
| छत्तीसगढ़ | 16 | 29286.25 | रायपुर |
| महाराष्ट्र | 1 | 3482.00 | भण्डारा, गढ़चिरौली और नागपुर |
| मध्य प्रदेश | 7 | 11423.0 | नरसिंगपुर, होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा, छत्तरपुर, सागर, दामोह, टीकमगढ़ |
| राजस्थान | 67 | 87457.49 | अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, डुंगरपुर, जयपुर, झुन्झुनूं, नागौर, पाली, राजासमंद, सवाई-माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर |
| उत्तर प्रदेश | 2 | 1166.16 | ललितपुर, सोनभद्र और झांसी |
| कुल योग | *174 | *240244.76 | |

*आज दिनांक तक अनुमोदित कुल क्षेत्र तथा इसमें पी.एल./आर.पी. के ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें सरंडर और रिवोक कर दिया गया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

पूर्वेक्षण प्रचालनों के पूर्ण होने के पश्चात

अभ्यर्पित लाइसेंसों की कुल सं. = 16

रिवोक किए गए लाइसेंसों की कुल सं. = 7

समाप्त किए गए लाइसेंसों की कुल सं. = 1

आज तक प्रचालनरत आर.पी. की कुल सं. = 150

क्षेत्र: 204137.51 वर्ग कि.मी.

**फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) का पुनरुद्धार**

**3869. श्री पी.सी. थामस :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) के अनेक संयंत्रों के बंद होने के उनके वर्तमान

संकट से उबारने हेतु उसे सहायता देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या इस संबंध में कोच्चि शोधनशाला, जा कच्चा माल उपलब्ध करा रही है, के साथ कोई बातचीत हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा बातचीत में लिए गए निर्णयों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) :** (क) और (ख) भारत सरकार ने मार्च, 2002 में फैक्ट के लिए निम्नलिखित वित्तीय सहायता मंजूर की है :-

(i) फैक्ट द्वारा अपनी उद्योगमंडल स्थित अमोनिया परियोजना के लिए भारत सरकार से लिए गए ओ ई सी एफ ऋण पर 1998-99 से 2001-02 तक की अवधि की 226.88 करोड़ रुपये की बकाया ब्याज राशि को माफ करना।

(ii) भारत सरकार से लिए गए ओ ई सी एफ ऋण की 378.20 करोड़ रुपये की शेष मूलधन राशि की 31.3.2002 तक अदायगी करने पर फैक्ट को स्थगन प्रदान करना।

(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) के अनुसार दी जा रही सहायता के पश्चात ओ ई सी एफ ऋण की मूल राशि और ब्याज की अदायगी में विगत चूकों के लिए फैक्ट पर दण्डात्मक ब्याज न लगाना।

कंपनी को इसके उत्पादन प्रचालनों को सुस्थिर करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से भारत सरकार ने केरल राज्य सरकार से विद्युत दरों में कटौती करने, भट्टी तेल/एलएसएचएस पर प्रवेश कर समाप्त करने तथा फैक्ट के लिए अन्य पड़ौसी राज्यों के समान आदानों पर बिक्री कर को युक्तिसंगत करने का भी अनुरोध किया है।

(ग) से (ङ) फैक्ट द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय अभावों पर चर्चा करने और कंपनी को केआरएल/बीपीसीएल द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 4.3.2003 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, उर्वरक विभाग, कोच्चि रिफाइनरीज़ लि. (केआरएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल), फर्टिलाइज़र्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट) के अधिकारियों, केरल के कुछ सांसदों और केरल सरकार के प्रतिनिधि के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में पेट्रोलियम कंपनियों से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में फैक्ट को कुछ विशेष राहत देने का अनुरोध किया गया था। इस बैठक के अनुपालन में फैक्ट और केआरएल ने इस मामले में पुन: बातचीत शुरू की है।

**शहरी विकास और आवास हेतु आबंटन**

**3870. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**
**श्री मंजय लाल :**

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार शहरी विकास और आवास की परियोजनाओं हेतु प्रत्येक राज्यों को कुल कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) क्या यह सत्य है कि अनेक राज्य उक्त वित्तीय आबंटन का उपयोग करने में विफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान वर्षवार और परियोजना-वार अप्रयुक्त आबंटित राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) :** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत सड़क संपर्क**

**3871. श्री श्रीनिवास पाटील :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत वन क्षेत्रों में से सड़क निर्माण की अनुमति देने हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार वन क्षेत्र की समस्या के कारण संपर्क रहित 500 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू)** : (क) और (ख) पी०एम०जी०एस०वाई० सड़कों के लिए वन की कटाई का मामला वर्ष 2000 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ उठाया गया था और उनका यह विचार था कि अधिकांश ग्रामीण सड़कों के संबंध में वन की कटाई की स्वीकृति, यदि आवश्यक हो, 6 सप्ताह के भीतर की जा सकती है, बशर्ते सभी जानकारियां पूरी हों। तदनुसार, अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकारें पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत ऐसे कार्य आरंभ करने से पूर्व, जहां आवश्यक हो, वन की कटाई की अनुमति लें।

(ग) इस मंत्रालय में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(घ) राज्य सरकारों ने समीक्षा बैठकों में बताया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत वन कटाई अनुमति लेने में यदि कोई समस्या आती है तो उसे राज्य स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों के साथ परामर्श करके हल कर लिया जाता है।

## केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को चुस्त-दुरुस्त बनाना

**3872. श्री अनन्त नायक** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) के कार्यकरण को चुस्त-दुरुस्त बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और देश के अन्य भागों में सी आई एस एफ को तैनात करने हेतु किन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है;

(ग) क्या सी आई एस एफ को दिल्ली में अतिरिक्त कार्य सौंपे जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक)** : (क) और (ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन मूलत:, केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों, इस प्रकार के सभी उपक्रमों के कर्मचारियों को बेहतर संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने तथा निजी क्षेत्र की औद्योगिक स्थापनाओं को तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराने और उससे संबंधित, मामलों को देखने के लिए किया गया था। इस बल को, आज तक संशोधित, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की परिधि के भीतर, विशिष्ट व्यक्तियों/अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने, सरकारी इमारतों, घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन की नई जिम्मेवारियां भी सौंपी गई हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को हाल ही में दिल्ली में इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और लाल किले की सुरक्षा का काम दिया गया है। इस बल ने इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा का काम पहले ही अपने हाथ में ले लिया है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की कम्पनियां लाल किले की सुरक्षा ड्यूटी के लिए उदिष्ट की गई है।

## बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा

**3873. श्री विष्णु पद राय** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, संघ राज्य क्षेत्र का शिक्षा विभाग एक योजना नामत: ''बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा'' लागू कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-2004 के दौरान स्थान-वार खोली जाने वाली पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं की संख्या कितनी है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक-वार चल रही पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं की संख्या कितनी है;

(घ) अंशकालिक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों और आयाओं का वर्तमान वेतन-ढांचा क्या है;

(ङ) क्या संघ राज्य क्षेत्र का शिक्षा विभाग पूर्व-प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों और आयाओं के वेतन ढांचे में वृद्धि करने जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) :** (क) जी, हां।

(ख) मांग के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान 2003-04 की वार्षिक योजना और बजट का अनुमोदन हो जाने पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा 5 पूर्व-प्राथमिक स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं की ब्लॉक-वार संख्या इस प्रकार है:-

| | |
|---|---|
| दक्षिणी अंडमान | 32 |
| मध्य अंडमान | 38 |
| उत्तरी अंडमान | 12 |
| कार निकोबार | 3 |
| नानकौरी | 14 |
| कुल | 99 |

(घ) अंशकालिक पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों को 1000/- रु. प्रतिमाह और अंशकालिक पूर्व-प्राथमिक आया को 800/- रु. प्रतिमाह दिया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

**एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया जाना**

**3874. श्री वाई.वी. राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.ई.आर.टी ने हाल ही में तीसरी दुनिया के देशों के शैक्षिक विशेषज्ञों के मार्गदर्शन और परामर्श के लिए अंतर्राष्ट्रीय डिलोमा पाठ्यक्रम आयोजित किया है; और

(ख) यदि हां, तो पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) :** (क) और (ख) जी, हां। मार्गदर्शन एवं परामर्श (छह महीने की अवधि वाला) में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डिलोमा पाठ्यक्रम 2002-2003, 13 मार्च, 2003 को समाप्त हुआ। इस पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं:-

- स्कूल तथा अन्य सम्बद्ध संस्थाओं के लिए मार्गदर्शन एवं परामर्श के लिए व्यावसायिक परामर्शकों/शिक्षक परामर्शकों/ मार्गदर्शन तथा परामर्श के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्मिकों को प्रशिक्षित करना;

- शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में मार्गदर्शन एवं परामर्श को एक विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षक/प्रशिक्षकों/विश्वविद्यालय शिक्षकों को प्रशिक्षित करना; और

- शैक्षिक प्रक्रिया में मार्गदर्शन के प्रभावी समेकन हेतु मार्गदर्शन एवं परामर्श में शैक्षिक प्रशासकों को प्रशिक्षित करना।

**विश्व बैंक द्वारा पोषित कोयला परियोजनाएं**

**3875. श्री नरेश पुगलिया : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कोयला परियोजनाओं की संख्या और नाम क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं में कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा किस तरह का योगदान दिया गया;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विश्व बैंक को भेजी गई परियोजनाओं की संख्या और नाम क्या है और विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(घ) कोयला परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विश्व बैंक द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए;

(ङ) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.) में आंतरिक सड़कों और पर्यावरण के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(च) विश्व बैंक की सहायता से वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कितनी परियोजनाएं चल रही हैं और चन्द्रपुर जिले में इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(छ) क्या सड़कों और पर्यावरण के लिए प्रदान कि गई रशि को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में भारी वाहनों की खरीद में लगा दिया गया; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) :** (क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित दो परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। ये हैं (i) कोयला क्षेत्र पर्यावरणीय तथा सामाजिक परिशमन परियोजना (सी.एस.ई.एस.एम.पी.) तथा (ii) कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सी.एस.आर.पी.)।

(ख) इन दो परियोजनाओं में कोल इंडिया लि. तथा इसकी अनुषंगियों द्वारा किया गया अंशदान निम्नानुसार है:-

सी.एस.ई.एस.एम.पी. स्वीकृति के अनुसार 63 मिलियन अमरीकी डॉलर के आई.पी.ए. ऋण की तुलना में सी.आई.एल. का मौद्रिक निवेश 21.00 मिलियन अमरीकी डॉलर था। अन्ततः प्रयुक्त किया गया आई.डी.ए. ऋण 39.25 मिलियन अमरीकी डॉलर है और सी.आई.एल. का अंशदान 40.79 करोड़ रुपये है।

**सी.एस.आर.पी.:** स्वीकृति के अनुसार 1030 मिलियन अमरीकी डॉलर के आई.बी.आर.डी. अंशदान की तुलना में सी.आई.एल. का मौद्रिक निवेश 665.60 मिलियन अमरीकी डॉलर था। बाद में विश्व बैंक के अंशदान को संशोधित कर 522.60 मिलियन अमरीकी डॉलर और सी.आई.एल. के अंशदान को 657.24 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

(ग) सी.एस.ई.एस.एम.पी. के अन्तर्गत 25 कोयला खनन परियोजनाओं को अग्रेषित तथा प्रारम्भ किया गया था। इन खनन उप-परियोजनाओं के नाम निम्नलिखित हैं:-

| | | |
|---|---|---|
| सी.सी.एल. | : | के.डी.एच. पारेज तथा राजरप्पा |
| एस.ई.सी.एल. | : | गेवरा, दिपका, कुसमुण्डा, बिसरामपुर, धनपुरी तथा मानिकपुर |
| एन.सी.एल | : | बीना, जयन्त, निगाही, दुधीचुआ तथा झिंगुरदाह |
| एम.सी.एल. | : | लखनपुर, समलेस्वरी, अनन्त, भरतपुर, बेलपहाड़ तथा जगन्नाथ |
| डब्ल्यू.सी.एल. | : | दुर्गापुर, पदमपुर, निलजई, सास्ती तथा उमरेड |

सी.एस.आर.पी. के अन्तर्गत 24 कोयला खनन परियाजनाओं को अग्रेषित और प्रारम्भ किया गया। एस.ई.सी.एल. के बिसरामपुर के अतिरिक्त सी.एस.ई.एस.एम.पी. की सभी खनन परियोजनाएं सी.एस.आर.पी. के अन्तर्गत थी।

इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक (आई.बी.ए. तथा आई.बी. आर.डी.) द्वारा स्वीकृत की गई राशि उपर्युक्त (ख) में दी गई है।

(घ) कोयला खनन परियाजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता हेतु वित्तीय मानदण्ड के लिए प्रतिफल की आन्तरिक दर (आई.आर. आर.) 85% क्षमता स्तर पर 16% थी।

(ङ) डब्ल्यू.सी.एल. के लिए स्वीकृत की गई राशि निम्नानुसार है:-

| | |
|---|---|
| आन्तरिक सड़कें | 238.06 लाख रुपये |
| पर्यावरण | 1929.40 लाख रुपये |

(च) डब्ल्यू.सी.एल. में विश्व बैंक सहायता से चलने वाली कोयला खनन परियाजनाओं की संख्या उपर्युक्त (ग) में निर्दिष्ट किए अनुसार 5 है। इन 5 परियाजनाओं में से 3 अर्थात् दुर्गापुर, पदमपुर तथा सास्ती चन्द्रपुर जिले में है और इन सभी को पूरा कर लिया गया है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) उपर्युक्त भाग (छ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

## क्षेत्रीय फोरेंसिक प्रयोगशालाएं

**3876. श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रासायनिक विश्लेषण के अनेक मामले विभिन्न क्षेत्रीय फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में ऐसे कितने मामले लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मामलों के त्वरित निपटान हेतु अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) :** (क) और (ख) क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायें संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत हैं। विधि विज्ञान मामलों के लम्बित होने के बारे में सूचना संबंधित राज्य स्तर पर ही रखी जाती है।

(ग) गृह मंत्रालय, विधि विज्ञान मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के तहत प्रति वर्ष राज्य सरकारों को निधियां रिलीज करता है।

## सामाजिक सुरक्षा कार्ड

**3877. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा कार्ड जारी करने के लिए उनके मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है जैसाकि दिनांक 4.3.2003 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में सूचित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय अपने बहुउद्देशीय पहचान पत्रों के लिए वित्त मंत्रालय और चुनाव आयोग के विरोध का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की विभिन्न एजेन्सियों द्वारा विभिन्न प्रकार के पहचान प जारी करने के पीछे क्या मूलाधार हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) :** (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत अद्वितीय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा क्रमांक (एन.एस.एस.एन.) को गृह मंत्रालय की बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र योजना के साथ जोड़ने का प्रस्ताव किया था।

(ज) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) भारत सरकार ने 13 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के विभिन्न जिलों के कुछ चुनिंदा उप जिलों में बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र योजना पर एक पायलट परियोजना चलाने का निर्णय लिया है। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए वित्त मंत्रालय से वित्तीय मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।

*[हिन्दी]*

## अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण

**3878. श्री बालकृष्ण चौहान : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों और उपक्रमों में श्रेणी क, ख, ग और घ के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ.बी.सी.) के कर्मचारियों की इस समय श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु कितना प्रतिशत आरक्षण है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों और उपक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) का आरक्षण कोटा पूरी तरह से भरा जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) उक्त वर्गों के लिए ऐसी रिक्तियों को कब तक भर दिया जाएगा;

(छ) क्या ओ.बी.सी. के कर्मचारियों को पदोन्नति के समय भी आरक्षण प्रदान किया जाता है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या ओ.बी.सी. के लिए आरक्षित पदों के लिए ओ.बी.सी. उम्मीदवारों के न मिलने पर इन पदों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाता है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) :** (क) से (ञ) इस प्रश्न में विभिन्न संगठनों से संबद्ध विस्तत सूचना मांगी गई है। सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**आवास क्षेत्र के लिए विदेशी सहायता**

**3879. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीकी और जापान आवास क्षेत्र में भारत की सहायता करने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अमेरिका और जापान की सहमति प्राप्त इस सहायता का ठोस कार्यक्रम क्या है;

(ग) भारत में आवास क्षेत्र में इच्छुक अमरीकी और जापानी कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आवास क्षेत्र को इससे कितना बढ़ावा मिलने की संभावना है?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) :** (क) से (घ) जी, नहीं। हमने आवास के क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान से सम्पर्क नहीं किया है। इन देशों से भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[हिन्दी]*

**अभियोजन के लिए स्वीकृति**

**3880. श्री रामदास आठवले : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उन अधिकारियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता-आयोग द्वारा अभियोजन और अर्थ-दंड से संबंधित कार्रवाई करने की मंजूरी प्रदान की गई; और

(ख) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) :** (क) केन्द्रीय सतर्कता-आयोग सलाहकारी भूमिका निबाहता है और जब-कभी सरकार उसे मुकदमा चलाए जाने के मामले भेजती है, वह सरकार को अपनी सलाह देता है। इस प्रकार, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग को मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी अनुमोदित करने का अधिकार नहीं है। मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी के बारे में अंतिम निर्णय, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग की सलाह और मामले के अन्य पहलुओं पर विचार करके संबंधित मंत्रालयों/विभागों और संवर्ग-नियंत्रक प्राधिकारियों को ही करना होता है। केन्द्रीय सतर्कता-आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्ष के दौरान, उपर्युक्त आयोग न जिन लोक-सेवकों के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की सलाह दी है, उनसे संबंधित आंकड़े नीचे दर्शाए जा रहे हैं:-

| वर्ष | उन मामलों की संख्या जिनमें केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने मुकदमा चलाए जाने की सलाह दी है |
|---|---|
| 2000 | 161 |
| 2001 | 199 |
| 2002 | 218 |

केन्द्रीय सतर्कता-आयोग कोई शास्ति नहीं लगाता/कोई जुर्माना नहीं करता, क्योंकि वह एक सलाहकारी निकाय है।

(ख) मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी के संबंध में, संबंधित विभाग द्वारा केन्द्रीय सतर्कता-आयोग की सलाह पर अमल किए जाने के बाद, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो, भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम, भारतीय दंड-संहिता इत्यादि के अनुसार, संबंधित न्यायालय में आरोप-पत्र दायर करने का बीड़ा उठाता है।

**केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यालयों की मान्यता रद्द किया जाना**

**3881. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रतिवर्ष लगभग 150 विद्यालयों को दी जा रही अस्थायी मान्यता दिल्ली में ऐसे विद्यालयों द्वारा नियमों का अनुपालन न किए जाने के कारण रद्द कर दी है जैसा कि 2 मार्च 2003 के 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन विद्यालयों की मान्यता के बारे में अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु स्पष्ट नीति की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन विद्यालयों को नियमित आधार पर कार्य करने की अनुमति देने हेतु किन अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अस्थायी मान्यता प्रदान नहीं करता। मान्यता/अनापत्ति प्रमाणपत्र सम्बद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी किए जाते हैं। सम्बद्धता उप-नियमों के प्रावधान के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसी विद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करता है जो दसवीं और बारहवीं परीक्षाओं की लिए निर्धारित मानदण्डों को पूरा करता हो। दिल्ली में 131 ऐसे विद्यालय हैं जिन्हें शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी परंतु उनहोंने सम्बद्धता संबंधी उप-नियमों के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम भूमि की आवश्यकता को पूरा नहीं किया है।

(ग) विद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए सम्बद्धता उप-नियमों में विशेष प्रावधान है। दिल्ली के संदर्भ में जमीन संबंधी आवश्यकताओं के मामले में कुछ ढील पहले से ही दी हुई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | माध्यमिक विद्यालयों के लिए | 2000 वर्ग मी. |
| 2. | दो धाराओं वाले वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए | 3000 वर्ग मी. |
| 3. | सभी धाराओं वाले वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए | 4000 वर्ग मी. |

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सम्बद्धता उप-नियमों के प्रावधान के अनुसार ये स्कूल न्यूनतम जमीन की आवश्यकता को पूरा नहीं करते अतएव इन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सम्बद्धता प्रदान नहीं की जा सकती। शिक्षा निदेशालय, दिल्ली को ही यह सुनिश्चित करना होगा कि इन विद्यालयों को अतिरिक्त जमीन प्राप्त कर लेने की सुविधा दी जाए या उन्हें निम्न कक्षाओं के उपयुक्त स्तर तक ही काम करने का निदेश दिया जाए।

*[अनुवाद]*

**शासकीय गुपत बात अधिनियम में संशोधन**

**3882. श्री रामशेठ ठाकुर :**
**श्री कमलनाथ :**
**श्री कैलाश मेघवाल :**
**डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
**डा. चरणदास महंत :**
**श्री राम मोहन गाड्डे :**

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संवैधानिक तथा न्यायिक जवाबदेही के कार्यकरण की समीक्षा हेतु गठित आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रेस परिषद ने कुछ समय पूर्व शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 में संशोधन का सुझाव दिया था;

(ग) क्या कई संसद सदस्यों ने कानून का शासन स्थापित करने हेतु उन संशोधनों को स्वीकार करने और उपयुक्त संशोधन करने के लिए सरकार से अनुरोध किया था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक)** : (क) से (च) मामले की जांच की जा रही है और इस संबंध में स्थिति सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षिकाओं की भर्ती**

**3883. श्री वाई.वी. राव :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से सर्व शिक्षा अभियान

के तहत करीब 60,000 शिक्षिकाओं की भर्ती करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों की भर्ती और उनके वेतन के भुगतान हेतु राज्यों को कोई वित्तीय सहायता मुहैय्या करा रही है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि इन शिक्षकों को अन्य योजनाओं के तहत भर्ती किए गए शिक्षकों की तुलना में काफी कम पारिश्रमिक मिलता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस कार्यक्रम के तहत राज्यों को और अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठा रही है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) :** (क) और (ख) सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत नये शिक्षकों के 59703 पद संस्वीकृत किए हैं। इस कार्यक्रम के तहत संस्वीकृत शिक्षकों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इस कार्यक्रम के तहत कम से कम 50% अध्यापिकाओं की भर्ती करें।

(ग) और (घ) इस कार्यक्रम के तहत संस्वीकृत अतिरिक्त शिक्षकों के वेतन सहित सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुए व्यय की हिस्सेदारी केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा 9वीं योजना के दौरान 85:15, 10वीं योजना के दौरान 75:25 के अनुपात में और उसके बाद 50:50 में की गई।

(ङ और (च) राज्य सरकार द्वारा राज्य की भर्ती नीति के अनुसार शिक्षकों के लिए राज्य में मौजूद वेतन ढांचे के आधार पर शिक्षकों के पारिश्रमिक का निर्णय लिया जाता है।

(छ) जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं में दर्शाई गई आवश्यकता के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं।

**विवरण**

*सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुमोदित राज्यवार शिक्षक*

| क्र० सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | अनुमोदित शिक्षकों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4341 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 436 |
| 3. | असम | 0 |
| 4. | बिहार | 17769 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 |
| 6. | गोवा | 0 |
| 7. | गुजरात | 1606 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 600 |
| 9. | हरियाणा | 1272 |
| 10. | झारखण्ड | 0 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 733 |
| 12. | केरल | 0 |
| 13. | कर्नाटक | 955 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 5058 |
| 15. | मणिपुर | 0 |
| 16. | मेघालय | 3923 |
| 17. | मिजोरम | 12 |
| 18. | महाराष्ट्र | 1236 |
| 19. | नागालैंड | 0 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 20. | उड़ीसा | 1680 |
| 21. | पंजाब | 946 |
| 22. | राजस्थान | 2144 |
| 23. | सिक्किम | 43 |
| 24. | तमिलनाडु | 3296 |
| 25. | त्रिपुरा | 0 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 12713 |
| 27. | उत्तरांचल | 937 |
| 28. | पश्चिमी बंगाल | 0 |
| 29. | अंडमान और निकाबार द्वीपसमूह | 0 |
| 30. | चंडीगढ़ | 0 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 0 |
| 32. | दमन और दीव | 0 |
| 33. | दिल्ली | 0 |
| 34. | लक्षद्वीप | 3 |
| 35. | पांडिचेरी | 0 |
| | कुल | 59703 |

**दि.वि.प्रा. द्वारा फ्लैटों का निर्माण**

**3884. श्री नरेश पुगलिया :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) द्वारा विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया है;

(ख) अब तक इनमें से कितने फ्लैटों को आबंटित किया गया है और उनका टाइपवार कब्जा प्रदान किया गया है;

(ग) प्रत्येक श्रेणी के कितने फ्लैट अभी तक नहीं बिके हैं; और

(घ) उनके न बिकने के क्या कारण हैं?

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) :** (क) वर्ष 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 में डी.डी.ए. द्वारा निर्मित मकानों की श्रेणी-वार कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) डी.डी.ए. फ्लैटों का परियोजनावार आबंटन नहीं करता है। आबंटन के समय पहले से खाली पड़े या आबंटन रद्द किये गये फ्लैटों को भी ऑफर/ड्रा सूची में शामिल किया जाता है। गत तीन वर्षों में डी.डी.ए. ने विभिन्न श्रेणियों के तहत 25,536 फ्लैटों का आबंटन निम्न प्रकार से किया:-

| वर्ष | एमआई जी | एलआई जी | जनता | एसएफ एस | ईएचएस | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | 1595 | 272 | 1032 | 352 | 964 | 4215 |
| 2001-02 | 2647 | 1149 | 2030 | 953 | 801 | 7580 |
| 2002-03 | 3477 | 2048 | 4579 | 2230 | 1407 | 13741 |
| कुल | 7719 | 3469 | 7641 | 3535 | 3172 | 25536 |

फ्लैटों का कब्जा दिया जाना मांगी गयी राशि के आबंटितियों द्वारा भुगतान सहित अन्य कोडल औपचारिकताओं को पूरा किये जाने पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) डी.डी.ए. ने बताया है कि दिनांक 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में अनबिके 12310 फ्लैट पड़े हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार हैं:-

| श्रेणी | अनबिके फ्लटों की संख्या |
|---|---|
| एमआईजी | 550 |
| एलआईजी | 949 |
| जनता/ईएचएस | 9956 |
| एचआईजी श्रेणी-I | 626 |
| श्रेणी-II | 169 |
| कुल | 12310 |

आबंटनों के निरस्तीकरण, आबंटनों के अभ्यर्पण या नये निर्माणों के कारण फ्लैट खाली होते हैं। डी.डी.ए. ने पहले ही नरेला आवास स्कीम, 2003 तथा केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों/सरकारी उपक्रमों/बैंकों इत्यादि को एचआईजी फ्लैटों के आबंटन के लिए एक स्कीम शुरू की है। डी.डी.ए. ने श्रम मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही श्रमिक आवास योजना के तहत ई.पी.एफ. अंशदाताओं को फ्लैटों के आबंटन हेतु खाली पड़े जनता/ई.एच.एस. फ्लैटों का भी प्रस्ताव दिया है।

**विवरण**

| श्रेणी | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | सकल योग |
|---|---|---|---|---|
| एचआईजी | 888 | 1715 | 790 | 3393 |
| एमआईजी | 288 | 390 | 1627 | 2305 |
| एलआईजी | 526 | 590 | 1072 | 2188 |
| जनता | 5600 | 5164 | 2032 | 12796 |
| कुल | 7302 | 7859 | 5521 | 20682 |

**निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना**

**3885. श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या इन विश्वविद्यालयों की स्थापना इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेन्सियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा की गयी है;

(घ) यदि हां, तो इन निजी विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई शिक्षा की गुणवत्ता सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता के कितने अनुरूप है;

(ङ) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों का विचार और अधिक ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की अनुमति प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) :** (क) से (च) चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्य विधानमंडल विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा उनको सम्मिलित करने के लिए कानून लागू करने में सक्षम हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, संबंधित राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों के माध्यम से विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं:-

(i) जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश)

(ii) विकलांगों के लिए जगद्गुरू रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट धाम (उत्तर प्रदेश)

(iii) देव संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तरांचल)

(iv) ऐमिटी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नोएडा (उत्तर प्रदेश)

इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ की विधान सभा ने राज्य में स्वपोषित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और विनियम के लिए छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियम) अधिनियम, 2001 लागू किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड फाइनेन्सियल एनालिस्ट्स आफ इंडिया ने रायपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया है। इस अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों के अन्तर्गत, शिक्षण, परीक्षा तथा अनुसंधान या विश्वविद्यालय के अन्य संबंधित मामलों के मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के पास विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने तथा उपचारात्मक उपाय प्रवर्तित करने का अधिकार है।

**भूकम्प जोखिम आकलन केन्द्र**

**3886. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा वर्ष 1999 में भूकम्प जोखिम आकलन केन्द्र की स्थापना करने हेतु कार्यविधि तैयार करने के लिए कोई कृतिक बल गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कृतिक बल द्वारा सौंपी और सचिव समिति द्वारा जांच की गई रिपोर्ट का कार्यान्वयन अभी किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा")** : (क) और (ख) 29 मार्च, 1999 को चमोली में आए भूकम्प के शीघ्र बाद ही भारत सरकार द्वारा उत्तरी क्षेत्र में भूकंप जोखिम आकलन केन्द्र (ई.आर.ई.सी.) स्थापित करने हेतु कार्यविधि तैयार करने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया गया। कृतिक बल द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई है और उसे नवम्बर, 1999 में भू-पद्धति विज्ञान की स्थायी समिति को प्रस्तुत कर दिया गया। तदनुसार उस रिपोर्ट पर मई, 2000 एवं सितम्बर, 2000 में सचिव समिति की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया। तत्पश्चात सरकार द्वारा ई.आर.ई.सी. की स्थापना को मंजूरी दी गई।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारत मौसम विज्ञान विभाग में ई.आर.ई.सी. की स्थापना उपलब्ध अवसंरचना के साथ की गई है और प्रथम चरण के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में साइट रिस्पांस अध्ययन शुरू किए गए हैं। केन्द्र को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के उद्देश्य से रिपोर्ट में यथा प्रस्तावित अन्य कार्य जैसे विशेषीकृत मानव शक्ति, विोष रूप से आवश्यक अवसंरचना का स्थानन आदि प्रक्रियाधीन हैं।

*[हिन्दी]*

**अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के अन्तर्गत रिक्त पद**

**3887. श्री बालकृष्ण चौहान** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत विभागों और उपक्रमों में श्रेणी क, ख, ग और घ के अन्तर्गत अन्य पिछडा वर्गों (ओ.बी.सी.) के कर्मचारियों की इस समय श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले विभागों और उपक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) का आरक्षण कोटा पूरी तरह से भरा जा चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसे कब तक भरे जाने की संभावना है;

(च) क्या ओ.बी.सी. के कर्मचारियों को पदोन्नति के समय भी आरक्षण प्रदान किए जाने का प्रावधान है; और

(छ) क्या ओ.बी.सी. के लिए आरक्षित पदों के लिए ओ.बी.सी. उम्मीदवारों के न मिलने पर इन पदों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाता है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी)** : (क) और (ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में रिक्तियों, जिन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाता है, की 27% रिक्तियां अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित रखी जाती है।

(च) जी नहीं, श्रीमान।

(छ) अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां, जो भरी नहीं जाती हैं, अनारक्षित नहीं की जाती हैं तथा ये तीन भर्ती वर्षों के लिए अथवा अन्य पिछड़ी जाति उम्मीदवारों से रिक्तियां भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, आगे ले जाई जाती हैं।

*[अनुवाद]*

**दिविप्रा द्वारा अत्यधिक कीमत लेना**

**3888. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण लाभ कमाने में लगा हुआ है और उच्च आय वर्ग फ्लैट्स (श्रेणी-2) के नाम पर मध्यम आय वर्ग फ्लैट्स के लिए अत्यधिक कीमत ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस लाभ कमाने तथा दिविप्रा फ्लैटों की ऊंची कीमतों के कारण वसन्त कुंज उच्च आय समूह योजना के आबंटियों ने बड़ी संख्या में अपने फ्लैटों को दिविप्रा को लौटा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि दिविप्रा कम से कम अब लाभ कमाने में नहीं लगे और द्वारिका तथा सरिता विहार योजना के लिए आबंटियों से न्यूनतम राशि ले, जिसके लिए 12.03.2003 को ड्रा निकाला गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास और गरीबी उपमशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) :** (क) से (ग) जी, नहीं। निर्मित किए जाने वाले फ्लैटों की श्रेणी निर्माण शुरू करने के पहले ही निर्धारित की जाती हैं। पहले, दिल्ली विकास प्राधिकरण एसएफएस श्रेणी-II (2 बेडरूम) और श्रेणी III (तीन बेडरूम) के तहत फ्लैटों का निर्माण करता था। चूंकि अब सभी स्व-वित्तपोषित आवास योजनाएं (एसएफएस) बंद कर दी गई हैं अत: एसएफएस के शेष फ्लैट अब एचआईजी स्कीम (श्रेणी-II और III) के अंतर्गत आबंटित किए जाते हैं। फ्लैटों की श्रेणी और कीमत संबंधी सूचना वसंत कुंज एचआईजी स्कीम की विवरणिका में दर्शाई गई थी और जिन आबंटितियों ने वसंत कुंज में फ्लैट के आबंटन के लिए आवेदन किया था उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी। 765 एचआईजी फ्लैटों के लिए 11,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। 765 आबंटितियों में से 234 आबंटितियों ने वसंत कुंज के फ्लैट वापस कर दिए हैं। तथापि, फ्लैटों का वापस किया जाना फ्लैटों की कीमत से कोई संबंध नहीं है।

(घ) और (ङ) फ्लैटों की अनुमानित कीमत द्वारका और सरिता विहार स्कीम की विवरणिका में दर्शायी गई थी। फ्लैटों की कीमत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नीतियों और निर्माण लागत के आधार पर वसूल की जाती है।

---

**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा अपराह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**पूर्वाह्न 11.35 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

**अपराह्न 12.30 बजे**

*लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत हुई।*

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

*[हिन्दी]*

**श्री रतन लाल कटारिया** (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, कल अम्बाला में एक मिग-21 विमान उड़ान भरने के तुरन्त बाद गिर गया। एक वर्ष में चार-चार मिग-21 विमान गिर चुके हैं। मेरा निवेदन है कि इस विषय में सदन में चर्चा कराई जाए और मुझे इस बारे में बोलने की अनुमति प्रदान की जाए।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** प्ररूप संकल्प पर नेता अभी भी चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम सर्वसहमति से पारित करना चाहते हैं। इसलिए मैं सभा को मध्याह्न भोजन के लिए और नेताओं की बैठक में प्ररूप संकल्प पर चर्चा के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

**अपराह्न 12.31 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**अपराह्न 2.02 बजे**

*लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।*

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

*[अनुवाद]*

**श्री रूपचंद पाल** (हुगली) : महोदय, क्या परिणाम निकला?

**अध्यक्ष महोदय :** इस बारे में आपके नेता आपको सूचना देंगे। तथापि, परिणाम बहुत अच्छे हैं। औपचारिक कार्यवाही के बाद सभा के समक्ष सर्वसम्मत संकल्प आएगा।

अब सभा मद संख्या 2 लेगी जो, सभा पटल पर रखे गये पत्र हैं और मैं श्री अरुण जेटली को पत्र सभा पटल पर रखने के लिए कहता हूं।

---

**अपराह्न 2.03 बजे**

*[अनुवाद]*

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** महोदय...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** (रायगंज) : क्या श्री अरुण जेटली ने पहले ही सूचना दे दी थी कि उनकी ओर से श्री संतोष कुमार गंगवार सभा पटल पर पत्र रखेंगे?

**अध्यक्ष महोदय :** जी, हां।

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** अध्यक्ष महोदय, श्री अरुण जेटली की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निर्यात और आयात नीति (1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2007) (31 मार्च, 2003 तक यथासंशोधित), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) प्रक्रिया संबंधी पुस्तिका – खंड एक (1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2007) (31 मार्च, 2003 तक यथासंशोधित), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथांलय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7269/2003]

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) :** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथांलय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7270/2003]

(3) (एक) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथांलय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7271/2003]

(5) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथांलय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7272/2003]

(7) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथांलय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7273/2003]

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) :** अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2000-2001 के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास

में तेजी लाने संबंधी कार्यक्रम तथा संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों में इसके प्रगामी प्रयोग और इसके कार्यान्वयन के बारे में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रथांलय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7274/2003]

---

**अपराह्न 2.04 बजे**

*[अनुवाद]*

## महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

### बारहवां प्रतिवेदन

डा. (श्रीमती) **बीट्रिक्स डिसूजा** : महोदय, मैं ''कुटुम्ब न्यायालयों का कार्यकरण' विषय के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई के संबंध में समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

---

**अपराह्न 2.04¼ बजे**

*[अनुवाद]*

## ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

### अड़तीसवां, उनतालीसवां, चालीसवां और इकतालीसवां प्रतिवेदन

**श्री संतोष मोहन देव** (सिल्चर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2003) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(एक) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 38वां प्रतिवेदन।

(दो) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 39वां प्रतिवेदन।

(तीन) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 40वां प्रतिवेदन।

(चार) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 41वां प्रतिवेदन।

---

**अपराह्न 2.04½ बजे**

*[हिन्दी]*

## पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

### उनतालीसवां, चालीसवां और इकतालीसवां प्रतिवेदन

**श्री मुलायम सिंह यादव** (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, मैं पैट्रोलियम और रसायन सम्बन्धी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) सम्बन्धी उनतालीसवां प्रतिवेदन;

(दो) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2003-2004) सम्बन्धी उनतालीसवां प्रतिवेदन; और

(तीन) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2003-2004) सम्बन्धी इकतालीसवां प्रतिवेदन।

---

**अपराह्न 2.04¾ बजे**

*[हिन्दी]*

## गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

### अठानवेवां प्रतिवेदन

**श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी** (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में 98वें प्रतिवेदन

[श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी]

की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

**अपराह्न 2.05 बजे**

*[हिन्दी]*

## समिति के लिए निर्वाचन

### भारतीय पुनर्वास परिषद

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

"कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के खंड 3(3)(ज) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है:

"कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के खंड 3(3)(ज) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

**अपराह्न 2.06 बजे**

*[अनुवाद]*

## नियम 377 के अधीन मामले*

**अध्यक्ष महोदय :** क्या नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए?

**माननीय सदस्य :** जी, हां।

**अध्यक्ष महोदय :** आज की कार्यसूची में सम्मिलित नियम 377 के अधीन मामलों सभा पटल पर रखे माने जाएं।

*[हिन्दी]*

### (एक) झारखंड के लोहरदगा और गुमला जिलों में रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों को स्थानीय भाषा में प्रसारित किए जाने की आवश्यकता

**प्रो. दुखा भगत** (लोहरदगा) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र लोहरदगा एवं गुमला जिले में रेडियो के कार्यक्रम की तरफ दिलाना चाहता हूं। इन दोनों स्टेशनों पर किसी भी स्थानीय कार्यक्रम का प्रसारण ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहां के लोग इन प्रसारणों को सुनना पसन्द नहीं करते हैं। इन सब कारणों से लोगों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रसारण व्यवस्था को ठीक किया जाये। इसे आधुनिक बनाने की आवश्यकता है, जिससे यहां के लोग प्रसारण को ठीक से सुन सकें और आनन्द उठा सकें। इसके लिए यहां पर स्थानीय भाषा के कार्यक्रम का आयोजन करना आवश्यक है। यहां के लोग टी.वी. पर अच्छे कार्यक्रम और ठीक प्रसार से टी.वी. के कार्यक्रम देखने के बारे में शिकायत करते हैं, जिसका समाधान किया जाये।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के गुमला, लोहरदगा एवं लतिहार के रेडियो एवं टी.वी. के प्रसारण में सुधार किया जाये और स्थानीय भाषा के कार्यक्रम पेश किये जायें।

*[अनुवाद]*

### (दो) पश्चिम रेल के दहानू रोड स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

**श्री चिंतामन वनगा** (दहानू) **:** दहानू रोड स्टेशन अंतिम उपनगरीय स्टेशन है तथा पश्चिम रेलवे का प्रस्तावित रेल टर्मिनल है। बोरीवली के बाद यह सबसे बड़ा है। दहानू को चिकरू लैंड के नाम से जाना जाता है। दहानू तथा उसके आस-पास का क्षेत्र बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुये रेल मंत्रालय ने दहानू रोड स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलने की घोषणा की थी। लेकिन इस संबंध में आज तक कोई कार्यवाई नहीं की गयी। स्थानीय लोगों को टिकट आरक्षण के लिए पालघर या वापी जाना पड़ता है जो दहानू

*सभा पटल पर रखे माने गए।

रोड से 30-40 किलोमीटर दूर है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि दहानू रोड स्टेशन पर तत्काल कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केनद्र खोला जाना चाहिए।

## (तीन) उड़ीसा में नवरंगपुर में केन्द्रीय सहायता से चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

**श्री परसुराम माझी** (नवरंगपुर) : पर्याप्त चिकित्सीय सुविधाओं के अभाव में उड़ीसा के लोग विशेषकर के बी के जिलों के लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बरहामपुर, सम्बलपुर और कटक में तीन मेडीकल कॉलेज हैं और ये तीनों इन जिलों से बहुत दूर हैं। स्थानीय छात्र जिनमें ज्यादातर जनजातीय छात्र हैं, मेडीकल की पढ़ाई इन कॉलेजों में पूरी नहीं कर पाते हैं। इन जिलों के मरीजों को स्थिति दयनीय तब हो जाती है, मेडीकल कॉलेजों के अभाव में, जब इन्हें आपातकालीन उपचार नहीं मिलता।

के वी के जिलों, के केन्द्र में अगर मेडीकल कॉलेज तथा अस्पताल खोला जाता है तो इन जिलों में रहने वाले गरीब, पिछड़े और जनजातीय लोगों को काफी फायदा हो सकता है। अत: मैं मांग करता हूं कि उड़ीसा के नवरंगपुर में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से मेडीकल कालेज और अस्पताल शीघ्रातिशीघ्र खोला जाए।

*[हिन्दी]*

## (चार) छोटा नागपुर क्षेत्र की कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

**श्री राम टहल चौधरी** (रांची) : अध्यक्ष महोदय, छोटा नागपुर की कुर्मी जाति जंगलों में रहती है और उनका रहन-सहन एवं संस्कृति बिल्कुल आदिवासी जैसी है। परन्तु उनको कुछ कारणों से आदिवासी विकास योजनाओं एवं अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाली आरक्षण सुविधा नहीं मिल रही है। नोटिफिकेशन 550 दिनांक 2 मई, 1913 में दि गजट ऑफ इंडिया द्वारा आरक्षण दिये जाने की बात कही गयी है। उन्हें आजादी के बाद जनजातियों की सूची में नहीं रखा गया है परन्तु कुडमी एवं कुरमी के शब्दों की वजह से न जाने क्यों छोटा नागपुर की कुरमी जाति को जनजातियों को नहीं गिना जा रहा है। भाषविद सर जी.ए. ग्रियर्सन की पुस्तक लिंगुस्टिक सर्वे आफ इंडिया के पांचवें अध्याय में इसका जिक्र भी किया है और इस नोटिफिकेशन में नोट के माध्यम से इसको स्पष्ट किया गया है। न इस संबंध में कोई न्यायालय में विवाद हुआ और न ही इसका विरोध, परंतु न जाने क्यों छोटा नागपुर की कुरमी जाति को जनजातियों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसकी जांच करना अति आवश्यक है कि कुर्मी जातियों को जनजातियों की सूची से कैसे निकाला गया।

अत: सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकरण की जांच करें और छोटा नागपुर की कुरमी जाति को जनजातियों को गिना जाये और उन्हें आरक्षण का लाभ भी मिले।

## (पांच) गुजरात में उधना होते हुए सूरत और जलगांव के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता

**श्री मानसिंह पटेल** (मांडवी) : अध्यक्ष महोदय सूरत-उधना-जलगांव के बीच रेलवे लाइन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित है जो औद्योगिक दृष्टि से विकसित जिला सूरत को जोड़ती है। कई सालों से इस रेलवे लाइन के दोहरीकरण हेतु मांग की जा रही है और मैं भी कई पत्र रेल मंत्री जी को लिख चुका हूं। इससे इस आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्र के विकास के नये अवसर मिलेंगे एवं आदिवासी लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। बाढ़ तथा प्राकृतिक आपदा के समय में उत्तर भारत से मुम्बई जाने वाली रेलगाड़ियां जो बंद कर दी जाती हैं, उन्हें इस रेलवे मार्ग से चलाया जा सकता है। पश्चिम भारत से दक्षिण की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों को इस मार्ग से चलाया जा सकता है, जिससे कम समय पर रेल यात्रा की जा सकती है।

अत: सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सूरत-उधना जलगांव के बीच रेलवे लाइन का दोहरीकरण शीघ्र करवाने की कृपा करें।

*[अनुवाद]*

## (छह) मुम्बई में महानगर गैस पाइप लाइन में रिसाव और आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए निवारक उपाय किए जाने की आवश्यकता

**श्री किरीट सोमैया** (मुम्बई उत्तर पूर्व) : पिछले तीन महीनों के दौरान मुम्बई में महानगर गैस पाइप लाइन में रिसाव और आग की घटनाएं हुई हैं। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मामले की जांच करे तथा नये कनैक्शन देने का कार्य पुन: आरम्भ करने के लिए उपचारात्मक उपाय करें।

## (सात) रायबरेली स्थित आईटीआई यूनिट को अर्थक्षम बनाए जाने की आवश्यकता

**कैप्टन सतीश शर्मा** (रायबरेली) : रायबरेली में आईटीआई लि. एकक दूरसंचार उपकरणों के निर्माण तथा रखरखाव में लगा हुआ है। लेकिन कुछ वर्षों से आईटीआई लिमिटेड द्वारा इस एकक की जान-बूझ कर उपेक्षा की जा रही है। इस एकक की कर्मचारियों की संख्या तथा क्षमता के अनुसार इसे पर्याप्त कार्य नहीं दिया जा रहा। ऐसा जान-बूझ कर, इस एकक को बंद करने के लिए किया जा रहा है। इसका प्रस्ताव भारत सरकार के आईटीआई निदेशक मंडल ने भी किया है।

यह एकक 5500 कार्यकुशल कर्मचारियों को रोजगार दे रहा है जो इलैक्ट्रानिक्स, स्विचिंग, सीडीओटी तथा कोरडेट प्रौद्योगिकियों में निपुण हैं। तथा यह एकक करोड़ों रुपये का व्यापार भी सर्जित करता है। एकक को बंद करने या इसके कार्यबल को कम करने की बात सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में भी नहीं कही गयी थी जो 16.04.2002 को प्रस्तुत किया गया था। केवल 76.95 करोड़ रुपये के वीआरएस पैकेज के बारे में विचार किया गया था।

अगर इस एकक को बंद करने का ऐसा कोई प्रस्ताव है तो मैं समझता हूं कि यह निर्णय तर्कहीन है जो न्याय, वास्तविकता से दूर है तथा अनुचित है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि विभिन्न प्रौद्योगिकियों में निपुण हजारों मजदूरों को रोजगार प्रदान करने वाले इस एकक को बंद नहीं किया जाना चाहिए और इसे जीवित रखने के लिए इसके लिए अधिक कार्य सृजित किया जाना चाहिए।

*[हिन्दी]*

## (आठ) वन नीति बनाए जाने की आवश्यकता

**श्री भेरूलाल मीणा** (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की वन नीति मेरे ज्ञान से बिल्कुल गलत है। वनों की सुरक्षा के नाम से अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, किंतु उसके एवज में वन बढ़ने के बजाये घटे हैं और घटते ही जा रहे हैं। वन नष्ट होने के कारण पर्यावरण बिगड़ रहा है, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। वन सुरक्षा के लिए कोट दीवार का निर्माण किया जाता है, हर बार वृक्ष लगाये जाते हैं, पांच वर्ष तक रखवाली भी की जाती है लेकिन उसके बाद इसे खुला छोड़ दिया जाता है, जिस कारण लोग एवं मवेशियां पांच साल में जो पेड़ उगे हुए होते हैं, उनको काट देते हैं या नष्ट कर देते हैं। फिर पांच साल के लिए यह प्रक्रिया पुन: शुरू होती है और फिर पांच साल के बाद खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे न तो वनों की रक्षा होती है और न ही पर्यावरण एवं प्रदूषण रुकता है और सरकार के धन की बरबादी होती है। मेरा सुझाव ही नहीं सरकार से मांग है कि जहां वृक्ष लगाये जायें वहां हमेशा के लिए वनों की सुरक्षा की जानी चाहिए तथा स्थानीय ग्रामीण लोगों का सहयोग लेकर उन्हें हिदायत दी जानी चाहिए कि इन वनों की सुरक्षा उन्होंने करनी है और वे अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह समझें। यदि हम वनों की सुरक्षा करेंगे तो इससे वर्षा अच्छी होगी, जमीन का जलस्तर उठेगा, पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। इसके लिए ग्रामीण समितियों का निर्माण किया गया, किंतु वे नाम मात्र की है।

मेरी सरकार से मांग है कि वनों की सुरक्षा हेतु एक ऐसी स्थायी वन नीति बनायी जाये ताकि वन एवं पर्यावरण सुरक्षित रह सकें।

*[अनुवाद]*

## (नौ) विद्युत करघा उद्योग पर, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, लगाए गए उत्पाद शुल्क को वापस लिए जाने की आवश्यकता

**श्री नरेश पुगलिया** (चन्द्रपुर) : देश में लगभग सत्रह लाख विद्युत करघा कार्यरत है जिसमें से नौ लाख से अधिक विद्युत करघा महाराष्ट्र में स्थापित है इसमें से लगभग पांच लाख विद्युत करघा अकेले महाराष्ट्र के भिवंडी क्षेत्र में हैं।

विद्युत करघा उद्योग देश में लगभग तीन करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत के कुल निर्यात का 33 प्रतिशत भाग वस्त्रादि है और इनमें से 96 प्रतिशत वस्त्रों के उत्पादन विद्युत करघा पर होता है। सरकार ने मोटे कपड़े (ग्रेफैब्रिक्स) पर उत्पादन कर लगा दिया है जो न केवल अनुचित है अपितु लघु और कुटीर उद्योग के इस असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे विद्युत करघा उद्योग के लिए अत्यधिक हानिकारक है। धागे पर तथा रंगाई और छपाई के स्तर पर मोटे कपड़े पर उत्पाद शुल्क लगाये जाने से विद्युत करघा उद्योग पर पहले से ही काफी बोझ है। मोटे कपड़े पर उत्पाद शुल्क लगाये जाने से देश में बड़ी संख्या में विद्युत करघे बंद हो जायेंगे और विद्युत करघों पर कपड़ों का उत्पादन बंद होने से स्वाभाविक रूप से भारतीय वस्त्रों का निर्यात रुक जायेगा। इसके अलावा देश में बेरोजगारी की गंभीर समस्या पैदा हो जायेगी।

इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह मोटे कपड़े पर उत्पाद शुल्क लगाये जाने के प्रस्ताव को तुरंत वापस लेने की घोषणा करे।

## (दस) कर्नाटक में सूखे की भीषण स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि और खाद्यान्न जारी किए जाने की आवश्यकता

**श्री इकबाल अहमद सरडगी** (गुलबर्गा) : कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि सूखा राहत कार्यों के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार को 5.85 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न और 300 करोड़ रुपयों की राशि प्रदान करे। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इस बारे में पहले ही अनुरोध किया था। राज्य में सूखे की स्थिति चिंताजनक है और मई के अंत तक इसके लिए अतिरिक्त जरूरतों की आवश्यकता होगी।

महोदय, 3 लाख टन खाद्यान्न में से केन्द्र ने राज्य सरकार को अभी तक केवल 1.65 लाख टन खाद्यान्न ही जारी किया है और राज्य सरकार ने शेष 1.35 लाख टन खाद्यान्न को भी जारी किये जाने का अनुरोध किया है।

राज्य सरकार ने केन्द्र को राज्य में व्याप्त वास्तविक स्थिति से अवगत करा दिया है और केन्द्र से अतिरिक्त खाद्यान्न और धनराशि की मांग की है। सूखा से प्रभावित जिलों में सूखा राहत कार्य भी तेजी से चल रहा है। यदि सरकार मांगानुसार 300 करोड़ की धनराशि जारी कर देती है तो चारा और पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

महोदय, उक्त स्थिति के मद्देनजर, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार द्वारा यथा वांछित धनराशि और सहायता राशि जारी करे ताकि सूखे से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए बड़े पैमाने पर सूखा राहत कार्य किये जा सकें।

*[हिन्दी]*

## (ग्यारह) आकाशवाणी भागलपुर से प्रतिदिन एक घंटे 'बज्म-ए-उर्दू' कार्यक्रम प्रसारित किए जाने की आवश्यकता

**श्री सुबोध राय** (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर बिहार के उर्दू भाषा-भाषियों का मुख्य केन्द्र है। उर्दू भाषी जनसंख्या की पौराणिक एवं लम्बित अभिलाषाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति किए जाने की आवश्यकता है। उर्दू भाषी जनसंख्या को अधिकाधिक लाभान्वित किए जाने के लिए आकाशवाणी भागलपुर से प्रसारित साप्ताहिक कार्यक्रम बज्म-ए-उर्दू कार्यक्रम को आधे घंटे के स्थान पर दैनिक एक घंटे के रूप में प्रसारण किए जाने की आवश्यकता है।

अत: मैं सूचना प्रसारण मंत्री से मांग करता हूं कि आकाशवाणी भागलपुर से प्रसारित साप्ताहिक कार्यक्रम बज्म-ए-उर्दू कार्यक्रम को दैनिक एक घंटे के रूप में प्रसारण किया जाये।

## (बारह) आंध्र प्रदेश के रामागुंडम में भरतीय उर्वरक निगम की इकाई पुन: चालू किए जाने की आवश्यकता

**श्री के.ई. कृष्णमूर्ति** (कुरनूल) : भारतीय उर्वरक निगम की रामागुंडम इकाई हमारे राज्य के पिछड़े क्षेत्र में स्थित है। ऐसा सुना गया है कि सरकार इसे स्थाई तौर पर बंद करने की सोच रही है। इसे बंद किये जाने से इस पिछड़े क्षेत्र पर तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही इससे बड़ी संख्या में कर्मचारी की प्रभावित होंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस इकाई को बंद न करे। केन्द्र से इसे चालू रखने का अनुरोध किया गया है। यदि इस कारखाने को पुनरुज्जीवित करने में कोई परेशानी है, तो हमारा यह अनुरोध है कि इस कारखाने को विद्युत उत्पादन केन्द्र के रूप में उपयोग करने की संभावना पर विचार किया जाये।

उक्त स्थिति के मद्देनजर, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह रामागुंडम स्थित भारतीय उर्वरक निगम की इस इकाई को पुनरुज्जीवित करने के तरीके ढूंढे, और यदि ऐसा करना संभव न हो तो इसे विद्युत उत्पादन के रूप में उपयोग करने की संभावना पर विचार करें।

*[हिन्दी]*

## (तेरह) महाराष्ट के परभनी और नांदेड़ जिलों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

**श्री शिवाजी माने** (हिंगोली) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र हिंगोली के जिला परभनी एवं नांदेड़ जिले में कोई भी महत्वपूर्ण उद्योग नहीं है, जिसके कारण लोगों को आजीविका के लिए दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है जबकि यहां पर कई कच्चे माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहां पर खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग की स्थापना हो सकती है। परुन्तु यहां पर उद्योग खोले जाने के संबंध में आज तक कोई पहल नहीं हुयी है और न ही कोई सर्वे किया गया है। यहां पर सब्जी

[श्री शिवाजी माने]

और खाद्यान्न की बड़ी-बड़ी मंडियां हैं। यहां पर खाद्य प्रसंस्करण के खोले जाने से किसानों को बहुत फायदा होगा और इस क्षेत्र के औद्योगिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन क्षेत्रों में कच्चे माल और कृषि पदार्थों की उपलब्धता के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करें।

*[अनुवाद]*

**(चौदह) विद्युत करघा और हाई डेंसिटी पोलीएथिलीन मोनो फिलामेंट निटेड फैब्रिक के उत्पादन पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को वापस किए जाने की आवश्यकता**

**श्री एम. चिन्नासामी** (करूर) : तमिलनाडु में पांच लाख से भी अधिक विद्युत करघा कार्यरत हैं और इस विद्युत करघा उद्योग तथा इसके सहायक उद्योगों जैसे वार्पिंग (समावलन), साइजिंग, छपाई, रंगाई, ब्लीचिंग, स्टेनटरिंग आदि में एक करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। विद्युत करघों के मालिक धागे की खरीद पर पहले से ही 9.2 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क अदा कर रहे हैं। अब केन्द्र सरकार ने विद्युत करघा उत्पादों पर 10 प्रतिशत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है। ऐसा करने से यह उद्योग तो बैठ ही जायेगा। साथ ही, इसके सहायक उद्योगों से जुड़े व्यापारी भी प्रभावित होंगे और लाखों श्रमिक बेरोजगार और बे-घर-बार हो जायेंगे जिससे सामाजिक आर्थिक संकट पैदा हो जायेगा।

इसी तरह, हाई डेंसिटी पॉलि एथिलीन (एचडीपीई) मोनो फिलामेंट निटेड फैब्रिक को इसी शुल्क के शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। इस फैब्रिक का सबसे बड़ा उत्पाद मच्छरदानी है जिसे समाज के निर्धनतम व्यक्तियों को बेचा जाता है। तमिलनाडु में वारूर में और उसके आस-पास लगभग 500 छोटी इकाइयां एचडीपीएफ मोनो फिलामेंट निटेड फैब्रिक का उत्पादन कर रही हैं।

इसलिए, मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस संबंध में लगाए गये 10 प्रतिशत उत्पाद कर को वापस ले लें।

*[हिन्दी]*

**(पंद्रह) देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता**

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों के लिए दिए जाने वाले वजीफे की राशि को मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वजीफे की रकम अपने आप बढ़ती रहे, क्योंकि इस समय इस समुदाय के छात्रों के लिए जो वजीफे की राशि मिल रही है, वह केवल नाम मात्र की है।

इंदिरा आवास योजना मुख्यत: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए ही प्रारंभ की गयी थी, किंतु अब इस योजना में सभी को शामिल कर लिया गया है, जिसकी वजह से उक्त समुदाय के लोगों की आवास की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुयी है। इसलिए इंदिरा आवास योजना में एक ऐसी कार्य योजना बनायी जानी चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को पांच सालों के अंदर निश्चित रूप से आवास जरूर मुहैया करा दिए जायें।

राज्य सभा और राज्यों की विधान परिषदों में अब तक इन जातियों का कोटा तय नहीं किया गया है। यह कोटा आबादी के हिसाब से निर्धारित किया जाना चाहिए तथा इसके लिए वर्ष 2000 को आधार माना जाना चाहिए क्योंकि अब इस तबके की आबादी कम से कम 25 फीसदी तक पहुंच चुकी है और इस सूची में अन्य नयी जातियां भी जुड़ती जा रही हैं। साथ ही उन सरकारी कम्पनियों में अथवा निजी कम्पनियों में भी अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण निश्चित किया जाना चाहिए जिनमें तनिक भी सरकारी भागीदारी हो और आरक्षण में अनुसूचित जाति तथा जनजाति का उम्मीदवार नहीं मिलने पर इसे पिछड़ा वर्ग को देने की बजाये खाली रखा जाना चाहिए।

---

**अपराह्न 2.06 बजे**

*[हिन्दी]*

## संकल्प—स्वीकृत

### इराक में स्थिति

**अध्यक्ष महोदय** : अभी इराक के बारे में जो प्रस्ताव सभी पार्टियां ने मान्य किया है, वह मैं सदन के सामने रख रहा हूं।

"राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त करते हुए यह सदन प्रभुतासंपन्न इराक के विरुद्ध अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेनाओं द्वारा की जा रही सैनिक कार्रवाई की निंदा करता है। इराक में सत्ता परिवर्तन करने हेतु की गयी सैनिक कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है। युद्ध के फलस्वरूप इराक के मासूम लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की वेदनायें एक गंभीर मानवीय मसला है। यह कार्रवाई

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष मंजूरी के बिना की गयी है और यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ है। अत: यह सदन इराक के लोगों के लिए गंभीर संताप और गहन सहानुभूति प्रकट करता है।

यह सदन संतोष व्यक्त करता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इराक के संतापग्रस्त लोगों के लिए तत्काल मानवीय सहायता की अपील पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र को नकद और सामग्री के माध्यम से 100 करोड़ रुपये की सहायता देने का फैसला किया है जिसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं देना भी शामिल है; और यह अपेक्षा करता है कि आवश्यकता पड़ने पर और सहायता भी की जाये।

यह सदन तत्काल युद्ध समाप्ति का आह्वान करता है और गठबंधन सेनाओं की शीघ्र वापसी की मांग करता है।

यह सदन यह भी मांग करता है कि संयुक्त राष्ट्र सुनिश्चित करे कि इराक की सम्प्रभुता कायम रहेगी और इराक का पुनर्निर्माण संयुक्त राष्ट्र की देख-रेख में होगा।''

इस प्रस्ताव को अडाप्ट करने से पहले कुछ नेताओं ने बोलने की इच्छा प्रकट की है। मैं चार-पांच प्रमुख नेताओं को यहां पर पांच-पांच मिनट के लिए अपने विचार रखने की इजाजत देता हूं।

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) :** अध्यक्ष महोदय, जब आपने इसे रख दिया तो इस पर बहस की गुंजाइश नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** इस पर भी चर्चा हुई है और यह निर्णय हुआ है। आप बैठिये।

*(व्यवधान)*

**श्री दिग्विजय सिंह :** पहले भी स्पीकर की तरफ से ऐसा प्रस्ताव रखा गया है लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। यह नई परम्परा की शुरुआत हो रही है।...*(व्यवधान)* मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं।

**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** (कनारा) : इस पर सपोर्ट करना है। ...*(व्यवधान)* मल्होत्रा जी, आप भी सपोर्ट करिये और हम भी सपोर्ट कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** इस विषय पर एक मत हुआ है। इस विषय पर भी एक एकमत हुआ है कि चार या पांच प्रमुख नेता इस विषय का समर्थन करेंगे। वे केवल समर्थन के लिए बोलेंगे।...*(व्यवधान)*

**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा :** सब समर्थन कर रहे हैं, यही हम बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री एस. जयपाल रेड्डी** (मिरयालगुडा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए यह अत्यधिक संतोष की बात है कि दोनों ओर से काफी टीका-टिप्पणियों के बाद हम दोनों पक्षों को मान्य एक संकल्प पर सहमत हो गये हैं। इसका स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि यह हमारे देश की उस प्राचीन परंपरा के अनुकूल है जिसमें विदेश नीति से संबंधित मुद्दों पर एक आम सहमति बनाये जाने पर बल दिया गया है। जो संकल्प हमने पारित किया है यह अपने आपक में अनूठा है। इसमें हम सीधे तौर पर किसी देश या देशों के गठबंधन पर आरोप नहीं लगाते हैं। आज हम एक खतरनाक सैन्य एकाधिकारवाद के बढ़ते साये में यहां मिल रहे हैं।

महोदय, इस परिदृश्य को देखने के बाद मेरी समझ में यह आता है कि गठबंधन सेनाएं शुरू से ही इराक पर आक्रमण करने और वहां की सरकार को बदलने पर आमादा थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई प्रस्ताव रखे। लेकिन ये सभी औपचारिकता मात्र थे। ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले पर एक तरह की लीपा-पोती की जा रही है। पिछले 20 दिनों से हम टीवी चैनल पर एक बहुत बड़े पैमाने पर अनोखे ढंग की हाई-टेक लड़ाई देख रहे हैं और इस लड़ाई को भी मिडिया द्वारा एक अपना ही रंग दिया जा रहा है। इसका सबसे अच्छे ढंग से उल्लेख युद्ध अश्लीलता के रूप में किया जा सकता है। इस युद्ध में हमें एक नये ढंग की पत्रकारिता भी देखने को मिली है और वह है – विकृत पत्रकारिता। अब हमें एक तरह के विकृत सच का सामना करना पड़ रहा है।

जब 11 सितम्बर को अमरीका में शायद एकमात्र सबसे बड़ी आतंकवादी घटना घटी, तब पूरे विश्व में विशेषकर हमारे देश में अमरीका के लिए सहानुभूति का सैलाब उमड़ पड़ा, क्योंकि हमने दो दशकों से भी अधिक समय से आतंकवाद की पीड़ा को झेला है और इसीलिए अमरीका के प्रति हमारे मन में हमदर्दी थी। विश्व की दूसरी हस्तियों के समान हममें से भी कुछ लोग अमरीकी नेताओं जैसे थामस जैफरसन, अब्राहम लिंकन के गेटिसवर्ग अभिभाषण अथवा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के न्यूडील के लेखों से प्रेरित हुए हैं। इसलिए हमारी अमरीका के साथ पूरी हमदर्दी है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि अमरीका के

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

प्रति हमदर्दी और सहानुभूति का जो वातावरण बना था वह गत एक वर्ष में बदल गया है और अब दुनिया भर में लोग उससे नफरत और घृणा करने लगे हैं। कोई नहीं जानता कि अमरीका ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया है।

कोई भी व्यक्ति अमरीका की आंतरिक शासन व्यवस्था की ओर क्यों देखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कोई इस बात से प्रभावित होता है कि यहां की लोकतांत्रिक प्रणाली इतनी मजबूत है कि राष्ट्रपति बिल क्लिंटन तक की डीएनए जांच करायी जा सकती है और इसे केनेथ स्टार्स जैसे साधारण लोक अभियोजक द्वारा कराया जा सकता है, राष्ट्रपति के संज्ञान में लाये बिना। वास्तव में यह एक प्रेरक लोकतंत्र है। लेकिन हम सबके लिए अमरीका के साथ चल पाने में एक ही बड़ी समस्या है कि यह अत्यधिक साम्राज्यवादी है। अमरीका नि:संदेह आज एक महाशक्ति है और जहां तक हमारा संबंध है यह हमारे प्रति शत्रुवत् व्यवहार करने वाली महाशक्ति भी नहीं है।

आज यह विश्व में एकमात्र महाशक्ति है। लेकिन समस्या यह है कि यह एक अति करने वाली शक्ति के रूप में व्यवहार कर रहा है। यह एक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है लेकिन इसने एक आततायी शक्ति के रूप में व्यवहार करना शुरू कर दिया है।

महोदय, हमें अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या अमरीका ने इराक पर आक्रमण करने से पहले कोई नैतिक जिम्मेदारी समझी थी। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि 'नहीं' उसने ऐसा नहीं किया। अमरीका इराक और 11 सितम्बर की घटना के बीच कोई विश्वसनीय तार नहीं जोड़ सका। यह अभी तक इराक के पास जनसंहार के जैविक या रासायनिक - हथियारों के साक्ष्य भी नहीं जुटा पाया है। हर किसी का मानना है कि इराक के पास आणविक अस्त्र नहीं हैं।

अमरीका कहता है कि वह इराक में लोकतंत्र को बढ़ावा देगा। अमरीका ने पूर्व में जिन देशों पर आक्रमण किया है उनका क्या हश्र हुआ है? एक साल पहले इसने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था। क्या अफगानिस्तान में लोकतंत्र आ गया है? बारह वर्ष पहले किसने कुवैत को मुक्त कराया था। क्या कुवैत में लोकतंत्र है? यह 50 वर्ष से भी अधिक समय से सऊदी अरब का मित्र है। क्या सऊदी अरब अथवा कतर संयुक्त अरब अमीरात में किसी तरह का कोई लोकतंत्र है। इसलिए जब अमरीका यह कहता है कि यह इराक में लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है तो किसी को इसकी बात पर भरोसा नहीं होता।

इसलिए जब अमरीका यह कहता है कि वह इराक में लोकतंत्र लाना चाहता है, तो इस पर किसी को विश्वास नहीं होता। मुझे पता है कि मैं जब यह बात कहता हूं तो मैं पूरी सभा की ओर से ऐसा कहता हूं।

अब अमरीका कहता है कि सद्दाम हुसैन के शासन काल में इराक ईरान के साथ्य युद्ध करता रहा। यह बात सर्वविदित है कि अस्सी के दशक में ईरान और इराक के बीच युद्ध के लिए अमरीका भी आंशिक रूप से जिम्मेदार था। क्या अब अमरीका को यह कहते शोभा देता है कि सद्दाम हुसैन ने स्वयं को ईरान के साथ युद्ध करने में मशगूल रखा? एस एम एस पर एक चुटकुला आ रहा था। मुझे पता नहीं कि मैं उसे ठीक-ठीक उद्धृत कर पाऊंगा। एक मित्र एक अमरीकी अधिकारी से पूछ रहा था, "आपको कैसे पता कि उनके पास जनसंहार के हथियार हैं?" अधिकारी बोला, "हमारे पास उन हथियारों को प्राप्त करने की रसीदे हैं।" वस्तुत: ये पश्चिमी देशों की ही कंपनियां थी जिन्होंने अस्सी के दशक में इराक को तथाकथित रासायनिक हथियार उपलब्ध कराये थे जिन्हें ईरान और हो सकता है इराक में रहने वाले कुर्दों के विरुद्ध प्रयुक्त किया गया हो।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री जयपाल रेड्डी, आपका समय समाप्त हो गया है।

**श्री एस. जयपाल रेड्डी :** महोदय, मैं अपनी बात को यथा संभव संक्षेप में रखने की कोशिश कर रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** हमने तय किया है कि प्रत्येक वक्ता केवल पांच मिनट बोलेगा। इसलिए आप कृपया अपनी बात शीघ्र अति-शीघ्र समाप्त करें।

**श्री एस. जयपाल रेड्डी :** महोदय, मुख्य बात यह है। अमरीका इराक युद्ध में जीत हासिल कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इराक युद्ध को जीता नहीं जा सकेगा क्योंकि सद्दाम हुसैन के मरने पर उन्हें शहीद का दर्जा मिल जायेगा और शहीद सद्दाम हुसैन अमरीका के लिए एक अंतहीन मुसीबत साबित होंगे। यदि वह भूमिगत भी हो जाते हैं तब भी इसका मतलब है हरेक के लिए मुसीबत ही मुसीबत। इसलिए चाहे जो भी देश हो युद्ध किसी के भी हित में नहीं है। एक राष्ट्र के नाते भारत को अमरीका के द्वारा प्रतिपादित किये जा रहे एकपक्षीय सिद्धान्त के परिणामों से चौकस रहना होगा। अमरीका ने अब एक बहुत ही खतरनाक सिद्धान्त—हकशफ़ा का सिद्धान्त

प्रतिपादित किया है। अब अमरीका यह तय करेगा कि किस पर आक्रमण किया जाना चाहिए।

जब कश्मीर घाटी में 24 पंडितों की हत्या की गयी थी, तो सहानुभूति व्यक्त करने की बजाय क्या अमरीका को भारत सरकार से यह कहना चाहिए था कि उसे पाकिस्तान सरकार से बात करनी चाहिए। जब श्री यशवन्त सिन्हा ने श्री डोनाल्ड रम्सफील्ड के हकशफ़ा सिद्धान्त से प्रेरित होकर यह कहा था कि पाकिस्तान इसके लिए एक बेहतर केस है, वाशिंगटन के छोटे अधिकारी ने श्री सिन्हा की इस बात को खारिज नहीं कर दिया था।

इसलिए हमें इस समस्या की ओर केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से ही नहीं देखना चाहिए, अपितु हमें अपने स्वयं के हितों के आधार पर भी इसका निर्णय करना चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र का हश्र भी वैसा न हो जो लीग ऑफ नेशन्स' का हुआ था।

महोदय, हमारे लिए सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि श्री टोनी ब्लेयर जब इराक में युद्धोपरांत निर्माण कार्य में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की बात करते हैं तो श्री जॉर्ज बुश उनकी इस बात से सहमत नही हैं। मेरी समझ से भारत को इस मामले में पहल करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इस मामले में कोई न कोई कदम उठायेगी और यदि भारत सरकार कोई सार्थक, प्रभावी तथा नैतिक रूप से विश्वसनीय कदम उठाती है तो हम सभी उसका साथ देंगे।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता के साथ-साथ पूरी दृढ़ता से उस संकल्प का समर्थन करता हूं जिसे आपने अध्यक्ष के नाते यहां पेश किया है। यह संकल्प सम्पूर्ण सभा के सम्मिलित दृष्टिकोण का परिचायक है और मैं सभा के सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं कि वे इस अवसर पर एकजुट हैं और उस महान देश भारत के संयुक्त विचार को व्यक्त कर रहे हैं जो संपूर्ण विश्व को एक नैतिक नेतृत्व प्रदान कर रहा है।

महोदय, आपने हमारे संसदीय लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में यह संकल्प पेश किया है और हम इसे पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। सच तो यह है कि आपके सक्रिय हस्तक्षेप के कारण हमें इस मामले पर चर्चा का अवसर मिला है और हम इस पर संकल्प लाने में समर्थ हो पाये हैं।

महोदय, मैं इस पर ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो संकल्प आज यहां पेश किया गया है, उसे यहां लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र है; संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र है। जो देश आज खुल्लम-खुल्ला आक्रमण कर रहे हैं वे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और वे संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के प्रति वचनबद्ध हैं और घोषणा पत्र में इन सभी महत्वपूर्ण और उच्च आदर्शों को दिया गया है कि सभी देशों के कतिपय परंपराओं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा व्यवहार के मानदंडों के अनुरूप आचरण करना चाहिए। लेकिन इस सबके बावजूद, क्योंकि आज विश्व एक ध्रुवीय हो गया है, और वह देश जिसकी अपनी समझ के अनुसार सैन्य क्षमता बेहतर है, ने विश्व के प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की निगरानी करने और उसके भाग्य का निर्णय करने की भूमिका ले रखी है। उन्होंने यह अधिकार हासिल कर रखा है कि किस देश में कौन शासन करेगा। यह एक बहुत ही खतरनाक सिद्धान्त है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी की देश के इस अधिकार को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते कि वह किसी दूसरे देश में सत्ता परिवर्तन की मांग करे। इसलिए हमारे लिए कम से कम यह तो आवश्यक है कि भारत जो शांति का पक्षधर है और जो अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं का पालन कर रहा है इस बात को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करे ताकि विश्व को यह पता चल सके कि जिस आक्रमण के अधिकार की बात कही जा रही है उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक व्यवस्था के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया जायेगा। मैं समझता हूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है। केवल ताकत के मद में चूर होकर ये इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं और पूर्व आक्रमण का जो अधिकार है ही नहीं उसको मान लिया जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। संयुक्त राष्ट्र एकमत नहीं है। सुरक्षा परिषद एकमत नहीं है फिर भी यह विश्व शक्ति जिसका कोई सैन्य प्रतिस्पर्धी नहीं है, विश्व जनमत की अवहेलना कर रही है।

अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा है कि किसी भी देश के विरुद्ध युद्ध आरंभ करने में उन्हें किसी अन्य देश से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या हमें उनके इस कथन का विरोध नहीं करना चाहिए? और मुझे इस बात की खुशी है कि हम इस अवसर पर एकजुट होकर खड़े हैं। आज पूरा विश्व जनमत और भारत सहित शांति चाहने वाले विश्व के दूसरे देशों—चाहे अमरीका हो, ब्रिटेन हो, आस्ट्रेलिया हो, या फिर कोई अन्य देश हो ने अपनी-अपनी राय व्यक्त कर दी है। वे इस बर्बरता के विरुद्ध सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहे हैं। यह तो देखिये किस तरह यह आक्रमण किया गया है। निर्दोष बच्चे, महिलाएं और पुरुष कत्ल किये जा रहे हैं? महोदय, मैं पूछना चाहता हूं यह सब क्यों हो रहा है? अमरीका को पुलिसमैन बनने का अधिकार किसने दिया है? संयुक्त राष्ट्र संकल्प के तहत हथियारों

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

के निरीक्षण के लिए निरीक्षणकर्त्ता नियुक्त किये गये हैं। ये निरीक्षणकर्त्ता कह रहे हैं कि फिलहाल ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि इराकी सरकार के वक्तव्यों पर किसी तरह का विवाद या संदेह पैदा किया जाये। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ''निकट भविष्य में कोई खतरा नही है। हम अपना कार्य कर रहे हैं और हम इसे पूरा करेंगे। लेकिन ये लोग तब तक इंतजार नहीं कर सके। इस 21वीं शताब्दी में एक देश किसी दूसरे देश के लिए फतवा जारी करता है कि राष्ट्रपति 48 घंटे के अंदर देश छोड़ दें। नहीं तो वे उस पर आक्रमण कर देंगे। हम इस बारे में यही कह सकते हैं कि इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार जंगल राज्य के सिवाय कुछ नहीं है। इतनी अधिक बर्बरता और ताकत का इतना अधिक गुमान। हम इसे कतई स्वीकार नहीं कर सकते और हमें इसका पूरी तरह से विरोध करना चाहिए। हम इस बारे में एक संकल्प पारित करने का अनुरोध कर रहे थे। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम सभी संयुक्त रूप से इस पर सहमत हो गये हैं।

यह भी कितनी बेतुकी बात है कि इतना सब होने पर भी वे अपने आप को लोकतांत्रिक देश कह रहे हैं। यहां तक कि वे मीडिया को भी निशाना बना रहे हैं। आज तक तो हम यही मानते आये थे कि कम से कम अमरीका में मीडिया को अपना कार्य करने की स्वतंत्रता है। लेकिन वहां के एक सुविख्यात पत्रकार श्री पीटर अर्नेट को अपने विचार व्यक्त करने के कारण सी एन एन की नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। एक और न्यूज चैनेल पर यह दबाव डाला गया कि वह सरकार के लिए मुसीबतें पैदा करने वाले पत्रकार को नौकरी से हटा दे। आज सभ्य और सामान्य व्यवहार की हर चीज अमरीका के निशाने पर है क्योंकि वह हर चीज पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। यह एक बड़ा भद्दा मज़ाक लगता है जब यह बात कही जाती है कि यह इराक की आजादी की लड़ाई है। भला यह भी कोई मजाक हुआ। इराकी लोगों को आजाद कराने वाले वे कौन होते हैं? इराक के किन लोगों ने उनसे उन्हें आजाद कराने की मांग की थी? इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की जगह कौन लेगा? इराक का शासक कौन होगा?

हम जानते हैं कि युद्ध का वास्तविक उद्देश्य तेल के कुओं को हथियाना है। इस आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य यही है और इससे हमारे राष्ट्रीय हितों पर आंच पहुंचती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इराक हमारा घनिष्ठ मित्र रहा है। हमारे यहां बड़ी मात्रा में तेल की आपूर्ति इराक से होती है। अब अमरीका तेल के इन कुओं पर अपना नियंत्रण रखेगा और यह कोई नहीं जानता कि अमरीका क्या करेगा, वह तेल का क्या मूल्य निर्धारित करेगा और तेल की आपूर्ति के बदले वह किसकी कैसे बांह मरोड़ेगा।

इसलिए, जैसा कि आपने संकल्प में उल्लेख किया है, हम यह मांग करते हैं कि अमरीका को वहां से तुरन्त अपनी सेनाएं वापस बुला लेनी चाहिए और इराक के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए संयुक्त राष्ट्र को आगे आना चाहिए। हम इस संकल्प का पुरजोर समर्थन करते हैं और हमारा तो यह भी कहना है कि इराक में जो कुछ विध्वंस हुआ है, संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षण के तहत वहां उसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। इराकी लोग इस बड़े ही भयावह अनुभव से गुजर रहे हैं। विश्व का प्रत्येक देश और विश्व के सभी शांतिप्रिय लोग इस महान देश के शीघ्र पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए इराक के साथ हैं। हम इस संकल्प का पुरजोर समर्थन करते हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि यह संकल्प इस सभा में एकमत से पारित हो जायेगा।

*[हिन्दी]*

**डा. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े संतोष और प्रसन्नता की बात है कि...*(व्यवधान)*

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का भाषण शुरू होने से पहले मेरा निवेदन है कि सदन की भावनाओं को सुनने के लिए प्रधान मंत्री जी सदन में उपस्थित हों।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** रामदास आठवले जी, आप इतने पीछे बैठे हुए हैं कि मैं पहचान ही नहीं पाया कि कौन बोल रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

**डा० विजय कुमार मल्होत्रा :** अध्यक्ष महोदय, यह बड़े संतोष और प्रसन्नता की बात है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं। सारे संसार के लिए यह एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई है जिस पर सारा सदन एक मत से अपनी राय प्रकट कर रहा है। विदेश नीति के मामले में हम सब की आमतौर पर हमेशा सहमति रही है और सारे सदन ने, जब भी कोई ऐसा अवसर आया है हमेशा पिछले 50 वर्षों से एक मत से विदेश नीति पर अपने विचार प्रकट किए हैं और आज आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव सारे देश की भावनाओं को प्रतिपादित कर रहा है।

महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें हमने अमेरीका की इस बात के लिए निन्दा की है कि अमरीका और उसके सहयोगी, जिन्होंने इराक पर कार्रवाई की, आक्रमण किया, उसकी यह सदन निन्दा कर रहा है। उसके पीछे तीन चार बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अगर इरैलेवेंट हो जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ का सारे देशों पर जो आधिपत्य है, यदि वह समाप्त हो जाए, उसका रैलेवेंस समाप्त हो जाए, यदि ऐसा होगा, तो यह सारे संसार के लिए बहुत खतरनाक होगा। इसलिए सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता, उसका आधिपत्य, उसका रैलेवेंस कैसे बने, इस पर सारी दुनिया को अच्छी तरह से विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यदि यह विश्व एक यूनीपोलर बन जाए, केवल एक-ध्रुवीय विश्व बन जाए और सिर्फ उसी के हितों की सत्ता के अंदर बाकी सब चलें, यह बात भी संसार के लिए अच्छी नहीं है। यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का रहना बहुत जरूरी है और यूनिपोलर बनना उचित नहीं है। हम और सारा विश्व यह चाहता है कि किसी देश के पास यदि कोई केमीकल वैपन हैं या कोई ऐसे हथियार हैं जिनसे सारी मानवता को खतरा है, तो उन्हें नष्ट करना चाहिए, लेकिन उसका बहाना बनाकर किसी देश पर आक्रमण करना; किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। इस बात को देखने का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा था, सिक्योरिटी कौंसिल कर रही थी। वह और समय ले सकती थी। उसने जो-जो प्रस्ताव दिए, उन पर इराक ने यदि ईमानदारी से अमल नहीं किया, तो उसको देखा जा सकता था, लेकिन उसकी अवमानना का ध्यान न रखते हुए, अपनी मर्जी से किसी देश पर इस प्रकार से आक्रमण कर देना, मैं समझता हूं कि अनुचित है।

महोदय, इसी दृष्टि से सदन ने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि वहां बहुत खून-खराबा हुआ है, बच्चे, औरतें और वृद्ध लोग मरे गए हैं, लेकिन यह भी सही है कि अमरीका ओर ब्रिटेन के सैनिक भी मारे गए हैं। आखिर किसलिए और क्यों यह सारा रक्तपात हो रहा है और इराक ने क्या किया है। जैसे पाकिस्तान आज हमारे खिलाफ प्रचंड युद्ध कर रहा है, हिन्दुस्तान पर क्रॉस बॉर्डर टैररिज्म कर रहा है, उस पर यदि हिन्दुस्तान आक्रमण कर दे, तो उसका तो कोई औचित्य है, परन्तु इराक ने किसी पर हमला नहीं किया और उसके ऊपर जाकर केवल इस बात के लिए कि वह प्रीएम्पटिव है, वह भी तब, जब उनकी रिपोर्ट आ गई, उसका बहाना बनाकर आक्रमण किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, इस बात को इस रूप में रखा जा रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर न तो कोई सिविलाइजेशन क्लैश है, न वहां कोई जहाज है, न वहां कोई क्रूसेड है। जहाज की बात होती, तो अमरीका की तरफ से जो वहां किया गया है, यह सारा देश उसकी निन्दा एकमत से नहीं करता।

वहां पर जो कुछ अमेरिका की तरफ से किया गया, इसलिए यहां पर इस बात को रखना कि यह कोई सिविलाइजेशनल क्लैश की बात नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है। इन परिस्थितियों में मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारा देश पहला देश है, जिसका सदन, जिसकी संसद अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा प्रस्ताव रखकर कोई एक जीच हम पारित कर रहे हैं, जो दूसरे देशों के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। हमारा देश ऐसा पहला देश है। यह बहुत अच्छी बात है कि हम सब दलों ने मिलकर संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करने का यहां पर निश्चय किया है और आपके माध्यम से यह बात हो रही है। अब वहां पर अमेरिकी या ब्रिटिश सेनाओं के रहने का कोई औचित्य नहीं है, उन्हें वहां से वापस आना चाहिए और उनके बदले संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं आयें, उन सेनाओं के माध्यम से या संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग वहां जाकर पुनर्निर्माण का कार्य करें। किसी देश में कौन राज करे, कौन रिजीम हो, इसका फैसला करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। कोई यह फैसला करे कि वहां पर कौन राज करेगा, पहले तो भस्मासुर पैदा करे, बिन लादेन पैदा करे, अलकायदा पैदा करे, बाकी सब पैदा करे, फिर उन्हें हटाने का फैसला करे। किसी देश में कौन राज करेगा, यह उस देश की जनता तय करेगी, कोई और तय नहीं करेगा। भारत में कौन राज करे, यह भारत की जनता तय करेगी। किसी और देश में कौन राज करेगा, यह उस देश की जनता को तय करना है, इसलिए जल्दी से सेनाएं वापस आयें और उन सेनाओं के वापस आने पर उसके पुनर्निर्माण का काम...*(व्यवधान)* मुझे लगा रहा है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी।...*(व्यवधान)*

**श्री मुलायम सिंह यादव** (सम्भल) : आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं।

**डा. विजय कुमार मल्होत्रा :** अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से पुनर्निर्माण का काम होना चाहिए, वह पुनर्निर्माण का काम वहां पर करे। भारत सरकार ने जो 100 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की है, जो शायद किसी और देश ने अभी तक नहीं की है। मैं समझता हूं कि यह भी भारत के लिए बहुत गौरव की बात है कि उसका जो एक मित्र था, उसके लिए सबसे पहले हमने

[डा. विजय कुमार मल्होत्रा]

इस बात की घोषणा की कि 100 करोड़ रुपये हम सहायता देंगे। उसमें अनाज की सहायता भी देंगे और वहां पर हम लोग पुनर्निर्माण के काम में वहां पर लगें और इसमें आगे चलकर सारे विश्व को बैठकर भविष्य में ऐसी घटना न हो, इस पर विचार करना चाहिए।

**श्री मुलायम सिंह यादव** (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, हम आपको धन्यवाद देते हैं और सदन के सभी दलों को भी धन्यवाद देते हैं, जिनको इस प्रस्ताव को लाने में सहयोग देने में भूमिका रही थी। भारत की जो एक नीति है कि दुनिया के किसी हिस्से में कोई देश आक्रमण करेगा तो भारत तटस्थ नहीं रहेगा, बल्कि आक्रमणकारी का विरोध करेगा, उस नीति को हमने कायम रखा है। साथ ही इस प्रस्ताव के जरिये यह भी साबित कर दिया कि आज हिन्दुस्तान एक है, किसी भी मुल्क पर, दुनिया के किसी हिस्से पर अन्याय होगा, अत्याचार होगा तो भारत एक रहेगा और एक रहकर भारत ने यह भी साबित कर दिया है कि कहीं भी कोई भी देश शान्तिप्रिय होगा या अन्याय के खिलाफ होगा, तो भारत उस देश के साथ खड़ा होगा। भारत ने अपनी इस नीति को कायम रखा है। हमारी राय थी कि हिन्दुस्तान को अगुवाई करनी चाहिए और आज के बाद दुनिया का वातावरण बदलेगा।

जहां तक अमेरिका का सवाल है, अभी सभी साथियों की तरफ से कहा गया है, मल्होत्रा साहब ने कहा, यह सही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बेअसर करके अमेरिका ने दुनिया के लिए खतरा पैदा किया है। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि लीग ऑफ नेशंस को भी इसी अमेरिका ने ही खत्म किया था और संयुक्त राष्ट्र जैसी महत्वपूर्ण संस्था बेअसर हो गई है। इसका सबसे ज्यादा खतरा, विदेश मंत्री जी, हम आज भी मानते हैं कि हिन्दुस्तान को होगा। दुनिया में जितना आतंकवाद हुआ है, उसका जिम्मेदार अमेरिका रहा है। जब तक हथियार बेचने का काम और नशीली दवाइयों का फैलाव का काम दुनिया में होता रहेगा, तब तक दुनिया में आतंकवाद बढ़ेगा और यह काम अमेरिका कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार भी सावधान हो, क्योंकि सीधे-सीधे हमला इराक पर घातक हथियारों का बहाना लेकर हुआ है।

दुनिया के अन्य देशों के प्रति जहां घातक हथियार हैं, उनके बारे में अमेरिका का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। हम विदेश मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि भारत सरकार अमेरिका पर दबाव दे और दुनिया में एक ऐसा वातावरण बनाये जिससे घातक हथियारों के बाद में सभी देशों के साथ एक ही स्पष्ट नीति हो। मैंने कल जो कहा था, उसे फिर दोहराना चाहता हूं कि आपको इराक पर अमरीकी हमले के बाद दुनिया के गुट निरपेक्ष नेताओं को इकट्ठा करना चाहिए क्योंकि सरकार इस तरह के कदम उठायेगी तो विपक्ष आपका साथ इस कदम में अवश्य देगा। इसलिए आज गुट निरेपक्ष देशों को इस मुद्दे पर एक मंच पर इकट्ठा करना चाहिए। उनको चर्चा हेतु किसी स्थान पर बुलाना चाहिए। अमेरिका इस तरह की दादागिरी कैसे कर सकता है। अगर घातक हथियारों को नष्ट करना है तो हम चाहते हैं कि अमेरिका सबसे पहले घातक हथियारों को नष्ट करे। उसके बाद दुनिया के अन्य देशों के घातक हथियार नष्ट हो जायेंगे। क्या अमेरिका ऐसा करने के लिए तैयार है? इससे ज्यादा अन्याय और अत्याचार क्या हो सकता है कि घातक हथियारों को नष्ट करने के नाम पर अमेरिका इराक पर हमला करे।

आज हम कहना चाहते हैं कि अमेरिका दोहरी चाल चल रहा है, दोहरी नीति पर कदम उठा रहा है। वह एक तरफ दुनिया के आतंकवाद से लड़ने की बात करता है और दूसरी तरफ आतंकवाद में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ दे रहा है। क्या अमेरिका उसका साथ नहीं दे रहा? प्रत्यक्ष रूप से प्रायोजित आतंकवाद जो पाकिस्तान द्वारा हमारे देश में फैलाया जा रहा है, उसे अमेरिका समर्थन दे रहा है। आपको अप्रत्यक्ष रूप से धमकी भी दे दी है। बाकायदा उसकी प्रतिक्रिया पाकिस्तान ने भी जाहिर कर दी है। पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया जाहिर करके कह दिया है कि इराक में जो हो रहा है, वैसा ही अमेरिका को जम्मू-कश्मीर में अपना कदम उठाना चाहिए। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप समुचित उत्तर दें, देश की ओर से या प्रधान मंत्री जी का विरोध वक्तव्य से। इसके बारे में देश को आश्वस्त करना चाहिए क्योंकि दुनिया में दहशत पैदा है, विशेषकर भारत में दहशत पैदा हो रही है। तेल पर कब्जा करना अमेरिका का सीधा-सीधा लक्ष्य था। इस लक्ष्यपूर्ति के लिए इराक पर हमला किया गया।

मध्य एशिया के पूरे क्षेत्र से भारत का सबसे गहरा संबंध है। 35 लाख भारतीय खाड़ी देशों में बसे हुए हैं जो हमें विदेशी मुद्रा दे रहे हैं। इस युद्ध का सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा। हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते लेकिन निश्चित ही इसका सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा। इस बारे में भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है, सरकार क्या करना चाहती है और क्या उसका लक्ष्य है? इन सबके बारे में आप देश को आश्वस्त करें। कम से कम जो लोग दहशत में हैं, उनकी दहशत को आप दूर करें। इस बारे में चाहे विदेश मंत्री जी वक्तव्य दें, प्रधान मंत्री जी दें लेकिन लोगों को जरूर आश्वस्त करना चाहिए। आज पूरे देश की जनता दहशत में है, पूरा देश दहशत में है, पूरा देश खतरे की स्थिति में है। जो आतंकवाद पाकिस्तान की

देन है, जो आतंकवाद कश्मीर तक सीमित था, वह आज लाल किले से लेकर आपकी संसद तक प्रवेश कर गया है। आज हिन्दुस्तान के कई प्रदेशों में आतंकवाद फैल गया है। इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान है। अमेरिका की दृष्टि इस बारे में क्या है? हम चाहते हैं कि आज जो प्रस्ताव या संकल्प पास हुआ है, उससे हम कम से कम यह समझते हैं कि सरकार में आत्मविश्वास पैदा होगा। विपक्ष आपको पूरा समर्थन दे रहा है। कम से कम अमेरिका पर आपको ऐसा कोई दबाव बनाना चाहिए जिससे अन्य इलाके, अन्य क्षेत्रों में जो उसकी दृष्टि लगी हुई है, वह हट सके। उसकी दृष्टि सबसे पहले भारत पर होगी। आपको अभी इसका अहसास नहीं है लेकिन देश की जनता को आगे अहसास करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान को बढ़ावा देना, उसका कर्जा माफ कर देना और कर्जा माफ करने के साथ-साथ और कर्जा देना, पूरी आर्थिक मदद करना यही साबित करता है। पाकिस्तान वही पैसे खर्च करके, आपके यहां प्रायोजित आतंकवाद चलाकर हिन्दुस्तान पर हमला करेगा। आप अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए क्या कर रहे हैं, इसके बार में सोचना चाहिए। मैं सारी बातें नहीं दोहराना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि तत्काल अमेरिका को वहां से अपनी फौजें हटानी चाहिए। इराक की सम्प्रुभता कायम रहे और इराक की जनता यह तय करे कि वहां कौन सी सरकार हो, यह हमारी मांग है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप इस संबंध में जो भी कदम उठायेंगे, उसके लिए हम और पूरा विपक्ष आपका साथ देगा।

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** अध्यक्ष महोदय, हमें इस संकल्प की एक प्रति दी जानी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** हां।

**श्री राम विलास पासवान** (हाजीपुर) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने प्रयास करके इस सदन के माध्यम से एक सर्वसम्मत निंदा का प्रयास लाने का काम किया और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि हम सब लोग एक देश के हैं और एक परिवार के हैं और यह भारत की संसद है और भारत सरकार है। हम भले ही एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें लेकिन जब बाहर लिखते हैं तो कभी नहीं लिखते कि एनडीए की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है। हमेशा लिखा जाता है कि भारत की सरकार है और इसकी हैसियत से भारत की जनता की जो भावना है, उसकी भावना का प्रतिनिधित्व करना संसद का काम है। जो रिजोल्यूशन संसद की तरफ से रखा है जिसको हम सब सर्वसम्मति से स्वीकार कर रहे हैं, यह भारत की जनता की भावना है। कहने की आवश्यकता नहीं है, यह कोई सरकार का नहीं है, किसी का नहीं है। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जहां हमें अपने राष्ट्र की चिंता है और हमें कहने में कोई आपत्ति नहीं है तथा मैंने कल भी कहा था कि मैं इसको युद्ध नहीं मानता हूं। यह एक तरफ से थोपा हुआ हमला है और इसीलिए हमें चिंता है। यूएनओ या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में सब साथियों ने कहा। पूरा देश, पूरा संसार कह रहा है कि यूएनओ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इराक के पास से आज तक कोई कैमिकल वैपन्स नहीं पाया गया। सारा का सारा सद्दाम का मकान, सब कुछ धवस्त हो गया है अभी तक कोई कैमीकल वैपन्स वगैरह कुछ नहीं मिला है। मैं कुछ चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उसको रिकार्ड पर लाया जाए। दुनियाभर की आबादी में अमेरिकी लोगों का प्रतिशत कितना है, छह प्रतिशत। दुनिया भर की कुल सम्पदा में अमेरिका का हिस्सा कितना प्रतिशत है, पचास प्रतिशत। किस देश के पास सबसे अधिक तेल भंडार है? सउदी अरब। दुनिया भर में तेल भंडार में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, इराक। दुनिया भर मे हर साल सैन्य बजट पर कितना खर्च किया जाता है, 900 अरब डॉलर से ज्यादा (लगभग पैंतालिस हजार अरब रुपये) इस सैन्य बजट में अमेरिका का योगदान कितना है, 50 फीसदी। 45000 करोड़ रुपये में से 22500 और 22500 अरब रुपया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, अमेरिका अपने सैन्य बजट का दस प्रतिशत हिस्सा खर्च कर दे तो दुनिया भर में आम लोगों को जिंदगी की मूलभूत सुविधाएं रोटी, कपड़ा और रहने के लिए मकान हासिल हो सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक कितने लोग युद्ध में मारे गए हैं, 8 करोड़ 60 लाख (86 मिलियन)। इराक के पास कितने समय से रासायनिक और जैविक हथियार हैं, 1980 के दशक की शुरूआत से। क्या इराक ने ये रासायनिक और जैविक हथियार खुद तैयार किए हैं, नहीं, सामान और तकनीक अमेरिकी सरकार ने मुहैया कराई, इसमें ब्रिटेन और कुछ निजी कारपोरेशन की भूमिका भी रही। क्या अमेरिका सरकार ने इराक की उस कार्यवाई की भर्त्सना की थी जिसमें ईरान के साथ लड़ाई में इराक ने जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया था, नहीं। कुर्दिश शहर हलबजा में 1988 के दौरान सद्दाम हुसैन ने जहरीली गैस का इस्तेमाल करके कितने लोगों को मार डाला था, 5000। उस वक्त कितने पश्चिमी देशों ने इस कार्यवाही की निंदा की थी, किसी न नहीं। वियतनाम में अमेरिका ने कितने गैलन 'एजेंट ऑरिंज' का इस्तेमाल किया था, एक करोड़ 70 लाख गैलन। क्या अमेरिका में 11 सितंबर को हुए आतंकवादी हमले और इराक में कोई संबंध है, नहीं। यह लड़ाई किस बात की है, यह लड़ाई तेल की है और मैंने सुबह भी कहा था कि सद्दाम हुसैन तो एक बहाना है। असली निशाना तेल है और अमरीका और

[श्री राम विलास पासवान]

ब्रिटेन के बीच में तेल के लिए हिस्सेदारी बंट गई है और समय आएगा तो इसका पता सबको लग जाएगा। खाड़ी युद्ध के दौरान कितने निर्दोष नागरिक मारे गए थे, तकरीबन 35,000। खाड़ी युद्ध के दौरान इराकी सेना ने पश्चिमी देशों की सेना को कितना नुकसान पहुंचाया था, कुछ भी नहीं। मोर्चे से भाग रहे कितने इराकी सैनिकों को अमेरिकी टैंकों ने जमीन में जिंदा दफन कर दिया था, 6000। खाड़ी युद्ध के बाद इराक और कुवैत में कितना टन खाली (बिना इस्तेमाल) यूरेनियम बचा था, 40 टन से ज्यादा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1991 और 1994 के दौरान इराक में कैंसर के मामले में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 700 प्रतिशत।

1991 के बाद अमेरिका ने कितने प्रतिशत इराकी सेना को तहस-नहस करने का दावा किया था, 80 प्रतिशत। क्या इस बात को कोई सबूत है कि इराक ने अपने हथियारों को इस्तेमाल अपनी आत्मरक्षा के बदले किसी दूसरे मकसद के लिए किया है, नहीं। क्या दस साल पहले की तुलना में दुनिया भर में शांति स्थापना के लिए इराक मौजूदा स्थिति में ज्यादा खतरनाक साबित हो गया है, नहीं। 2003 में इराक पर होने वाले हमले के पहले पेंटागन ने कितने नागरिकों के मारे जाने की आशंका जताई थी, 10,000। इनमें बच्चों की संख्या कितनी होगी, 50 प्रतिशत से अधिक। अमेरिका पिछले कितने वर्षों से इराक पर हवाई हमले कर रहा है, 11 साल से। क्या अमेरिका और ब्रिटेन दिसंबर 1998 और सितंबर 1999 के दौरान इराक के साथ होने वाले संघर्ष में साथ-साथ थे, नहीं।

**अध्यक्ष महोदय :** आपका समय पूरा हो गया है, कृपया समाप्त करें।

**श्री राम विलास पासवान :** मैं प्रश्न और जवाब पढ़ रहा हूं। ये इंटरनेट पर भी आए हैं। मैं जितनी देर भाषण देता हूं, उससे भी कम समय में यह पढ़ देता हूं। दिसंबर 1998 और सितंबर 1999 के दौरान इराक पर कितने पाउंड विस्फोटक गिराया गया, 2 करोड़ पाउंड। कितने साल पूर्व संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 661 के तहत इराक पर आयात और निर्यात संबंधी प्रतिबंध लगा दिया गया था, 12 साल। 1989 में इराक में शिशु मृत्यु दर कितनी थी (प्रति 1000 जन्म), 38। 1999 में इराक में एक अनुमान के मुताबिक शिशु मृत्यु दर कितनी थी (प्रति 1000 जन्म), 131 (करीब 345 फीसदी की वृद्धि)। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध के बाद अक्टूबर 1999 तक कितने इराकी मारे जा चुके हैं, 10 लाख 50 हजार। 1997 से अब तक इन प्रतिबंधों के कारण कितने इराकी बच्चे मर चुके हैं, 7,50,000। क्या सद्दाम हुसैन ने निरीक्षकों को इराक से बाहर जाने का आदेश दिया था, नहीं। नवंबर और दिसंबर 1998 के दौरान कितने निरीक्षक इराक में मौजूद थे, 300। इनमें से कितने निरीक्षकों को किसी प्रकार की दिक्कतें झेलनी पड़ी। पांच। क्या इन हथियार निरीक्षकों को बाथ पार्टी (सद्दाम हुसैन की पार्टी) के मुख्यालय जाकर छानबीन करने की इजाजत थी, हां। किसने कहा था कि दिसंबर 1998 तक इराक असल में पूरी तरह से हथियार विहीन हो जाएगा जो आधुनिक इतिहास की एक अविस्मरणीय घटना होगी, स्कॉट रिटर, यू.एन. एसकाम प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों ने 1991 के बाद 1998 में इराक की कितनी प्रतिशक संहारक आयुध क्षमता का पता लगाने और उसे नष्ट करने का दावा किया था, 90 फीसदी। क्या इराक फिर से हथियार निरीक्षकों को आने देने की अनुमति देने का इच्छुक है, हां। 1992 तक संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रस्तावों का इस्राइल उल्लंघन कर चुका है, 65 से ज्यादा। 1972 और 1990 के दौरान इस्राइल से संबंधित कितने संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों में अमेरिका वीटो का इस्तमाल कर चुका है, 30 से ज्यादा। कितने देशों के पास आधिकारिक रूप से आणविक हथियार हैं, आठ। इराक के पास कितने आणविक हथियार हैं, शून्य। अमेरिका के पास कितने आणविक हथियार हैं, 10,000 से ज्यादा। अब तक किस देश ने आणविक हथियारों का इस्तेमाल किया है, अमेरिका। इस्राइल के पास कितने आणविक हथियार हैं, 400 से ज्यादा।

यह सारा का सारा रिकार्ड है जो इस बात को साबित करता है कि अमेरिका एग्रेसर है और उसने हमला किया है। हमें इस बात की खुशी है कि आपके नेतृत्व में यह प्रस्ताव पास हो रहा है। यह जो हमला हो रहा है, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। हम रोज पाकिस्तान को धमकी देते हैं और पाकिस्तान भी हमें रोज धमकी देता है। हम उसको कहते हैं कि हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। उसी तरह से पाकिस्तान भी हमें कहता है कि वह हमें नेस्तनाबूद कर देगा। पाकिस्तान से हमारा झगड़ा कैसे शुरू हुआ, पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां से झगड़ा शुरू हुआ है। आज बांग्लादेश भी हमारा मित्र राष्ट्र नहीं रहा है। मैं विदेश मंत्री जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हम अमेरिका के प्रभाव को रोकना चाहते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए, पाकिस्तान को प्रयास करना चाहिए, बांग्लादेश को प्रयास करना चाहिए, नेपाल को प्रयास करना चाहिए, भूटान और श्रीलंका को भी प्रयास करना चाहिए। जितने भी हमारे पड़ौसी राष्ट्र हैं, सबको मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, एक ऐसा महासंघ बनाने की बात करनी चाहिए, जिससे अमेरिका की घुसपैठ यहां कम हो और उसकी दादागिरी न चले। किसी भी देश के अंदर दुश्मन तब हमला करता है जब देश में वैमनस्य रहता है।

हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जिससे देश में रहने वाले लोगों के मन में किसी तरह का वैमनस्य पैदा हो। भारत एक बगीचा है। उसमें हर तरह के फूल हैं। उसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिन्दू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और दलित भी हैं। बगीचे का वही माली अच्छा होता है, जो बगीचे में हर तरह के फूल खिलाता है। अगर कमल का फूल ही खिले और बाकी सब मुरझा जाएं तो उस बगीचे का माली बेईमान होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें युद्ध की निंदा करनी चाहिए और हम निंदा कर रहे हैं। इसलिए हमने नारा दिया है कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, शांति चाहिए। युद्ध को रोकना होगा, विश्व को सोचना होगा, बुश को भी झुकना होगा। युद्ध जीवन नहीं दे सकता, युद्ध जीवन लेता है।

जो भगवान बुद्ध का मैसेज था, जो महात्मा गांधी जी का मैसेज था, भारत से उस मैसेज को पूरे संसार में फैलाना चाहिए। अमेरिका की दादागिरी को बंद करने के लिए, आपने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं समझता हूं कि भारत सरकार और भारत के विदेश मंत्री जहां कहीं भी जायेंगे, इसको अक्षरक्ष: पालन करवाने का प्रयास करेंगे। यह प्रस्ताव केवल कागज पर ही नहीं रहे, यह भी हमें देखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री के. येरननायडू** (श्रीकाकुलम) : हम प्रमुख दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कृपया प्रत्येक दल को दो या तीन मिनट बोलने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्रकांत खैरे** (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष जी आपको सभी पार्टियों को दो-दो मिनट तो देने ही चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** आज जब मेरे चैम्बर में मीटिंग हुई तो डिसाइड हुआ कि इस विषय पर पूरे दिन की चर्चा की आवश्यकता नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष ने भी यही कहा है कि ऐसे विषय पर ज्यादा बहस होगी तो शायद आरोप-प्रत्यारोप हो सकते हैं। इसलिए इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से यही सुझाव था कि इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए लेकिन विपक्ष ने आग्रह किया, इसलिए यह मार्ग उसमें से हम निकाल सके कि चार-पांच लोग बोलेंगे और प्रस्ताव पारित करेंगे। इसलिए मैं सोचता हूं कि सदन में यह प्रस्ताव अच्छे वातावरण में पास होना चाहिए। हरेक को तो बोलने की इजाजत मैं नहीं दे सकता हूं। चार-पांच लोगों ने इस विषय पर भाषण किया है और आप सभी की भावनाएं इस विषय पर एक हैं, इसलिए मैं माननीय विदेश मंत्री जी को बोलने के लिए कह रहा हूं।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर) : जब आपने विषय दिया है तो सभी को बोलने की इजाजत मिलनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली) : चार-पांच लोग ही सदन के मालिक हो गये हैं क्या?...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री के. येरननायडू :** महोदय, अब आम सहमति है। जब आप इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित कर रहे हैं तो आप कृपया प्रत्येक को बोलने की अनुमति दें।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** विपक्षी दलों के नेताओं और सत्ताधारी दल के विशेष अनुरोध यह कुछ सदस्यों को बोलने की अनुमति देने पर सहमति हुई थी।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :** कोई नियम-कानून तो बोलने के लिए होना चाहिए...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** आप पहले बोल लें, मैं बाद में बोलूंगा। यह कौनसा तरीका है? आपको जितना बोलना है बोल लें, मैं बाद में बोलूंगा।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** अध्यक्ष महोदय, हम व्यवस्था का सवाल उठाएंगे। यह गलत हो रहा है।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :** सभी को मौका मिलना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** आप तो जानते हैं कि इस विषय पर बोलने का मौका जब एडजर्नमेंट मोशन था तब मैंने सभी को दिया था। मैंने कल और आज भी सभी को मौका दिया है। इसका समाधान क्या तभी होगा, जब आप बोलेंगे।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :** पार्टी के हिसाब से बोलेंगे।

**अध्यक्ष महोदय :** आपकी बात बिल्कुल गलत है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** विपक्षी दलों के बहुत से सदस्य मेरे कक्ष में आए और यह अनुरोध किया कि यह संकल्प बिना भाषणों के पारित होना चाहिए। यद्यपि विपक्षी दलों के नेताओं ने मुझसे अनुरोध किया था तथापि मैंने परंपरा से हटकर कुछ सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है। अत: मैं प्रत्येक सदस्य को इसपर बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

*(व्यवधान)*

**अपराह्न 3.00 बजे**

**श्री के. येरननायडू :** महोदय, भा.ज.पा. के बाद कांग्रेस को अपनी बारी मिलती है फिर भा.जा.पा. (मार्क्सवादी) को अपनी बारी मिलती ओर इसके बाद तेलगु देशम पार्टी को भी बोलने का अपना अवसर मिलना चाहिए। हमें बोलने का कोई अवसर नहीं मिला है। यह एक प्रतिष्ठित और सर्वसम्मत संकल्प है। आपको हमें कुछ समय देना पड़ेगा। हमने बिना किसी चर्चा के डेढ़ दिन व्यर्थ गंवाया है। अब, आप किसी भी दल को अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार सहयोग कर रही है। राजनैतिक दल सहयोग कर रहे हैं। इसपर सर्वसम्मति होनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** इसपर सरकार को क्या कहना है? क्या हमें आगे चर्चा जारी रखनी चाहिए? मुझे कोई समस्या नहीं है। यदि सरकार इसपर सहमत होती है तो मैं कुछ संसद सदस्यों को बोलने की अनुमति दे सकता हूं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया मंत्री जी की बात सुनिये।

**श्री रामदास आठवले :** महोदय, मैं रिपब्लिकन पार्टी का नेता हूं। रिपब्लिकन पार्टी रिपब्लिकन गार्ड्स का समर्थन करने जा रही है।

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय :** आप अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**विदेश मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) :** महोदय, मुझे यह ज्ञात नहीं है कि किन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया क्योंकि मैं उपस्थित नहीं था। लेकिन जैसा मेरे साथी, श्री दिग्विजय सिंह ने प्रारंभ में ही कहा था कि इस सदन की यह परंपरा रही है कि यदि अध्यक्षपीठ की ओर से कोई संकल्प आता है तो उसे बिना किसी चर्चा के स्वीकार कर लिया जाता है। अब जबकि हम चर्चा आरंभ कर चुके हैं तो मेरे विचार से यही उचित होगा कि प्रत्येक को बोलने की अनुमति दी जाए और अंत में हम इस संकल्प को पारित कर सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** यदि सरकार सहमत है तो मुझे कोई समस्या नहीं है।

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :** अध्यक्ष महोदय, क्या यह उचित है कि सरकार से पूछकर यह तय होगा कि हम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, यह सब आपका अधिकार है। यदि हमारे विपक्ष के चार नेताओं ने यह कमिट कर दिया है कि हम चारों ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, फिर मैं यह नहीं कहता हूं कि हमारे बोले बिना नहीं होगा। ये चारों नेता हमें बोल दें कि जो हम लोगों ने बोला है उसमें आपका भी हो गया तो हम मानेंगे। क्या और कैसे तय हो जाता है। यह दादागिरी के खिलाफ लड़ाई है, वहां दुनिया की दादागिरी के खिलाफ लड़ाई है, यहां की दादागिरी हम मानने वाले नहीं हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** आप बार-बार बैठते हैं और खड़े होते हैं, ऐसा कैसे होगा। आ एक बार खड़े रहें नहीं तो बैठिये, कभी खड़े रहेंगे और बैठेंगे, ऐसा कैसे चलेगा।

*[अनुवाद]*

**श्री के. येरननायडू :** अध्यक्ष महोदय, संसद लोकतन्त्र का मंदिर है। आप इस सदन के प्रमुख हैं। आपने यह संकल्प पुर:स्थापित किया है। इसलिए आज हम बहुत प्रसन्न हैं। आपने बहुत मेहनत की है। आपने सर्वसम्मति हेतु तीन बैठकें आयोजित की। मैं सरकार और सभी राजनैतिक दलों की प्रशंसा करता हूं कि वे इस संकल्प पर आपस में समझदारी और सर्वसम्मति बनाने में सफल रहे। ऐसा पहली बार हुआ है। युद्ध की घोषणा के पश्चात किसी भी लोकतान्त्रिक देश ने अपनी संसद में कोई संकल्प पारित नहीं किया है परन्तु हम इस संकल्प को पारित करने जा रहे हैं। यह हमारा दृष्टिकोण है। यह इस देश के 100 करोड़ लोगों की भावना है। प्रत्येक राजनैतिक दल ने इराक पर एकतरफा अमरीकी कार्यवाही की निंदा की है। लोगों को अपनी आवाज उठाने का कोई अवसर नहीं मिला है। यह संकल्प इस देश के लोगों की आवाज है।

यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि एक प्रतिष्ठित संगठन है, में भी हमने बहुत सी संधियां की हैं। हमने वहां बहुत से मुद्दों पर चर्चा की है और सदस्य देशों ने भी उनपर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रक्रिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उल्लंघन करते हुए अमरीका ने इराक पर एकतरफा कार्यवाही की है। यह अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इसलिए, मेरा दल युद्ध के पहले और बाद में अमरीका की इस एकतरफा कार्यवाही का विरोध करता है। अमरीका बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है। वे मानवाधिकारों, गरीबी और आर्थिक गतिविधियों पर उपदेश दे रहे हैं। वे प्रत्येक बात पर उपदेश दे रहे हैं परन्तु वे संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी मानदण्डों का उल्लंघन कर रहे हैं।

लेकिन इराक भारत का अच्छा मित्र है। यहां तक कि जम्मू और कश्मीर के मामले में भी इराकी हमेशा भारत के साथ रहे हैं। एक मुस्लिम देश होने के बावजूद भी उन्होंने भारत का समर्थन किया है। इसीलिए हम अमरीका की एकतरफा कार्यवाही के विरुद्ध इराक का समर्थन करते हैं। मैं सरकार द्वारा उदारतापूर्वक 100 करोड़ रुपये की सहायता और तेल के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत 50,000 मीट्रिक टन गेहूं देने के लिए उसकी प्रशंसा करता हूं। यदि आवश्यक हुआ तो हमें इराक को और अधिक सहायता देनी पड़ेगी। यह एक सर्वसम्मत संकल्प है।

हम सेनाओं की वापसी के लिए कह रहे हैं। इराक में जो भी पुनर्निर्माण कार्य हो, जो भी खाद्यान्न या सहायता उपलब्ध कराई जाए वह केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत दी जानी चाहिए। अत: प्रधानमंत्री जी ने भी सर्वदलीय बैठक में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि सत्ता परिवर्तन इराकियों के क्षेत्राधिकार में ही होना चाहिए न कि किसी अन्य देश के कहने से ऐसा हो। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को शासन का कार्य संभालना चाहिए। उनहें पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य संभालना चाहिए जिससे कि उस देश में लोकतंत्र आ सके।

अत: हम और मेरा दल आपके द्वारा पुर:स्थापित व सभी दलों द्वारा सर्वसम्मति से समर्पित इस संकल्प की प्रशंसा करते हैं।

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : हर पार्टी प्रमुख को मैं दो मिनट का समय दूंगा। श्री चन्द्रकांत खैरे।

**श्री चन्द्रकांत खैरे** (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं कि कल से जो माहौल बना था, उसे ठीक करने का प्रयास आपने किया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव आपने तैयार किया। मैं शिव सेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की ओर से यही कहूंगा कि जो प्रस्ताव हम यहां रख रहे हैं, जैसा मैंने आल पार्टी मीटिंग में भी कहा था कि आज इराक पर हमले का 20वां दिन है। आज हमले की वजह से वहां के बच्चे, बूढ़े और दूसरे लोगों को इतनी तकलीफ है कि वहां हजारों लोग मारे गए हैं। वहां की परिस्थिति को देखकर विश्व भर के देशों ने निन्दा की है, हमारी सरकार ने भी निन्दा का प्रस्ताव आपके माध्यम से यहां रखा है और वह सर्वसम्मति से पास हो रहा है। उसके लिए मैं सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

महोदय, अमेरिका कब तक दादागिरी करता रहेगा? बुश हमेशा 11 सितम्बर की घटना की बात करते हैं और कहते हैं कि इराक में बहुस से रासायनिक शस्त्र हैं, वहां के लोगों को सद्दाम ने मारा है, ऐसा कहकर हमला करके वह अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। सारी दुनिया कहती है कि इराक के तेल भंडारों पर अमेरिका की नजर है, लोगों के प्रति कोई सिम्पैथी वगैरह नहीं है। वह तेल के भंडारों पर कब्जा करना चाहता है। 11 सितम्बर को जब वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर हमला हुआ तो उसके बाद सारे देशों को उन्होंने एकत्रित करने की कोशिक की और यह कहा गया कि इमरजेन्सी के अगेन्स्ट, आतंकवाद के विरुद्ध, हमें एक होना चाहिए। हमने भी उस समय सद्भावना का निर्माण किया था। 11 सितम्बर का हादसा बुरा था और हम भी उसकी निन्दा करते हैं लेकिन 11 सितम्बर को जिसने आतंकवादी कार्रवाई की, उस लादेन को किसने पैदा किया? वह लादेन आज पाकिस्तान में है। लादेन को खत्म करने के लिए उन्होंने फिर ऐसी साजिशें की कि पूरी तालिबान सरकार बदल गई...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : लादेन पाकिस्तान में है, आप कैसे कह सकते हैं?

**श्री चन्द्रकांत खैरे** : जब वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर हमला हुआ तो वह अफगानिस्तान पर हमला करते हैं, लेकिन जब हमारी संसद पर हमला होता है, हमारे यहां अक्षरधाम पर हमला होता है, हमारे यहां जम्मू-कश्मीर की विधान सभा पर हमला होता है, हमारे देश में 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, तो हमारी सार्वभौमिकता पर हमला होता है। हमारे देश के नागरिक कह रहे थे कि पाकिस्तान पर हमला करो क्योंकि पाकिस्तान की मार्फत, लादेन की मार्फत, हिन्दुस्तान में एक प्रकार का माहौल खराब करने का काम हुआ है और आतंकवाद बढ़ा है। जब हमारी संसद पर हमला होने की बात आती है तो सारे हिन्दुस्तान के लोगों को ऐसा लगा कि हम पाकिस्तान पर हमला करें और हमारी फौजें

[श्री चन्द्रकांत खैरे]

भी बॉर्डर पर थीं। लेकिन अमरीका दबाव डालता गया और उसके दबाव में हम लोग आते गए। जब 11 सितम्बर को उन पर हमला हुआ तो उन्होंने उत्तर दिया और हमें कहा कि शांति रखिये। आज वही अमेरिका इराक के बारे में शांति रखने की बात नहीं करता।

मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि सौ करोड़ डालर और 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं आप सहायता के रूप में दे रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद् के माध्यम से ही वहां शांति-स्थापना होनी चाहिए और अमेरिका को अपनी फौजें वहां से हटानी चाहिए, नहीं तो अमेरिका किसी पर भी अपना वर्चस्व करने की कोशिश करेगा। उसे रोकना चाहिए और उसकी दादागिरी, मसल पावर और मनी पावर को खत्म करना चाहिए, ऐसा हमारी शिव सेना पार्टी का विचार है।

*[अनुवाद]*

**श्री के. मलयसामी** (रामनाथपुरम) : महोदय, यह परम संतोष की बात है कि पूरा सदन एकमत हुआ है और अमरीका द्वारा एक छोटे से देश इराक पर किए गए बर्बर आक्रमण की निंदा करने हेतु एक सर्वसम्मत संकल्प पारित कर रहा है। मैं विशेषरूप से इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि तमिलनाडु की विधानसभा ने भी हाल ही में ऐसा ही संकल्प पारित किया है।

महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि आज के समय में इस प्रकार का अन्यायपूर्ण, थोपा गया और जबरदस्ती वाला युद्ध इराक जैसे एक छोटे देश के विरुद्ध कैसे हो सकता है। यह कोई अतिश्योक्ति नहीं है अपितु केवल एक विवेचना है कि यदि मैं कहूं कि किसी जगह का कोई दादा शहर के बीचोंबीच दिन-दहाड़े बहुत से लोगों की उपस्थिति में एक छोटे से लड़के को पीट रहा है। प्रत्येक व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप करना चाहता है परन्तु वे सब इस भय से शांत हैं कि यदि वे ऐसा करेंगे तो उनकी भी पिटाई होगी। विश्व में भी यही स्थिति है। मुझे यह देखकर खेद होता है कि पूरा संसार बिना विरोध के इस अन्यायपूर्ण युद्ध को देख रहा था। लेकिन अन्ततः हमारे देश भारत ने अपनी तटस्थता और अपनी गुटनिरपेक्ष नीति के चलते इसकी निंदा करने हेतु एक विशेष संकल्प रखा है और पूरी दुनिया से यह कहा है कि यहां एक देश ऐसा है जो अपनी संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित संकल्प के माध्यम से यह कहने में सक्षम हुआ है कि आक्रमणकारी गलत कार्य कर रहा है। इस प्रकार के आक्रमण के बहुत से निहितार्थ हो सकते हैं। जहां तक मैं देख सकता हूं, यह कोई छोटा मसला नहीं है। दूसरी ओर अमरीका द्वारा ऐसा करने के पीछे उनकी छिपी हुई मंशा है। वस्तुतः, मुझे यह पढ़कर आश्चर्य हुआ कि इस युद्ध के पीछे अमरीका के एक या दो उद्देश्य नहीं हैं। दूसरी ओर उनके तीन लक्ष्य हैं। अमरीका दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल भंडार पर नियंत्रण करना चाहता है। यह उनका पहला उद्देश्य है।

अमरीका का दूसरा उद्देश्य यह है कि वह अपने वर्तमान सहयोगी साऊदी अरब पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है जो अमरीका-विरोधी आतंकवादी संगठनों का आधार बन गया है। वह ऐसे देशों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है।

तीसरा, श्री बुश कुछ राष्ट्रों को सैनिक संदेश देना चाहते हैं कि जो भी देश विश्व में आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देगा, उसे सबक सिखाया जाएगा। इन तीन मुख्य उद्देश्यों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र इस तरह के युद्ध का षड्यंत्र रच रहा है।

अंत में, एक संकल्प पारित किया गया है। संसद अथवा सरकार को संकल्प पारित करके एक तरफ नहीं हो जाना चाहिए। भारत सरकार को तत्काल युद्ध रोकने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए, मैं यहां 'युक्ति' शब्द का भी प्रयोग कर रहा हूं।..*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

**श्री के. मलयसामी** : इसका, अमरीकी सेना तथा गठबंधन सेना को तत्काल वापस बुला लेना चाहिए।

तीसरा, सुख और शांति बहाल करना महत्वपूर्ण है..*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री आदि शंकर, आप अपना भाषण शुरू कर सकते हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री आदि शंकर के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**श्री आदि शंकर** (कुड्डालोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह संकल्प प्रस्तुत किया था। हम द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डी.एम.

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के.) दल के सदस्य संतुष्ट ही नहीं अपितु बहुत प्रसन्न भी हैं। हमारा दल, द्रमुक इस संकल्प का समर्थन करता है।

भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे दल, द्रमुक ने सर्वदलीय बैठकों में सदैव अमरीका की सैनिक कार्यवाहियों की निंदा करते हुए अपने विचार व्यक्त किए है। हमारे नेता कालैंगर करुणानिधि ने अमरीका और संयुक्त राष्ट्र दोनों की सैनिक कार्यवाहियों की निंदा की थी।

महोदय, यह युद्ध इराक पर मात्र आक्रमण नहीं अपितु निर्दोष लोगों, मानवता, अन्य देशों की प्रभुसत्ता पर आक्रमण है। हमारे नेता कालैंगर करुणानिधि ने एक प्रैस वक्तव्य जारी किया जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सरकार को इराक के निर्दोष लोगों की रक्षा हेतु तत्काल अपनी सेना वापस बुला लेनी चाहिए। कालैंगर डा. करुणानिधि एक नेता हैं जिन्होंने यह कहकर अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त किए कि संयुक्त राष्ट्र सरकार को इराक की निर्दोष जनता की रक्षा हेतु तत्काल अपनी सेना वापस बुला लेनी चाहिए। यह इक्कीसवीं शताब्दी में असभ्य आक्रमण है।

हमने कुछ सुझावों के साथ एक संकल्प पारित किया है :-

1. गठबंधन सेना को इराक से वापस बुला लेना चाहिए;

2. संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को तैनात किया जाए;

3. पुनर्निर्माण कार्य संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षण में होना चाहिए; और

4. इराक की संप्रभुता को बहाल किया जाना चाहिए।

इन सुझावों के आधार पर मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। हमारा दल, द्रमुक इस संकल्प का समर्थन करता है।

*[हिन्दी]*

**श्री राशिद अलवी** (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इस रैजोल्यूशन का मुकम्मल तौर से सपोर्ट करता हूं।

दुनिया के हालात बहुत नाजूक हैं, वक्त बहुत नाजुक है, खौफो हिरास का माहौल पूरी दुनिया के अन्दर फैला हुआ है और परेशानी की बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और इराक को तबाहो-बर्बाद कर देना चाहता है। इससे भी ज्यादा तशवीश की बात, सोचने की बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस, जिसे पूरी दुनिया ने इसलिए बनाया था कि दुनिया के अन्दर अमन और शान्ति बरकरार रखेगा। आज उस यूनाइटेड नेशंस के मकसद की धज्जियां उड़ा दी गईं। अमेरिका ने पूरी दुनिया से कहा है कि अगर पूरी दुनिया भी मेरी मुखालफत करेगी और यूनाइटेड नेशंस भी अगर मेरी मुखालफत करेगा, तब भी मैं इराक पर हमला करूंगा। यह वही अमेरिका है, जिसने इस्राइल में न जाने कितने यूनाइटिड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं, जिनको कम्पलाई नहीं किया है, अमेरिका खामोश बैठा रहा। यासिर अराफात को उसी के घर में कैद कर दिया गया, इज्राइल के फौजियों ने कर दिया, अमेरिका खामोश बैठा रहा और आज वही अमेरिका यह कहकर कि इराक के पास बहुत खतरनाक हथियार हैं, इराक के अन्दर डेमोक्रेसी नहीं है, उन मुल्कों की तरफ से, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी का नामो-निशान नहीं है, वह इराक को तबाह कर देना चाहता है। आज एक सबसे खतरनाक बात यह है कि जो मूवमेंट पूरी दुनिया में चल रहा था कि खतरनाक हथियारों की दौड़ को खत्म कर दिया जाये और अमेरिका ने इसीलिए जब हमने पोकरण में परमाणु टैस्ट किया तो हमारे ऊपर पाबन्दियां लगा दी गई। हमारे फॉरेन मिनिस्टर को मालूम होगा कि रशिया की पार्लियामेंट के अन्दर जब यह रैजोल्यूशन अभी आया कि खतरनाक हथियारों की दौड़ में हमें खतरनाक हथियारों को हमें खत्म कर देना चाहिए तो रशियन पार्लियामेंट ने इसे मानने से इंकार कर दिया। रशियन पार्लियामेंट ने कहा कि ऐसे हालात के अन्दर, जहां अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है, अगर हम अपने हथियारों को खत्म कर देंगे तो आने वाले कल अमेरिका क्या कदम उठाएगा, यह बात कोई नहीं जानता। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अमेरिका का अगला निशाना सीरिया और ईरान हो सकता है और उसके बाद हिन्दुस्तान हो सकता है। जिस तरीके की जुबान अमेरिका ने कल बोली है या जिस तरह की जुबान पाकिस्तान ने बोली है, यह एक बहुत खतरनाक परिस्थिति हमारे लिए पैदा हो गई है। मैं इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि आज इन हालात के अन्दर सिर्फ कण्डेम कर देना ही काफी नहीं है।

हम कुछ भी रेजोलूशन पास करें, हमारा जमीर जरूर मुतमईन हो जायेगा कि हमने अमेरिका को कंडम किया लेकिन हालात के मुताबिक यह काफी नहीं है। अमेरिका की दादागिरी से अगर लड़ना है, आज पूरी दुनिया का बैलेंस खराब हो गया है, रूस की ताकत खत्म हो गयी है। अमेरिका अकेला ताकतवर मुल्क रह गया है। वह अपनी ताकत की बुनियाद पर इस तरीके के इकदामाद कर रहा है।

मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि आज से ज्यादा मुनासिब मौका यह कहने के लिए कभी नहीं आयेगा कि आज तमाम राजनैतिक

[श्री राशिद अलवी]

दलों को, सरकार को यह तैहिया करना चाहिए, इराक और अमेरिका की लड़ाई से यह सबक लेना चाहिए कि हम हिन्दुस्तान के अंदर आवाम में आपस में दोस्ती पैदा करेंगे, नफरत की आंधी नहीं पैदा करेंगे। इस धरती के अंदर वह सब कुछ मौजूद है जिससे हिन्दुस्तान दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बन सकता है। अगर इस लड़ाई से कुछ सबक लेना है तो यह सबक लेना पड़ेगा कि हम अपने मुल्क में इतनी ताकत पैदा कर दें कि कल को अगर यह पार्लियामेंट कोई रेजोलूशन पास करे तो अमेरिका के लिए उस रेजोलूशन को मानना मजबूरी हो जाये। यह दुनिया सिर्फ ताकत की जुबान जानती है। कमजोर इंसारन की कोई इज्जत नहीं करता, कमजोर मुल्क की कोई इज्जत नहीं करता, कमजोर कौम की कोई इज्जत नहीं करता। हमें अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए। आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत यही है। मैं इस रेजोलूशन का पूरे तौर से सपोर्ट करता हूं।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, संसद द्वारा यदि कोई सर्वसम्मत प्रस्ताव पास नहीं होता तो संसद से चूक हो जाती। इस चूक को आपने अपनी क्षमता से बचाने का प्रयत्न किया है। हिन्दुस्तान की जन आकांक्षा का प्रतीक संसद, जो इस देश का दर्पण है, जनता की आकांक्षा का रूप जब तक यहां नहीं आयेगा तब तक संसद की चूक कही जाती। सरकार प्रस्ताव का नाम सुनकर भाग रही थी। एक बार नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मलेशिया में हो रहा था, उस समय कहा गया कि हम बंधन में पड़ जायेंगे इसीलिए सर्वसम्मत प्रस्ताव ठीक नहीं है। यहां प्रस्ताव के शब्दों के बंधन में नहीं पड़ना चाहते इसलिए सरकार को फ्री छोड़ दिया जाये। सरकार को हमने फ्री छोड़ दिया था। प्रधान मंत्री के साथ बैठक हुई, उसमें भी लोग प्रस्ताव से भाग रहे थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमने फ्री छोड़ दिया था तभी इराक विध्वंस हो रहा है। अब अमेरिका हिटलर की राह पर चला गया। युद्ध रोका नहीं जा सका। यह विफलता किसकी है, यह इतिहास बतायेगा।

मैं कहना चाहता हूं कि पहले तीन ध्रुव थे। एक अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा नॉन अलाइनमेंट का था। सबसे पहले रूस का ध्रुव खत्म हो गया तो दो ध्रुव बच जाने चाहिए। यह नॉ अलाइनमेंट वाला ध्रुव कैसे खत्म हो गया? हमारा कहना है कि तीन ध्रुवों में एक ध्रुव खत्म हो गया तो बाकी दो ध्रुव बचने चाहिए। दो ध्रुव में एक ध्रुव का नेता हिन्दुस्तान था। लेकिन सरकार में इच्छाशक्ति नहीं है कि अमेरिका वाला यदि एक ध्रुव बच गया तो बाकी देशों को मिलाकर दूसरा ध्रुव जो पहले से था, उसे मजबूत और कायम रखना चाहिए। यह फार्मूला हमें समझ में नहीं आता। डिप्लोमेसी के नाम से यह सरकार कंडम करने से इतना भाग रही है। अमेरिकी हमले के बारे में सारी दुनिया के लोग घोर निंदा कर रहे हैं, घोर भर्त्सना कर रहे हैं। अमेरिका हिटलर की राह पर जा रहा है। हम चाहते हैं कि तुरंत युद्धबंदी हो, अमेरिका की सेना की वापसी हो और इराक का पुनर्निर्माण हो, इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। हम लोगों ने जो भावना व्यक्त की है, लोग कहते भी हैं कि हम लोग रेजोलूशन पास कर देंगे तो क्या अमेरिका मानेगा? जब अमेरिका ने यू.एन.ओ. की धज्जियां उड़ा दी तो हिन्दुस्तान के पार्लियामेंट का रेजोलूशन वह माने या न माने, लेकिन हमारी जो जन आकांक्षा है, वह यह है कि हमको बोलकर लड़ना चाहिए। हम बोलने से भी पीछे जा रहे हैं। हम चुप रहेंगे तो क्या अमेरिका बदमाशी करने से बाज आयेगा? यह भ्रम है इसलिए वाजिब बोलना चाहिए तभी दुनिया का कमजोर मुल्क आपकी पीठ पर खड़ा होगा। अमेरिका वहां जुल्म कर रहा है और आप उसके बारे में बोल नहीं भी रहे हैं। इससे आपके पीछे कैसे कोई खड़ा होगा। इसलिए आपकी इच्छाशक्ति कमजोर है और इस इच्छाशक्ति में हिन्दुस्तान जो चूक कर रहा है, ऐसे मामलों में जब दुनिया के बाकी खेमों में नेतागिरी का समय आया, सभी कमजोर मुल्क जो डैमोक्रेसी में विश्वास करते हैं और अमरीका का यह कहना कि हम सद्दाम को मारेंगे, उनके बाल-बच्चों को मारेंगे और हम उनको डिजार्म करेंगे। अमरीका जो खुद अपने हथियारों का सौदागर है, वह दूसरों को डिजार्म करने चला है। यह भारी पाखंड है और यह दोहरा मापदंड है। वही अमरीका पाकिस्तान में मिलिट्री रूल को समर्थन करता है और कहता हे कि हम डैमोक्रेसी के पक्षधर हैं। इसीलिए अमरीका के पाखंड से हिन्दुस्तान को सावधान रहना है और अमरीका के खिलाफ दुनिया के मुल्कों को एकजुट करना चाहिए। हिन्दुस्तान की विदेश नीति को पहल करनी चाहिए और हिन्दुस्तान की जनाकांक्षा के मुताबिक यह होना चाहिए। इस तरह से नहीं होगा कि शब्दों के जंजाल में पड़े रहें। सारी दुनिया के लोग अमरीका द्वारा इराक पर हमले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। अमरीका में भी लोग युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ब्रिटेन में मंत्री ने वहां की सरकार के खिलाफ त्यागपत्र दिया है और सब जगह हंगामा उठ खड़ा हुआ है तथा यहां की जनता भी सड़कों पर उतर आई हे लेकिन सरकार मौन बैठी थी और सदन भी चूक कर रहा था। पहले इस पर बहस हुई थी लेकिन सर्वसम्मत प्रस्ताव जाने से यह संदेश जाता है कि अब अमरीका की दादागिरी नहीं चलेगी। दुनिया से साम्प्रदायिकता हटाओ और देश बचाओ, इस लाइन पर सबको चलना पड़ेगा नहीं तो देश पर बड़ा भारी खतरा

आने वाला है और उसकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। हिटलरशाही नहीं चलेगी। इस हिसाब से हिन्दुस्तान की जनता एकजुट है और हम सरकार को ताकत दे रहे हैं लेकिन इस सरकार से मैं अपेक्षा नहीं कर पाता। जब बोलने में जिनको कठिनाई हो रही है और बार-बार कहां-कहां जाकर पूछते हैं, कभी एम्बैसी से जाकर बातचीत करते हैं, कहां-कहां जाकर पूछते हैं, टोनी ब्लेयर से बातचीत करने में कहां-कहां जाकर पूछते हैं। कभी रात में विचार होता है और सुबह में विचार होता है। फिर वहां जाकर पूछकर आते हैं। यह क्या सरकार है? कैसे इतने बड़े संकट से मुकाबला करेंगे और दुनिया को कैसे बचाएंगे? इसीलिए हमें आशंका है।

डिप्लोमैसी का मतलब क्या यह है कि कुछ नहीं बोलिए, मौन होकर बैठे रहिए। दुनिया में चाहे जो कुछ हो जाए, जो कुछ अन्याय हो जाए। कौन किसी को मार रहा है, कुछ मत बोलिए। लोग अलग से बोलते हैं कि हमला बंद करो लेकिन यह भी नहीं कर पाए लेकिन चूक हो गई है। दुनिया को नहीं बचा सके। चर्चा भी नहीं होने दी।

मुझे बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ? इसीलिए बर्बादी की तरफ जो दुनिया है, हमें अपनी पूरी ताकत से उस बर्बादी को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। जो हिटलरशाही नयी पैदा हुई है, 'यह देश हुआ अंगार है, हिटलरशाही जल जाएगी, मानवता की काली बिंदी छार-छार हो जाएगी।' इन्हीं शब्दों के साथ मैं अमरीकी हमले की घोर भर्त्सना करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि वहां से गठबंधन सेनाओं की वापसी हो, इराक का पुनर्निर्माण हो और पंचशील का जो सिद्धांत था और डा. राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि विश्व संसद बने, इसके लिए हिन्दुस्तान को पहल करनी चाहिए। विश्व संसद बने, यूएनओ अभी खत्म होने जा रही है, इसलिए विश्व संसद बनाने की तरफ सरकार को पहल करनी चाहिए और जनता से ताकत मिलनी चाहिए।

*[अनुवाद]*

**श्री पूर्णो ए. संगमा** (तुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब युद्ध लगभग समाप्त होने वाला है और सत्तारूढ़ दल तथा विपक्षी दलों द्वारा सहमति प्राप्त प्रारूप संकल्प अध्यक्षपीठ द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है। मैं युद्ध में औचित्य अथवा अनौचित्य के ब्यौरे की गहराई में नहीं जाऊंगा। मैं केवल चार बातें कहूंगा। यह अच्छा है कि हम इस युद्ध से सबक लें। मैंने ध्यानपूर्वक युद्ध की कार्यवाही देखी है और मैं चार क्षेत्रों के बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं।

पहली बात यह है कि युद्ध नैतिकता के लिए नहीं है। मेरे विचार से यह स्पष्ट है। यह स्पष्ट रूप से एक देश में राष्ट्रीय हित के लिए है। मेरे विचार से आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं। अन्यथा, इस युद्ध में इस्लामी देशों में विचारों में मतभेद नहीं होता।

**अपराह्न 3.30 बजे**

[**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*]

मेरे विचार से मैं यह बात कहना चाहता हूं ताकि हम इसे याद रखें।

दूसरी बात यह है कि युद्ध देश के वाणिज्यिक हित के लिए है। यह पूर्णत: वाणिज्यिक है। इससे पहले वक्ता ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा इराक पर हमला करने के इरादे के बारे में यह बात कही। यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है और मैं इस बात से सहमत हूं कि युद्ध देश के वाणिज्यिक हितों के अलावा कुछ भी नहीं है।

युद्ध शुरू होने से पहले फ्रांस, जर्मनी और रूस ने क्या निर्णय लिया था और अब उन्होंने क्या निर्णय लिया है? मेरे विचार से हमें ध्यानपूर्वक यह देखना चाहिए। फ्रांस, जर्मनी और रूस अब क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध का विरोध किया था अब उन्होंने यहां तक कह दिया कि, ''अमरीका का मनमुटाव अच्छे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के हित में नहीं है।'' राष्ट्रपति पुतिन ने यही कहा है।

तीसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की अक्षमता तथा विफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। संयुक्त राष्ट्र विफल रहा और मेरे विचार से इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए।

हमारे रक्षा विशेषज्ञ, श्री के. सुब्रह्मणयम ने टिप्पणी की है कि नि:संदेह सुंयुक्त राष्ट्र की प्रणाली शासनहीन है। उन्होंने 'शासनहीन' शब्द का प्रयोग किया है। भारत उन देशों में से है जिन्होंने समग्र संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के पुनर्गठन की जोरदार वकालत की है ताकि यह अधिक लोकतांत्रिक बन सके और अधिक प्रतिनिधित्व कर सके। मेरे विचार से इराक युद्ध के इस अनुभव के बाद भारत को इस मामले पर कार्यवाही करनी चाहिए। मैं यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं।

चौथा सबक हमें इस युद्ध के तरीके से लेना चाहिए। मेरे विचार से श्री रेड्डी ने यह बात कही है। समग्र इराक युद्ध में उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हुआ है। हमें अपनी रक्षा प्रणाली को देखने की आवश्यकता

[श्री पूर्णो ए. संगमा]

है। यदि भावी युद्ध में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है तो क्या हम उसका सामना करने के लिए उतने आधुनिक हैं? क्या भारतीय रक्षा प्रणाली इतनी आधुनिक है? मेरे विचार से यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

एक बात कहते हुए मुझे खेद है। मैंने पिछले वर्ष के बजट में देखा कि रक्षा मंत्रालय 6500 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाया। अर्थात् रक्षा के लिए आवंटित बजट का 30 प्रतिशत खर्च नहीं हुआ। मैं इस माह की 4 तारीख के ''दि टाइम्स ऑफ इंडिया'' में एक लेख पढ़ रहा था.....मैं उस सज्जन का नाम भूल गया...*(व्यवधान)* ठीक है, महोदय। समय की कमी के कारण मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा।

भारत को रक्षा क्षेत्र में स्वाचालित और वायु रक्षा तोप तथा रात्रि में लड़ने की क्षमता का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है।

भारत को हेलीकॉप्टर पर हमला करने, निरीक्षण रडॉर, पूर्व चेतावनी उपकरण, इलैक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली आदि के क्षेत्रों को आधुनिक किए जाने की आवश्यकता है और विशेषरुप से जब हमारा पड़ोसी देश आतंकवादी हो। हम नहीं जानते कि क्या होगा और कब होगा।

अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र शायद इराक में युद्ध में जीत जाए। अमरीकियों को यह समझना चाहिए कि इराक में युद्ध जीतने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण शांति जीतना है।

मेरे विचार मे एक राष्ट्र के रूप में हमें ऐसे मामलों पर जल्दबाजी में निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। इस पर पहले काफी चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। यह मेरी भावना है। यदि आप 1956 का इतिहास देखेंगे जब सोवियत संघ की सेना ने हंगरी पर आक्रमण किया था और वहां इमरे नेगे की सरकार बदल दी, हमने सोवियत संघ की निंदा नहीं की। हमने सोवियत संघ की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के संकल्प के विरुद्ध मतदान किया। वर्ष 1968 में जब सोवियत संघ ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया और एलैक्जेंडर डूबैक की सरकार को बदल दिया तो हमने सोवियत संघ की निंदा नहीं की। 1980 में भी जब सोवियत संघ की फौजें अफगानिस्तान में घुस गई तो हमने इस तथ्य के बावजूद भी भारत की संसद अफगानिस्तान में सोवियत संघ की कार्यवाही के बारे में गंभीर है, उनकी निंदा नहीं की। इस सबके बावजूद भारत सरकार ने इनकी निंदा करने से मना कर दिया। मैं उन दिनों भारत सरकार में था। अत:, मैं कहना चाहता हूं कि युद्ध में कोई नैतिकता नहीं है। इसमें केवल राष्ट्रीय हित और वाणिज्यिक हित सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

**श्रीमती कृष्णा बोस** (जादवपुन) : सभापति महोदय, मैं इराक संकट पर आज दोपहर अध्यक्षपीठ द्वारा प्रस्तुत किये गए संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। भारत ने सदैव अतंर्राष्ट्रीय समुदाय को नैतिक नेतृत्व प्रदान किया है। मेरे विचार से अध्यक्षपीठ द्वारा आज लाए गए संकल्प से हमें इस नैतिक नेतृत्व को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। वास्तव में यह नैतिक नेतृत्व, उदाहरण के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रारम्भ के दिनों में भी था जबकि हम आर्थिक और सैन्य रूप से शक्तिशाली नहीं थे। आज हमारी स्थिति बेहतर है। आज हम सैन्य और आर्थिक रूप से काफी शक्तिशाली हैं।

जब से इराक संकट शुरू हुआ है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र या कहीं और भी सभी उचित बातें कही है कि अतंर्राष्ट्रीय संकट के समय हमें बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिये न कि एकपक्षीय सैन्य दृष्टिकोण। हमने बार-बार यह बात कही है। जो हमने कहा है उसे आज का यह संकल्प और सुदृढ़ करेगा। आपमें से जो मेरे समकालीन हैं वे जानते हैं कि उपनिवेशवाद के समय में रहना क्या होता था। हम औपनिवेशिक युग में रहे है। हमें उस अपमान के बारे में पता है। उन दिनों ब्रिटिश ताकतें अपने साम्राज्य के लिए हमारे सैनिकों का इस्तेमाल करती थीं। 1915-16 में मैसोपोटामिया के युद्ध में ब्रिटिश नेतृत्व में भारतीय सैनिक बगदाद गये थे और तब आज के इराक का निर्माण हुआ था।

अब, बहुत वर्षों से हम एक स्वतंत्र देश हैं। हमें देखकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम ऐसी किसी भी घटना को मौन स्वीकृति न दें जो कि एशिया के किसी भी देश में फिर से नव औपनिवेशिक शासन को लौटाए। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना या ब्रिटेन के राजा के प्रति भारतीय सैनिकों की वापसी को भारत राष्ट्र के प्रति वफादारी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया, इससे पहले ब्रिटेन द्वारा हमारे सैनिकों का इस्तेमाल किया जाता था।

अत:, यह याद रखते हुए हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिससे किसी भी पड़ोसी देश में उपनिवेशवाद वापिस आए।

महोदय, हमारे कवि और दर्शनशास्त्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1932 में इराक की यात्रा की । उन्हों एक बहुत ही अच्छी पुस्तक 'परस्ये' लिखी। अब इराक पर हो रहे भयानक युद्ध के दौरान जब बामबारी

के दृश्य मैंने दूरदर्शन पर देखे तो उस पुस्तक में लिखी कतिपय बातें मेरे दिमाग में आयी। 1932 में जब रविन्द्रनाथ टैगोर टिगारिस नदी पर बने लकड़ी के पुल की तरफ बगदाद में कहीं रह रहे थे तब भी एक इराकी गांव पर भयानक बमबारी हो रही थी। उन दिनों यह एक नयी बात थी, जब उनसे हवाई बमबारी पर टिप्पणी करने को कहा गया तो उन्होंने यह कहा :

> ''प्रारम्भ के दिनों से ही मनुष्य ने हवा से बहुत ऊपर ऊंचे आकाश में दैवी शक्ति के अस्तित्वमान होने की कल्पना की है जहां से रोशनी आती है और धरती के प्रत्येक जीवन की सांस चलती है। यदि किसी बुरी घड़ी में मनुष्य अपने इतिहास के काले पंखों से उस दैनिक कल्पना लोक पर उतरा तो उसे अपवित्र करने के कारण हमें अवश्य ही उस ईश्वर का शाप लगेगा, और तब मनुष्य के लोक पर एक आखिरी परदा फैल जाएगा, जिसके लिए ईश्वर को शर्मिन्दा होना पड़ेगा।''

उन्हें यह कहना पड़ा। टैगौर की यह विशेष इराक यात्रा बहुत महत्वपूर्ण थी। अपनी यात्रा के अंत में उन्होंने कतिपय शब्द कहे ओर आज के इस कठिन दौर में उनके वे शब्द हम याद कर सकते हैं। उन्होंने कहा :

> ''एशिया के प्रत्येक देश को अपनी ऐतिहासिक समस्याओं का हल अपनी सामर्थ्य, प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुरूप ढूंढना होगा। परन्तु अपनी प्रगति के पथ पर उनके द्वारा उठाये गए प्रत्येक दीपक से ज्ञान की रोशनी को जगमगाना चाहिए। केवल आत्मा में ज्ञान की रोशनी से ही मनुष्यता का बंधन सच्चा बनता है।''

आज, इस संकल्प को लाकर, जिसे कि यहां सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा, हमने टैगोर के द्वारा कहे गये मानवता के बंधन के प्रति अपनी निष्ठा को सिद्ध किया है। यह एक ऐसी बात है जिसे आज हमें अवश्य याद रखना चाहिए जब यह विश्व हमें बहुत क्रूर नजर आ रहा है।

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** सभापति महोदय, सदन के समक्ष इराक पर अमरीका और आयोजित गठबंधन सेना के द्वारा जो हमला हुआ है उसकी निंदा का प्रस्ताव है। मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। आज इराक पर जो जंग की बात कही जा रही है, वह अमरीका द्वारा सीधे-सीधे इराक, उसकी सम्प्रभुता और सम्पूर्ण विश्व मानवता पर आक्रमण है। मैं एक उद्धरण याद दिला चाहता हूं – कभी 1967 में डा. लोहिया ने कहा था – ये जो पूंजीवादी देश हैं, ये कुछ देश जिनके कब्जे में वीटो और स्थायी सदस्यता है। दुनिया के देशों को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने और वीटो की ताकत जिनके पास है, ये जो राष्ट्र हैं, यदि यही देश कभी संयुक्त राष्ट्र की बात नहीं मानेंगे तो तीसरी दुनिया के सामने कोई विकल्प नहीं बचेगा। आज यही स्थिति सम्पूर्ण विश्व के सामने खड़ी है। तीसरी दुनिया के जो कमजोर देश हैं, आज उन्हें धता बताई जा रही है। विश्व जनमत की अमरीका कोई परवाह नहीं कर रहा है। उसे विश्व मानवता की कोई परवाह नहीं है। आज इराक में नागरिकों का कत्लेआम हो रहा है। इराक एक सॉवरेन कंट्री है। भारत का जो संबंध इराक से रहा है, मैं समझता हूं कि इस मामले पर निंदा का प्रस्ताव जरूर पास होना चाहिए। यह खुशी की बात है कि एकमत और एकजुट होकर आज इस सदन से प्रस्ताव जायेगा। आज इस सदन से एकजुट और एकमत होकर काफी रिहर्सल और अभ्यास के बाद जो प्रस्ताव जायेगा, जिसे दो दिन में सभी पक्षों के लोगों ने तैयार किया है, इससे सम्पूर्ण विश्व में एक अच्छा संकेत जायेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन सभापति महोदय क्या बरसा, जब कृषि सुखानी।

अभी संगमा साहब ने ठीक कहा, मैं उनसे सहमत हूं। अब यह अंतिम दौर में है।

संपूर्ण इराक पर जिस तरह से हमला हुआ, अमरीका की दादागिरी के खिलाफ यदि तीसरी दुनिया के देश एकजुट नहीं हुए, इससे सबक नहीं लिया तो बहुत ही खतरनाक मोड़ पर विश्व पहुंच जाएगा।

आज संपूर्ण विश्व तीसरे विश्वयुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। आज जो संयुक्त राष्ट्र की अवहेलना हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना हो रही है, विश्व जनमत की अवहेलना हो रही है, इससे निश्चित रूप से विश्व तीसरे विश्वयुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। संपूर्ण विश्व में जिस तरह से अमेरिका की दादागिरी हो रही है, इसकी जितनी कड़ी निंदा हो और विरोध हो, हम समझते हैं कि पूरी एकजुटता से जिस तरह से प्रस्ताव लाया गया है, पूरे देश के इस सर्वोच्च सदन में जिस तरह से प्रस्ताव आया है, उसी तरह से पूरे देश को इस पर एकमत होना चाहिए और सबक लेना चाहिए। सबक इसलिए लेना चाहए कि अमेरिका जैसे देश से यह उम्मीद करना कि यह आतंकवाद का सफाया कर विश्व शांति या विश्व के नागरिकों की रक्षा करने में सक्षम होगा, यह नितांत भ्रामक होगा।

श्री मुलायम जी बोल रहे थी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता और वीटो अधिकारी कुछ बड़ी शक्तियों के हाथ में ही हैं। आज

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

जितने भी बयान दिये गये संयुक्त राष्ट्र की ओर से, यू.एन.ओ. के जरिये, उनका कुछ असर नहीं हो रहा है। हम प्रस्ताव पास कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र की देख-रेख में इराक का पुनिर्निर्माण हो लेकिन हमें इसमें भी संदेह है। प्रस्ताव करना हमारा कर्तव्य है और हम कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें संदेह है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मनमानी और दादागिरी अमेरिका कर रहा है, निश्चित रूप से अंमेरिका इसको भी नहीं मानेगा। इसीलिए इराक पर जो आक्रमण हुआ है, उससे हमें अभी सावधान होने और सबक लेने की जरूरत है और हम सब तीसरी दुनिया के देशों को मिलकर एक वैकल्पिक संयुक्त राष्ट्र की घोषणा करनी चाहिए क्योंकि पूंजीवादी देशों के लोकतंत्र का वीभत्स रूप तो तानाशाही से भी खराब है। आज एक पूंजीवादी देश के लोकतंत्र का वीभत्स रूप दुनिया को देखने को मिल रहा है। लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हें। हम इस तरह की स्थिति में हैं कि शुरू से हमें सावधान और सतर्क रहना चाहिए। श्री बुश की हठधर्मिता के कारण जो परिस्थिति आज पैदा हुई है, आज संपूर्ण सदन को एकमत होकर इस प्रस्ताव को पारित करना चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए। चट्टानी एकजुटता का परिचय देने का यही वक्त है।

**श्री जी.एम. बनातवाला** (पोन्नानी) : जनाब चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब ने बड़ी मतानत संजीदगी और बुर्दबारी के साथ एक तज़वीज़ ऐवान के सामने रखी है। मैं एक बात और वाज़े कर देना चाहता हूं और वह यह है कि यह तजवीज मौजूदा सूरते-हाल के तकाजों को तो पूरा करती है लेकिन कुछ और भी संगीन मसायले हैं। इस संकल्प में स्थिति की अनिवार्यताओ पर ध्यान दिया गया है लेकिन इसमें कुछ और बड़े मुद्दे भी सम्मिलित हैं। और भी कितने मामलात हैं। यहां पर मुअज्जिब मुमालिक को बैठकर सो चना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशन्स आज कितनी बेबस होकर रह गई है। इस यूनाइटेड नेशन्स को किस तरह से मजबूत किया जाए, यह कैसी यूनाइटेड नेशन्स है कि बरसा बरस तक सैंक्शन्स लगा दे एक मुल्क के ख्लिाफ, अपने रिजोल्यूशन और इंस्पैक्शन्स के तहत उस मुल्क को मजबूर कर दे कि वह असलाहा और अपने वीपन्स को खत्म कर दे और उसके बाद जब वह मुल्क कमजोर हो जाए तो फिर यह यूनाइटेड नेशन्स उसकी मदद भी न कर सके और उसे सुपर पावर के रहमो-करम पर छोड़ दे।

यह एक गम्भीर सूरते हाल है। यह एक तशवीशनाक सूरते हाल है जो हमारे सामने आती है। मौहज्जिब मुमालिग को सोचना होगा कि अमरीका की आलमी दहशतगर्दी से कि तरह से निपटा जाए। आज किसी मुल्क को यह इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वह दुनिया के इंटरनेशनल कानून, इंटरनेशनल प्रिंसीपल्स की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मनमानी करे। यह सूरते हाल इन्तिहाई तशवीशनाक है, जो पूरी दुनिया के सामने है। मौहज्जिब मुमालिग को सोचना होगा कि इस सूरते हाल, अमरीका की आलमी दहशतगर्दी और अमरीका के इंटरनेशनल टैररिज्म से कैसे निपटा जाए और यहां अमरीका सिर्फ जारीयत एग्रैशन, इसी का एक्सक्यूज्ड नहीं है जिसकी ट्रेचरी की हम भरपूर मजम्मत कर रहे हैं, अमरीका इंटरनैशनल ट्रेचरी का मुरतकब की है, यह कहना होगा।

युनाइटेड नेशन्स अमन के सिलसिले में काम कर रहा था। उसने इराक पर सैंक्शन्स लगाए और उसने रिजोल्यूशन पास किया और इराक को इंसपैक्शन सिस्टम के जरिए मजबूर किया कि वह अपने वैपन्स को खत्म करे, असलाह को खत्म करे और यह सब काम युनाइटेड नेशन्स अमन पसन्दी के साथ कर रहा था, तो अमरीका ने उसे एक्सप्लाइट करने की कोशिश की और बरसा बरस सैंक्शन्स के बाद इराक को वैपन्स आफ मास डैस्ट्रक्शन एलीमिनेट करने पर मजबूर करने के बाद, कमजोर देखते हुए, जब अमरीका ने हमला किया है, तो फिर यह इंटरनैशनल ट्रेचरी भी है। मौहज्जिब अमरीका को सोचना होगा कि एक ऐसे वर्ल्ड आर्डर को कैसे मंजूर किया जा सकता है, हमें सोचना होगा कि एक ऐसा मुल्क जो कोई मौरल्स नहीं जानता, ऐसा मुल्क जो इंटरनैशनल कानून की परवाह नहीं करता, एक ऐसा मुल्क जो इंटरनैशनल ट्रेचरी के अंदर मुब्तला है, ऐसे अमरीका के साथ कैसे निपटा जाए। उसे वॉर-क्रिमिनल करार देना होगा, सदन अमरीका को जंगी मुजरिम करार देते हुए उस पर कार्रवाई करना, वॉर-क्रिमिनल के तौर पर कार्रवाई करना जरूरी है। अमरीका के खिलाफ सैंक्शन लगाने होंगे और इराक पर लगी सैंक्शन्स को दूर करना होगा। इन चीजों पर हमें गौर करना है। हमें न केवल इन सूरते हाल पर गौर करना है बल्कि आज जो तजबीज हमारे सामने हैं, इमीडिएट तकाजे हैं, जो इमीडिएट मामला है, उसको तो यह तजबीज एड्रैस करती है, लेकिन ऐसे अदर इश्यूज हमारे सामने बहुत हैं जिन पर गौर किया जाना लाजमी है। भारत सबसे बड़ी जम्हूरियत है। उसका तो क्यादत करनी होगी इस सिलसिले में कि कैसे अमरीका के सियासी इंतजाम और उसकी हुकूमत को खारजी मदाखलत, तबाह व बरबाद नहीं किया जा सकता है। हमने मुताल्बा किया है कि युनाइटेड नेशन्स के तहत इराक की तामीर नौ का काम अंजाम दिया जाए और इराक की सालमियत, उसकी खुद मुखतारी की जाए, लेकिन मैं इस बात भी जोर देने की कोशिश करूंगा कि जहां हम इराक के तमाम हमदर्द होते हुए और सालिडैरिटी का यकीन दिलाते हैं, वहां साथ-साथ जो खतरनाक सियाह बादल मंडरा रहे हैं, सतह पर कहीं आलमी फौजें इसको नोंच लें, इस सिलसिले में और भरपूर तैयारी करें।

**جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پوننانی)**: جناب چیئرمین صاحب، اسپیکر صاحب نے بڑی متانت، سنجیدگی اور بردباری کے ساتھ ایک تجویز ایوان کے سامنے رکھی ہے۔ میں ایک بات اور واضح کر دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک تجویز موجودہ صورتِ حال کے تقاضوں کو تو پورا کرتی ہے لیکن کچھ اور بھی سنگین مسائل ہیں۔ This resolution addresses itself to the imperatives of the situation, but there are also larger issues. اور بھی کتنے معاملات ہیں۔ یہاں پر مہذب ممالک کو بیٹھ کر سوچنا پڑیگا کہ اقوامِ متحدہ آج کتنی بے بس ہو کر رہ گئی ہے۔ اس اقوامِ متحدہ کو کس طرح سے مضبوط کیا جائے، یہ کیسی اقوامِ متحدہ ہے کہ برسہا برس تک سینکشن لگا دیں ایک ملک کے خلاف، اپنے ریزولوشن اور انسپیکشن کے تحت اس ملک کو مجبور کر دیں کہ وہ اسلحہ اور اپنے ویپنس کو ختم کر دے اور اس کے بعد جب وہ ملک کمزور ہو جائے تو پھر یہ اقوامِ متحدہ اسکی مدد بھی نہ کر سکے اور اسے سُپر پاور کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ یہ ایک سنگین صورتِ حال ہے۔ یہ ایک تشویشناک صورتِ حال ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ مہذب ممالک کو سوچنا ہوگا کہ امریکہ کی عالمی دہشت گردی سے کس طرح سے نمٹا جائے۔ آج کسی ملک کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دنیا کے انٹرنیشنل قانون، انٹرنیشنل پرنسپلس کی دھجیاں اُڑاتے ہوئے اپنی من مانی کرے۔ یہ صورتِ حال انتہائی تشویشناک ہے، جو پوری دنیا کے سامنے ہے۔ مہذب ممالک کو سوچنا ہوگا کہ اس صورتِ حال سے اور امریکہ کی عالمی دہشت گردی سے کیسے نمٹا جائے اور یہاں امریکہ صرف جارحیت کا ایکسکیوز ڈ نہیں ہے، جس کی ہم ٹریچری بھرپور مذمت کر رہے ہیں، امریکہ عالمی ٹریچری کا مرتکب ہے، کہنا ہوگا۔

اقوامِ متحدہ امن کے سلسلے میں کام کر رہا تھا۔ اس نے عراق پر سینکشنس لگائے اور اس نے ریزولوشن پاس کیا اور عراق کو انسپیکشن سسٹم کے ذریعے مجبور کیا کہ وہ اپنے ویپنس کو ختم کرے، اسلحہ کو ختم کرے اور یہ سب کام اقوامِ متحدہ امن پسندی کے ساتھ کر رہا تھا، تو امریکہ نے اسے ایکسپلائڈ کرنے کی کوشش کی اور برسہا برس سینکشنس کے بعد عراق کو ویپنس آف ماس ڈیسٹرکشن ایلیمینٹ کرنے پر مجبور کرنے کے بعد کمزور دیکھتے ہوئے، جب امریکہ نے حملہ کیا ہے تو پھر یہ عالمی ٹریچری بھی ہے۔ مہذب ممالک کو سوچنا ہوگا کہ ایک ایسے ورلڈ آرڈر کو کیسے منظور کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ایک ایسا ملک

[अनुवाद]

**श्री भर्तृहरि महताब** (कटक) : महोदय, मैं अध्यक्षपीठ द्वारा प्रस्तुत इस सर्वसम्मत संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं सदन का ध्यान एक पुरानी कहावत की तरफ दिलाना चाहता हूं कि यदि लोगों में भूलने की प्रवृति हो तो इतिहास घटनाओं को दोहराता है। एक समय की बात है जब लार्ड पामर्स्टन ने कहा था कि ''विदेशों से संबंध के मामले में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नही होता बल्कि स्थायी केवल हित ही होते हैं।

बजट सत्र के पहले भाग में इराक संकट पर सदन में हुई बहस के दौरान दिये गए अपने भाषण को आगे जारी रखते हुए मैं अपना भाषण शुरू करता हूं। मैं सदन का ध्यान तीन घटनाओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद किसी देश या राज्य पर एकपक्षीय अतिक्रमण या आक्रमण की यह कोई पहली घटना नहीं है। मैं 1956 की घटना की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जब सोवयित संघ ने हंगरी का अतिक्रमण किया था तो विश्वभर में काफी हंगामा हुआ था। काफी देशों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए थे। जब हम आज की स्थिति पर विचार कर रहे हैं तो 1956 में क्या हुआ और भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही, इसे याद कर लेना चाहिए। उस समय भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य था और हमने पश्चिमी ताकतों द्वारा लाये गये संकल्प का समर्थन नहीं किया था। हमने ऐसा रुख अपनाया था।

1968 में फिर सोवियत संघ ने जब चेकोस्लोवाकिया का अतिक्रमण किया तो हमारी प्रतिक्रिया क्या थी? भारत की क्या प्रतिक्रिया थी? भारतीय संसद ने सोवियत संघ के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए एक संकल्प स्वीकृत किया। उस समय सरकार ने भी संसद द्वारा यह संकल्प पारित करने की अनुमति दी। यह याद रखा जाना चाहिए कि यह घटना 1968 में हुई, ताशकंद समझौते के दो साल बाद तथा भारत-पाकिस्तान युद्ध के तीन वर्ष बाद, फिर भी हमने यह संकल्प पारित किया...*(व्यवधान)* 1956 में यह घटना हंगरी में घटी और 1968 में यह चेकोस्लोवाकिया में। मैं यह कहने की अनुमति चाहता हूं कि इस सदन ने यह संकल्प पारित किया। मैं नम्रता से यह बताना चाहूंगा कि यद्यपि उस समय की सरकार ने सोवियत संघ की इस कार्रवाई की निंदा नहीं की परन्तु सदन में प्रस्ताव पारित हुआ।

1980 में फिर सोवियत संघ के सैन्यबल अफगानिस्तान में घुसे—किसी न्यायसंगत कारण से या अन्यायपूर्वक, इस मामले पर हमारे मतभेद हो सकते हैं, उस समय भारत ने सोवियत संघ की सार्वजनिक रूप से निन्दा करना अस्वीकृत कर दिया था। ये तीन घटनाएं हैं और इसके अलावा कई अन्य घटनाएं हैं जब संयुक्त राष्ट्र संघ को दरकिनार कर दिया गया।

फॉकलैंड द्वीप युद्ध के समय जब ब्रिटेन के समुद्री जहाज और नौसेना अटलांटिक समुद्र को पार करके अर्जेन्टीना से युद्ध करने गयी तब हमारी क्या प्रतिक्रिया थी। जब अमरीकी सेना ने सोमालिया में जाकर युद्ध किया था तो हमारी क्या प्रतिक्रिया थी? जब अमरीकी सेनाएं अफगानिस्तान में गयीं, तब हमारी क्या प्रतिक्रिया थी। लेकिन तब एक अन्तर था। तब यह संयुक्त राष्ट्र की छत्रछाया में हुआ था। मैं यह कहना चाहूंगा कि अब इस इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्ता को खत्म किया जा रहा है जो कि हमारे देश के हित में नही है।

**अपराह्न 4.00 बजे**

अब जबकि एक जोरदार सार्वजनिक राय यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा को पुन: बहाल किया जाए तथा संयुक्त राज्य अमरीका के एकपक्षीय नेतृत्व के विरुद्ध लड़ने के लिए एक बहुपक्षीय संस्था की आवश्यकता को सामने लाया जाए। ऐसे में यह सदन न्यायपूर्वक और सही तरीके से न केवल इस देश के प्रबुद्ध नागरिकों के विचार सामने ला रहा है और इस संकल्प के माध्यम से सही दिशा में सोचने वाले लोगों की राय की प्रतिध्वनि व्यक्त कर रहा है, बल्कि इसके साथ-साथ विश्व के स्वतंत्रता पसंद लोगों के विचारों के मद्देनजर इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिये।

**श्री अजय चक्रवर्ती** (बसीरहाट) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष महोदय का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके निष्ठापूर्ण प्रयासों से दीर्घ बहस के बाद हम सर्वसम्मति पर पहुंचे।

जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू से ही सभी विपक्षी दल और राजग के कुछ घटक दल मांग कर रहे थे कि युद्ध के इच्छुक ब्रिटिश और अमरीकियों के विरुद्ध सर्वसम्मति से एक संकल्प स्वीकृत किया जाए। आखिरकार माननीय अध्यक्ष जी के हस्तक्षेप से यह सार्थक हो सका। आज माननीय अध्यक्ष जी ने यह संकल्प प्रस्तुत किया और इस सम्माननीय सदन के सभी माननीय सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठकर इससे बहुत खुश और संतुष्ट हैं क्योंकि यह संदेश सारे राष्ट्र में जाएगा।

हर रोज हमारे देश के हजारों लोग युद्ध के विरुद्ध अपना रोष और पीड़ा व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। वे शांति के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। विश्व के इतिहास में जार्ज डब्ल्यू. बुश और टोनी ब्लेयर ने एक घृणित अपराध किया है। उन दोनों पर युद्ध अपराधियों की भांति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मैंने दो व्यक्तियों के नाम बताए हैं। मैं 'अमरीका और ब्रिटेन' नहीं कह रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटेन और अमरीका में ज्यादातर लोग युद्ध का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वे युद्ध के विरुद्ध और शांति के पक्ष में हैं। लंदन, वाशिंगटन, न्यूयार्क, मैड्रिड और सभी जगह लोग सड़कों पर एकत्रित होकर युद्ध के विरुद्ध अपनी पीड़ा और गुस्से का इजहार कर रहे हैं।

हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन में 'हाउस आफ कामन्स' में इस विषय पर टोनी ब्लेयर की लेबर पार्टी विभाजित हो गई थी और टोनी ब्लेयर ने कंजरवेटिव पार्टी, जो कि एकपक्षीय होकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प को दरकिनार करने और विश्व के लोगों की आवाज को नकारने में मार्गरेट थैचर के नक्शेकदम पर चल रही है, के समर्थन से अपना बचाव किया। मैं जार्ज डब्ल्यू. बुश और टोनी ब्लेयर के इस बर्बरतापूर्ण कर्म की पुरजोर निन्दा करता हूं। जार्ज डब्ल्यू. बुश और टोनी ब्लेयर इराक के हथियार नष्ट करने वाले कौन होते हैं?, वे सद्दाम हुसैन को हटाना चाहते हैं। इराक के लोग इस संबंध में निर्णय लेंगे और अपने नेता का चुनाव करेंगे। अमरीका और ब्रिटेन इराक को नि:शस्त्र करें इसके बजाए इराक द्वारा अमरीका को नि:शस्त्र किया जाना चाहिए क्योंकि विनाश के ज्यादातर हथियार अमरीका और कुछ अन्य देशों के हैं।

हम सब बहुत प्रसन्न हैं कि आखिरकर हम सर्वसम्मति पर आधारित एक निष्कर्ष पर पहुंचे और माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह संकल्प प्रस्तुत किया। मैं जार्ज डब्ल्यू. बुश और टोनी ब्लेयर के इस बर्बरतापूर्ण कार्य की पुरजोर निन्दा करता हूं और मांग करता हूं कि गठबंधन सेना को वापिस बुलाया जाए।

हमारे पहले प्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे और भारत हमेशा विश्व शांति के लिए आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है।

जब कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां गहरे संकट में पड़ी हैं हमने विश्व मैं शांति के आन्दोलन की बागडोर संभाली है। माननीय विदेश मंत्री जी यहां बैठे हैं। हमें आशा थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में उपस्थित होंगे। तथापि, वे आज अनुपस्थित हैं। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार द्वारा इस संकल्प की मूल भावना को कार्यान्वित किया जाएगा। भारत सरकार को इसका कुछ उपाय करना चाहिए और अमरीका के साम्राज्यवाद, अमरीका के आक्रमण और जार्ज डब्ल्यू. बुश जूनियर और टोनी ब्लेयर की इस बर्बर कार्यवाही के विरुद्ध साहसिक कदम उठाने चाहिएं तथा इराक के लोगों की इच्छा व विवेक को पुन: बहाल करने हेतु कदम उठाने चाहिएं।

*[हिन्दी]*

**श्री अली मोहम्मद नायक** (अनंतनाग) : सभापति महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी जमात जम्मू कश्मीर नेशनल काउंसिल की तरफ से इस रिजोल्यूशन के हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

[جناب علی محمد نائک (اننت ناگ): جناب چیئرمین صاحب، میں اپنی طرف سے اور اپنی جماعت جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی طرف سے اس ریزولوشن کے حق میں بولنے کیلئے کھڑا ہوا ہوں۔]

*[अनुवाद]*

जहां तक इराक पर अमरीका और इसके सहयोगियों के इस नग्न आक्रमण का संबंध है मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं इसकी निंदा करता हूं और पूरा सदन इसकी निंदा करेगा।

यह युद्ध विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वीकृति के बिना छेड़ा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद में ऐसा कोई संकल्प पारित नहीं किया गया है। प्रत्येक चीज को अनेदखा किया गया है। अमरीका और इसके सहयोगी इराक में प्रवेश कर चुके हैं। मैं इराकियों, विशेषकर बच्चों, महिलाओं और आम लोगों पर गठबंधन सेनाओं द्वारा किए गए अत्याचारों की निंदा करता हूं। हम अस्पतालों और आवासीय क्षेत्रों पर गठबंधन सेना की बमबारी की निंदा करते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि सदन को इसपर भी सोचना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में असफल हो चुका है। वह सफल नहीं हुआ है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ को कैसे सुदृढ़ किया जाए यह संसार के लिए एक बड़ा प्रश्न और बड़ी समस्या है। मेरा भारत सरकार से यह अनुरोध है कि उसे यह प्रयास करना चाहिए कि युद्ध रोका जाए और इरक में प्रवेश कर चुकी सेनाएं तुरंत इस स्थान को छोड़ दें। इराक में पुनर्निर्माण का कार्य अमरीका या किसी अन्य देश के माध्यम से नहीं अपितु विश्व निकाय, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से होना चाहिए।

मै इराकी लोगों के लिए पुनर्निर्माण कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा सहायता की घोषणा किए जाने की प्रशंसा करता हूं। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उन्हें और अधिक सहायता दे और यदि आवश्यक हो तो इराकियों को अधिक धनराशि प्रदान करे। मैं भारत सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह विश्व के नेताओं से, विश्व के संगठनों से और विभिन्न देशों से यह ज्ञात करे कि इराक की एकता और सम्प्रभुता अक्षुण रहनी चाहिए और जो सेनाएं इराक में प्रवेश कर चुकी हैं उन्हें वह स्थान छोड़ देना चाहिए।

महोदय, इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सदन में रखे गए इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

**श्री अमर राय प्रधान** (कूचबिहार) : सभापति महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा रखे गए इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद भी देता हूं।

अमरीका और ब्रिटेन ने बर्बरतापूर्वक अमानवीय तरीके से इराक के विरुद्ध युद्ध घोषित किया और वह युद्ध अब अपनी अंतिम परिणति पर है। इस स्थिति में मैं यह कहता हूं कि यह गैर-कानूनी, अनैतिक और अमानवीय है।

महोदय, आपने अपने आसन से यह उचित ही कहा था कि श्री जार्ज डब्ल्यू बुश जूनियर हिटलर हैं। श्री जार्ज डब्ल्यू बुश जूनियर वास्तव में 21वीं सदी के नए हिटलर हैं।

हमें निश्चित रूप से ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका की कार्यवाही की निंदा करनी चाहिए।

महोदय, मैं संकल्प में व्यक्त किए गए विचार से पूर्णतया सहमत हूं। विश्व की राय क्या है? न केवल भारत में अपितु विश्व-भर में शांतिप्रिय लोग हैं। वे लोग हर दिन नारे लगा रहे हैं। दुनिया-भर में शांतिप्रिय लोग हैं। वे इंगलैंड में हैं, वाशिंगटन में हैं, मेल्बॉर्न में हैं, हर जगह हैं। वे नारों और गीतों के माध्यम से क्या विचार व्यक्त कर रहे हैं? मैं मेलबॉर्न, वाशिंगटन और लंदन की गलियों में जो गीत गाये गये थे उनहें उद्धृत करता हूं, यह गीत या कविता सुश्री सूसान ब्राइट द्वारा लिखित है, इसमें कहा गया है :

"वी प्लैज एलायंस विद होज
हूं हैव कम अन्डर अटैक
फॉर वॉइसिंग अपोजीशन टू द वार
और फॉर देयर रिलीजन और एथेनिसिटी
वी प्लैज टू मेक कॉमन कॉज
विद द पीपल ऑफ द वर्ल्ड
टु ब्रिंग अबाउट जस्टिस
फ्रीडम एण्ड पीस
अनैदर वर्ल्ड इज पॉसिबल
एण्ड वी प्लैज टू मेक इट रियल।"

यहां उपस्थित माननीय विदेश मंत्री जी और सरकार का तीसरी दुनिया के गठन के संबंध में कुछ कर्त्तव्य है और आपके नेतृत्व को

उसे स्वीकार करना पड़ेगा। यहां यह संकल्प है और इस पहलु पर हम सभी आपकें साथ हैं। जो भी संकल्प यहां पारित हो रहा है वह एक सर्वसम्मत संकल्प है और संसार को भारत की भावनाओं, विशेषकर भारतीय संसद की भावनाओं से अवगत होना चाहिए। मेरे विचार से इस सर्वसम्मत संकल्प के माध्यम से विश्व को एक संदेश मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से सरकार को कार्यवाही करनी होगी। एक ओर आपको अमरीका और ब्रिटेन के रवैये की निंदा करनी चाहिए और दूसरी ओर आपको मानवता के कल्याण हेतु पहल करनी चाहिए।

**श्री ई. पोन्नुस्वामी** (चिदंबरम) : सभापति महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा रखे गए और इस प्रतिष्ठित सदन से सर्वसम्मति से समर्पित इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं इमानदारी से यह महसूस करता हूं कि यह संकल्प बीस दिन पहले रखा जाना चाहिए था। हम वास्तव में अपनी अंतरात्मा की आवाज से बीस दिन पीछे हैं। सद्दाम हुसैन अपने देश के शासक हैं। हम शासन के प्रति उनके रवैये से असहमत हो सकते हैं। तथापि, मैं इस युद्ध के कारण को नहीं समझ पाया क्योंकि वह न तो कोई इस्लामिक कट्टरपंथी हैं और न ही एक आतंकवादी। उन्होंने अमरीका के विरुद्ध कुछ नहीं किया है। केवल इसलिए कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की अपीलों की अवज्ञा की है, अमरीका उनके देश के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है। अमरीका ने बताया है कि उनका अगला कदम कश्मीर की समस्या को हल करना होगा। मेरे विचार से सभी इस बारे में जानते हैं। हमें उन्हें हमारे देश के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। इराक के विरुद्ध युद्ध न केवल भयानक है अपितु विनाशकारी और बर्बर भी है। यही वह समय है कि जब हमें संयुक्त राज्य अमरीका जैसे देश से सावधान हो जाना चाहिए। यद्यपि हम एक शांतिप्रिय देश हैं और युद्ध नहीं चाहते परंतु, हम किसी से अपमानित भी नहीं होना चाहते। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम आज ही की तरह, स्वयं की रक्षा में एक होकर खड़े हो जाएंगे।

संयुक्त राज्य अमरीका वह देश है जो दूसरों को कभी भी स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं करने देता। इस मामले में तो कौन सा इस्लामी देश लोकतान्त्रिक है? अमरीका लोकतन्त्र की बात करता है लेकिन इसने सभी देशों में समस्याएं पैदा की हैं। अब वह कहता है कि वह वहां एक लोकतान्त्रिक शासक स्थापित करने जा रहा है।

अमरीका किसी भी देश को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं करने देगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की इच्छाओं और अपीलों के विरुद्ध अमरीका यह युद्ध लड़ रहा है। यह बहुत अन्यायपूर्ण है। बिना किसी गलती के इराक के निर्दोष नागरिक पीड़ा झेल रहे हैं। हमारी ओर से यह उचित रहेगा कि हम वहां पीड़ा झेल रहे लोगों के बचाव हेतु जाएं। हमें मित्र-राष्ट्र इराक के लोगों को और अधिक सहायता देनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रतिष्ठित सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए जा रहे इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं आपको मुझे यह अवसर प्रदान करने हेतु धन्यवाद देता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री जोवाकिम बखला** (अलीपुरद्वार) : सभापति जी, मैं इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह प्रस्ताव हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रगटीकरण है, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। अमरीकी और ब्रिटिश सेना ने जिस तरह से इराक पर आक्रमण किया है उसका अधिकार उन्हें नहीं है। युनाइटेड नेशन्स सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव पास होना चाहिए था उसके लिए उन्हें स्वीकृति नहीं मिली, फिर भी उनहोंने इराक पर जोकि एक सार्वभौम देश है आक्रमण करके वहां बेगुनाह लोगों की हत्या की, बच्चों को मार डाला, रिहाइशी इलाकों पर बमबारी की। मैं इसे युद्ध नहीं समझता हूं बल्कि बर्बरता का एक सिलसिला वहां अमरीकी और ब्रिटिश सेना ने शुरू किया है। यह केवल इराक के लिए ही खतरा नहीं है बल्कि सारे सार्वभौम देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए खतरा है। इसलिए जिस प्रस्ताव को हम सदन के माध्यम से आज पास करने जा रहे हैं इसमें विलम्ब हुआ है, इसे पहले ही लाना चाहिए था। लेकिन पक्ष और विपक्ष में इस पर जो सहमति हुई है उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यूएसएसआर के डिस-इंटेगरेट होने के बाद जो यूनिपोरल शक्ति आई वह विश्व के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी, ऐसा मुझे लगता है।

भारत विश्व का बहुत शक्तिशाली लोकतंत्र है। इसलिए हमारे देश को इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता है। साम्राज्यवादी शक्ति अपने साम्राज्य का विस्तार करने की हर संभव कोशिश करेगी। इराक तो उनके लिए एक एक्सपैरिमेंट है। अगर इस एक्सपैरिमेंट में उन्हें सफलता मिल जाती है तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये दोनों शक्तियां विशेषकर अमेरिका अन्य कमजोर देशों पर भी हमला करने की कोशिश करेगा। इसलिए इराक पर किये गये हमले की मैं घोर निंदा करता हूं। मैं समझता हूं कि इराक में जो ब्रिटिश और अमेरिकी सेनाएं हैं उन्हें तुरंत वापस बुला लिया जाए एवं राष्ट्रसंघ की देखरेख में वहां पुनर्निर्माण का काम चलाया जाए। भारत को इराक की हर संभव सहायता के लिए आगे आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर) : सभापति जी, इस निंदा प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त करने में दो दिन चले गये। हम समझते थे कि कल ही प्रस्ताव आने के बाद सहमति से एक प्रस्ताव तैयार होगा। लेकिन इस प्रस्ताव को लाने में हमें दो दिन लग गये। अब बुश को इराक से हटाने में कितने दिन लगेंगे, हमें मालूम नहीं है। आप लोगों को कांग्रेस पार्टी सत्ता से हटाने में 50 साल लग गये, लेकिन अभी आपको हटाने के लिए हमें साढ़े छः साल लगेंगे। इराक पर अमरीका ने यू.एन. और सिक्युरिटी काउंसिल के प्रस्ताव को ध्यान में न रखकर हमला किया है। अगर इसी तरह से कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला करेगा तो एक भी आदमी नहीं बचेगा। हमारे देश में पंडित जवाहर लाल नेहरू जो शांति का प्रतीक थे, उन्होंने दुनिया का नेतृत्व किया। गौतम बुद्ध जो भारत में पैदा हुए, उनके शांति के संदेश को पूरी दुनिया में देने का काम भारत ने किया है। इसलिए ये हमारे पूज्य हैं। ओनी ब्लेयर को वहां अपनी आर्मी भेजने की आवश्यकता नहीं थी। मैं समझता हूं कि अगर कोई इतनी दादागिरी करेगा, अगर एक देश की आर्मी इराक पर हमला कर रही है, उसे बर्बाद कर रही है तो दूसरे देश की आर्मी वहां क्यों नहीं जा रही है। मैं सोच रहा था कि हमारे अटल जी बहुत बड़े और अच्छे आदमी हैं, उन्हें अमरीका को बोलना चाहिए था कि अगर तुम्हारी आर्मी वहां जायेगी तो इराक की रक्षा करने के लिए भारत की आर्मी भी वहां जायेगी और सद्दाम हुसैन के रिपब्लिकन गार्डस को सपोर्ट करने के लिए हमारी रिपब्लिकन पार्टी की आर्मी वहां जाने के लिए तैयार है। इसमें हंसने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर वह इसी तरह से हमला करेगा तो हम वहां जाने के लिए तैयार हैं।

**श्री शिवाजी माने** (हिंगोली) : इन्हें वहां भेज दो।

**श्री रामदास आठवले :** मैं वहां जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी शिव-सेना को वहां लेकर जाऊंगा। तुम्हारी शिवसेना और हमारी भीमसेना वहां जायेगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज जिस प्रस्ताव पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। जहां कहीं भी अन्याय होता है, हमारा देश उसके विरोध में होता है। यह हमारे देश की परम्परा रही है। हम इतना बताना चाहते हैं कि अगर बुश जी आज आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, इराक में कोई हथियार नहीं थे, उन्होंने थोड़े बहुत हथियार रखे होंगे, क्योंकि सद्दाम हुसैन को मालूम था कि बुश उनके ऊपर हमला करने वाला है, इसलिए उन्होंने थोड़े बहुत हथियार बचाकर रखे होंगे। सिक्युरिटी काउंसिल की रिपोर्ट थी कि वहां कोई हथियार नहीं हैं। इसलिए वहां हमला करने की आवश्यकता नहीं है। हम अमरीका को इतना बताना चाहते हैं कि अगर वह आतंकवाद को खत्म करना चाहता है तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आतंकवादी हैं। ओसामा बिन लादेन आज पाकिस्तान में है। इसलिए वे पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं या नहीं। अगर अमरीका आतंकवादी को खत्म करना चाहता है तो बुश को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन बुश पाकिस्तान के पास नहीं आयेगा, क्योंकि पाकिस्तान के बाजू में इंडिया है, इसलिए बुश डरता है।

सभापति महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं–

इराक पर हमला करने वाले अमरीका के अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश,
इराक पर हमला करने से दुनिया नहीं है खुश।
आपने दे दी है टोनी ब्लेयर को घूस,
अगर इराक का साथ देगा भारत और रूस,
तो इराक से भाग जायेगा यह जॉर्ज डब्ल्यू. बुश,
ब्रिटेन और अमरीका कि हम कर रहे हैं कड़े शब्दों में निंदा,
क्योंकि दूसरो पर आक्रमण करना यही रहा है इन दोनों का धंधा,
इसलिए बुश और टोनी ब्लेयर पर डालना होगा युद्धबंदी का फंदा।

इनके ऊपर युद्धबंदी का फंदा जब तक नहीं डालते, तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। अमेरिका को लगता है कि उनके पास पैसा है। अगर हमारे 110 करोड़ लोग उधर जाएंगे तो उनकी छुट्टी हो जाएगी। वहां उनकी पापुलेशन कितनी है, पैसा भले ही होगा। यशवंत सिन्हा जी ने जो बयान दिया, अमेरिका ने उस पर विरोध किया। यशवंत सिन्हा जी को अच्छा डिपार्टमेंट मिला है। फाइनेन्स से सीधे फॉरेन भेजा दिया है। ये अच्छे मंत्री हैं। आपको डटकर उनको बोलना चाहिए कि भारत इस तरह की इनजस्टिस का विरोध करेगा चाहे अमेरिका जो भी करे, वर्ल्ड बैंक का पैसा दे या न दे, हमारे पास भी पैसा है। इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप जो प्रस्ताव लाए हैं उस पर भारत सरकार और पूरा भारत देश एक है, हम सब लोग इराक के साथ हैं और इसलिए सद्दाम हुसैन को बताना चाहते हैं कि आप इराक मत छोड़ो। अगर छोड़ना है तो आप भारत आइए। आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए यशवन्त सिन्हा जी को मैं बताना चाहता हूं और अटल जी को बताना चाहता हूं कि अटल जी आप बुश से मत डरो, यशवन्त सिन्हा जी आप टोनी ब्लेयर से मत डरो, हम तुम्हारे साथ हैं और इराक के विषय पर हम सब लोग एक हैं। यह बहुत बड़ी बात है इसलिए हम सब लोग यहां इराक पर हमले का विरोध करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां जल्दी से जल्दी युद्ध बंद होना चाहिए और युद्ध बंद नहीं होगा तो हमारी आर्मी को वहां जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री पी.सी. थामस** (मुवत्तुपुजा) : महोदय, इराक के विरुद्ध युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं है। यह एक अनधिकार आक्रमण है और प्रत्येक व्यक्ति इससे सहमत होगा। गठबंधन सेनाओं के देशों के लोग भी यही राय रखते हैं। कल जब जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर की आयरलैंड में बैठक थी तो वहां भी लोगों ने विरोध किया था। यह एक अलग तरह का विरोध न होकर एक व्यक्तिगत विरोध की भांति लगा। जब आप इराक में, जिस पर कल हमला किया गया है, बगदाद में अल-रशीद होटल में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार के फर्श पर आप जार्ज बुश का क्रूर चेहरा देख सकते हैं। इराक के लोगों की वास्तविक भावनाएं उस फर्श पर प्रतिबिंबित होती हैं। जो भी उस होटल में जाता है उसे उस पर से ही होकर गुजरना पड़ता है। कोई भी विदेशी या कोई अन्य व्यक्ति जो वहां जाता है उसे उस पर से होकर गुजरना पड़ता है। हमें भी एक प्रतिनिधिमंडल में वहां जाने का अवसर मिला था। हमें भी उसपर से गुजरने का अवसर मिला था। प्रत्येक व्यक्ति को बुश के चेहरे पर से गुजरना होता है। वहां लोगों की ये भावनाएं हैं। अन्यथा भी यही भावनाएं हैं। हम ऐसे किसी युद्ध के बारे में नहीं सोच सकते जहां किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष इतना क्रूर हो कि वह किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से कहे कि 48 घंटे के अंदर-अंदर देश छोड़कर चले जाएं। अन्यथा वे अमुक-अमुक कार्यवाही करेंगे। अंतिम चेतावनी यह नहीं थी कि वे 48 घंटे के भीतर रासायनिक हथियार हटा लें। यह अंतिम चेतावनी नहीं थी।

इस युद्ध का वास्तविक उद्देश्य वाणिज्यिक अर्थात तेल, है। दूसरे यह बहुत व्यक्तिगत है और इसकी यथासम्भव निंदा करनी चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस मामले में अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में इस प्रकार का संकल्प लाया गया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सभी भारतीय युद्ध का विरोध करने में एकमत हैं।

**सरदार सिमरनजीत सिंह मान** (संगरूर) : महोदय, मुझे इराक युद्ध पर बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं पूर्ण रूप से और तहेदिल से इराक पर किए गये आक्रमण के विरुद्ध लाए गये संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं अधिकांश सदस्यों के मत से सहमत हूं कि युद्ध अपराध हुए हैं और आक्रमणकारियों पर हेग स्थित इन्टरनैशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड क्राइम अतंर्राष्ट्रीय दांडिक न्यायालय में मुकद्दमा चलाया जाना चाहिए।

मैं यह भी मानता हूं कि एक पक्ष-वाद अच्छा नहीं है। चूंकि मैं अल्पसंख्यक समुदाय से हूं, इसलिए मेरे पास बहुसंख्यक की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने का न तो विवेक है और न ही अनुभव। नेपोलियन जैसे अलोकतांत्रिक व्यक्ति ने भी कहा था कि भगवान भी सबसे बड़ी सेना का साथ देते हैं। क्या यह पहली बार है जब एक पक्षवाद का उद्भव हुआ है? मैं यही पूछना चाहता हूं। जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया तो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू और भारतीय विदेश नीति द्वारा इस आक्रमण को नम्रतापूर्वक स्वीकार किया गया। हमने ब्रिटिश विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत को खारिज कर दिया कि भारत का शासन अंत:स्थ राज्यों (बफर स्टेस्ट) द्वारा चलाया जाना चाहिए। क्या चीन ने तिब्बत पर आक्रमण के पूर्व संयुक्त राष्ट्र की अनुमति ली थी? परंतु जवाहरलाल नेहरू और भारत की विदेश नीति ने उस आक्रमण को स्वीकार किया था। उसके बाद 1956 में जब अंग्लो-फ्रेंच सेनाओं ने स्वेज नहर पर कब्जा किया तो भारत ने उस आक्रमण की निंदा की थी। परंतु उसी साल जब सोवियत संघ के टैंकों ने संयुक्त राष्ट्र की स्वीकार्यता के बिना हंगरी में प्रवेश किया तो भारत ने उस आक्रमण को स्वीकार किया था।

नैतिक रूप में देखा जाए तो सभापति महोदय, गोवा, दमण ओर दीव पुर्तगाली क्षेत्राधिकार में थे। और नेहरू ने उन्हें भारत के साथ मिला दिया। कया उन्होंने संयुक्त राष्ट्र या सुरक्षा परिषद से यह कार्य करने से पहले पूछा था? उसी तर्ज पर चीन जो उतना ही शक्तिशाली था उसने मकाऊ को अपने साथ नहीं मिलाया जो कि पुर्तगाल के अधीन था...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** (रायगंज) : मैं यह बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करना चाहता हूं। ऐसी असामयिक, गैर/ऐतिहासिक और झूठी बातें इस संकल्प से जुड़ी हुई नहीं है।

**सभापति महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

**सरदार सिमरनजीत सिंह मान** : वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने इतिहास को गुमराह किया है। उन्होंने इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा है...*(व्यवधान)* महोदय, कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। यह बहुसंख्यकों की निरंकुशता है। कृपया मुझे पूरी बात कहने दीजिए। मैं मुद्दे पर आ रहा हूं...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : गोवा से संबंधित 'टिप्पणी को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

**सरदार सिमरनजीत सिंह मान :** जी नहीं, इसे क्यों हटाया जाना चाहिए?...(*व्यवधान*) महोदय मकाऊ, तायवान और हांगकांग को चीन ने अपने साथ मिलाया नहीं था। उसके बाद जब 1968 में सोवियत टैंकों ने चेकोस्लोवाकिया में प्रवेश किया तो क्या कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने उस आक्रमण की निंदा की थी? उसके बाद 1971 में...(*व्यवधान*)

**सभापति महोदय :** कृपया संकल्प पर ही बोलिए।

(*व्यवधान*)

**सरदार सिमरनजीत सिंह मान :** महोदय, कांग्रेस से भयभीत मत होइए मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

1971 में, इंदिरा गांधी ने अपनी सेना पाकिस्तान भेजी और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गये। क्या उन्होंने सुरक्षा परिषद से अनुमति ली थी? ...(*व्यवधान*)

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** ये बातें कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं होनी चाहिएं...(*व्यवधान*)

**सरदार सिमरनजीत सिंह मान :** क्यों?

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय :** आप कंट्रोवर्सी में मत जाइए। यह सर्वसम्मत प्रस्ताव है। इस पर कोई विवाद पैदा मत कीजिए।

*[अनुवाद]*

**सरदार सिमरनजीत सिंह मान :** उन्हें मेरी बात अवश्य सुननी चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** (खजुराहो) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो राष्ट्र-विरोधी बातें कही गई हैं, उन्हें रिकार्ड से निकाला जाना चाहिए।

*[अनुवाद]*

**सरदार सिमरनजीत सिंह मान :** महोदय, जब इंदिरा गांधी ने हिमालय में स्थित राज्य सिक्किम को भारत में शामिल किया था तो क्या उन्होंने सुरक्षा परिषद से पूछा था? उसके बाद राजीव गांधी ने श्रीलंका में आईपीकेएफ को भेजा था तो क्या उन्होंने सयुंक्त राष्ट्र या सुरक्षा परिषद् से पूछा था?

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय :** अब आप आसन ग्रहण कीजिए। अब आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी। फ्रांसिस जार्ज साहब आप अपना भाषण शुरू करें।

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :** यहां दुनिया भर की बातें कही जा रही हैं।...(*व्यवधान*)

**सभापति महोदय :** इनकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है। आप कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए।

*[अनुवाद]*

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज :** माननीय, सभापति महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का समर्थन करता हूं जो कि इस सभा के सभी दलों के मध्य दो दिन लगातार चले विचार-विमर्श का नतीजा है...(*व्यवधान*)

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय :** आप आसन ग्रहण कीजिए, आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

*[अनुवाद]*

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज :** महोदय, इराक में युद्ध के परिणामस्वरूप व्यापक रूप से हुए जान और माल के नुकसान के अलावा सबसे बेचैन करने वाली और चौका देने वाली बात यह है कि इस युद्ध के आरंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था की लगातार अनेदखी की गयी। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति को बनाए रखने के लिए यदि तंत्र साबित नहीं होगा तो क्या होगा? हम जानते हैं कि राष्ट्र संघ के असफल होने के परिणामस्वरूप ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। यदि संयुक्त राष्ट्र संगठन असफल हो जाता है तो आगे इसका परिणाम क्या होगा? अमरीका सहित सभी देशों को इस बात पर गंभीरता से सोचना होगा।

महोदय, इस सदी में राष्ट्रों को आपस में युद्ध करने के बजाय मानवता के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाली, महाविपत्ति अर्थात गरीबी, अशिक्षा और असाध्य रोगों के विरुद्ध जंग छेड़नी चाहिए। हमारा हृदय उन इराकी, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए व्यथित होता है जिन्होंने युद्ध की नृशंसता को झेला है। हम इराक में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली का समर्थन करते हैं और हम आशा करते हैं कि इराक आने वाले दिनों में राष्ट्र मंडल में एक सच्चे लोकतांत्रिक देश के रूप में समृद्ध होगा।

**श्री यशवंत सिन्हा :** माननीय, सभापति महोदय, मैं यहां उत्तर देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं क्योंकि यह वाद-विवाद नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन** (फिरोजाबाद) : यशवन्त जी, आप हिन्दी में बोलिये, आप हिन्दी अच्छी बोलते हैं।

**श्री यशवंत सिन्हा :** फिर भाषा का विवाद आप शुरू कर रहे हैं।

**अपराह्न 4.38½ बजे**

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

*[अनुवाद]*

महोदय, इस संकल्प पर सभा में सर्वसम्मति है और हमें इस बात पर प्रसन्नता है कि ऐसा सर्वसम्मत संकल्प लाना संभव हुआ जिसमें न केवल इस सभा की अपितु पूरे देश की भावनाएं व्यक्त हो रही है। हमें विशेष रूप से इस बात पर प्रसन्नता है कि हमने जो भावना प्रकट की वह इस सभा की प्रतिष्ठा के अनुकूल थी और यह भावना इस मौके की महत्ता के अनुकूल भी है।

महोदय, डा. विजय कुमार मल्होत्रा कह रहे थे कि भारतीय विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय आम सहमति पर आधारित रही है। मेरे विचार से हमने एक और बार दिखा दिया है कि जब विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण मामले होते हैं तो यह इस राष्ट्र की क्षमता और प्रतिभा है कि हम अपने सारे मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाते हैं। मेरा इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारतीय संसद की इस सभा का यह सर्वसम्मत संकल्प संपूर्ण विश्व में लक्षित पक्षों तक संदेश पहुंचाएगा। मैं किसी भी अन्य पहलू से अधिक संकल्प को सार्वधिक शांति और मानवता के पक्ष में एक संकल्प के रूप में देखता हूं। हमने इराकी लोगों की वेदनाओं पर चिंता प्रकट की है। हमने उन दु:खों को देखा है क्योंकि टेलीविजन चैनलों की रिपोर्टों के मध्यम से युद्ध प्रत्येक घर में देखा जा रहा है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज हम जो कुछ भी कह रहे हैं आज यह सभा जो भी कह रही है वह इस देश की उस नीति पर आधारित है जो उसने अपनी स्वतंत्रता से बाद से आज तक अपनायी हुई है। भारत की विदेश नीति सिद्धांतों पर आधारित है। यह व्यावहारिकतावाद पर आधारित है और यह देश के हितों को सदैव सर्वोपरि रखती है। इसलिए, इस संबंध में जो भी मतभेद हो और उस पर इस सभा के बाहर समझौता करना कितना भी कठिन हो कि हम स्वयं को किस तरह व्यक्त करें, परंतु मैं सरकार की ओर से आपकी प्रतिभा आपके नेतृत्व के लिए आपको बधायी देता हूं कि आपके अच्छे प्रयासों के कारण यह संभव हुआ कि हम सब सम्मान की भाषा, संयत भाषा पर सहमत हुए।

भारत इसी भाषा का प्रयोग बहुत समय से करता रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। हम विश्व के उन गिने-चुने देशों में से रहे हैं जिसने हमेशा यह कहा है कि इराक पर लगाये गये प्रतिबंध हट जाने चाहिएं और इसके लिए सर्वाधित महत्वपूर्ण कारण पुन: इराकी लोगों की चीज है। ग्यारह-बारह वर्षों से इराक पर ये प्रतिबंध लगे हुए हैं, हम उस देश के पक्ष में हमेशा बोले हैं। हम आशा करते हैं कि चाहे जो भी हो यह इराकी जनता ही होगी जो अपने भविष्य का फैसला करेगी और यह इराकी जनता ही होगी जो अपनी नियति की मालिक स्वयं होगी। ने केवल यह हमारी इच्छा है हम इस दिशा में कार्य करने का प्रयत्न भी करेंगे।

महोदय, मेरी इस समय इस मामले पर किसी से तर्क-वितर्क करने की कतई इच्छा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है कि हमने दुर्लभ एकता और सर्वसम्मति दर्शाते हुए इस संकल्प को पारित करने का निर्णय लिया है मैं केवल एक ही मुद्दे पर बात कहना चाहता हूं फिर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की आशंका व्यक्त की है कि जैसी परिस्थितियां आज इराक में है उसी तरह के एकपक्षवाद का सामना कुछ देशों को भी करना पड़ सकता है और इसमें भारत का भी नाम लिया गया। मैं यह बात जोड़ना चाहता हूं कि भारत एक बिलियन लोगो का देश है और इसे इतने हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता हमें इतना विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास उस एकता से उत्पन्न होता है जिसका आज हमने प्रदर्शन किया है। हमारा विश्वास इस सत्य से भी उत्पन्न होता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और मैं ऐसा एक भी उदाहरण नहीं सोच सकता जहां एक बड़ा लोकतांत्रिक देश—भारत तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है — किसी भी शक्ति के आगे झुक जाए। भारत को झुकाया नहीं जा सकता। इसलिए हमें भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने की हमारी क्षमता पर कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। मैं न केवल सरकार की ओर से अपितु इस संपूर्ण सभा की ओर से और समस्त राष्ट्र की ओर से यह कहना चाहता हूं कि जो भी यह सोचता है कि भारत को विश्व के किसी अन्य देश द्वारा झुकाया जा सकता है तो वह ऐसे स्वप्न को पाल रहा है जो कभी भी पूरा नहीं होगा।

[श्री यशवंत सिन्हा]

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी नीति व्यावहारिकता पर आधारित है, और आप जानते हैं कि राष्ट्रों के बीच संबंध किसी एक विषय से निर्धारित नहीं किए जाते।

इराक तथा अन्य अरब देशों से भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। हम चाहेंगे कि यह संबंध जारी रहें तथा साथ ही यह भी चाहेंगे कि ये संबंध और फले फूले। भारत के अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और इस मुद्दे पर हमारे मतभेद के बावजूद हम अमेरिका के साथ अपने संबंध बढ़ाना चाहते हैं। विश्व में लोकतांत्रिक देशों का समूह है तथा अमेरिका में लोकतंत्र है। मैं आपको को आश्वासन देना चाहता हूं कि भविष्य में जो कुछ भी हम करेंगे उसमें राष्ट्रीय हित को पहले की भांति सर्वोपरि रखा जायेगा। भारत उसी नीति का पालन करेगा जो उसके हित में होगी। वह औचित्य की नीति का पालन करेगा। विश्व में भारत हमेशा नैतिकता की आवाज के पक्ष में होगा। इसमें संदेह नहीं है। हम जहां कहीं भी जिस प्रकार की भूमिका निभाने में सक्षम होंगे, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे और जितना हो सकेगा भारत नेतृत्व प्रदान करने में पीछे नहीं रहेगा।

महोदय, मैं सरकार की ओर से सभा के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि वे इस प्रस्ताव पर एकमत हुये और मुझे आशा है कि इसे बिना किसी विरोध या मतभेद के पारित कर दिया जायेगा।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों, मुझे खुशी है कि जितने भी सदस्यों ने भाषण दिया सभी ने इस संकल्प का समर्थन किया तथा पूरी सभा इस संकल्प के साथ है। मझे उन सभी नेताओं और सभा के सदस्यों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनकी कोशिशों से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी एक दूसरे के विचारों को समझते हुए एकमत हुये। इस मुद्दों पर कल से चर्चा चल रही है।

अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय विषयों पर यह सभा हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर रही है और इसके लिए मैं सम्पूर्ण सभा का अभिनंदन करता हूं। अब संकल्प आप सबके सामने है।

अध्यक्षपीठ द्वारा प्रस्तुत संकल्प के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि विशेष विषय होने के कारण इस पर चर्चा करने की अनुमति दी गयी और मिसाल के तौर पर इसे उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए। सदन के समक्ष रखा गया संकल्प इस प्रकार है :-

*[हिन्दी]*

"राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त करते हुए यह सदन प्रभुतासंपन्न इराक के विरुद्ध अमेरिका के नेतृत्व में गंठबंधन सेनाओं द्वारा की जा रही सैनिक कार्रवाई की निंदा करता है। इराक में सत्ता परिवर्तन करने हेतु की गयी सैनिक कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है। युद्ध के फलस्वरूप इराक के मासूम लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की वेदनायें एवं गंभीर मानवीय मसला है। यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष मंजूरी के लिए की गयी है और यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ है। अत: यह सदन इराक के लोगों के लिए गंभीर संताप और गहन सहानुभूति प्रकट करता है।

यह सदन संतोष व्यक्त करता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इराक के संकटग्रस्त लोगों के लिए तत्काल मानवीय सहायता की अपील पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र व नकद और सामग्री के माध्यम से 100 करोड़ रुपये की सहायता देने का फैसला किया है जिसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं देना भी शामिल है; पर यह अपेक्षा करता है कि आवश्यकता पड़ने पर और सहायता भी की जाये।

यह सदन तत्काल युद्ध समाप्ति का आह्वान करता है और गठबंधन सेना की शीघ्र वापसी की मांग करता है।

यह सदन यह भी मांग करता है कि संयुक्त राष्ट्र सुनिश्चित करे कि इराक की सम्प्रभुता कायम रहेगी और इराक का पुनर्निर्माण संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में होगा।"

*[अनुवाद]*

यदि सभा सहमत हो तो, मैं घोषणा करता हूं कि संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

*संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 4.47 बजे**

*[अनुवाद]*

## अध्यक्ष द्वारा घोषणा

**अध्यक्ष महोदय :** "7 अप्रैल, 2003 को दलों के नेताओं की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 16 और 17 अप्रैल, 2003 के लिए निर्धारित बैठकों को रद्द कर दिया जाए।

यह भी निर्णय लिया गया कि 13 मार्च, 2003 के लिए निर्धारित गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य (विधेयक), जिसे किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया था, को अब गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के साथ 10 अप्रैल, 2003 को लिया जायेगा। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 10 अप्रैल, 2003 को अपराह्न 2.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक निष्पादित किया जाएगा।''

मुझे आशा है कि सभा इसे सहमत है।

**अनेक माननीय सदस्य :** जी, हां।

---

**अपराह्न 4.48 बजे**

*[अनुवाद]*

## राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक—पारित

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) :** महोदय, श्री लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

महोदय, यह विधेयक बहुत ही छोटा, अहानिकारक, परन्तु महत्वपूर्ण विधेयक है। इस विधेयक में जहां कहीं भी राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति प्रदर्शित असम्मति के बारे में संदेह थे उन्हें मूल विधेयक की धाराओं में संशोधन कर और स्पष्टीकरण के माध्यम से दूर किया गया है।

**अपराह्न 4.50 बजे**

**[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए।]*

महोदय, इस वर्ष 7 मार्च, को यह विधेयक पुर:स्थापित किया गया था।

इसमें केवल दो संशोधन करने की बात कही गयी, पहला है जो व्यक्ति दूसरी बार अपराध करता है तथा उसके बाद भी करता रहता है उसके लिए इस संशोधन में और अधिक सख्त सजा; कम-से-कम एक वर्ष की सजा देने का प्रावधान संशोधन विधेयक में किया गया है।

सभापति महोदय, इसमें विस्तृत स्पष्टीकरण जोड़ा गया है और यदि कोई अनादर प्रदर्शित किया जाता है उस बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा गया है। किसी समय अगर अनादर किया गया हो तो ऐसे अनादर के लिए 'अपमान' शब्द पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस संशोधन विधेयक को सभा के समक्ष लाया गया है। अत:, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विधेयक पर विचार कर इसे पारित किया जाए।

**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

''कि राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

*[हिन्दी]*

**श्री जे.एस. बराड़** (फरीदकोट) : स्वामी साहब ने जो राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2003 पेश किया है, उसका सब तरफ से समर्थन होना चाहिए। हमें इस बात पर गर्व है कि संविधान सभा ने पहली बार 22 जुलाई, 1947 को नेशनल फ्लैग को एडप्ट किया। उसके बाद देश की जो तमाम प्राप्तियां हुई हैं, इस राष्ट्रीय झंडे के तले कितने ही लिब्रेशन मूवमेंट चलाए गए और कितनी ही उपलब्धियां हमने हासिल कीं। 1962, 1965, 1971 में जो जंग हुई, इसी झंडे के तले लड़ी गई। सही मानो मं मुंडक उपनिषद में ''सत्यमेव जयते'' का जो नारा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। जैसा वे कहते हैं, सत्य की हमेशा विजय होती है। उसको भी महसूस किया गया। नेशनल एंथम और नेशनल सांग को मान दिया जाए, सत्कार दिया जाए, यह पहले भी कहा जाता रहा है। हमें इस बात का गर्व है कि पहली बार 27 दिसम्बर, 1911 को कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में नेशनल एंथम को गाया गया। ओरिजनली यह बंगाली भाषा में रविन्द्र नाथ टैगोर जी ने लिखा था। जो हमारे देश का नेशनल सांग कहलाता है, वह बंकिम चन्द्र चटर्जी साहब ने संस्कृत में लिखा था। वह भी कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। सही मानो में इसकी विरासत कांग्रेस का जो फ्रीडम मूवमेंट है, उससे जुड़ी हुई है।

मुझे यह कहते हुए बड़ा फख महसूस हो रहा है कि जो हमें आखिरी युद्ध, कारगिल युद्ध, देखने को मिला। हम सबने दूरदर्शन पर उस जंग को अपनी आंखों से देखा कि कैसे हमारे देश के जवानों की शहादत उस युद्ध में हुई और उनकी लाशें राष्ट्रीय ध्वज में लपेट कर लाई गई। उस मंजर को देख कर देशवासियों को राष्ट्रीयता की प्रेरणा मिली, वह अपने आप में बहुत महत्व रखती है। मेरे ख्याल से इस विधेयक में कुछ कमियां हैं, जिनको दूर करना जरूरी है।

[श्री जे.एस. बराड़]

रविन्द्र नाथ टैगोर जी के नेशनल एंथम जन-गण-मन को प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक पक्के तौर पर देश में अपनाया जाए, इसके बारे में स्वामी जी के इस विधेयक में कोई जिक्र नहीं है। देश में चर्चा होती है कि नेशनल करैक्टर गिर रहा है, देश की मिट्टी के प्रति लोगों की भावना कम होती जा रही है, इसलिए यह उचित होगा अगर हम इस बिल में यह क्लॉज शामिल कर लें कि स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयीन शिक्षा तक हम राष्ट्रीय गान को सत्कार और मान देंगे।

*[अनुवाद]*

खंड 2(ख) के अतंर्गत स्पष्टीकरण 4(घ) में कहा गया है :

"भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का किसी भी प्रकार के वस्त्र व्यवसाय के रूप में, राज्य अंत्येष्टियों या सशस्त्र बलों या अन्य परा सैनिक बलों की अंत्येष्टियों के सिवाय, उपयोग करना...."

इसमें माना गया है कि आम लोगों को इसके दायरे से बाहर रखा जाए। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितम्बर को जब हमला हुआ तो वहां 10 दिनों तक सबसे ज्यादा राष्ट्रीय झंडे बिके और लोगों ने वहां पर अपनी कारों पर लगाया और सजाया। सुप्रीमकोर्ट का जो आर्डर आया है कि अपनी गाड़ियों पर, मोटरों पर उन दिनों में जो शहादत से जुड़े दिन हैं या देश की मार्यादा, संस्कृति से जुड़े दिन हैं स्कूलों, सरकार दफ्तरों में झंडे को लहराया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए और इस बात को भी इसमें शामिल करने की कृपा करें। झंडे में तीन रंग शामिल हैं। जिस रंग के झंडे तले शहीदे आजम भगत सिंह ने इस देश की आजादी में अहम रोल अदा किया था, उनके बुतों को हम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में नहीं लगा पाए। मेरे सामने वह कुर्सी है जहां पर शहीदे आजम भगत सिंह ने इस झंडे और देश की मिट्टी को मस्तक से लगाकर अंग्रेजों के खिलाफ बम फैंका। लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हम उनको पूर्ण रुप से सत्कार नहीं दे पाये हैं, जिन्होंने देश के सम्मान के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। आजकल देश में धर्म का झंडा ज्यादा प्रधान होता जा रहा है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, तरह-तरह के जो संप्रदाय हैं वे राष्ट्रीय झंडे को पीछे रखकर अपने सैक्ट के झंडे को बढ़ावा देने लगे हैं। यह प्रवृत्ति इस देश के लिए अच्छी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार इसके बारे में भी कदम उठाएगी।

यह बात ठीक है कि झंडे के झोले, कुर्ते-कमीज, पायजामे बनने लगे तो उसको रोकने के लिए जो क्लॉज लगाई गयी है मैं उसकी सराहना और समर्थन करता हूं। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय स्मारक और स्टेचूज के ऊपर झंडे न लगें, उससे उनका सत्कार कम होता है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।

**अपराह्न 5.00 बजे**

अगर महात्मा गांधी जी, शहीद-ए-आजम भगत सिंह, श्री सुभांष चंद्र बोस या जो महान लोग हमारे राष्ट्रीय नायक हुए हैं, जब हम उनके दिनों को मनाते हैं, अगर उन पर वे झंडे लगा दिये जाएं तो सही मायनों में इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसी मूल भावना के साथ इस बिल को लाया गया है। लेकिन अगर इसके स्टेटमैन्ट और ऑब्जैक्ट्स में हमें मंत्री जी यह बताने का कष्ट करते कि नेशनल फ्लैग और कॉस्टीट्यूशन की कब-कब और किन-किन मौकों पर इंसल्ट की गई है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज और नेशनल एन्थम की बेहुरमती की गई है तो इससे हमें कुछ और जानकारी मिलती कि इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके साथ ही मैं इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और मेरे ख्याल से जवाब में स्वामी जी इसमें जो कुछ एड करने की जरूरत है, उसे शामिल करने का कष्ट करेंगे।

**योगी आदित्यनाथ** (गोरखपुर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा राष्ट्र गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2003 सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका स्वागत करते हुए पूर्ण समर्थन करता हूं। निश्चित ही यह आज हम सबके सोचने के लिए कुछ प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी हैं कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और अपने राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक महापुरुषों का जो अपमान होता है, उसके लिए भी हमें विधेयक लाना पड़ रहा है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। जिस प्रकार की परिस्थितियां आज पैदा हुई हैं, कुछ इस प्रकार के तत्व देश के अंदर सक्रिय हुए हैं, जिन्होंने समय-समय पर राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का अपमान करने की परम्परा प्रारम्भ की है। जिस राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए, उसकी आन-बान और शान की रक्षा के लिए अनगिनत शीश झुक पड़ते थे, अनगिनत शीश फांसी के फंदों पर झूलने के लिए तैयार हो जाते थे, आज उस राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के प्रति जिस प्रकार के प्रश्नचिह्न लगाने की परम्परा कुछ क्षेत्रो में कुछ लोगों के द्वारा पैदा की गई है, यह एक शुभ-लक्षण नहीं है और किसी भी सम्प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र के लिए यह सोचना आवश्यक है कि उसकी पहचान

उसके राष्ट्रीय ध्वज से होती है, उसके राष्ट्रगीत से होती है, उसके राष्ट्रगान से होती है और उसके राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक उन महापुरुषों से होती है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए, उसके निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। आज हम सबके सामने यह प्रश्न है कि किसी राष्ट्रीय परिचय के सामने किसी व्यक्ति का, किसी महापुरुष का, किसी पंथ का परिचय महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, राष्ट्रीय परिचय महत्वपूर्ण है। उस राष्ट्र की एकता और अखंडता महत्वपूर्ण है। राष्ट्र की सम्प्रभुता, उसकी एकता और अखंडता का प्रतीक देश का राष्ट्रीय ध्वज हो सकता है, उस देश का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हो सकता है और उसके वे महापुरुष हो सकते हैं जिन्होंने उस देश की एकता और अखंडता, स्वतंत्रता और उसकी सम्प्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है।

सभापति महोदय, कुछ सालों में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं जो देश में इस प्रकार की स्थितियां पैदा कर रही हैं। मुझे इस संबंध में कविवर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां याद आती हैं, जिनमें उन्होंने कहा था :

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है,
वह नर नहीं नरपशु निरा है और मृतक समान है।

मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो बातें यहां पर रखी हैं, राष्ट्रीय गौरव के संबंध में दो बातें उसमें हैं — एक राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हैं और दूसरा राष्ट्रीय गान के बारे में लिखा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि राष्ट्रीय गान के साथ-साथ इसमें राष्ट्रीय गीत को भी शामिल किया जाए क्योंकि राष्ट्रीय गीत भी इस देश की, भारत माता की परंपरा को आगे ले चलने का गीत है। वह गीत है वन्दे मातरम्। जिस वन्दे मातरम, को गाते-गाते अनगिनत देशभक्त फांसी के फंदे पर हंसते-हंसते झूल जाते थे, उस राष्ट्रीय गीत का भी अपमान कुछ क्षेत्रों में होता है। अभी दो वर्ष पहले आजमगढ़ में सांप्रदायिक सौहार्द इसलिए बिगड़ा था क्योंकि वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् अपने कार्यक्रम की शुरूआत वंदेमातरम् से करना चाहती थी, लेकिन एक वर्ग उसको पसंद नहीं करता था। आज संसद का सत्र समाप्त होता है तो समापन के समय वन्दे मातरम गाया जाता है। लेकिन भारत के अंदर कुछ संस्थाएं आज भी इस बात का प्रयास करती हैं कि वन्दे मातरम् का विरोध करके इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का जहां प्रयास होता है, वहीं साथ ही साथ देश की संप्रभुता के साथ, उसकी एकता और अखंडता के ऊपर प्रश्नचिह्न लगाने का भी प्रयास होता है।

दूसरा अनुरोध मैं यह भी करूंगा कि जिस प्रकार से यह विधेयक राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अपमान के प्रति आया है, ये राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हमारे वे महापुरुष भी हैं, हमारे देश का संविधान भी है, इस देश के ग्रंथ भी हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं। जिनक माध्यम से हमें उन मार्गों पर चलने की प्ररेणा मिलती है, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, वे भी हमारे गौरव के प्रतीक हैं। उनका अपमान अगर किसी भी स्थिति में या किसी भी स्तर पर होता है तो निश्चित ही वह एक दंडनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए और बार-बार देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, ऐसे महापुरुषों का अपमान बार-बार कुछ लोगों के द्वारा, इस देश के बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने के लिए बार-बार किया जाता है, इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। इसको संज्ञेय अपराध के रूप में लिया जाना चाहिए जिससे उन विघटनकारी तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके।

इसके साथ ही माननीय मंत्री जी ने जो बातें इस विधेयक को लाने के संबंध में यहां रखी हैं, निश्चित ही उनका पूरी तरह से सम्मान करते हुए और समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में कुछ चीजें पैदा हुई हैं। उड़ीसा में अभी दंगा हुआ था। वहां कर्फ्यू की स्थिति पैदा हो गई थी। वहां तिरंगे में अशोक चक्र की जगह चांद-तारा बना दिया गया था। यह सीधे-सीधे अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। इस प्रकार की स्थिति केवल उड़ीसा के अंदर ही पैदा नहीं हुई अपितु गोरखपुर और आस-पास के क्षेत्रों में भी इस प्रकार की स्थिति पैदा करने का प्रयास हुआ था। वहां विदेशी झंडे लगाए गए और विदेशी झंडों को सार्वजनिक भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाकर वहां बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का प्रयास हुआ और यही नहीं, इसके पीछे कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का समर्थन भी उस कार्यक्रम में मिला। हम लोगों को विरोध करना पड़ा था। लेकिन इस प्रकार की स्थिति पैदा ही क्यों होती है? जो अधिकारी संविधान की शपथ लेकर उस कुर्सी पर बैठता है, वह व्यक्ति ही संविधान की सरकार अवहेलना कर रहा हो, राष्ट्रीय ध्वज का इस प्रकार से अपमान कर रहा हो तो निश्चित रूप से इस प्रकार के लोगों को चिह्नित करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। माानीय मंत्री जी ने जो विधेयक यहां प्रस्तुत किया है, मैं उसका एक बार पुन: स्वागत करते हुए अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को भी, तथा अपने गौरव के प्रतीक उन महापुरुषों को भी जिन्होंने देश को आजादी के

[योगी आदित्यनाथ]

लिए सर्वस्व न्यौछावर किया था, और हमारे देश की महानतम सांस्कृतिक परंपरा के जो आदर्श रहे हैं, जो ध्वजवाहक रहे हैं, उन महापुरुषों का अपमान भी संविधान का अपमान भी या जिससे भी हम प्रेरणा लेते हैं, उनके अपमान को भी संज्ञेय अपराध के रूप में शामिल करके इस विधेयक में शामिल किया जाए जिससे किसी को भी देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की, देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की छूट न दी जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुन: मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए समर्थन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री वरकला राधाकृष्णन** (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुये मैं इसके ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करना चाहूंगा।

राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र का प्रतीक होता है। यह हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक भी रहा है। संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से ही हम इस झंडे का उपयोग बिना अशोक चक्र के करते रहे हैं। इस झंडे को मैं स्कूल के दिनों से ही स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का चिन्ह मानता रहा हूं। अब राजनीतिक लाभ के लिए इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश की जा रही है।

कल मैं 'दि हिन्दू' समाचार पत्र पढ़ रहा था, उसमें सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं ने कहा था कि गांधी जी जिन आदर्शों के लिए लड़े थे आज आर एस एस भी उन्हीं के लिए प्रतिबद्ध है। आज आर एस एस गांधी जी के विचारों का पक्षधर है।

इतिहास के तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। गांधी जी तथा आर एस एस के बीच समानता बतायी जा रही है। ऐसा तब हुआ जब प्रधान मंत्री ने खुद डा. हेडगेवार पर एक विशेष व्याख्यान दिया था। उन्होंने कहा कि डा. हेडगेवार आर एस एस के संस्थापक थे तथा आर एस एस में होने पर उन्हें गर्व है। इस मौके पर कहा गया था कि गांधी जी आर एस एस के विचारों के पक्षधर हैं तथा आर एस एस गांधी जी के विचारों का आज ऐसा ही हो रहा है। मुझे डर है कि कहीं हमें एक दिन यह सुनने को न मिले कि भगवा झंडा राष्ट्रीय झंडे के समान है। ऐसा दिन आयेगा जब वे कहेंगे कि भगवा झंडा राष्ट्रीय झंडे से मिलता-जुलता है। अत:, हमें सावधान रहना होगा। इसे रोकना होगा और इसीलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

गांधी जी का अपमान तो पहले ही हो चुका है और हो सकता है भविष्य में राष्ट्रीय झंडे का भी अपमान हो जाये क्योंकि आज स्थिति ही ऐसी है। इतिहास पुन: लिखा जा रहा है; स्वतंत्रता आंदोलन पुन: लिखा जा रहा है, राष्ट्रीय नेताओं को अलग ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है; और साम्प्रदायिक नेताओं को आगे ला कर उनकी गणना स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के रूप में की जा रही है। सतारूढ़ दल के नेता का कहना कि गांधी जी आर एस एस के लिए लड़ते रहे, की मैंने कभी भी अपेक्षा नहीं की थी।

ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। छात्र जीवन में मैंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। मैं राष्ट्रीय झंडा लहराता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आयेगा जब वे लोग कहेंगे कि आर एस एस की विचारधारा गांधी जी के विचारों के समान हैं। यह सुन कर बड़ा आश्चर्य होता है। आज हम ऐसे ही समय में रह रहे हैं।

अब राजनैतिक सुविधा के लिए इतिहास को पुन: लिखने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है कि 3-4 या 5 वर्षों के बाद हमें यह सुनने को मिले कि भगवा झंडा राष्ट्रीय झंडे के समान है। अत: हमें सावधान रहना होगा। राष्ट्रीय झंडे को सबसे ऊंचा स्थान देना होगा, उसे सम्मान देना होगा। उसका अपमान नहीं होना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को पुन: लिखने का प्रयास निंदनीय और बहुत ही आपत्तिपूर्ण प्रयास है। राजनीतिक लाभ के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को पुन: लिखने का जोरदार प्रयास किया जा रहा है।

इसलिए, मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं, साथ ही मैं आगाह करना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर ऐसे प्रयास नहीं किये जाने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री पी.एच. पांडियन** (तिरूनेलवेली) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में इस संदर्भ में कहा भी गया है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति अनादर दिखाने की कतिपय घटनाएं हाल ही में सरकार के ध्यान में आयी हैं।

सभापति महोदय, मुझे विश्वास है कि आपने बहुत से सरकारी समारोहों में भाग लिया होगा। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह चाहे वह राष्ट्रपति भवन में हो या राजभवनों में, सदैव राष्ट्रगान से प्रारम्भ होता है। मुझे सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायधीशों के शपथ ग्रहण समारोहों में सम्मिलित होने का अवसर मिला। न्यायधीशों के शपथ ग्रहण समारोह का प्रारम्भ राष्ट्रगान से नहीं हुआ। पिछले सप्ताह मैंने चेन्नई में उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। न तो समारोह के आरम्भ में, जबकि मुख्य न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलानी थी और न ही समारोह के अंत में राष्ट्रगान गाया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रगान गाने के बारे में कोई मानदण्ड बनाये गये हैं या नही। क्या राष्ट्रगान गाने के लिए कुछ नियमों, प्रावधानों को पूरा करना जरूरी है या नहीं? या क्या राष्ट्रगान केवल राज्य सरकारों और केन्द्र मरकार के समारोहों में ही गाया जाना चाहिए। क्या न्यायपालिका के समारोहों में राष्ट्रगान गाने पर कोई प्रतिबंध है। मैं माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में मुख्य रूप से यह बात लाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, हम सब राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करते हैं। मुझे याद है कि एक समय ऐसा था जब किसी भी नागरिक को केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अनुमति थी। क्या अभी भी यह प्रणाली लागू है? एक तरह से हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे मेहनत से लड़े गये स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सभी नागरिक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए स्वतंत्र हैं या नहीं। इस पर सरकार का क्या विचार है। यदि लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति दी जाती है तो इसके परिणामस्वरूप लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी। अन्यथा केवल युद्ध के समय में ही हममें राष्ट्रीयता की भावना आती है। इस मुद्दे पर सरकार की क्या कार्ययोजना है?

महोदय, सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि राष्ट्रीय चिन्हों को स्मारकों की भांति सुरक्षित रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्मारकों को भी सुरक्षित रखा जाता है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन मैं इन मुद्दों पर माननीय मंत्री जी के जवाब की आशा करता हूं।

**श्री अनादि साहू** (बरहामपुर, उड़ीसा) : महोदय, मैं राष्ट्र **गौरव अपमान निवारण** (संशोधन) विधेयक, 2003 का समर्थन करता हूं।

महोदय, महाकाव्यों के नायकों, राजाओं और योद्धाओं के ध्वज उनके अनुयायियों में प्राण फूंकने का काम करते रहे हैं, और आवश्यकता के समय उनमें विश्वास जगाने का काम करते रहे हैं। किसी भी राष्ट्र, और किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित लोगों के समूह के लिए यह काफी महत्त्वपूर्ण है आप भी इस तथ्य को जानते हों तो कि महाभारत में भगवान कृष्ण के रथ पर लगे कपिध्वज का प्रसंग आता है जो कि अजेय था।

यह कौरवों के विशाल समूह के विरुद्ध पांडवों के लिए लड़ने वाले योद्धाओं में जोश भरने का एक प्रतीक था।

अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में विचार करते हुए मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि वर्तमान समय के आन्ध्रप्रदेश के निवासी श्री वैंकैया द्वारा कैसे 1921 में इसकी संकल्पना की गई थी। उन दिनों इसे मद्रास प्रेसीडेंसी के रूप में जाना जाता था। 1921 में तिरंगे का सृजन हुआ और 1924 में श्री श्यामलाल गुप्ता ने तिरंगे पर एक बहुत सुंदर गीत लिखा।

"विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,
झंडा ऊंचा रहे हमारा"

उसकी गूंज आज भी सुनी जाती है। देश के हर कोने में इसकी गूंज सुनी जाती है। तिरंगा हमारे स्वतंत्रता संग्राम, बलिदानों और दुर्जेय ब्रिटिश नागरिकों के विरुद्ध लोगों में जोश भरने का प्रतीक रहा है। जब हम तिरंगे के बारे में सोचते हैं तो हमें इस देश के लाखों लोगों के मन में इससे जगने वाले सम्मान के बारे में भी सोचना होगा।

प्रारम्भिक अधिनियम में तीन भाग हैं। पहला राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित है, दूसरा भारत के संविधान से और तीसरा राष्ट्रगान से संबंधित है। मैं राष्ट्रगान से अपनी बात शुरू करूंगा। श्री योगी आदित्यनाथ जी यहां उपस्थित नहीं हैं। वह 'वंदे मातरम' की बात कर रहे थे। 'वंदे मातरम' यजुर्वेद के वाक्देवी सूक्त से निकला है। इसमें कहा गया है :

"अहं राष्ट्री संघमणी,
वसुनां चिकितुसी प्रथमां,
यज्ञांयानाम अहं रुद्रदेवी वरूणेत्री इत्यादि"

वे कहती हैं "मैं ही राज्य हूं। मानस और धैर्य को मिलाकर मैं सारे विश्व को संगठित करती हूं। मेरे बिना हवन नहीं हो सकता। मैं विश्व के समस्त लोगों और समस्त ब्रह्मांड की निर्णायक हूं। यहां से 'वंदे मातरम' का उदय हुआ है। वह कहती है कि 'मैं राज्य हूं'

[श्री अनादि साहू]

पुराने समय में मातृभूमि के बारे में विचार करना कोई मामूली बात नहीं थी। जब हम टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान पर विचार करते हैं तो हमें सबसे पहले और मुख्य रूप से इस देश की एकता और अखंडता पर विचार करना चाहिए। दूसरी प्रमुख बात यह है कि हम मां के ईद गिर्द रहें। शंकराचार्य जी ने इस बारे में यही कहा है:

"भवानी भुतेशो भजति,
जगदीशे कपदवी,
भवानी त्वत् पाणिग्रहण,
परिपाटी फलम् इदं।"

तुमहारे पाणिग्रहण से भूतों के ईश समस्त ब्रह्मांड के ईश बन गए हैं। यह एक मामूली रचना नहीं हो सकती। अपने राष्ट्रगान पर विचार करते हुए हमें इस बारे में सोचना होगा। राष्ट्रगान के संबंध में किसी भी तरह का अनादर और किसी भी विकृति को देश का अनादर समझा जाना चाहिये।

अब मैं राष्ट्रीय ध्वज के मुद्दे पर ही आता हूं। 1947 में राष्ट्रीय ध्वज की संरचना के बारे में सभी विवरणों पर एक समिति द्वारा विचार किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया जो कि भारतीय मानक संस्थान के अभिलेखागार में है। ये उन दिनों के माननीय सदस्यों की समिति द्वारा तैयार राष्ट्रीय ध्वज की भूल संरचना है। यह 2 : 3 के अनुपात में है जिसमें तीन रंग अर्थात केसरिया, श्वेत और सबसे नीचे हरा रंग है और अशोक चक्र के रूप में 24 गहरे नीले रंग के अर हैं। ध्वज में किसी भी तरह से की गयी विकृति को उसकी अवमानना या अनादर समझा जाएगा।

अब झंडे को फहराये जाने पर भी विचार किया गया है। इसे समस्तरीय तरीके से फहराया जाए और केसरिया रंग आकाश की तरफ होना चाहिये और यदि इसे लम्बवत स्थिति में रखा जाए तो केसरिया रंग उत्तर या पूर्व की तरफ हो। यह इसकी संरचना है। इस प्रकार इसको अलग तरह से फहराया जाना एक तरह से विकृत करना या खंडित करना समझा जाए।

योगी आदित्यनाथ जी जानबूझकर समस्याएं पैदा करने के मुद्दे पर बात कर रहे थे। मेरे राज्य के जगजीतसिंह पुर जिले के फतेहपुर में राष्ट्रीय ध्वज को विकृत करने के उद्देश्य से जानबूझकर एक दोषपूर्ण हरकत की गयी। मेरे विचार से यह जानबूझकर देश में समस्या उत्पन्न करने का प्रयास है। अब इस संशोधित प्रावधान के माध्यम से एक बहुत अच्छी बात की गयी है। संविधान के लिए समस्या पैदा करना इसका तीसरा पहलू है और मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाऊंगा। यह संशोधित प्रावधान एक अच्छी बात है, इसमें अनादर और अवमानना की बात की गयी है। संशोधन के खंड 2(क) में अनादर की व्याख्या की गयी है। अनादर और अवमानना का ध्वनित अर्थ पृथक-पृथक है। जब 1971 में यह अधिनियम पारित हुआ था तक अवमानना के बारे में विचार किया गया था। लेकिन अब अन्य बातों के बदलने के साथ ध्वनित अर्थ भी बदलना ही चाहिए।

हम आज पाते हैं कि इस देश में लोग समस्याएं हल करने की तुलना में ज्यादा समस्याएं पैदा कर रहे हैं। इस देश में विखण्डन की प्रवृतियां हैं। देश से बाहर के लोग इस देश में रह रहे लोगों के एक समूह को हमारे लिए समस्याएं पैदा करने के लिए उकसा रहे हैं। देश से बाहर के लोग, एक तरह से तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने में संलिप्त हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अवमानना और अनादर की व्याख्या बदली जानी चाहिए। अतएवं संशोधित प्रावधान एक सही दिशा में किए गए विचार हैं। खंड 3(क) में सजा बढ़ाए जाने का प्रावधान है। इन तीनों मामलों में अपराध दोहराने की स्थिति में कम से कम एक वर्ष की सजा का विचार किया गया है। राजोसिंह जी यहां नहीं हैं। उन्होंने एक संशोधन देते हुए कहा है कि कम से कम तीन वर्ष की सजा होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। क्योंकि मुख्य दंड प्रावधानों में हमने तीन वर्ष की सजा रखी है और यह एक दंडनीय अपराध है। अत: तेरे विचार से न्यूनतम तीन वर्ष की सजा उचित नहीं है। संशोधन में कहा गया है कि दूसरी बार या अनुवर्ती अपराध के समय न्यूनतम एक वर्ष की सजा होनी चाहिए। यह एक अच्छी बात है क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और भारत के संविधान के प्रति अनादर दिखाकर समस्याएं पैदा करने वालों के लिए यह एक निवारक का कार्य करेगा।

श्री जगमीत सिंह बराड़ वस्त्र-विन्यास की बात कर रहे थे। किन्तु राष्ट्रीय समारोहों के लिए वस्त्र-विन्यास एक तरह से आवश्यक भी है बिना किसी मंशा विशेष के वस्त्र-विन्यास एक अच्छी बात है। इससे समारोह में सम्मिलित होने वाले लोगों के मन में आदर की भावना आती है। यह संशोधन हर प्रकार से बहुत अच्छा है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह** (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन)

विधेयक, 2003 पर हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान की। निश्चित तौर पर यह विधेयक एक स्वागत योग्य कदम है। देश के लाखों लोगों की कुर्बानियों के पश्चात लाखों लोगों के त्याग और बलिदान के पश्चात हमें यह राष्ट्रीय झंडा प्राप्त हुआ है और जिन लोगों की कुर्बानियों के पश्चात हमें यह राष्ट्रीय झंडा प्राप्त हुआ है, यदि उन लोगों का ही अपमान हम करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह के विधेयकों की कोई सार्थकता उभरकर नहीं आएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया, उन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित किया जाएगा और यह कहा जाएगा कि हम राष्ट्रीय गीत का सम्मान करेंगे, हम राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करेंगे तो कहीं न कहीं दोनों बातों में विरोधाभास स्पष्ट रूप में परिलक्षित होगा। जिन लोगों के द्वारा भी राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया जा रहा है, निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए लेकिन यदि अनर्गल आरोप लगाकर समाज के अंदर वैमनस्यता के भाव पैदा किए जाएंगे, अगर समाज के एक वर्ग विशेष को लाभ दिया जाएगा और ऐसे अनर्गल आरोप लगाने के बाद लोगों को इस परिधि के अंदर नहीं लिया जाएगा तो एक नये तरह का विवाद इस देश के अंदर जन्म लेगा।

मैं इस बात को आपके समक्ष नहीं रखना चाहता था, लेकिन इसी सदन के अंदर मैंने देखा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक का किस तरह से राजनीतिक रूप से प्रयोग किया गया। अभी यहां योगी आदित्यनाथ जी नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया, मैं एक मिनट में उनको यहां बताना चाहता हूं। गोरखपुर में सातवां अंतर्राष्ट्रीय हिन्दू सम्मेलन आयोजित किया गया। पूरे गोरखपुर को भगवा झेडों से रंग दिया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथू राम गोडसे को महामंडित करने के लिए एक नहीं, सेंकड़ों बैनर लगाए गए। इस घटना की प्रक्रिया स्वरूप जब गोरखपुर में मोहर्रम का त्यौहार आया तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने अपने घरों पर धार्मिक झंडों को लगाया। उन धार्मिक झंडों को पाकिस्तानी और तालिबानी झंडे बताकर वहां साम्प्रदायिक तनाव पैदा किया गया। दो निर्दोष लोग उस साम्प्रदायिकता की आग की भेंट चढ़ गए और परवेज परवाज तथा लखन चंद वर्मा जैसे निर्दोष नागरिकों को आज राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जिन लोगों ने गोरखपुर को साम्प्रदायिकता की आग में झोंकने का काम किया, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई और दो निर्दोष लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि गोरखपुर की सम्पूर्ण घटना की सीबीआई से जांच कराएं। जिन लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए, उनकी भी जांच कराएं और जिन लोगों ने राष्ट्रीय झंडे को अपमानित करने का काम किया, यदि यह बात साबित हो जाए तो उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। लेकिन राष्ट्रीय झंडे की आड़ लेकर समाज में वैमनस्यता का वातावरण पैदा किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय झंडा बड़े ही त्याग, तपस्या और बलिदान से प्राप्त हुआ है। इसलिए इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। राष्ट्रीय झंडा लगी हुई गाड़ियां यदि वेश्यालयों और मदिरालयों के दरवाजों पर खड़ी होंगी, तो यह सबसे बड़ा अपमान है। जिन गाड़ियों पर राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ है, चाहे केन्द्र में हो या राज्य में हो, आपको सुनिश्चित करना होगा कि अगर ये गाड़ियां वेश्यालयों या मदिरालयों पर खड़ी पाई जाएं तो उनके विरुद्ध भी इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यह राष्ट्रीय झंडे का अपमान है।

आज जिस तरह से राष्ट्रीय झंडे के सवाल पर विवाद पैदा हुआ है, हम चाहेंगे, अभी हमारे साथी बरार साहब ने जैसा कहा कि देश की आजादी के बाद से अब तक कब-कब और किन-किन लोगों ने किन रूपों में राष्ट्रीय झंडे को अपमानित किया है, इसका उल्लेख भी मंत्री जी को अपने उत्तर में करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी बताना चाहिए कि उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई। यह नहीं बताएंगे तो जो राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय सम्मान की बात कर रहे हैं, उस मंशा को प्राप्त नहीं करेंगे।

राष्ट्रभाषा को अपमानित करने वाले लोगों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

**श्री मोहन रावले** (मुम्बई दक्षिण मध्य) : लेकिन राष्ट्रभाषा है कहां?

**कुंवर अखिलेश सिंह :** आप कह दें कि राष्ट्रभाषा नहीं है, तो यह विवाद खत्म हो जाएगा। राष्ट्रभाषा को अपमानित किया जा रहा है, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको भी इस विधेयक की परिधि में लाया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं।

**श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2003 पेश किया है, मैं उसका शिव सेना पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूं। इसमें दूसरे पेज पर एक क्लाज लिखी गई है।**

[श्री मोहन रावले]

*[अनुवाद]*

धारा 3क के अनुसार :

जो कोई धारा 2 या धारा 3 के अधीन किसी अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध किया जा चुका है, ऐसे किसी अपराध के लिए पुन: दोषसिद्ध किया जाता है वह दूसरे और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा; दंडनीय होगा।

*[हिन्दी]*

एक बरस नहीं, उसको आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। जो दूसरी क्लाज है,

*[अनुवाद]*

उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है :

''राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति अनादर से संबंधित कई मामले हाल ही में सरकार के सामने आये हैं।''

*[हिन्दी]*

इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। अगर राष्ट्रगीत का अपमान कोई करता है, तो उसको भी सजा देनी चाहिए। राष्ट्रगीत हमारे देश की राष्ट्रीय भावना है। इस भावना के नाते हम राष्ट्रगीत गाते हैं। मैं मंत्री जी विनती करता हूं कि इसको भी इन्क्लूड किया जाए और जो अपमानित करे, उसको सजा दी जाए। राष्ट्रगीत के बारे में यहां कई सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है। राष्ट्रगीत वन्दे मातरम् बंकिम चन्द जी ने लिखा है। यह वह गीत है, जिससे सारे देश के लोग प्रभावित हुए थे।

वंदे-मातरम् गीत गाते-गाते हिंदू-मुसलमानों ने बहुत बलिदान किये हैं। वंदे-मातरम् में शूरता है, पराक्रम है, त्याग है और सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे-मातरम् गाकर देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। शहीद भगत सिंह, झांसी की रानी, बहादुर शाह, तात्या-टोपे, शाबिर बंधु, बटुकेश्वर दत्त, चन्द्रशेखर आजाद, राजगुरू, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आदि की वजह से देश को आजादी मिली। कांग्रेस ने सन् 1939 में वंदे-मातरम के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था लेकिन वह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। आज जन-गण-मन राष्ट्रीय गीत है। देश के दो टुकड़े हुए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बने। पंजाब आधा और सिंध भारत से चला गया। हम गाते हैं कि ''पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा'' लेकिन यह अधूरा राष्ट्रीय गीत है। आज वंदे-मातरम् को राष्ट्रीय गीत का दर्जा नहीं दिया गया है, यह दुर्भाग्य की बात है। वंदे-मातरम् के बारे में लोगों में बड़ी गलत-फहमी है। इसके बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए। इसके बारे में गलत प्रचार किया जाता है और कुछ धर्मांध लोग इसके बारे में गलत प्रचार करते हैं। इसका मतलब है कि ''माते, मैं आपके सामने झुकता हूं''। इस्लाम धर्म के अनुसार कोई माटी के आगे नहीं झुकता है। इसलिए वे कहते हैं कि हम नहीं झुकेंगे। ऐसी शिक्षा बच्चों को वे देते हैं। 15 अगस्त का दिन हो या 26 जनवरी का दिन हो, अगर मुल्ला-मौलवी ऐसी शिक्षा बच्चों को देंगे तो उनके मन में क्या भावना होगी। वंदे-मातरम गाते हुए कितने ही मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं, वह देश के सामने आनी चाहिए। अखिलेश जी ने जो कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान में राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय पक्षी है लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बिना भाषा के हिंदुस्तान है, यह दुर्भाग्य की बात है। आज ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी में बात करते हैं, लेकिन वह सरकारी भाषा हमने स्वीकार की है। हमारे पहले राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र बाबू ने कहा था कि हम इसे सरकारी भाषा स्वीकार कर रहे हैं लेकिन 15 वर्षों में यह राष्ट्रीय भाषा बन जानी चाहिए, लेकिन वह राष्ट्रीय भाषा नहीं हुई। मेरा राष्ट्र, मेरी राष्ट्र-भाषा, मेरा राष्ट्र-ध्वज, मेरा राष्ट्रीय-गीत, इन सब का सम्मान होना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि ''मांग रहा है हिन्दुस्तान, लाल-किले पर तिरंगा निशान''। यह कायम रहना चाहिए। अभी किसी ने कहा कि राष्ट्रीय-ध्वज का जो लोग अपमान करते हैं उन्हें कटघरे में खड़ा करना चाहिए। इससे सारे लोग सहमत हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम** (तंजावूर) : बहुत से देशों में तीन-चार राजभाषाएं हैं।

**श्री मोहन रावले :** मैं अपने देश की बात कर रहा हूं।

*[हिन्दी]*

हमारे देश में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राष्ट्रीय-ध्वज को सलाम करने में अपना अपमान समझा है।...*(व्यवधान)**

**श्री रूपचन्द पाल** (हुगली) : यह बात सही नहीं है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री मोहन रावले :** पेपर में छपा आता था।

**श्री रूपचन्द पाल :** इस पर कंट्रोवर्सी बनाना ठीक नहीं है, आपको शोभा नहीं देता है।

**सभापति महोदय :** असंगत बात प्रोसीडिंग में नहीं आएगी।

**श्री मोहन रावले :** महोदय, सही बात हो, तो प्रोसीडिंग में आनी चाहिए। मैं अखबार का नाम बता सकता हूं, जिसमें यह खबर छपकर आई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्र-ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर कोई करता है, चाहे वह मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, तो उनको भी दंडित करने का प्रावधान होना चाहिए। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।

अंत में, महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री रूपचन्द पाल** (हुगली) : सभापति महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं हाल ही में विश्व कप के अवसर पर हुए अपने अनुभव के आधार पर कुछ सुझाव देना चाहूंगा। देश के कई भागों में, भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थन में अपने जोश को व्यक्त करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किया गया। कुछ प्रमुख क्षेत्रों में, हम अपनी यह चिंता व्यक्त करते आये हैं कि विश्व कप समाप्त होने के बाद हम कागज के बने इन लाखों करोड़ों झंडों और तिरंगों का क्या करेंगे।

हम सरकार के अनुदेश से विगत में एक प्रथा का पालन करते आये हैं कि सिनेमा हाल में जब भी राष्ट्रीय गीत गाया या बजाया जाये तो वहां उपस्थित लोगों को अपने स्थान पर खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन अंतत: इसे रोक देना पड़ा क्योंकि लोग असावधानी से जानबूझ कर नहीं, राष्ट्रीय गीत के प्रति आदर भाव व्यक्त नहीं कर सके। इसीलिए इसे रोक दिया गया। हमने देखा है कि किस तरह राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किया जाता है। सरकारी इमारतों में इसका प्रात: 6 बजे आरोहण किया जाना चाहिए और सूर्यास्त होने पर शाम को इसे उतार लेना चाहिए। यह प्रथा कि क्या किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का किस तरह सम्मान किया जाना चाहिए, किस तरह राष्ट्रीय गीत का सम्मान किया जाना चाहिए, इसके लिए स्कूल में शिक्षा दिये जाने की आवश्यकता है, नागरिकों को, नौकरशाहों को और राजनेताओं को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। कभी-कभी देखने में आता है कि कार में झंडा उल्टा लगा हुआ है और उस झंडे की जिम्मेदारी ड्राइवर पर डाल दी जाती है।

जो लोग जानबूझकर बार-बार अपराध कर रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का अपमान कर रहे हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए! राष्ट्रीय झंडे का एक निश्चित आकार है। हममें से कुछ लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर जो राष्ट्रीय ध्वज बेचे जाते हैं वे निर्धारित आकार के हैं या नहीं। वे निर्धारित आकार के नहीं पाये गये। कभी-कभी तो उन्हें शरीर ढांपने के काम में लाया जाता है। विधेयक में अपमान के बारे में दिए गए स्पष्टीकरण में कई बातें कही गयी हैं जैसे, इसका गलत ढंग से प्रदर्शन करना, जोश में आकर इसे वेशभूषा के रूप में प्रयोग करना और किस-किस तरह से प्रत्येक चिन्हों का दुरुपयोग हो रहा है आदि। मेरा सुझाव यह है कि इसके साथ-साथ कोई ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए जिससे हम अपने बच्चों और नागरिकों को अपने राष्ट्रीय ध्वज का उचित सम्मान करने के बारे में शिक्षा दे सके।

अंत में, यहां पर वंदे मातरम् के बारे में कुछ कहा गया है। वंदे मातरम् एक राष्ट्रीय गीत मात्र नहीं है। वंदे मातरम् को 44 से अधिक रूपों में प्रस्तुत किया गया है।

हम प्रमुख बाद्यकारों और संगीतकारों की सहायता से ऐसी गणना कर सका हूं। वंदे मातरम् की डिस्को के रूप में नवीनतम प्रस्तुति के बाद यह हुआ है। वंदे मातरम् अस्तित्व में कैसे आया इसके बारे में बहुत सा साहित्य उपलब्ध है। जो लोग यह नहीं जानते कि वंदे मातरम् का जन्म कैसे हुआ, इस पर क्या-क्या चर्चा हुई और पंडित नेहरू ने किन स्थितियों के अंतर्गत इसका चयन किया और देश ने जन-गण-मन को राष्ट्रगान के रूप में क्यों अपनाया इस सबके बारे में जानकारी दिये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए लोगों को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। चाहे जो कोई हो प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गीत संबंधी इतिहास के बारे में जानकारी दिये जाने और उनका कैसे उचित सम्मान किया जाए इस संबंध में शिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

*[हिन्दी]*

**प्रो. रासा सिंह रावत** (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं राष्ट्र गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2003 का पुरजोर समर्थन करता हूं। जैसे कह गया है— जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वास्तव में जब हमारी संस्कृति में जहां यह कहा गया है मातृ

[प्रो. रासा सिंह रावत]

देवो भव:, पितृ देवो भव:, आर्चाय देवो भव:, वहां यह भी कहा गया है राष्ट्र देवो भव:। हम अपने राष्ट्र को भी देवता तुल्य समझें, अपने राष्ट्र को देवता तुल्य आदरणीय और सम्मान की दृष्टि से देखें, पहले भारत, फिर हम, भारत मेरा देश, हम सब भाई-बहन और इस भारत का प्रतीक हमारा तिरंगा ध्वज, भारत की आन-बान और शान का प्रतीक हमारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज, भारत का त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज। जिसके सम्मान की रक्षा के लिए हजारों माताओं की गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई, जिसके लिए हजारों बहनों की मांग का सिंदूर हमेशा के लिए पोंछ दिया गया, जिसके लिए अंग्रेजों की काल कोठरियों में लोगों ने लाठियां और गोलियां खाई और अपने सिर फुड़वाये, जिसके लिए अंडमान की काल कोठरियों में लोगों ने यातनाएं सहीं। आजादी की लड़ाई के बाद जो हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना, वह हमारी आन-बान और शान का प्रतीक है और उसका सम्मान सर्वोपरि है। इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे मित्र ने ठीक कहा—

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है,
वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है।

इसलिए अपनी भाषा, अपना देश, देता गौरव का संदेश। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा भारत का संविधान, हमारी पवित्र पुस्तक, जैसे हमारे धर्मग्रंथ हैं, ऐसे ही भारत का संविधान हमारे लिए आदरणीय और पूज्य है। ऐसे ही हमारे लिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज है और उसमें जो अशोक चक्र है, वह गतिशीलता का प्रतीक है। हम हमेशा आगे बढ़ें, उद्यानंते पुरुषं नावयानं। हे पुरुष, हे भारतवासी तू हमेशा उन्नति की ओर चल, कभी अवनति की ओर मत जा, यह आगे बढ़ने का संदेश देने वाला और सत्यमेव जयते नानृतम्, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, इस बात का संदेश देने वाला यह राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का गौरव बना रहना चाहिए और इसलिए इसमें जो एकता की भावना बंधी है और राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में किन-किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और कब-कब इसका अपमान माना जाए और उन परिस्थितियों में कैसी सजा दी जाए, इन सब प्रावधानों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और वास्तव में इनका पालन हम सबका कर्तव्य है।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत वंदेमातरम के महत्व को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आजादी की लड़ाई में वंदेमातरम् कहते हुए लोग गोलियों से भून दिये गये और वह भी हममें देशभक्ति की भावना का संचार करता है। देश में जन गण मन, वंदेमातरम्, राष्ट्रीय ध्वज, भारत का संविधान और भारत की राष्ट्रीय भाषा इन सबका पूर्ण सम्मान हो। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री संतोष मोहन देव** (सिल्चर) : माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार को इस विधेयक के लिए बधाई देना चाहूंगा। मैं देश के जिस भाग से संबद्ध हूं वहां 26 जनवरी और 15 अगस्त के समारोहों का आतंकवादियों द्वारा बहिष्कार किया जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने विरोधस्वरूप विभिन्न स्थानों पर कुछ प्रदर्शन भी आयोजित किये और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति असम्मान व्यक्त किया। इसलिए इस तरह के कानून का स्वागत किया जाना चाहिए। मैं इस कानून के कार्यान्वयन के बारे में चिंतित हूं क्योंकि इसे कार्यान्वित करने की शक्तियां केवल पुलिस के ही पास नहीं होनी चाहिए अपितु अर्द्ध-सैनिक बलों को भी ये शक्तियां दी जानी चाहिए क्योंकि वे इस बारे में सतत चौकसी बनाये रखते हैं।

मुझे एक बात याद आती है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में यह घटना घटित हुई थी। वहां अर्द्ध-सैनिक पुलिस तैनात थी। उन्होंने एक अपराधी को पकड़ लिया और उसे पुलिस के पास ले गये। बाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि स्थानीय कानून और व्यवस्था लागू करने में अर्द्ध-सैनिक बलों को कोई अधिकार हासिल नहीं है।

अब, यद्यपि इस विधेयक का प्रारूप बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया गया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि इसे लागू कौन करेगा। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन इस बारे में मेरा अनुरोध यह है कि जब भी आप कोई कानून बनायें तो कृपया आप उसके उस विशेष पहलू को भी ध्यान में रखें ताकि देश के किसी भी भाग में उस समय जो कानून-व्यवस्था को लागू करने के लिए उत्तरदायी हो, वह इस नवनिर्मित कानून को लागू कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति उचित सम्मान व्यक्त किया जाये।

सभापति महोदय, आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आप का बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम** (तंजावूर) : सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अनपढ़ कहे जाने वाले अधिकतर लोग हमारे राष्ट्र गीत और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते पाये गये हैं लेकिन इनके प्रति सबसे अधिक अनादर का भाव तथाकथित पढ़े लिखे और सभ्य कहे जाने वाले लोगों

तथा राजनीतिज्ञों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अत:, केन्द्र सरकार द्वारा कड़े कानून बनाकर और कार्यान्वयन कर इस तरह के कार्यकलापों को बंद किया जाना चाहिए।

अभी हमारे कुछ सहयोगी और मित्र जब इस पर बोल रहे थे तब उन्होंने कहा कि हम एक राष्ट्रीय भाषा चाहते हैं। लेकिन हमारा विचार यह है कि सभी 18 भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। स्विटजरलैंड में तीन राष्ट्रीय भाषाएं हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी चार या पांच राष्ट्रीय भाषाएं हैं। जब तक हम देश के विभिन्न भागों में रहने वाले विभिन्न समुदायों और उनकी भाषाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देते, तब तक हम उनसे पूरे सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते। हमारा देश अपने आप में एक महाद्वीप है जिसमें अलग-अलग जातियों के लोग रहते हैं उनके अलग-अलग धर्म और भाषाएं हैं। इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सभी भाषाओं को समादर की दृष्टि से देखें।

हमारी सरकार ने हाल में संस्कृत को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया है। मेरा कहना है कि प्राचीन भाषा तमिल को भी एक गौरवशाली भाषा घोषित किया जाना चाहिए। संविधान सभा में, हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाये जाने के प्रस्ताव पर जब मत-विभाजन हुआ था तो सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को बराबर मत मिले थे। अन्तत: तत्कालीन सभापति और देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने अपना निर्णयकारी मत देते हुए हिन्दी के पक्ष में मतदान किया जैसा कि मेरे मित्र श्री मोहन रावले द्वारा पूर्व में उद्धृत किया जा चुका है। यदि हम इस देश की संस्कृति को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं तो हमें सभी भाषाओं और जातियों के प्रति समादार भाव रखना होगा। इसी से हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों तथा राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा।

**श्री एस. बंगरप्पा** (शिमोगा) : कृपया अपनी भाषा के साथ-साथ हमारी कन्नड़ भाषा को भी उसमें जोड़िये।

**श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम :** तेलगु और मलयालम के साथ-साथ वह हमारी सहभाषा है।

**श्री आदिशंकर :** तमिल सभी द्रविड़ भाषाओं की जननी है।

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली) : सभापति जी, यह जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, सन् 1971 का यह विधेयक था जिसमें संशोधन लाने का मंत्री जी ने काम किया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में कहा जाता है :-

"हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई,
केसरिया बल भरने वाली सदा रहे सच्चाई।"

ऐसा तीन रंग वाला और चक्र वाला यह झंडा है।

बहुत लोगों को पता नहीं होगा और वे इसको तीन रंग का कपड़ा समझते हैं, लेकिन यह राष्ट्र का प्रतीक हमारी अस्मिता का प्रतीक है। पुरखों ने कुर्बानी देकर इसे हासिल किया है। इसलिए हम सब संकल्प लेते हैं कि – चाहे जान रहे या जाए झंडा नहीं झुकने देंगे।

महोदय, इस विधेयक के संबंध में माननीय मंत्री जी वाहवाही लूट रहे हैं। बड़ा भारी राष्ट्रभक्ति वाला काम इन्होंने किया है। लेकिन हम इनसे पहला प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जो कोई कानून नहीं जानेगा और गलती करेगा, उसकी माफी नहीं है। माननीय मंत्र जी से मैं जानना चाहता हूं कि कानून पहले 1971 में भी बना था और फिर उसमें निरादर शब्द जोड़ रहे हैं कि किसी ढंग से अपमान सहन नहीं किया जाएगा। झंडे को कोई झुकाएगा, घसीटेगा, या उस पर कुछ लिख देगा, यह सब एक्सप्लानेशन में जोड़ा गया है। लेकिन यह विधेयक आप पास करा लेंगे, गजट में छप जाएगा मगर सौ करोड़ से ज्यादा की आबादी कैसे इसको जान पाएगी?

यह कानून हमने पारित किया है, लोग इसे जानें और इसका पालन करें। जब कानून बना है और यदि अनजाने में कोई भूल करता है, तो कोई माफी नहीं है। आपने इसे प्रचारित करने के लिए, आम जनता के बीच में यह बात जाए कि इस प्रकार का कानून बना है कि यदि राष्ट्रध्वज का किसी भी प्रकार से अपमान होगा, तो सजा मिलेगी, इससे जनता को अवगत कराने के लिए, जनता को शिक्षित करने के लिए आपने क्या प्रबन्ध किया है, क्या प्रयास किया है?

महोदय, अंग्रेजी सल्तनत में एक बात यह थी कि कानून को गजट में छाप दिया जाता था और यह मान लिया जाता था कि उस कानून के बारे में जनता जान गई है। हमारे देश में तो आधी से ज्यादा जनता अनपढ़ है, कम पढ़ी है, आधी पढ़ी है, ऐसे सब लोगों को जानकारी देने के लिए आपने कौनसा कानून बनाया है, कौन सी कार्रवाई की है। यहां चर्चा हो गई, हम लोग समझ गए, कानून पास कर दिया, गजट में निकाल दिया, पढ़े-लिखे लोग समझ गए, लेकिन आम जनता को कौन समझाए या बताए। इसलिए सवाल नंबर एक का जवाब देने की कृपा करें।

महोदय, सवाल नंबर दो यह है कि इसके उद्देश्य और हेतु में लिखा है कि यह कानून राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति अनादर से संबंधित होगा और ऐसे अनेक मामले हाल ही में सरकार के सामने

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

आए हैं और इसीलिए सरकार प्रेरित हुई है और माननीय मंत्री जी ने कष्ट किया है कि राष्ट्रध्वज को यदि कोई अपमानित करेगा, किसी भी सूरत में, उस सूरत को इसमें परिभाषित किया गया है, उसे दंड दिया जाएगा। आपने इसमें राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान दोनों का लिखा है, लेकिन आप कानून केवल राष्ट्रध्वज के लिए ही लाए हैं। आपने राष्ट्रगान को क्यों छोड़ दिया। उसका कानूंन में कोई जिक्र नहीं है। क्या राष्ट्रगान को आप कोई महत्व नहीं दे रहे हैं या सरकार राष्ट्रगान को कोई महत्व नहीं देती है जबकि सरकार ने अपने उद्देश्य और हेतु में कबूल किया है कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान दोनों को अपमानित करने की सूचना आई है। यदि ऐसा है, तो आपको केवल राष्ट्रध्वज के लिए प्रेरणा मिल गई और राष्ट्रगान का अपमान करने का कानून लाने से आपको किसने रोक दिया? राष्ट्रध्वज के लिए आप कानून लाए, आपने ठीक किया, लेकिन आप राष्ट्रगान के लिए कानून क्यों नहीं लाए। क्या भूल से छूट गया या आपने जानबूझकर उसे छोड़ दिया, क्या राष्ट्रगान के प्रति आपकी ममता नहीं है, क्या राष्ट्रगान के प्रति आपका आदर नहीं है, यह बताएं।

महोदय, मेरा तीन सवाल यह है कि पहले कानून बना हुआ है कि जो भी राष्ट्रध्वज का अपमान करेगा, उसे तीन साल की सजा दी जाएगी, लेकिन उस कानून के बाद आप जो यह नया कानून लाए हैं, इसमें सजा एक साल कर दी गई है कि यदि दुबारा यह सिद्ध हो जाए कि किसी ने दुबारा राष्ट्रध्वज का अपमान किया है, तो पहले तो उसे तीन साल की सजा दी गई, लेकिन बाद के अपराध के लिए केवल एक साल की सजा दी जाएगी। यानी जो व्यक्ति बार-बार राष्ट्रध्वज के अपमान का दोषी पाया जाए, तो उसे पहली बार तीन वर्ष की सजा मिलेगी और बाद में केवल एक-एक वर्ष की सजा बाद के अपराध के लिए मिलेगी, क्या ऐसा है? इसमें दिया गया है कि पूर्ववर्ती अपराध के दोषी व्यक्ति को पश्चातवर्ती अपराध का दोषी पाए जाने पर सजा एक साल के लिए दी जाएगी। यानी पहली बार कोई अपराध करे तो उसे तीन वर्ष की सजा और बाद में वही व्यक्ति बार-बार अपराध करे, तो बाद के अपराधों के लिए उसे केवल एक-एक वर्ष की सजा दी जाएगी। जो व्यक्ति बार-बार बदमाशी कर रहा है, बार-बार राष्ट्रध्वज का अपमान कर रहा है, उसे पहली बार तीन वर्ष और बाद में केवल एक वर्ष की सजा दी जाएगी, यह आपका कैसा कानून है। कौन यह कानून बनाते हैं। अधिकारी वर्ग कानून बनाकर आपके हाथ में थमा देते हैं और आप उसे लेकर यहां आ जाते हैं। मैं तो कानूनवेत्ता नहीं हूं, लेकिन यहां बहुत से कानूनवेत्ता बैठे हैं। वे मुझे समझाएं कि यह कैसा कानून है?

**श्री ईश्वर दयाल स्वामी :** वैसे इसके पारित करते समय मैं आपकी बात का उत्तर देता, लेकिन चूंकि आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं आपको इस बारे में बीच में ही समझा देता हूं। पुराने कानून के अनुसार तीन साल तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों दिए जाने का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत किसी को एक दिन की सजा दी जाती है, किसी को 10 दिन की और किसी को एक महीने की। किसी के ऊपर जुमार्ना करते समय एक रुपए का जुर्माना किया जा सकता है और 100 रुपए का जुर्माना भी किया जा सकता है। इसको ठीक करने के लिए ऐसा किया गया है कि अब कम से कम एक वर्ष की सजा दी जाएगी।

**सायं 6.00 बजे**

**सभापति महोदय :** छः बज रहे हैं, 3-4 माननीय सदस्यों का बोलना बाकी है। सदन की सहमति से इस बिल के पास होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :** पहले कानून में है कि उसका अन्यथा अपमान करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जायेगा। पहले केस के सम्बन्ध में यह प्रावधान है। उसके बाद अभी जो आप कानून लाये हैं, उसमें है कि धारा दो या धारा तीन के अधीन किसी अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध किया जा चुका है, ऐसे किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है, दोबारा फिर दोषसिद्ध किया जाता है, वह दूसरे व प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए, जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा, दण्डनीय होगा। तीन वर्ष की सजा से फिर एक वर्ष की सजा का है। आप दोबारा पढ़ लीजिए, हम तो पंक्ति को पढ़कर सुना रहे हैं। इसमें कहां कन्फ्यूजन है और कहां गड़बड़ी है। कानून का मतलब साफ बात होती है, जो सहज ढंग से बुझाये। ऐसा-ऐसा लिखे हुए हैं कि लगता कुछ अलग है। उसमें सीधे लिखना चाहिए कि इतने वर्ष का दण्ड होगा। इस सवाल का माननीय मंत्री महोदय जवाब दें।

इसके बाद इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कहीं बोलकर हो या एक्शन से हो, इसमें लिखा है कि यदि केसरिया को ऊपर रहना है, बीच में सफेद है और नीचे हरा है, कभी-कभी अनजाने में गांव के बहुत से लोग नहीं जानते तो वे केसरिया को नीचे कर देते हैं, हरे को ऊपर टांग देते हैं, कभी-कभी बड़े लोग भी ऐसा कर देते हैं तो उनको कितने वर्ष की सजा होगी। लिखा है कि साशय माने इंटेंशनली, यह कैसे साबित होगा कि जान-बूझकर किया है, इंटेंशनली किया है या नहीं किया है। निष्कपट भूल हुई है या जान-बूझकर भूल हुई है, इसका निवारण कैसे होगा। अभी मुखिया ने झंडा फहरा दिया, वह नहीं जानते थे कि कौन सा रंग ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा। केसरिया को नीचे कर दिया, हरे को ऊपर कर दिया, गांव के बहुत से लोग नहीं जानते कि कौन सा रंग ऊपर रहेगा, कौन सा

नीचे रहेगा। मैं असली भेद खोल रहा हूं। पुलिस वालों ने उसे हैरान कर दिया तो आप ऐसा कानून क्यों बनाते हैं, जहां निष्कपट भूल किसी से हो जाये, उसे भी पुलिस वाला हथकड़ी लगाकर थाने ले जाये। तब सब कोई कहेगा कि राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया तो क्यों नहीं सजा के भागी होंगे। इसलिए इस पर आपने क्या सावधानियां बरतीं।

अन्तिम सवाल है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बोल-चाल से, काम से जैसे भी हो, वह दण्ड का भागी होगा। हमारे देश में एक संस्था है, वह कहती है कि राष्ट्रध्वज भगवा ध्वज है तो उसे कितने साल की सजा होगी? यह जो कानून आपने बनाया है, उसमें वह कसूरवार है या नहीं है? आर.एस.एस. में लोग पढ़ाई करते हैं राष्ट्रध्वज भगवा ध्वज है तो यह राष्ट्रध्वज का अपमान है या नहीं है? उन सब के विरुद्ध आप कौन सी कार्रवाई करेंगे, नहीं तो यह देश में कैसी पढ़ाई हो रही है। हम लोग कहते हैं कि तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा और वहां पर लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रध्वज भगवा ध्वज है, उन पर आप कौन सी और कैसी कार्रवाई करेंगे और कब उन्हें जेल में भरेंगे? आप आर.एस.एस. वालों को कब पकड़ेंगे? इन सब सवालों का जवाब दीजिए तब हम मानेंगे कि आप सही में कानून लाये हैं। राष्ट्रध्वज भगवा ध्वज, हिन्दुत्व राष्ट्रत्व, आर.एस.एस. कहता है, सारा कुछ एक चाल की अनुवर्तिका से ही संचालित होगा।

यह फासिस्ट संस्थान जो हमारे राष्ट्र ध्वज को भगवा ध्वज कहता है तो यह तिरंगा हमारा राष्ट्र ध्वज होगा या भगवा ध्वज हमारा राष्ट्र ध्वज होगा, इसे आप स्पष्ट करें कि आर.एस.एस. वालों पर आप इस कानून के तहत कौन सी कार्रवाई करेंगे? आपने इसीलिए इसे तीन बरस से घटाकर एक बरस कर दिया है।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप समाप्त करिये। अब आपकी कोई बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जायेगी।

*(व्यवधान)*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, राष्ट्र का सम्मान करें और हमारा झंड़ा ऊंचा रहे, इसके लिए केवल कानून बने नहीं, बल्कि लोगों को इसकी जानकारी भी दी जाये और उसे लागू किया जाये। जो कोई भी उस कानून का उल्लंघन करे, उस पर कड़ी कार्रवाई हो। यह न हो कि कमजोर आदमी पर कार्रवाई हो और बड़े आदमी पर कार्रवाई न हो। यह भेदभाव बंद होना चाहिए तभी राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्र का सम्मान बढ़ेगा नहीं तो कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना—इससे काम नहीं चलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री जी.एम. बनातवाला** (पोन्नानी) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का मुकम्मल ताईद करता हूं, सपोर्ट करता हूं। यकीनन कौमी परचम, नैशनल झंडा हर एहतराम का मुस्तहिक है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई सेहतमंद शहरी हमारे कौमी परचम की किसी तरह तौहीन करे। यह सोचा भी नहीं जा सकता। इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में बतलाया गया है कि हुकूमत के सामने ऐसे हादसे आये हैं, ऐसे वाक्यात आये हैं जिसमें कौमी परचम की तौहीन हुई है। मुझे इस पर हैरत है। कौमीपरचम की मामूली से मामूली बेहुरमती भी कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कौमी परचम नैशनल फ्लैग हमारी सबकी आरजुओं, उमंगों, हमारे सबके ख्यालात और नजरियात का मज्जहर पेश करता है। कौमी परचम को पूरी शान के साथ लहराना चाहिए। यह मुल्क की शान है जिसके अंदर कोई फर्क नहीं आ सकता।

जनाब चेयरमैन, जिस वक्त कांस्टीट्यूंट असेम्बली के अंदर रेजोलूशन आया था और यह कौमी परचम आफिशियली तौर पर रिकोग्नाइज्ड किया जा रहा था, उस वक्त मुस्लिम लीग के लीडर चौधरी खुलीक-अल-जमां ने कांस्टीट्यूंट असेम्बली में कौमी परचम के एहतराम में वह जबरदस्त तकरीर की थी कि पंडित नेहरू जी ने उठकर उन्हें अपने गले लगा लिया। हर शख्स यह जानता है कि यह कौमी परचम किसी पार्टी का झंडा नहीं है, यह मुल्क का झंडा है। हमें किसी से कितनी भी शिकायतें हों, किसी पार्टी से, किसी शख्स से, किसी ग्रुप से हमें कितनी ही शिकायतें हों लेकिन कौमी परचम हमेशा पूरी शान के साथ लहरायेगा। उसमें कोई फर्क नहीं आ सकता।

मुझे याद आ रहा है कि कांस्टीट्यूंट असेम्बली में मुस्लिम लीग, इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग ने कितने मुतालबाद पेश किये थे, कितने मुतालबाद रद्द हो गये। जिस वक्त कांस्टीट्यूशन मंजूर हुआ, योमे जम्हूरिया 26 जनवरी को कायदे मिलत जनाब चौधरी इस्माइल सदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, अपनी शेरवानी पर बराबर कौमी परचम लगाकर पूरी शान के साथ घूम रहे थे।

सभापति महोदय, मुझे एक एतराज है। एक वक्त अभी हाल में ऐसा आया था कि मुसलमानों के दिल इतने दुखी थे कि कुछ ने मशविरा दिया कि यानी आजादी यानी जम्हूरियत पर कौमी परचम जो लहराया जाता है, उसका बॉयकॉट हो। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आगे बढ़ी और उसने कहा कि यह नहीं हो सकता और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पूरी कामयाबी के साथ अपना दवाब डाला कि इस किस्म की तजवीज वापस हो और हर एक बराबर कौमी परचम की शान के मौके पर एहतराम के तौर पर मौजूद रहे, बॉयकॉट का कोई सवाल पैदा नहीं हो। यह तारीख है और इस तारीख के साथ आपके सामने खड़ा हुआ हूं कि हमारा कौमी परचम लहराता रहे, कौमी जजबात कायम रहें और मेरी समझ में नहीं आ सकता कि इसमें कोई किसी किस्म की बेहुरमति हो। हां, अगर कोई बेहुरमति करता है तो सख्त से सख्त सजा उसे दी जाए लेकिन मैं एक बात वाजह कर देना चाहता हूं कि अगर कोई बेहुरमति करता है तो उसको सख्त सजा हो लेकिल

[श्री जी.एम. बनातवाला]

इस वाक्ये को कम्युनल या फिरकाराना रंग देने की कोशिश न की जाए और मुल्क में अमन का खामख्वाह दरम-भरम न किया जाए। मुझे यकीन है कि हिन्दुस्तान में बसने वाले तमाम लोग चाहे वे किसी भी मजहब या जुबान या कल्चर से ताल्लुक रखते हों, लेकिन हर एक के दिल में कौमी झंडे के लिए इज्जत और इसका एहतराम है। इस बारे में किसी को कोई शक और शुभा नहीं होना चाहिए।

यहां पर वंदे मातरम के बारे में कुछ कहा गया है। वंदे मातरम नेशन एन्थम नहीं है। एक लम्बी तारीख है लेकिन चूंकि यह बिल और वंदे मातरम जो नेशनल एन्थम नहीं है, उससे ताल्लुक नहीं रखता, इसलिए इस तफ्सील के इस मौके पर मैं बहस में नहीं जाना चाहता। बहस अगर होगी तो किसी मौके पर उसको भी कर लिया जाएगा। वैसे आजादी से पहले ही इसका सोल्यूशन निकल चुका था और इस सोल्यूशन के ऊपर चलना चाहिए। एक आखिरी बात कहते हुए अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं और वह यह है कि हमारा एक कौमी गीत है जिसे भुलाया जा रहा है और वह अल्लामा इकबाल का है: सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा। इसको हर मौके पर भुलाया जा रहा है। मेरी हर एक से अपील है और इस हैसियत के जरिए पूरे मुल्क से अपील है कि इतना खूबसूरत कौमी गीत जो इतने अच्छे और सेहतमंद जजवात को उबारता है कि :

> सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलसितां हमारा।

इस पर भी तवज्जह दी जाए। इसको मकाम दिया जाए। मैं कहता हूं कि जब हमारा सैशन शुरू होता है तो शुरू में हम जनगण मन गाते हैं, एहतराम करते हैं। आखिर में वंदे मातरम गाते हैं। साथ-साथ उसके सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा भी लाया जाए और मुल्क के अंदर वह फिजा कायम की जाए जो हमारी एकता के लिए बहुत जरूरी है। कौमी परचम की बेइज्जती कोई गवारा नहीं कर सकता। इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती।

**جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پوننانی):** جناب چیئرمین صاحب، میں اس بل کی مکمل تائید کرتا ہوں، سپورٹ کرتا ہوں۔ یقیناً قومی پرچم، نیشنل جھنڈا ہر احترام کا مستحق ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی صحت مند شہری ہمارے قومی پرچم کی کس طرح توہین کرے۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ ایمس اینڈ آبجیکٹیوس میں بتلایا گیا ہے کہ حکومت کے سامنے ایسے حادثے آئے ہیں، ایسے واقعات آئیں ہیں جس میں قومی پرچم کی توہین ہوئی ہیں۔ مجھے اس پر حیرت ہے۔ قومی پرچم کی معمولی سے معمولی بے حرمتی بھی کبھی برداشت نہیں کی جاسکتی۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیئے۔ قومی پرچم ہماری سب کی آرزوؤں، اُمنگوں، ہمارے سب کے خیالات اور نظریات کا مظہر پیش کرتا ہے۔ قومی پرچم کو پوری شان کے ساتھ لہرانا چاہیئے۔ یہ ملک کی شان ہے جس کے اندر کوئی فرق نہیں آسکتا۔

جناب چیئرمین صاحب، جس وقت کانسٹی ٹیوینٹ اسمبلی کے اندر ریزولوشن آیا تھا اور یہ قومی پرچم آفیشلی طور پر ریکوگنائیز ڈ کیا جارہا تھا، اس وقت مسلم لیگ کے لیڈر چودھری خلیق الزماں نے کانسٹی ٹیوینٹ اسمبلی میں قومی پرچم کے احترام میں وہ زبردست تقریر کی تھی کہ پنڈت نہرو جی نے اُٹھ کر انھیں اپنے گلے لگالیا۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ قومی پرچم کسی پارٹی کا جھنڈا نہیں ہے۔ یہ ملک کا جھنڈا ہے ہمیں کسی سے کتنی بھی شکایتیں ہوں، کسی پارٹی سے، کسی شخص سے، کسی گروپ سے، لیکن قومی پرچم ہمیشہ پوری شان کے ساتھ لہرائے گا۔ اس میں کوئی فرق نہیں آسکتا۔

مجھے یاد ہ آرہا ہے کہ کانسٹی ٹیوینٹ اسمبلی میں مسلم لیگ، انڈین یونین مسلم لیگ نے کتنے مطالبات پیش کئے تھے، کتنے مطالبات ردّ ہو گئے۔ جس وقت کانسٹی ٹیوشن منظور ہوا، یومِ جمہوریہ 26/جنوری کو، تو قائدِ ملت جناب چودھری اسماعیل، صدر، انڈین یونین مسلم لیگ، اپنی شیروانی پر برابر قومی پرچم لگا کر پوری شان کے ساتھ گھوم رہے تھے۔

چیئرمین صاحب، مجھے ایک اعتراض ہے۔ ایک وقت ابھی حال میں ایسا آیا تھا کہ مسلمانوں کے دل اتنے دکھی تھے کہ کچھ نے مشورہ دیا کہ یعنی آزادی، یعنی جمہوریت پر قومی پرچم جو لہرایا جاتا ہے اس کا بائیکاٹ ہو۔ انڈین یونین مسلم لیگ آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا اور انڈین یونین مسلم لیگ نے پوری کامیابی کے ساتھ اپنا دباؤ ڈالا کہ اس قسم کی تجویز واپس ہو اور ہر ایک برابر قومی پرچم کی شان کے موقع پر احترام کے طور پر موجود رہیں، بائیکاٹ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو۔ یہ تاریخ ہے اور اس تاریخ کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوا

ہوں کہ ہمارا قومی پرچم لہراتا رہے، قومی جذبات قائم رہیں اور میری سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اس میں کوئی کسی قسم کی بے حرمتی ہو۔ ہاں، اگر کوئی بے حرمتی کرتا ہے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بے حرمتی کرتا ہے تو اس کو سخت سزا ہو لیکن اس واقعے کو کمیونل یا فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش نہ کی جائے اور ملک کے امن کو خواہ مخواہ درہم برہم نہ کیا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان میں سے تمام لوگ چاہے وہ کسی بھی مذہب یا زبان یا کلچر سے تعلق رکھتے ہوں۔ لیکن ہر ایک کے دل میں قومی پرچم کیلئے عزت اور اس کا احترام ہے۔ اس بارے میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے

یہاں پر وندے ماترم کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ وندے ماترم نیشنل انتھم نہیں ہے۔ ایک لمبی بحث ہے لیکن چونکہ یہ بل اور وندے ماترم جو نیشنل انتھم نہیں ہے، اس سے تعلق نہیں رکھتا اسلئے اس تفصیل میں اس موقع پر میں بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ بحث اگر ہوگی تو کسی موقع پر اس کو بھی اٹھایا جائیگا۔ ویسے آزادی سے پہلے ہی اس کا حل نکل چکا تھا اور اس حل کے اوپر چلنا چاہیئے۔ ایک آخری بات کہتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک قومی گیت ہے جسے بھلایا جا رہا ہے۔ اور وہ علامہ اقبال کا ہے "سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا"۔ اسکو ہر موقع پر بھلایا جا رہا ہے۔ میری ہر ایک سے اپیل ہے اور اس حیثیت سے پورے ملک سے اپیل ہے کہ اتنا خوبصورت قومی گیت جو اتنے اچھے اور صحت مند جذبات کو

سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا
بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا

ابھارتا ہے، اس کو تو جہ دی جائے۔ اس کو مقام دیا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ جب ہمارا سیشن شروع ہوتا ہے تو شروع میں ہم جن گن من گاتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ آخر میں وندے ماترم لاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ "سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا" بھی لایا جائے اور ملک کے اندر وہ فضا قائم کی جائے جو ہمارے لئے بہت ضروری ہے۔ قومی پرچم کی بے عزتی کوئی گوارہ نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی

*[अनुवाद]*

**सरदार सिमरनजीत सिंह मान** (संगरूर) : सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2003 पर बोलने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं समझता हूं कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय ध्वज को वह सम्मान मिलना चाहिए जिसके वे हकदार हैं, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि इनके प्रति निष्ठा एक भाव है, एक एहसास है। इस भाव को जीता तो जा सकता है पर इसको थोपा नहीं जा सकता। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे कानून या हथियारों के बल पर या फिर जोर-जबरदस्ती से या संख्या बल के आधार पर, जो कि भारत सरकार के पास है, थोपा जा सके।

राष्ट्रीय ध्वज कांग्रेस के झंडे का ही एक रूप है। कांग्रेस का झंडा सांप्रदायिक आधार पर तैयार किया गया था। इसका केसरिया रंग हिन्दुओं का, सफेद रंग जैन और बौद्ध धर्मों का तथा हरा रंग मुस्लिम धर्म का प्रतीक है। हम सिख लोगों ने, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में इतना अधिक योगदान दिया है, को इस तिरंगे में कोई स्थान नहीं दिया गया है। संसद के अंदर गैलरी में अथवा संसद के बाहर सिखों का एक भी चित्र, आवक्ष प्रतिमा अथवा प्रतिमा नहीं लगी है। मैं माननीय गृह राज्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि हम सिखों को इस राष्ट्रीय मुख्यधारा से क्यों अलग रखा गया है। क्या हमने स्वतंत्रता में कोई बलिदान नहीं किया? क्या केवल एक ही समुदाय के लोगों ने सारी कुर्बानियां दी हैं? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमें संसद से, राष्ट्रीय ध्वज से राष्ट्र गीत से अलग क्यों रखा गया। जिस तरह से अमरीकियों ने ब्रिटेन के विरुद्ध यह कहते हुए विद्रोह कर दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, तो मैं भी यह कहना चाहूंगा भागीदारी और विचार-विमर्श के बिना किसी तरह की कोई निष्ठा नहीं। यद्यपि सिख, हिन्दुओं और मुसलमानों की तरह देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं फिर भी देश की विदेश, आर्थिक, रक्षा और गृह विभाग से संबंधित नीतियों में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। अत: हमारी मांग है कि राष्ट्रीय ध्वज की कमियों को तुरन्त दूर किया जाये और हमारे प्रतिनिधित्व के प्रतीक के रूप में तिरंगे झंडे में नीले रंग को अविलम्ब जोड़ा जाये।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि मैंने पहले कहा है यह कांग्रेस ध्वज का विस्तारण है। स्वतंत्रता के पश्चात अनेक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक और जातियां संघ में शामिल हुई। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि नए सिद्धांत और नये नैतिक चरित्र के साथ एक नये भारतीय ध्वज का निर्माण करना चाहिए। द्रविड़, मल्याली, तेलगु और सिखों को भी आयोग के समक्ष लाया जाना चाहिए और हमारे संघ को एक नया ध्वज मिलना चाहिए। मेरी यही नम्र इच्छा है। वर्तमान स्थिति में, अपने कांग्रेसी अतीत के कारण सिक्खों के लिए यह ध्वज खूनखराबा, जाति विशेष के खात्मे, नरसंहार, अत्याचारों, अन्याय और अति पवित्र स्वर्ण मंदिर पर आक्रमण का प्रतीक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक नया ध्वज बनाया जाना चाहिए।

**श्री संतोष मोहन देव** : महोदय, वह ऐसा कैसे कह सकते हैं?

**सरदार सिमरनजीत सिंह मान** : जब मैं सच बोलता हूं तो उस पर कांग्रेस को क्षुब्ध नहीं होना चाहिए...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : कोई असंगत बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*[अनुवाद]*

**सरदार सिमरनजीत सिंह मान** : आपने नरसंहार किया है और आपने स्वर्ण मंदिर पर आक्रमण किया है।

**श्री प्रबोध पण्डा** (मिदनापुर) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। उद्देश्यों और कारणों के कथन में कतिपय चिन्हों का उल्लेख किया गया है। मेरे विचार से राष्ट्रगान ही हमारे राष्ट्र का एकमात्र चिन्ह नहीं है; अपितु कुछ अन्य चिन्ह भी हैं। मैं वंदे मातरम का उल्लेख करना चाहता हूं। वंदे मातरम् हमारा राष्ट्रगान नहीं है परंतु इसकी महत्ता जन-गण-मन से कम नहीं है।

महोदय, मुझे लगता है कि यह बात पहले ही सरकार के ध्यान में लाई जा चुकी है कि इस देश में वंदे मातरम् को प्रख्यात गायकों द्वारा अलग-अलग धुनों में गाया जा रहा है। मैं यहां उनका नाम नहीं लेना चाहता। इसकी कैसेटों और रिकार्डों को पूरे देश में बजाया जा रहा है। यह धुन अन्य लोकप्रिय धुनों से अधिक स्वीकार्य हो गई है। जो लोग ऐसी धुने बना रहे हैं उनके रवैये के बारे में क्या कहना है?

महोदय, हमारे अन्य राष्ट्रीय चिन्ह भी हैं। कमल का फूल भी हमारे राष्ट्रीय चिन्हों में से एक है। परन्तु इसका राजनीतिकरण किया जा चुका है। इसको एक राजनीतिक दल ने अपने कब्जे में कर लिया है। हम राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं। इसका उल्लेख विधेयक में पहले ही किया जा चुका है और मैं विधेयक के उन प्रावधानों से सहमत हूं। कुछ समाचारपत्रों में कुछ राजनेताओं ने यह वक्तव्य दिया है कि ध्वज के मध्य जो अशोक चक्र है उस की पुनरीक्षा करने

की आवश्यकता है यह बुद्ध धर्म का प्रतीक है। यह केवल उन लोगों की सोच को दर्शाता है जो राष्ट्रीयध्वज के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम पर बने सभी कैसेटों और रिकार्डों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। चाहे इसे प्रख्यात गायकों ने गाया हो या भारत की कोकिला ने गाया हो परंतु यह हमारे राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न है। इसकी सुरक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। मेरा विश्वास है कि सरकार हमारे देश के गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए पर्याप्त साहस दिखाएगी।

देश के कुछ भागों से यह प्रस्ताव आया है कि भारत का नाम बदल कर हिन्दुस्तान रखा जाए। इस चर्चा पर पहले ही रोक लगा दी गयी है और हमारा देश भारत ही है।

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परंतु आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए इसे मजबूत होना पड़ेगा।

*[हिन्दी]*

**श्री सुबोध मोहिते** (रामटेक) : सभापति जी, राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2003 का मैं समर्थन करता हूं। मैंने इस विधेयक को पढ़ा है और मैं एक विचार यहां सदन में रखना चाहता हूं। वैसे अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस विधेयक को पढ़ लिया होगा। मेरा कहना यह है कि विधेयक पास करना और राष्ट्रीय अभिमान, दो अलग-अलग चीजें हैं। इस विधेयक को प्रस्तुत करने में सरकार को और मंत्री जी को दुख हुआ होगा। मुझे लगता है कि इस राष्ट्र में रहने वाले राष्ट्र-प्रेमी आदमी को राष्ट्रीय भावना को सिखाना और वह भी संसद में बिल लाकर, इससे ज्यादा और कोई मजबूरी नहीं हो सकती है। इस बिल में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति अपमान करेगा, तो उसको कैद हो जाएगी। जो इंसान इस राष्ट्र में रहता है, अगर इस राष्ट्र की भावना को नहीं समझेगा और समझकर भी राष्ट्र का अपमान करेगा, तो उसको सजा होगी। मुझे लगता है कि वह राष्ट्र प्रेमी इन्सान नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि तीन मुद्दों से संबंधित यह बिल है। जो इन्सान इस राष्ट्र में रहता है, उसको ये तीन बातें समझने की जरूरत है।

महोदय, सबसे पहले बात यह है कि राष्ट्र की डैफिनिशन क्या है। मैंने जो एनालिसैस किया है, उसके अनुसार मैं राष्ट्र को फिजिकल बाउन्ड्री मानता हूं। अगर जम्मू-कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्र है और राष्ट्र की भावना फिजिकल बाउन्ड्री है, तो जम्मू-कश्मीर में रहने वाला आदमी टैरेरिस्ट आर्गेनिजेशन से है, तो वह कहता है कि हम पाकिस्तान के एक हिस्से हैं। ऐसी स्थिति में यह डैफिनिशन कैसे हो सकती है और अगर राष्ट्र की डैफिनिशन फिजिकन बाउन्ड्री नहीं है, तो काश्मीर में डैफिनिशन अलग है, बोडोलैंड में डैफिनिशन अलग है। इसलिए राष्ट्र की डैफिनिशन को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात—राष्ट्र अभिमान क्या है। राष्ट्र अभिमान को प्रोटैक्ट करने के लिए हम कानून ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि राष्ट्र अभिमान ऐसी चीज है, जिसको हम बाजार में खरीद सकते हैं। राष्ट्र अभिमान ऐसी चीज है, जो बेची जा सकती है। राष्ट्र अभिमान ऐसी चीज है, जिसका बंटवारा किया जा सकता है। राष्ट्र अभिमान क्या है, जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे विचार से राष्ट्र अभिमान इंसानियत है। इंसानियत का मतलब है, इस राष्ट्र में इन्सान, इन्सान के साथ इंसानियत से रहे। अगर इंसान तीन बातों को समझ लेता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का कानून पास करने की जरूरत होगी। हम बोलते हैं— मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। ऐसा कौन सा मुस्लिम धर्म है, जिसके पैगम्बर ने कहा है कि मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हिन्दू के गले का खून निकालो। ऐसा कौन सा ईसाई धर्म है, जिसमें कहा गया है कि अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इंसान का खून निकालो। ऐसा कौन सा हिन्दू धर्म है, जिसमें हिन्दू धर्म को अपनाने के लिए मुसलमान की हत्या करने के लिए कहा गया है। जब ऐसा कोई भी धर्म नहीं है, तो सबसे बड़ा यह सवाल पैदा होता है कि वे कौन लोग हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूं, राष्ट्र धर्म और राष्ट्रीय ध्वज का पोलिटिक्लाइजेशन किया जा रहा है। हम सदन में यह विधेयक पास करने जा रहे हैं, जिसका थीम राष्ट्र भावना है। मैं कहता हूं, अगर राष्ट्र भावना हमारे में होती, तो क्यों इस देश में हवाला कांड होता। अगर राष्ट्र भावना हमारे में होती, तो क्यों इस देश में यूरिया स्कैम होता। अगर राष्ट्र भावना हमारे में होती, तो क्यों इस देश में चारा घोटाला होता। अगर राष्ट्र भावना हमारे में होती, तो क्यों इस देश में बोफोर्स कान्ड होता। अगर राष्ट्र भावना हमारे में होती, तो क्यों इस देश में पार्लियामेंट के एटैक में हिन्दू खून शामिल होता। अगर राष्ट्र भावना हमारे में होती, तो क्यों इस देश में अक्षरधाम की घटना होती। अगर राष्ट्र भावना हमारे में होती, तो क्यों देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि सजा लागू करने से राष्ट्र भावना नहीं आ सकती है।

राष्ट्रीय भावना की शुयआत हमें संसद से करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय भावना की शुरूआत सब पार्टी के लीडर्स से करनी चाहिए। हम मैसेज दे रहे हैं कि हम हिन्दुओं के लीडर हैं। हम मैसेज दे रहे हैं कि

[श्री सुबोध मोहिते]

हम हिन्दुस्तान के लीडर नहीं हैं। यहां से मैसेज जाना चाहिए कि हम देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। यहां से मैसेज जाना चाहिए कि हम पावर्टी एलीविएशन के लिए काम कर रहे हैं। यहां से मैसेज जाना चाहिए कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का मान और शान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहां से मैसेज जाना चाहिए कि हम हैल्थ में सुधार के लिए काम कर रहे हैं। यहां से मैसेज जाना चाहिए कि हम गरीबों के लिए फूड सिक्युरिटी दे रहे हैं। अगर हमारी संसद का ये एजेंडा होगा तो मुझे लगता है कि राष्ट्र की भावना का बिल संसद में पास करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी।

**सभापति महोदय** : आप समाप्त कीजिए।

**श्री सुबोध मोहिते** : मैं आधा मिनट में समाप्त कर रहा हूं। नहीं तो आप ऐसे कितने भी कानून पास कर लीजिए, कितनी भी सजाओं का प्रावधान कर दीजिए, मुझे लगता है कि जब तक राष्ट्रीय भावना के लिए अवेयरनेस जागृत नहीं होगी, तक तक इस बिल का महत्व नहीं है।

**सभापति महोदय** : आपकी कोई बात अब प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है।

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया)** : सभापति महोदय, उन्होंने एक वाक्य कहा – मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मेरा कहना है कि वह उस वाक्य को पूरा करें – हिन्दी हैं हमवतन हैं, हिन्दोस्तां हमारा।

**श्री हरीभाऊ शंकर महाले** (मालेगांव) : सभापति महोदय, राष्ट्र गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2003 पर सदन में बहुत अच्छी तरह से चर्चा हो रही है। मैं इस विधेयक का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। महोदय, यह झंडा केवल कपड़ा नहीं है, यह आत्म-सम्मान बढ़ाने का एक चिह्न है। इस चिह्न में एक अशोक चक्र है। यह अशोक चक्र इस देश का एक महत्वपूर्ण निशान है। इसमें सफेद रंग त्याग की भावना का प्रतीक है, केसरिया रंग वीरों की शक्ति का प्रतीक है और हरा रंग धरती की हरियाली का प्रतीक है।

सभापति महोदय, मोहिते साहब ने बहुत अच्छी बात कही। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इस जन्मभूमि को स्वर्ग से महान बनाने के लिए समाज के हर वर्ग ने चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी हो, सभी लोगों ने इसमें बहुत योगदान दिया है। उन सबके योगदान से ही हमें स्वराज्य मिला है और हमारा झंडा पूरे राष्ट्र में फैला हुआ है। जिन्होंने इस देश के लिए त्याग किया, आत्म-समर्पण किया, उन्हें मैं नमन करता हूं और इस झंडे का अपमान न हो, यह सब पार्टियों के लिए गौरव की बात है। हमें स्वराज्य मिले हुए 55 वर्ष हो गये हैं, फिर भी राष्ट्र गौरव का अपमान होता है, यह शर्म की बात है। यह ठीक नहीं है। इस संशोधन विधेयक के द्वारा ये सब चीजें ठीक हो जाएं, ऐसी मेरी विनती है।

**श्री ईश्वर दयाल स्वामी** : सभापति महोदय, मैं आभारी हूं कि इस बहस में 17 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और बड़ी सार्थक चर्चा की, बड़े अच्छे सुझाव भी दिये। लेकिन जो बिल हम आपके सामने लेकर आये हैं, उसका बहुत सीमित दायरा सजा को बढ़ाने का है और जो थोड़ा 1971 के बिल में विस्तार से नहीं कहा गया था कि डिसरिस्पैक्ट और कौन-कौन से होंगे, उसके बारे में यह बिल लाया गया है। लेकिन फिर भी कई शंकाएं उभर कर आई हैं, कई भ्रम पैदा हुए हैं, जिन्हें मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात इसमें कही गई कि जब तक इसकी वाइड पब्लिसिटी नहीं होगी, लोगों को पता नहीं होगा, उस वक्त तक इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफेन्स बना देगा। जैसे रघुवंश बाबू ने कहा, असली बात यही है कि जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, 2002 बना है, इसकी पब्लिसिटी पूरी तरह से इलैक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया से की गई है। इसकी पब्लिसिटि के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन को लिखकर कहा गया है कि वह फ्लैग कोड को स्कूल के सिलबाई में भी शामिल करे।

इसकी पब्लिसिटी के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को कह गया है कि वह रीजनल लैंग्वेजेज में भी इस फ्लैग कोड को ट्रांसलेट करके सब स्कूलों में इसकी पब्लिसिटी करें। इसका प्रयास किया गया है लेकिन पब्लिसिटी जितनी मर्जी हम करें, जब तक आहिस्ता-आहिस्ता सब लोगों को फ्लैग कोड की जानकारी न हो, जैसे आज भी एक दो सांसद महोदय ने यह बात कही कि हम सिर्फ 26 जनवरी या 15 अगस्त को ही झंडा लहरा सकते हैं। फ्लैग कोड के हिसाब से आप सारे साल, सब दिन अपने मकान, दुकान पर झंडा लहरा सकते हैं, यह फैसला हो चुका था। चूंकि कोर्ट से फैसला आया था और उसके बाद फ्लैग कोड में अमेन्डमेंट हो गया था। इस तरह से यह जानकारी तो आहिस्ता-आहिस्ता मिलती है।

एक बात यह भी आई कि अगर कहीं पैरा मिलिट्री फोर्सेज के नोटिस में फ्लैग का डिसरिस्पैक्ट हुआ हो और उसके ध्यान में आ जाए तो वह उसको कैसे डील करेगा? कानून की व्यवस्था है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की अथॉरिटी है लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करना, और

यह चूंकि कॉगनिजेबल ऑफैन्स है, इसलिए जब तक पुलिस स्टेशन में ऑफैन्स दर्ज नहीं होगा, तब तक कार्रवाई नहीं हो सकेगी। पैरा मिलिट्री फोर्सेज आर्मी या किसी और की जानकारी में ऐसी बात आएगी तो उनको भी पुलिस स्टेशन कनसर्न्ड में कॉगनिजेबल ऑफैन्स होने के नाते उसका पर्चा दर्ज कराना पड़ेगा तभी उस पर कार्रवाई हो सकेगी।

एक बात बार-बार कही गई है इसकी पनिशमेंट के बारे में जो प्रोफेसर साहब ने कही। मैंने उनको बीच में बताने की कोशिश की थी कि इसमें सजा को कम नहीं गिया गया है बल्कि जो दूसरा ऑफैन्स हैं या बार-बार जो ऑफैन्स करते हैं, या बार-बार कानून की अवहेलना करते हैं, उनके लिए कम से कम सजा एक साल रखी है। कहीं तीन साल है। कोई अगर तीन साल की सजा देना चाहे तो तीन साल देगा। जुर्माना भी साथ लगाना चाहे तो वह भी करेगा लेकिन बार-बार ऑफैन्स करने वालों के लिए यह कानून बना दिया गया है कि उनको सिर्फ फाइन से या सिर्फ एक साल से कम सजा के बिना नहीं छोड़ा जाएगा। उनको कम से कम एक साल की सजा जरूर होगी। तीन साल की कैद की सजा भी कोर्ट सुना सकती है। ये सारी चीजें इसमें आई हैं।

जहां तक मान साहब ने जिक्र किया, मुझे थोड़ा खेद है। मैं उनसे क्षमा चाहूंगा कि आप कांस्टीट्यूएंट असेम्बली की कार्यवाही देखें या राधाकृष्णन जी के स्टेटमेंट को देखें तो उसमें बताया गया है कि यह तीन कलर क्या सिगनिफाइ करते हैं। किसी समय किसी की सोच नहीं थी इस देश में जिसकी एक महान संस्कृति जिसका 5000 साल का महान इतिहास है। उस महान संस्कृति और संस्कारों के इतिहास वाले देश में कभी यह सोच नहीं हुई, किसी पार्टी की, किसी विचारधारा के लोगों की, किसी राजनैतिक दल की यह सोच नहीं हुई कि ये तीन रंग किसी मजहब या कम्यूनिटी के बेसिस पर रखे गये थे। इनका तो उल्लेख फ्लैग कोड में भी किया गया है और फ्लैग कोड का पहला ही पेज अगर पढ़ेंगे तो मैं उसको रिपीट करता हूं।

*[अनुवाद]*

उस संविधान सभा में डा. एस. राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय ध्वज के रंगों और चक्र के महत्व का वर्णन विस्तार से किया था जिसने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। डा. राधाकृष्णन ने कहा था :

> ''भगवा या केसरी रंग त्याग और निर्लिप्तता का प्रतीक है। हमारे नेताओं को भौतिक सुख सुविधाओं से अलिप्त रह कर अपने कार्य के प्रति समर्पण रखना चाहिए। बीच में सफेद रंग हमारे आचरण को सच्ची राह दिखाने वाले मार्गदर्शक के रूप में रोशनी का प्रतीक है। हरा रंग मिट्टी से हमारा संबंध दिखाता है, यह पेड़ पौधों से हमारा संबंध दिखाता है जिसपर हमारा जीवन निर्भर है।''

*[हिन्दी]*

यह गलतफहमी कभी किसी के दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। तकरीबन सब बातें इसमें आई हैं। एक बात की चर्चा भी की गई है कि नेशनल फ्लैग का जो जिक्र किया गया, लेकिन अगर डिसरिस्पैक्ट किसी नेशनल एन्थैम के लिए है तो उसके लिए जिक्र नहीं किया गया है। यह बात जहां तक है, नैशनल ऐन्थम के बारे में मेन ऐक्ट में जो राष्ट्र गौरव अपमान-निवारण अधिनियम 1971 है, उसी में क्लियर किया हुआ है कि जो किसी को गाने से इंटैन्शनली रोकेगा।

*[अनुवाद]*

> ''जो भी भारतीय राष्ट्रगान को गाने से जानबूझ कर रोकेगा या ऐसी सभा में गड़बड़ियां उत्पन्न करेगा जहां ये गाया जा रहा है।''

*[हिन्दी]*

सिर्फ इन दोनों चीजों को इस एक्ट में शुमार किया गया था। इसलिए इसमें फरदर एक्सप्लेनेशन करने की, इल्यूसिड करने की और विस्तार करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए इसका विस्तार नहीं किया गया। एक यह शुबहा या शक दिखाया गया था कि कहीं तो नैशनल एंथम गाया जाता है और कहीं नहीं गाया जाता, मैं बताना चाहता हूं कि सिंगिंग आफ नैशनल एंथम इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, यह आप्शनल है। इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन्स जारी नहीं की गई हैं कि कहां यह गाया जाएगा और कहां नहीं गाया जाएगा।

*[अनुवाद]*

**श्री पी.एच. पांडियन :** महोदय, मैंने पद की शपथ लेते हुए पूछा था।

**श्री ईश्वर दयाल स्वामी :** मैं उसी विषय पर आ रहा हूं।

*[हिन्दी]*

महोदय, इसके बारे में एक चर्चा और की गई है कि जो हमारा नेशनल एंथम है, उसके अलावा हमारा एक नेशनल सांग, राष्ट्रीयगीत

[श्री ईश्वर दयाल स्वामी]

भी है, उसको भी उतना ही महत्व दिया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन नैशनल एंथम एक ही हो सकता है। उसे राष्ट्रीय गीत के तौर पर गाया जाता है और उसे यहां संसद में भी गाया जाता है।

महोदय, मुझे संतोष और प्रसन्नता इस बात की है कि सदन के सभी दलों की तरफ से इस बात का समर्थन किया गया और यह चिन्ता व्यक्त की गई कि इस देश में किस तरह से अपने पूर्वजों, नैशनल सिम्बल, जो हमारे राष्ट्रीय चिह्न हैं, उनका हम आदर करें, मान-सम्मान करें, इसकी चिन्ता की, सोचा और यहां हर दल की तरफ से यह सोच प्रकट की गई। यह अच्छी बात है। जिस देश के कर्णधार, रिप्रजेंटेटिव, जो देश के नुमाइंदे हैं, जो देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले यहां आते हैं, उनकी चिन्ता वही है, जो देश के लोगों की चिन्ता है, इसका मैं स्वागत करता हूं। इसके बारे में जो भी सुझाव आपकी तरफ से आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और उनके मुताबिक आयंदा जो भी अमेंडमेंट लानी होगी, जो भी तरमीम करने की जरूरत पड़ेगी, उसको लाने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे।

*[अनुवाद]*

**श्री पी.एच. पांडियन :** उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। राष्ट्रपति भवन में सरकारी कार्यक्रम जैसे मंत्रिपरिषद का शपथ-ग्रहण समारोह इत्यादि का आरंभ और अंत राष्ट्रगान को गाने से होता है। राजभवनों के मामले में भी ऐसा ही होता है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में ऐसा कोई प्रावधान है या ऐसा प्रावधान बिल्कुल नहीं हैं जहां मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायधीशों को शपथ दिलाने के सामारोह का आरंभ और अंत राष्ट्रगान से हो। उच्चतम न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ग्रहण समारोह का आरंभ और अंत राष्ट्रगान से नहीं होता है। मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

**श्री ईश्वर दयाल स्वामी :** इस संबंध में किसी के लिए भी कोई आदेशात्मक निर्देश नहीं है।

**श्री पी.एच. पांडियन :** इस प्रकार, जबकि सभी संवैधानिक कार्यकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों, मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों के कार्यक्रम में राष्ट्र-गान गाया जाता है उसी प्रकार विधि मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के कोई निर्देश क्यों नहीं जारी किए जाते जिससे हमारे न्यायालय के सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान गाया जा सके?

**श्री ईश्वर दयाल स्वामी :** यह आपके सुझावों में से एक है। जहां तक मैं जानता हूं वर्तमान में ऐसे कोई निर्देश नहीं हैं। हम निश्चित ही इस बात पर गौर करेंगे और आपके सुझाव पर ध्यान दिया जाएगा ...*(व्यवधान)* वर्तमान में ऐसे कोई निर्देश नहीं हैं।

**श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम :** महोदय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है। तो फिर हमारे न्यायालय के ऐसे कार्यक्रमों का आरंभ राष्ट्रगान गाकर करने में क्या कठिनाई है?

**श्री ईश्वर दयाल स्वामी :** इसमें कोई कठिनाई नहीं हो सकती। मैं यह कह रहा हूं कि इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गये हैं। इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। यदि केन्द्र सरकार द्वारा जारी होते हैं तो वे ऐसा करने के लिए बाध्य होंगे। मैं यही बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि अब तक ऐसे कोई निर्देश नहीं है।

**श्री पी.एच. पांडियन :** महोदय, मैं अपनी बात इस तरह कहता हूं। संसद के किसी महत्वपूर्ण समारोह का आरंभ राष्ट्रगान से होता है। कार्यपालिका ऐसा करती है तो आप इससे न्यायपालिका को क्यों बाहर रख रहे हैं? कृपया इस संबंध में दिशा-निर्देश दीजिए या अधिनियम में संशोधन कीजिए....*(व्यवधान)*

**श्री ईश्वर दयाल स्वामी :** हम आपके सुझाव पर विचार करेंगे। जहां तक राष्ट्रीय ध्वज का सवाल हैं वह एक अलग बात है...*(व्यवधान)*

**श्री पी.एच. पांडिया :** राष्ट्रगान के बारे में क्या कहना है? ...*(व्यवधान)*

**श्री ईश्वर दयाल स्वामी :** किसी भवन पर राष्ट्रीय ध्वज होने का यह अर्थ नहीं है कि राष्ट्रगान भी अवश्य गाया जाए। वर्तमान में ऐसे कोई निर्देश नहीं हैं। मैं यही कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

**श्री आदि शंकर :** सामान्यत: न्यायिक अधिकारी राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते हैं।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** श्री आदि शंकर, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

अब हम विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव लेंगे।

प्रश्न यह है :

''कि राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**सभापति महोदय :** अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

**खंड-2**

**सभापति महोदय :** श्री राजो सिंह—उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

''कि खंड 2, विधेयक का अंग बने।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 2, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 3**

**सभापति महोदय :** श्री राजो सिंह—उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

''कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।*

**सभापति महोदय :** अब मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करें।

**श्री ईश्वर दयाल स्वामी :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**सायं 6.48 बजे**

*[हिन्दी]*

## विद्युत विधेयक—विचाराधीन

**सभापति महोदय :** इलैक्ट्रिसिटी बिल को मंत्री जी सिर्फ इण्ट्रोड्यूस करना चाहते हैं।

**कुंवर अखिलेश सिंह** (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, आपने खुद व्यवस्था दी थी और सदन में कोरम भी नहीं है।

**सभापति महोदय :** व्यवस्था है। बिल पर डिबेट नहीं होगी, माननीय गीते जी की रिक्वैस्ट है, वे बिल को सिर्फ मूव करना चाहते हैं। इस पर डिबेट कल होगी।

**विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) :** सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि विद्युत के उत्पादन, प्रेषण, वितरण, व्यापार और उसके उपयोग और साधारणत: विद्युत उद्योग के विकास के सहायक उपाय करने, विद्युत टैरिफ के सुव्यवस्थीकरण, सहायकियों के बारे में स्पष्ट नीतियों, दक्षतापूर्ण और पर्यावरण के अनुरूप नीतियों के संवर्धन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विनियामक आयोगों का गठन और अपील अधिकरण की स्थापना से संबंधित विधियों का समेकन और उनसे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।''

विद्युत विधेयक, 2001 एक महत्वपूर्ण विधेयक है और ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई दिशा निश्चित रूप में इस विधेयक के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि विद्युत विधेयक, अगस्त, 2001 में लाया गया तथा इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए यदि कोई आवश्यक एमेंडमेंट करना है तो उस एमेंडमेंट को लाने के लिए, करने के लिए और डिटेल में, विस्तार से इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा गया।

[श्री अनन्त गंगाराम गीते]

स्टैंडिंग कमेटी ने इस विधेयक पर काफी चर्चा की। ऊर्जा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सबसे स्टैंडिंग कमेटी ने सम्पर्क किया और उनकी राय ली। क्लाज बाई क्लाज इस विधेयक पर स्टैंडिंग कमेटी ने अध्ययन किया और बाद में अपनी रिपोर्ट को इस सदन के सामने पेश किया। मैं सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी के सारे सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक में दिलचस्पी दिखाई और गहरा अध्ययन करते हुए जो सिफारिशें इस विधेयक में अमेंडमैंट हेतु लानी चाहिए, उन सिफारिशों को रिपोर्ट के तहत इस सदन के सामने उन्होंने पेश किया।

इस विधेयक के बारे में सदन को जानकारी देते समय सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि देश में बिजली का जो आम उपभोक्ता है, वह आम उपभोक्ता इस विधेयक का केन्द्र बिंदू है। उपभोक्ता प्रथम इस मूलभूत संकल्पना को समक्ष रखकर कृषि, औद्योगिक, वाणिज्यिक, ग्रामीण शहरी तथा दुर्गम सभी वर्गों के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को और उनकी समस्याओं को इस विधेयक में शामिल किया गया है। आप जानते हैं कि उचित दर पर अच्छी गुणवत्ता वाली विश्वसनीय बिजली देश के प्रत्येक भाग और उपभोक्ता वर्ग की आधारभूत आवश्यकता बन गई है। यह एक महत्वपूर्ण अवसंरचना है जिस पर गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन देश के सभी भागों का संतुलित विकास और प्रतिवर्ष आठ परसेंट विकास दर जो हम चाहते हैं, ये सारी चीजें आज ऊर्जा पर निर्भर है। साथ ही साथ वैश्वीकरण के इस युग में हमारी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी आर्थिक कार्यों के लिए उचित दर पर अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली पर निर्भर करती है।

आप सभी जानते हैं कि यदि सस्ती और अच्छी बिजली उद्योग जगत के लिए हम दे पाते हैं तो उदारीकरण की नीति के कारण जो उद्योग क्षेत्र में स्पर्धा आयी है, उस कम्पीटिशन में हम टिके रहे पायेंगे। विद्युत क्षेत्र में आज हम एक कठिन परिस्थिति का मामना करने जा रहे हैं। यह देश तथा इस सदन के सभी वर्गों के बीच यह एक चिंता का विषय है। आज देश के लगभग सभी राज्यों में बिजली की कमी है। अच्छी बिजली की मांग हर वर्ग से आती है। सस्ती बिजली की मांग भी हर वर्ग से आती है। आज देश के हर वर्ग के लिए यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसीलिए इस विषय में हमारी जो चिन्तायें हैं, समस्याएं हैं, उन चिन्ताओं के बारे में मैं संक्षेप में यहां पर सदन को अवगत कराना चाहूंगा। अधिकांश लोगों को जिन्हें विद्युत उपलब्ध है, नियमित रूप से विद्युत की आपूर्ति नहीं होती है। हमारा उद्योग टैरिफ विश्व में सर्वाधिक टैरिफ में है।

हाल के वर्षों में राज्य विद्युत बोर्डों की स्थिति में काफी गिरावट हुई है। आपूर्ति की प्रति यूनिट लागत एवं राजस्व के बीच में काफी बड़ा अंतर है और समय के साथ राज्य विद्युत बोर्डों की वार्षिक हानियों में भी वृद्धि हो रही है तथा य अस्थिरता के कगार पर खड़े हैं। आज लगभग सारे विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति यही है और यह चिंता का विषय है। गत दो योजनावधियों में हमने अपनी नियोजित क्षमता अभिवृद्धि में मुश्किल से आधी ही प्राप्त की है, पचास प्रतिशत ही हम ऊर्जा का निर्माण कर पाए हैं। सरकार की गारंटी के आधार पर निवेश आमंत्रित करने के दृष्टिकोण से भी हमारी सकारात्मक आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाई है। यह हमारा मानना था कि यदि राज्य सरकारें या केन्द्र सरकारें किसी ऊर्जा निर्माण के प्रोजेक्ट को गारंटी देती हैं तो हमारे यहां कई ऊर्जा के निर्माण के प्रोजेक्ट आएंगे और उससे हमें अतिरिक्त बिजली मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस संदर्भ में भी जो परिणाम हम चाहते थे, वे हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। देश में व्यस्ततम समय में विद्युत की कमी चिंता का विषय है। स्थिति और बदतर होती किंतु हाल के उत्पादन उद्योग जगत में मंदी की वजह से ऐसा नहीं हुआ। आज जो उद्योग जगत की स्थिति है और उसमें यदि मंदी है और यदि मंदी नहीं होती तो ऊर्जा की समस्या हमारे देश के सामने और बड़ी समस्या होती।

अभी हमारे लगभग 80,000 गांव ऐसे हैं जहां हम अभी भी बिजली उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। लगभग पचास प्रतिशत घरों में आज भी हम बिजली नहीं दे पाए हैं। यह पॉवर डिवाईड देश के सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के मार्ग का सबसे बड़ा बाधक है और इस देश के विद्युत क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है, जैसे कि सदन की जानकारी में माननीय प्रधान मंत्री जी ने मार्च 2001 में देश के सारे मुख्य मंत्रियों और ऊर्जा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था। जिसे सम्मेलन में ऊर्जा की स्थिति पर चिंता जताई गई थी और उसी सम्मेलन के अंदर यह निर्णय किया गया, यह तय किया गया कि हमें इस प्रकार के एक कानून की आवश्यकता है जो काम्प्रीहेंसिव हो, सर्व समावेषक हो और जिस कानून के तहत हमें जो अतिरिक्त बिजली का निर्माण करना है, उसके लिए जो पूंजी निवेश की आवश्यकता है तो निवेश आए। हमारी जो वितरण की प्रणाली है, हमारी जो पारेषण की प्रणाली है, उसके अंदर जो निवेश की आवश्यकता है, वह निवेश आए। हमारे वितरण की प्रणाली में जो कमियां हैं, जो खामियां, जो त्रुटियां हैं, जो पुरानी पद्धति है, जिसके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है और उसमें सुधार की आवश्यकता है। उसमें भी निवेश की आवश्यकता है और इसीलिए एक सर्वसमावेषक काम्प्रीहेंसिव विधेयक हो, इस प्रकार

का कानून हो जिसके तहत ऊर्जा के क्षेत्र में जो लक्ष्य हमने तय किया है, उस लक्ष्य तक हम जा सकें और इसलिए यह विधेयक इस दृष्टि से भी महत्व रखता है। हमें ऐसे समय में विद्युत आपूर्ति की स्थिति बेहतर बनाये रखने तथा विद्युत अभाव से देश को मुक्त कराने के लिए अतिरिक्त उत्पादक क्षमता को बढ़ाना होगा ताकि प्रणाली विश्वसनीय बन सके। हमें विद्युत स्टेशनों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना होगा और उन पर ध्यान देना होगा ताकि राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्था पर विद्युत क्षेत्र की हानियां भारी न पड़ें। इस विधेयक का जो महत्व है, उसे मैं यहां सदन के सामने रख रहा हूं। विद्युत क्षेत्र को सरकार की सहायता के बिना ही पूंजीगत बाजार से धन जुटाने में सक्षम होना चाहिए। उपभोक्ता सर्वोपरि हैं जिनकी सेवा और सुविधा का ध्यान रखते हुए उचित दर पर गुणवत्ता परक विद्युत उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इन सारी बातों के लिए यह विधेयक एक महत्व रखता है।

इसी पार्श्वभूमि पर सरकार ने स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया तथा उनमें से अधिकांश को मंजूरी दी। मैं सदन को अवगत करना चाहूंगा कि लगभग 83 सिफारिशें स्थायी समिति ने दी।

**सायं 7.00 बजे**

उनमें से 68 सिफारिशों को हमने इस विधेयक में शामिल किया है और स्वीकार किया है। जो बाकी सिफारिशें हैं, जो सीधे विधेयक में आना आवश्यक नहीं थीं, लेकिन इसी संदर्भ में जो हम राष्ट्रीय ऊर्जा नीति बनाने जा रहे हैं, टैरिफ नीति बनाने जा रहे हैं, बाकी सिफारिशें उस पालिसी से जुड़ी हुई हैं। उन सिफारिशों पर भी, जब हम पालिसी तय करेंगे, विचार किया जाएगा।

सभापति जी, स्थाई समिति द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें, विधेयक के उद्देश्य, विद्युत नीति, टैरिफ नीति, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु विशेष प्रबंध, विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु प्रावधान, राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन, उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष प्रयास तथा क्रास सब्सिडी संबंधी मामलों से संबंधित है। प्रस्तावित संशोधनों में इन चिंताओं का समावेश किया गया है।

विधेयक में शामिल उद्देश्यों को विस्तृत करके इसमें विद्युत उद्योगों का विकास, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, उपभोक्ता हितों की रक्षा तथा सभी क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय विद्युत नीति का उद्देश्य संसाधनों जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय तत्वों, जल एवम् अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना होगा। पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक में एक राष्ट्रीय टैरिफ नीति की व्यवस्था की गई है जिनका अनुपालन विनियामक आयोगों को करना होगा। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए ऑम्बड्समैन का प्रावधान किया गया है। सब्सिडी में चरणबद्ध तरीके से कमी करने के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। यदि राज्य सरकार खास उपभोक्ता समूहों को सब्सिडी देना चाहती है, तो इसका भी विधेयक में प्रावधान है, जिसके लिए यूटिलिटी को समानुरूपी भुगतान किया जाएगा। ताकि जो जरूरतमंद हैं, जिनको सब्सिडी मिलनी चाहिए, उनको दी जा सके। लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदारी निभानी होगी और यूटिलिटियों को जो सब्सिडी देनी है, उसका प्रावधान करें। उसका भुगतान राज्य सरकार यूटिलिटियों को करें।

विद्युत उत्पादन, पारेषण एवम् वितरण क्षेत्रों में जवाबदेही लाने के मामले को प्रमुख बनाने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन की आवश्यकता है ताकि उपभोक्ता हितों की रक्षा हो सके। इस प्रकार के पुनर्गठन में कर्मचारियों के रोजगार संबंधी नियम एवम् शर्तों को पूर्णत: सुरक्षित रखा गया है। जहां रीआर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वह पुनर्गठन के लिए हम चाहते हैं इस विधेयक में कि राज्य विद्युत बोर्डों की स्थिति में सुधार हो, लेकिन पुनर्गठन करते समय जो राज्य विद्युत बोर्डों के कर्मचारी हैं, उनके हितों का भी रक्षण किया गया है। उनके हितों के दायरे के बारे में भी इस विधेयक में सोचा गया है।

सभापति जी, अनेक राज्य सरकारें, जिन्होंने विद्युत चोरी निवारक कानून पारित किए हैं, उनके अनुभवों के आधार पर विशेष अदालत गठित करने का प्रावधान किया गया है ताकि विद्युत चोरी रोकने के प्रयास को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

यह विधेयक विद्युत क्षेत्र का उदार ढांचा प्रस्तुत करता है और तीन विद्यमान कानूनों नामश: भारतीय बिजली अधिनियम, 1910, भारतीय विद्युत (आपूर्ति) 1948, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 का स्थान लेता है। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक से देश के विद्युत क्षेत्र की स्थिति में सुधार करने तथा भारतीय विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, दक्षता तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के साथ एक नए युग का सूत्रपात करने में मदद मिलेगी।

इस विधेयक का उद्देश्य "विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उपयोग से संबंधित तथा सामान्यत: विद्युत उद्योग के विकास के प्रेरक उपायों को करने के लिए कानूनों को एकीकृत करना, विद्युत उद्योगों में प्रतिस्पर्धा पैदा करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति करना, विद्युत टैरिफ का यौक्तिकरण

[श्री अनन्त गंगाराम गीते]

करना, आर्थिक सहायताओं संबंधी पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करना, कुशल एवं पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त नीतियों को प्रोत्साहन प्रदान करना, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण व विनियामक आयोगों की स्थापना करना, अपीलीय न्यायालय की स्थापना करना और तत्संबंधी मामलों पर कार्रवाई करना है।''

सभापति जी, यह विधेयक सदन के सामने चर्चा के लिए आ रहा है। जो भी सिफारिशें, सुझाव यहां पर आयेंगे, निश्चित रूप से उन पर विचार किया जाएगा। अब मैं सदन के सामने प्रार्थना करता हूं कि संशोधनों की सूची के समय विधेयक 2001 पर विचार करें और इन्हें स्वीकृति प्रदान करें।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** अब लोक सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**सायं 7.05 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 9 अप्रैल 2003/ 19 चैत्र, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।